खण्ड-06 सत्र-08 (भाग-02) / अंक-103

सोमवार 23 अगस्त, 2019 / 01 भाद्रपद, 1941 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

आठवां सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-06, सत्र-08 (भाग-02) में अंक 102 के अंक 104 सम्मिलित हैं।)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

सी. वेलमुरुगन

सचिव

C. VELMURUGAN

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editting)

विषय सूची

सत्र-8 भाग (2) शुक्रवार, 23 अगस्त, 2019/01 भाद्रपद, 1941 (शक) अंक-103

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	3–5
3.	तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (प्रश्न संख्या – 21–28, 31 एवं 33)	5–88
4.	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्रश्न संख्या – 29, 30, 32 एवं 34–40)	88–132
5.	अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्रश्न संख्या – 89–158)	132–367
6.	माननीय उप मुख्य मंत्री का वक्तव्य	367–369
7.	माननीय परिवहन मंत्री का वक्तव्य	369–372
8.	विशेष उल्लेख (नियम–280)	372–397
9.	प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण	398
10.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	398–400
11.	अल्पकालिक चर्चा (नियम–55)	400–469

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-8 भाग (2) शुक्रवार, 23 अगस्त, 2019/01 भाद्रपद, 1941 (शक) अंक-103

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूचीः

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री अजेश यादव
6. श्री महेन्द्र गोयल
7. श्री राम चंद्र
8. श्री सुखबीर सिंह दलाल
9. श्री ऋतुराज गोविन्द
10. श्री संदीप कुमार
11. श्री रघुविन्दर शौकीन
12. श्रीमती बंदना कुमारी
13. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
14. श्री राजेश गुप्ता
15. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी
16. श्री सोमदत्त
17. सुश्री अलका लाम्बा
18. श्री आसिम अहमद खान
19. श्री विशेष रवि
20. श्री हजारी लाल चौहान
21. श्री शिव चरण गोयल
22. श्री गिरीश सोनी

23. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
24. श्री जरनैल सिंह
25. श्री राजेश ऋषि
26. श्री आदर्श शास्त्री
27. श्री गुलाब सिंह
28. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
29. सुश्री भावना गौड़
30. श्री सुरेन्द्र सिंह
31. श्री विजेन्द्र गर्ग
32. श्री प्रवीन कुमार
33. श्री मदन लाल
34. श्री सोमनाथ भारती
35. श्रीमती प्रमिला टोकस
36. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
37. श्री नरेश यादव
38. श्री करतार सिंह तंवर
39. श्री प्रकाश
40. श्री अजय दत्त
41. श्री दिनेष मोहनिया
42. श्री सौरभ भारद्वाज
43. सरदार अवतार सिंह कालका
44. श्री सही राम
45. श्री मनोज कुमार
46. श्री नितिन त्यागी
47. श्री ओम प्रकाश शर्मा
48. श्री एस.के. बग्गा
49. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
50. मो. इशराक
51. श्री श्रीदत्त शर्मा
52. चौ. फतेह सिंह
53. श्री जगदीश प्रधान
54. श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही[1]

सत्र-8 भाग (2) शुक्रवार, 23 अगस्त, 2019/01 भाद्रपद, 1941 (शक) अंक-103

सदन अपराह्न 2.03 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय **(श्री रामनिवास गोयल)** *पीठासीन हुए* ।

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

माननीय अध्यक्षः सभी माननीय सदस्यों का स्वागत है। मुझे विभिन्न सदस्यों से ध्यानाकर्षण नियम–54 और नियम–114 के अन्तर्गत कई नोटिस प्राप्त हुए हैं। कल भी कई नोटिस प्राप्त हुए थे। जैसा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है, सदन में मेरी अनुमति के बिना कार्यसूची में सूचीबद्ध विषयों के अलावा किसी अन्य विषय को उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद कई सदस्यों की आदत बन गयी है कि जैसे ही सदन शुरू होता है, वे जानबूझ कर ऐसे विषयों को केवल सस्ते प्रचार और अनावश्यक रूप से सदन का कीमती समय नष्ट करने के लिए उठाते हैं। सदस्यों को ये पता होना चाहिए कि इस मामले में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होता है और उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। कोई भी सदस्य, जो मेरे निर्देष की अवहेलना करता है, यह विशेषाधिकार हनन और अध्यक्ष तथा सदन की अवमानना कर रहा है और उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। प्रश्नकाल।

...(व्यवधान)

---

[1]*www.delhiassembly.nic.in* पर उपलब्ध।

माननीय अध्यक्षः अगर आप इसे इमरजेन्सी मानते हैं तो मैं... आप इमरजेन्सी मानते हैं तो मानिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ऐसा है ओमप्रकाश जी, ओमप्रकाश जी। आप बोल लीजिए। बोलिए, बोलिए। आप बोल लीजिए, जितना बोलना है, बोलिए। आप बोल लीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मुख्य मंत्री दे चुके हैं। मुख्यमंत्री बधाई दे चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा। देखिए, विजेन्द्र जी, ये राष्ट्रीय मसला है। ये दिल्ली का मसला नहीं है। ये राष्ट्रीय मसला है। बैठिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः ये देश का मसला है अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, चिल्लाइए मत। आराम से बात कीजिए। औरों को भी चिल्लाना आता है। औरों को भी चिल्लाना आता है।

(सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्य वेल में आए।)

माननीय अध्यक्षः आराम से बात करिए। आप आराम से बात करिए। तहजीब नहीं है आपको, बात करने की। आपको तहजीब नहीं है, बात करने की। देखिए, आप लगाइए, गले में पट्टियॉ बाँधिए। मैंने जो निर्णय दे दिया, वो दे दिया। वो बैक–अप नहीं होगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः चलिए, ठीक है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, कार्यसूची तो आपने बनाई है। कोई काम ऐसा है जो हम सबको इस विधान सभा में...

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

माननीय अध्यक्षः श्री विशेष रवि जी। काम कर तो रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? श्री विशेष रवि जी। प्रश्न संख्या–21

श्री विजेन्द्र गुप्ताः 370 पर बधाई प्रस्ताव लाएँगे। आप देख लीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर वो अपना बधाई सन्देश दे चुके हैं। समर्थन कर चुके हैं। नहीं, इस हाउस का विषय नहीं है वो।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः वो इस हाउस का विषय नहीं है। इस हाउस का विषय नहीं। श्री विशेष रवि जी, आप प्रश्न रखिए।

...(व्यवधान)

श्री विशेष रविः अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रश्न संख्या 21 का उत्तर माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ जो कि निम्नानुसार हैः

क्या **माननीय चुनाव मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि करोल बाग विधान सभा क्षेत्र के विधायक द्वारा एक पत्र संख्या–112702/29/05/2019 चुनाव विभाग को लिख गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो चुनाव विभाग द्वारा उस पत्र के उत्तर में क्या कार्रवाई की गयी है?

माननीय चुनाव मंत्री (श्री इमरान हुसैन): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या 21 का उत्तर इस प्रकार से हैः

(क) जी हाँ।

(ख) करोल बाग विधान सभा क्षेत्र चुनाव कार्यालय द्वारा कार्रवाई करते हुए एरिया के बीएलओज को जाँच के लिए भेजा गया। बीएलओ ने अपनी जाँच मे पाया कि दोनों मतदाता दिए गए निवास स्थान पर रहते पाये गये। बीएलओज द्वारा दोनो से फार्म–6 भरवा लिया गया तथा दोनो का नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया गया है।

माननीय अध्यक्षः सप्लीमेन्टरी। कोई सप्लीमेन्टरी। हाँ, बोलिए।

श्री विशेष रविः सर इसमें ये बताया गया है कि...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः इस विषय पर मैं आपको बाहर निकालने वाला नहीं हूँ। आपने जितना शोर मचाना है, मचाइए। मैं इस विषय पर बाहर निकालने वाला नहीं हूँ। हाँ, करिए, जितना मर्जी है। आपको जितना जो कुछ करना है, करिए। सरकार इसका समर्थन कर चुकी है। सरकार इसका समर्थन कर चुकी है। माननीय मुख्य मंत्री समर्थन कर चुके हैं। ये राष्ट्रीय मुद्दा है। इस विधान सभा का मुद्दा नहीं है। ये राष्ट्रीय मुद्दा है। इस विधान सभा में चर्चा का विषय नहीं है। हाँ, विशेष रवि जी, पूछिए, कोई क्रॉस करना है तो। विशेष सप्लीमेन्टरी।

श्री विशेष रविः सर, इसमें मुझे ये जानना है कि दो लोगों के पहचान पत्र जिन्होंने निगम चुनाव में वोट डाला था, उनका लोक सभा चुनाव में वोट कट गया और उसमें माननीय मंत्री जी द्वारा बताया गया है कि उनकी दुबारा जाँच करके उनका वोटर आई कार्ड वहाँ पर सही पाया गया। और उनका नाम जोड़ दिया है। मेरा प्रश्न ये है कि जब उन्होंने निगम के चुनाव में वोट डाला था तो लोक सभा चुनाव में अपने आप इनका वोट कैसे कट गया?

माननीय चुनाव मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, श्रीमती ओसीमा वोटर कार्ड संख्या आरजेएम 1149970 का नाम मतदाता सूची से 26.3.2018 को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए इस कारण से विलोपन किया गया क्योंकि बीएलओ के सत्यापन के दौरान जब बीएलओ वहाँ पहुँची उनके घर पर, तो वो जो एड्रेस उन्होंने दिया था, उस एड्रेस पर वह वहाँ नहीं मिली, नहीं पायी गयी। तो इसलिए उनका नाम काट दिया गया। जब आपने इस बारे में लैटर दिया, उसके बाद दुबारा जाँच की गयी। जो मुझे जानकारी दी चुना आयोग ने अगर वहाँ बीएलओ नहीं गयी किसी वजह से और वैसे ही नाम काट दिया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

श्री विशेष रविः सर, ये बताया जा रहा है मंत्री जी के द्वारा कि जिनका नाम काटा गया, जिन वोटर आईडी धारक का नाम काटा गया, उनका नाम इसलिए काटा गया क्योंकि बीएलओ जब वहाँ पर गए तो उनको वो महिला मौजूद नहीं मिली, वो महिला मौजूद नहीं मिली।

माननीय चुनाव मंत्रीः जो उन्होंने एड्रेस दिया हुआ था वहाँ पे अपना, उस एड्रेस पर वो रहती नहीं पायी गयी और दूसरा, दूसरे के दो पहचान–पत्र बने हुए थे, एक सदर बाजार में और एक करोलबाग में, उन्होंने बनवाया

तो दो बने हुए थे और एक कटवाया नहीं। तो उसके मद्देनजर उनका काटा गया।

श्री विशेष रविः सर, प्रश्न ये है कि पहला जो वोटर आईडी कार्ड है, जिनका नाम श्रीमती ओसिमा है, अगर बीएलओ उनके घर पर गए, वो मौजूद नहीं थी, बीएलओ का कहना है जब वो खुद मौजूद नहीं थी तो उनके परिवार के ओर लोग वहाँ मौजूद थे, उनके हस्बैंड थे, उनके बच्चे थे और लोग थे, अगर वैरीफिकेशन करनी थी तो वैरीफिकेशन तो बीएलओ उनसे भी कर सकता था। क्या सिर्फ इसलिए कि क्योंकि उस समय ओसिमा जी वहाँ खुद मौजूद नहीं थी, सामान लेने गयी थी, वो किसी काम से गयी थी, उनका नाम काट दिया गया। तो ये सही नहीं है।

माननीय चुनाव मंत्रीः नहीं, अगर ऐसा हुआ है... उन्होंने जो मुझे जानकारी दी है, उस हिसाब से उन्होंने जानकारी दी है कि वो वहाँ गए तो उनको जिस स्थान का एड्रेस उन्होंने दिया, वो नहीं था। अगर वहाँ...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भारत माता की

कई माननीय सदस्यः जय।

माननीय अध्यक्षः भारत माता की

कई माननीय सदस्यः जय।

माननीय अध्यक्षः भारत माता की।

कई माननीय सदस्यः जय।

माननीय अध्यक्षः चलिए, शुरू करिए। शुरू करिए। चलिए, आप पूछिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए, बैठिए। हाँ, विशेष रवि जी, आपका हो गया? हाँ, जरनैल जी, आपका सप्लीमेंटरी है? हाँ, पूछिए।

श्री जरनैल सिंहः अध्यक्ष जी, ये बड़ी ना, कॉमन प्रॉब्लम है; किसी भी वोटर का नाम, जब हम भी वोटर लिस्ट वैरीफाई करते हैं तो कटा हुआ मिलता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इलैक्शन डिपार्टमेंट द्वारा उस बीएलओ पे क्या कार्रवाई होती है जो बिना किसी वैलिड रीजन के किसी का भी वोट काट देता है, बाद में चैकिंग होती है तो वो सही पाया जाता है। तो ऐसे बीएलओ के ऊपर क्या कार्रवाई होती है, जो विदआउट वैलिड रीजन वोट काट देते हैं?

माननीय चुनाव मंत्रीः अगर ऐसे आपकी जानकारी में आते हैं तो आप मुझे दो। मैं सीओ से बात करके उन सबको सस्पैंड कराएँगे और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई कराएँगे। नहीं, इसी पे कर लेंगे।

श्री विशेष रविः इसकी जाँच करवा दीजिए क्योंकि उनके पास पड़ी है।

माननीय चुनाव मंत्रीः इसकी जाँच करा देते हैं।

श्री विशेष रविः वो वहाँ रहती है। उसका नाम काट दिया।

माननीय चुनाव मंत्रीः इसी की जाँच करा देते हैं और जिस–जिस विधायक का भी है, सब अपना–अपना लिख के दे दें।

माननीय अध्यक्षः बंदना जी।

श्रीमती बंदना कुमारीः अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ तीन केस ऐसा था जो पहचान–पत्र में उनका नाम था, उनके हाथ में पहचान–पत्र भी थी, लेकिन उस आदमी को मृत... उसमें जो बीएलओ की लिस्ट थी।

माननीय अध्यक्षः बंदना जी।

श्रीमती बंदना कुमारीः जी।

माननीय अध्यक्षः ये तो उत्तर नहीं दे पाएँगे मंत्री जी।

श्रीमती बंदना कुमारीः जी।

माननीय अध्यक्षः क्योंकि आपकी विधान सभा से संबंधित क्वेष्चन नहीं था, ये करोलबाग विधान सभा से संबंधित है।

श्रीमती बंदना कुमारीः जी, जी।

माननीय अध्यक्षः तो इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर ये दे नहीं पाएँगे।

श्रीमती बंदना कुमारीः सर, लेकिन ये प्रॉब्लम हम सबके विधान सभा का है, जहाँ पे लिस्ट है।

माननीय चुनाव मंत्रीः अगर ऐसी लिस्ट है तो आप मुझे दो। मैं सीओ से बात करके उसे ठीक कराता हूँ और अगर बीएलओ की इसमें गलती पायी जाएगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

माननीय अध्यक्षः श्री सुखबीर सिंह दलाल जी।

...(व्यवधान)

श्री सुखवीर सिंह दलालः अरे गुप्ता जी! गुप्ता जी, आपसे रिक्वैस्ट है हमारा बहुत समयकृ. गुप्ता जी, आपसे हाथ जोड़।

माननीय अध्यक्षः सुखबीर जी, आप बोलिए प्रश्न संख्या बोलें।

श्री सुखबीर सिंह दलालः प्रश्न–संख्या–22

क्या **माननीय उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मुंडका विधान सभा क्षेत्र में सरकारी शराब की दुकानों की सूची;

(ख) दिनांक 01.01.02015 के बाद से मुंडका विधान सभा क्षेत्र में शराब की अवैध दुकानों के विरुद्ध की गयी कार्रवाई का ब्यौरा;

(ग) दिल्ली में शराब की दुकान खोलने के लिए क्या दिशा निर्देश हैं;

(घ) दिनांक 01.01.2015 के बाद आबकारी विभाग द्वारा संगृहीत राजस्व का वर्षवार ब्यौरा;

(ङ) दिनांक 01.01.2015 के बाद आबकारी विभाग द्वारा चिह्नित अवैध शराब इकाइयों का ब्यौरा;

(च) दिनांक 01.01.2015 के बाद नाबालिगों को शराब बेचे जाने के मामलों का ब्यौरा; और

(छ) दिनांक 01.01.2015 के बाद इन मामलों में अपराधियों के विरुद्ध की गयी कार्रवाई का ब्यौरा?

माननीय अध्यक्षः माननीय उप मुख्य मंत्री जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को!

माननीय उप मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मुझे इस भाषा पर आपत्ति है जो शब्द यहाँ यूज किए जा रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः देश के गद्दार! कि किस तरह बधाई प्रस्ताव लाने से रोका जाता है।

माननीय महोदयः मैंने जो आदेश दे दिया, दे दिया, जो आदेश देना था, दे दिया।

...(व्यवधान)

माननीय महोदयः हाँ, कोई बात नहीं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः कोई चर्चा नहीं, मैं कह चुका पहले। आप बोलिए।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय जी, प्रश्न संख्या–22 का उत्तर निम्न हैः

(क) मुंडका विधान सभा क्षेत्र में 06 सरकारी शराब की दुकानें है, सूची संलग्न है;

(ख) मुंडका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अमन विहार, कंझावला व मुंडका थानों में अवैध शराब की बिक्री करने वाले वालों के खिलाफ की गयी कार्रवाई का ब्यौरा निम्नलिखित हैः

वर्ष	कुल मुकदमें दर्ज	पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या	पकड़ी गयी बोतलों की संख्या
01.01.2015 से 31.12.2015	48	46	14516
01.01.2016 से 31.12.2016	42	42	11037
01.01.2017 से 31.12.2017	40	35	22601
01.01.2018 से 31.12.2018	37	36	20473
01.01.2019 से 18.08.2019	16	15	10299

(ग) दिल्ली में शराब की दुकान दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 तथा दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के प्रावधान के अंतर्गत खोली जाती है। किन्तु अगस्त 2016 के बाद कोई नई दुकान नहीं खोली गयी है;

(घ) शराब की बिक्री से सरकार की वार्षिक आय 2015—2019 तक निम्नलिखित हैः

वर्ष	आय (करोड़ रूपये में)
2014—15	3,422.39
2015—16	4,238.32
2016—17	4,244.50
2017—18	4,551.57
2018—19	5,028.17

(ड.) ऐसी कोई इकाई चिह्नित नहीं है;

(च) दिनांक 01.01.2015 के बाद नाबालिगों को शराब बेचे जाने के 30 मामले दर्ज हुए है, सूची संलग्न है; और

(छ) उक्त सभी केसों में धारा 42 (1) के तहत दिल्ली पुलिस ने अपराधिक मामला सम्बंधित थानों में दर्ज कराया गया है।

Liquor Shops of Govt. Corporations in Mundka Assembly Constituency

1. M/s DTTDC Kh. No. 80/23/2 & 24/1 Village Ghevra, Main Rohtak Road, Near Ghevra Metro Station, Delhi-110081.
2. M/s DTTDC Shop at Plot No. 9, Kh. No. 105/6, Village Karala, Delhi-110081.
3. M/s DTTDC B-10, Rajiv Nagar, Village Begum Pur
4. M/s DTTDC, Plot No. 13A, Rohtak Road, Rajendra Park, Nangloi
5. M/s DSCSC, Shop No. 9, P.V.C. Bazar, DDA Complex,Tikri-Kalan, Delhi-41
6. M/s DCCWS, Shop No. 9, Rajiv Nagar Phaase-II , Delhi- 110041

19/4/2017	L-17	M/s Flames Restaurant, G-15A/15B, First Floor, Single Storey, Vijay Nagar	Yes	Underage
19/4/2017	L-17	M/s Grand Broomfy, G-5, 6, 7, 8, Parking Arcade, Plot No. 18, Pitampura	Yes	Underage
1/12/2017	L-17	Social & Tinure, Hauz Khas	Yes	Underage
10/12/2017	L-17	Lords of Drinks, Hauz Khas	Yes	Underage
10/12/2017	L-17	Raas, Hauz Khas Village	Yes	Underage
12/5/2018	L-17	Box Office Café, A Unit of Gras Hospitality, Vijay Nagar, Hudson Lane	Yes	04 Underage found, Kalandra lodged in PS-Mukherjee Nagar
10/9/2018	L-17	Areena (Kaama), Ansal	Yes	Seat Cover, name change, underage
6/10/2018	L-17	736 AD, Hudson Lane	Yes	Underage
12/10/2018	L-17	Westside Storey, Rajouri Garden	Yes	Underage, name changed, Seat Cover
13/10/2018	L-17	Cire Restaurant, Hauz	Yes	Underage, name change
20/10/2018	L-17	Local, Connaught Place	Yes	Underage, Seat cover in Balcony, Stock register variation
16/11/2018	L-17	Clique, Ansal Plaza	Yes	Underage, 2 bar counters, promotional offer, stock register not updated, seat covers in open area-liquor served

17/11/2018	L-17	TOS, NWA, Punjabi Bagh	Yes	Underage, seat cover, 2 bar counter, full bottle served, some stock outside store, stock register not maintained upto date
18/11/2018	L-17	Fork You, Hauz Khas Village	Yes	Underage, seats in balcony-liquor found served, promotional offer, some stock outside store
23/11/2018	L-17	Sixth Empirica, NWA, Punjabi Bagh	Yes	Underage, seat covers, 2 bar counters
2/12/2018	L-17	DA Code, South Extension	Yes	Underage, running beyond time 1.10 AM, seat covers
7/12/2018	L-17	Dum Maro Dum, Hudson Lane, Kingsway Camp	Yes	Underage
13/02/2019	L-17	House Full, Hudson Lane	Yes	04 underage
13/02/2019	L-17	Mohmaya, Hudson Lane	Yes	03 underage
14/02/2029	L-17	Central Perk, Hudson	Yes	01 underage
16/02/2029	L-17	Mafioso, Hauz Khas	Yes	02 underage
22/02/2019	L-17	Mnky Houz, Eros Hotel, Nehru Place	Yes	02 underage
17/05/2019	L-17	Clique, Ansal Plaza	Yes	Underage, bottle served
1/6/2019	L-17	Prievee, Ashoka Road	Yes	04 bar counters, underage, brand promotion, name change

1. M/s Sanjeev Mittal (L-10)
   Shop No. 08 86 09, Ground Floor,
   Plot No. D, D Mall
   Paschim Vihar, New Delhi.
2. M/s Pristini Exports Pvt Ltd. (L-7)
   Shop No. 18,19,20,21, Local Shopping Centre
   New Friends Colony, New Delhi
3. M/s Kulvinder Nath Marwah (L-7)
   Shop No. 6, Krishna Market,
   La;lako, New Delhi
4. M/s Mohit General Store (L-12)
   Shop No. 46, Mall Road, Kingsway Camp,
   New Delhi
5. M/s Trident Star (L-12)
   G-93, VCM plot No. 2, Sector-19
   Dwarka, New Delhi
6. M/s Jain Departmental Store (L-7)
   Ground Floor, C-3, SDA Market
   Opp. IIT Gate, New Delhi

माननीय अध्यक्षः दलाल जी, सप्लीमेंटरी।

श्री सुखबीर सिंह दलालः अध्यक्ष जी, या तो इनको बैठा लो, मेरे 15 लाख जितने मेरे वो हैं, उनका इन्होंने अपमान किया है, मुझे पता भी नहीं लगा।

माननीय अध्यक्षः आप सप्लीमेंटरी पूछिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप पूछिए। आपका सप्लीमेंटरी है कोई? पूछिए ना, सप्लीमेंटरी पूछिए।

श्री सुखबीर सिंह दलालः ये चार आदमी साले वो कर रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को!

...(व्यवधान)

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः ...(व्यवधान)... ऐसे कह रहे हो, बाहर फेंक दो। क्यों फेंक दोगे? बताओ ना?

माननीय अध्यक्षः पूछिए।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, ये तरीका ठीक नहीं है।

माननीय अध्यक्षः मैं बिल्कुल कुछ नहीं सूनूँगा। जो निर्णय ले लिया, मैंने ले लिया, जो निर्णय लिया है, लिया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैंने कब कहा है गुनाह है? सरकार पहले ओलरेडी बधाई... ये इस सदन का मुद्दा नहीं है। ये इस सदन का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दा हो चुका है, एक महीने से चल रहा है।

...(व्यवधान)

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः हम देश के वफादार सिपाही हैं, देश को बधाई देते हैं।

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कुर्सी पर बैठ जाइए। 15 मिनट हो गया। मैंने सुन लिया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, सुन लिया मैंने, सबको सुन लिया, कल भी सुना था, आज भी सुना है। कल भी सुना था, आज भी सुन रहा हूँ।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः बोलो, माइक खोलें।

माननीय अध्यक्षः ना, माइक नहीं खुलेगा, आप बैठिए। मैं नहीं बोलने दे रहा। किसी को बोलने नहीं दे रहा।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः देश के सम्मान का मुद्दा है।

मननीय अध्यक्षः ऐसा है, मैं सप्लीमेंटरी ले रहा हूँ पहले, शुरू किया है, आपको बैठना है, तो बैठ जाइए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः 370 से दिक्कत क्या है आपको?

माननीय अध्यक्षः किसको? मैंने कब कहा दिक्कत? सरकार समर्थन कर चुके हैं पहले, सरकार, मुख्यमंत्री जी पहले समर्थन, हाउस में चर्चा का विषय नहीं है। हाउस में चर्चा का विषय नहीं है ये, छोड़िए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मार्शल्स! सिरसा जी, को बाहर करें, सिरसा जी को बाहर करिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः किसको? कोई बात नहीं। सिरसा जी, बाहर करिए, उसके बाद। बाहर करिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः इसके बाद विजेन्द्र गुप्ता जी को भेजिए। मार्शल्स! विजेन्द्र गुप्ता जी, को।

श्री ओमप्रकाश शर्माः आपके जो दायित्व हैं, वो निभा लेते।

माननीय अध्यक्षः हाँ, मैं दायित्व निभा रहा हूँ। बहुत अच्छे ढंग से दायित्व निभा रहा हूँ। मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः देखिए, ऐसा है ओमप्रकाश जी।

श्री ओमप्रकाश शर्माः आप अलोकतांत्रिक कार्य कर रहे हो।

माननीय अध्यक्षः कोई बात नहीं, देखिए, ऐसा है ओमप्रकाश जी।

श्री ओमप्रकाश शर्माः मेहरबानी करके सीट की गरिमा...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, गरिमा का ध्यान रखिए, 370 पर बात करिए।

माननीय अध्यक्षः ऐसा है 370 के विषय में, माननीय मुख्यमंत्री जी समर्थन कर चुके, एक बात। इस सदन का, दिल्ली का ये मुद्दा नहीं है, पार्लियामेंट में एक महीने से चर्चा हो रही है। सारे देश ने समर्थन किया है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः यहाँ पर क्या–क्या करवाया है आपने? आप भूल गए। अरे! अपने गिरेबान में झाँकिए अध्यक्ष जी, आप।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, आप अपनी भाषा को, लैंग्वेज...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं विजेन्द्र गुप्ता जी को बाकी समय के लिए सदन की कार्रवाई से सस्पेंड करता हूँ। बाकी सदन के समय की कार्रवाई के लिए विजेन्द्र गुप्ता जी को सस्पेंड करता हूँ। उनकी भाषा जो है, वो असंसदीय...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, मैं, और बाहर करें इनको, बाहर करें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः गिरेबान में झाँके। आप देखिए गिरेबान में झाँककर, क्या करते है आप? बाहर करिए इनको।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, बाहर करिए, तुरंत उठाकर बाहर करिए, बाहर करिए। और ये दो दिन की कार्रवाई से सस्पेंड किए जाते है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, ठीक है, चलाने दीजिए मुझे। मैंने बहुत कुछ इस सदन में सहन किया।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः इस सदन में मैंने बहुत कुछ सहन किया है और सहन कर रहा हूँ मैं सहन कर रहा हूँ। मैं बहुत कुछ सदन में सहन कर रहा हूँ और बहुत सहन किया है। मैंने गालियाँ तक सहन की हैं, इसीलिए सहन की हैं कि सदन...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, अब चार महीने रह गए। मैं गरिमा, क्या है, क्या नहीं, आप जाइए।

(श्री विजेन्द्र गुप्ता को मार्शल द्वारा बलपूर्वक सदन से बाहर किया गया।)

माननीय अध्यक्षः ओम प्रकाश जी, आपको बैठना है तो बैठिए। आपको बैठना हो तो बैठिए, प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, निर्णय नहीं है मेरा।

श्री ओम प्रकाश शर्माः क्यों नहीं लेना?

माननीय अध्यक्षः हम, बधाई दे चुकी सरकार।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप दिए बधाई? क्यों नहीं दे रहे आप?

श्री ओम प्रकाश शर्माः नहीं, हम नहीं दें?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ दीजिए, मीडिया में दे चुके।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, जगदीश जी, देखिए...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः जगदीश जी, हम लोग, दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ऑलरेडी 370 की बधाई दे चुके, समर्थन दे चुके हैं। सदन में इससे कोई लेना–देना नहीं।

श्री जगदीश प्रधानः वो क्यों नहीं है जी?

माननीय अध्यक्षः ना। बैठिए, आपको बैठना हो तो बैठिए, प्लीज।

श्री ओम प्रकाश शर्माः ये आप गलत कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः ठीक है, मैं गलत कर रहा हूँ। आपने कह लिया आधा घंटा पूरा, ठीक है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं मना नहीं कर रहा कि आपको लगता...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, मैं नहीं अलाउ कर रहा भई।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं अलाउ नहीं कर रहा। बैठिए।

श्री ओम प्रकाश शर्माः बोलने दीजिए ना।

माननीय अध्यक्षः बैठिए, आप बैठिए प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ, सुखबीर सिंह दलाल जी। कोई सप्लीमेंटरी है आपका?

श्री सुखबीर सिंह दलालः हाँ, मेरा एक ही है। उप मुख्य मंत्री जी से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरी मुंडका विधान सभा से बहुत प्यार करते हो। आपने इतने स्कूल भी खोल दिए, इसके बारे में एक–दो काम... हाँ, वो रह ही जाता है। ये पता नहीं नेग्लीजेंसी की वजह से खुल गए। मैं, इंडस्ट्रियल एरिया में खुल जाए कोई, वो नहीं। लेकिन ये जो बिल्कुल ऐसी जगह पर खोल दिए गए हैं। पूरी दिल्ली के सारे ठेके मुंडका विधान सभा में ही खुल गए हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि आपने जब इतना प्यार किया है तो इसे भी मेरी तरफ से प्यार दे दो, धन्यवाद।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः नहीं–नहीं, अध्यक्ष जी, मैं आश्वासन देता हूँ ऐसा कोई अन्याय किसी एक विधान सभा या इस तरह से कोई विभाग की तरफ से ऐसा नहीं होता है। अगर किसी... माननीय सदस्य मेरे पास में अलग–अलग मामले लेकर भी आते रहते हैं। इनकी तरफ से जब–जब कोई ऐसा मामला संज्ञान में लाया जाता है, उस पर कार्रवाई भी होती है और ये अभी चार मामलों को लेकर आए थे, उस पर भी यथोचित कार्रवाई हुई। उसके बाद तुरंत डायरेक्शन दिए गए थे। लेकिन जैसा मैंने इसमें पहले भी कहा कि अगस्त 2016 के बाद से दिल्ली में कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली गयी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये अपने

आप में एक बहुत बड़ा स्टैण्ड है जो पूरी दिल्ली में इस तरह से बताया जा रहा है। तो उसमें अगर कहीं कोई इस तरह की घटना घटती है, इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो उस पर हम तत्काल कार्रवाई करते हैं और आगे भी मैं सदन को आश्वासन देता हूँ कि कोई भी ऐसा मामला अगर किसी भी सदस्य की तरफ से संज्ञान में लाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी।

श्री सुखबीर सिंह दलालः आपका बहुत–बहुत धन्यवाद, सर।

माननीय अध्यक्षः एनी सप्लीमेंटरी? हाँ, सरिता जी।

श्रीमती सरिता सिंहः माननीय उप मुख्य मंत्री जी से मैं अपने क्षेत्र में जो सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पर जो मेरे क्षेत्र में दो बेसिकली शराब के ठेके थे जो मंत्री जी के नॉलिज में लाए गए थे, उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, मैं वो जानना चाहती हूँ? अभी अगर ना मिल पाए तो मुझे बता दिया जाए पर उस पर क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि उससे मेरे क्षेत्र की जो महिलाएँ हैं, एक अशोक नगर में है जो मीत नगर, गोकल पुरी विधान सभा का जो अफेक्टिड एरिया है, वो मेरी विधान सभा है, अशोक नगर और एक जगत पुरी में है। इन दोनों ठेकों के लिए शिकायत वहाँ के लोकल लोगों से भी लिखवाकर दे दी गयी थी, वहाँ पर।

माननीय अध्यक्षः नहीं, सरिता जी क्वेश्चन क्या है?

श्रीमती सरिता सिंहः क्वेश्चन ये है कि उस पर क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? अभी नहीं, तो मुझे बाद में बता दिया जाए।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः माननीय सदस्या को इसकी जानकारी दे दी जाएगी।

माननीय अध्यक्षः ऐनी सप्लीमेंटरी। त्रिपाठी जी।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः मेरी विधान सभा में एक दुकान अशोक विहार से शिफ्ट करके खोल दी गयी है, कपूर्स करके है, राणा प्रताप बाग–त्रिपोलिया गेट के पास, जो मंदिर के भी नजदीक है और जैन स्थानक भी वहाँ पर है। तो उसके लिए विभाग को कई बार लिखा गया है। मेरा आज प्रश्न है कि विभाग अभी तक कार्रवाई नहीं कर रहा है तो उस पर माननीय उप मुख्य मंत्री जी बताएँ कि उस पर कार्रवाई हो जाए और बंद हो जाए। क्योंकि लोगों में बहुत रोष है उस दुकान से। काफी जैन समाज के लोग उससे उद्वेलित है।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः मेरा त्रिपाठी जी से अनुरोध रहेगा कि वो मुझे बता दें। कौन से उसके बारे में बात कर रहे है, लिखित में दे दें। मैं विभाग की तरफ से उसको पूरी कार्रवाई करवाने का...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः देखिए, माननीय सदस्यों से कहना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न से संबंधित तो उत्तर माननीय उप मुख्य मंत्री जी दे सकते है लेकिन हम अपने व्यक्तिगत विधान सभा में ले जाएंगे तो उनके पास उत्तर नहीं होगा। हाँ, टोकस जी, बताइए।

श्रीमती प्रमिला टोकसः अध्यक्ष जी, मेरे आर.के. पुरम, सेक्टर ... में शराब की दुकान है, उसके पास में गुरूद्वारा भी है, मस्जिद भी है, स्कूल भी है। तो सर, क्या मापदंड है कि सार्वजनिक स्थान से थोड़ी दूरी पर शराब की दुकान खुले?

माननीय अध्यक्षः नहीं, कौन सी कॉलानी में है?

श्रीमती प्रमिला टोकसः सेक्टर– ...भी है।

माननीय अध्यक्षः सेक्टर?

श्रीमती प्रमिला टोकसः 6, 8 के पास में स्कूल भी है, गुरूद्वारा भी है, मस्जिद भी है, मंदिर भी है।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः मैं विस्तृत जानकारी लेकर इसको, जैसा वो कह रहे हैं कि धर्म स्थल से इतनी दूरी पर है, उसको दिखवा लेंगे कि वो नियमानुसार है या नियम के विरूद्ध बनी हुई है।

माननीय अध्यक्षः भावना जी।

सुश्री भावना गौड़ः माननीय उप मुख्य मंत्री जी मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमारी सरकार के आने से पहले डीएसआईडीसी विभाग ने ऐसे एरिये के अंदर जहाँ घनी आबादी वाले लोग रह रहे हैं, वहाँ पर जो पुराने टाइम से चलते हुए आ रहे हैं, हम लगभग सभी विधायकों की विधान सभा में हैं और हम सभी चाहते हैं कि उनको ट्रांसफर करके किसी दूसरी जगह या मॉल में स्थापित किया जाए। तो इसके लिए सरकार का क्या नियम है?

माननीय उप मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, सरकार पब्लिक ऑर्डर और इन सबको देखकर, समय–समय पर इस तरह की किसी दुकान को बंद करने या चलाते रहने का निर्णय लेती है। इसके बारे में पहले भी फैसले किए गए हैं। मैं इस सदन में पहले भी कह चुका हूँ कि ये शराब की बिक्री एक ऐसी चीज है जिसको हम दिल्ली में ना तो ये कह सकते कि दिल्ली में शराब बंद है। आज की तारीख में दिल्ली में, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय से लेकर और सब लोग रहते हैं। तो

यहाँ हम शराब की बिक्री जैसे कदम पर तो गए नहीं हैं कभी। वैसी स्थिति में शराब की दुकान जो होगी, वो कहीं तो खुलेगी। वो सभी नियमों का पालन करे, नियम के अनुसार खुले, ये हमारे विभाग की जिम्मेदारी है, एक्साइज डिपार्टमेंट की और हम ये सुनिश्चित करते हैं। और अगर कहीं से कोई संज्ञान में और इसमें डिस्क्रिपेन्सी लाई जाती है तो ये सुनिश्चित करेंगे कि वो नियम के अनुसार खुले। लेकिन किसी के और जैसा सरकार की पॉलिसी रही है, सरकार ने बहुत सख्ती की है तो इसी वजह से, इसी प्रश्न के जवाब में मैंने बताया है कि अगस्त 2016 के बाद से कोई नई दुकान नहीं खोली गयी है। लेकिन कहीं कोई दुकान बंद होती है तो उसको किसी दूसरी जगह विस्थापित किया जाता है। कहाँ वो किया जाता है, वो वहाँ के परिस्थिति के अनुसार किया जाता है, मार्केट में किया जाता है या दूसरे किसी मॉल में किया जाता है।

मैं माननीय सदस्यों को ये भी कहना चाहूँगा कि ये भी ध्यान रखें कि शराब की दुकानों को बंद करने का पापुलर डिसीजन लेना एक अलग बात है किसी भी इलाके में, लेकिन हकीकत ये है कि उसकी वजह से उस इलाके में अवैध शराब का कारोबार को भी बढ़ावा मिलता है। कच्ची और पक्की दोनों तरह की शराब का कंजम्पशन उस इलाके में बढ़ता है। उस इलाके में दूसरे राज्यों से तस्करी की हुई शराब लाने का भी चलन बढ़ता है। इन सब तथ्यों को भी ध्यान में रखें जब हम ये बात करते है कि हम उस तरह... निश्चित रूप से शराब की दुकानें मोहल्ले–मोहल्ले में खुलें, गली–गली में खुलें, सरकार इसके एकदम खिलाफ है। इसीलिए आज बहुत प्रमाणित रूप से मैं एक बार–बार इस बात को दोहरा रहा हूँ और इसके प्रश्न के जवाब में कहा गया है कि अगस्त 2016 के बाद से कोई नई दुकान नहीं खोली गयी है। लेकिन उसके बावजूद जो शराब की दुकानें

हैं, उनका अस्तित्व है और वो मार्केट में या जहाँ भी हैं, वैध रूप से, अगर वो कहीं अवैध रूप से चल रही हैं, निश्चित रूप से उसको बंद कराना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर वो वैध रूप से चल रही हैं, नियमों को पालन करते हुए चल रही हैं, वहाँ अगर उसके आस पास बाहर कोई गड़बड़ हो रही है, कोई शराब लेकर बदमाशी कर रहा है, कोई वहाँ बाहर खड़े होकर पी रहा है; आस पास के पार्क में पी रहा है, उस पर भी सरकार बार–बार सघन कार्रवाई करती है। हमारे लगातार बार–बार कैम्पेन चलाए जाते हैं, लोगों को अरेस्ट करने के लिए, हम जगह–जगह जाकर करते हैं। जितनी भी सीमा... पुलिस फोर्स, जितनी भी फोर्स, हमारे पास छोटी सी फोर्स है, पुलिस को भी उसमें जितना सहयोग मिल सकता है, सहयोग लिया जाता है।

तो मैं माननीय सदस्यों से इस पर ये कहना चाहता हूँ कि इस बात को भी पुरजोर ध्यान रखें कि एक दुकान बंद कराकर दूसरी जगह शिफ्ट कराना, दूसरी जगह कहाँ शिफ्ट कराना... क्योंकि अगर हम सारी शराब की दुकानें किसी क्षेत्र में बंद करेंगे तो निश्चित रूप से उस इलाके में, मैं किसी गली या किसी मोहल्ले की बात नहीं कर रहा, अगर कहीं न्यूसेंस है तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि उस इलाके में बंद हो जाना चाहिए, भले ही वो कहीं मॉर्केट में चला जाए और भले ही वहाँ न हो। लेकिन किसी विशेष क्षेत्र को या किसी विशेष जिले को पूरी तरह से अगर हम इस दिशा में चले जाएँगे कि हम उस इलाके में कोई शराब की दुकान नहीं छोड़ेंगे लीगल तरीके से आने वाली, तो निश्चित रूप से वहाँ इल्लीगल कारोबार चलेगा, उसको हम रोक नहीं पाएँगे उसमें कितनी घटिया, कितनी कच्ची स्तर की जहरीली शराब बिकेगी, उसके बाद किस तरह से लोगों के ऊपर बीतेगा, वो भी, उसको भी हम संज्ञान में रखें।

माननीय अध्यक्षः अलका लाम्बा। नहीं भई पांच हो चुके हैं। नहीं–नहीं, ये पाँचवा है, अब प्लीज।

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी सप्लीमेंटरी में है कि कितने नाबालिगों के ऊपर जो है, ये कार्रवाई शराब बैचने के लिए पकड़े गए उसका ब्यौरा दिया जाए। लेकिन जो ब्यौरा मैं देख रही हूँ, मेरी ही मजनू टीला, चाँदनी चौक विधान सभा में मद्रासी कालोनी में मोरी गेट, मजनू टीला इलाकों में नाबालिगों को अवैध शराब बिक्री करते हुए मैंने पकड़ा है। अध्यक्ष जी, उसकी जाँच... उसकी जानकारी हमें ये है।

माननीय अध्यक्षः अलका जी, इस क्वेश्चन...

सुश्री अलका लाम्बाः उसकी जानकारी हमें ये है।

माननीय अध्यक्षः नहीं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई सप्लीमेंटरी है तो।

सुश्री अलका लाम्बाः ये ही है, ये ही है इसी से संबंधित है।

माननीय अध्यक्षः नहीं उससे रिलेटेड नहीं है। आपकी विधान सभा का विषय आ गया।

सुश्री अलका लाम्बाः नहीं–नहीं, नाबालिग जो आप बता रहे हैं, शराब की बिक्री का जो ब्यौरा दिया है।

माननीय अध्यक्षः अब माननीय मंत्री जी दे सकते हैं। उससे रिलेटेड नहीं है।

सुश्री अलका लाम्बाः जो वहाँ पे नाबालिग बिक्री के जो केस आए, उसमें वो वाले केस नहीं हैं। मैं ये कह रही हूँ, ये अधूरी लिस्ट है।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः हो सकता है अध्यक्ष महोदय, अगर कोई मामला छूटा होगा तो मैं इसमें चेक करा लूँगा।

माननीय अध्यक्षः नहीं, अब नहीं, विजेन्द्र जी। विजेन्द्र जी। एक सैकेण्ड नितिन जी प्लीज।

श्री विजेन्द्र गर्गः अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अन्दर शराब की दुकानों के लाइसेंस बंद किए गए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या नये लाइसेंस देने कि कोई पॉलिसी बनाई जा रही है। जो नये लाइसेंस...

माननीय अध्यक्षः अभी मना किया है, मना किया है उन्होंने। हाँ, माननीय उप मुख्य मंत्री जी।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, अभी निश्चित रूप से ऐसी पॉलिसी नहीं है कि हम शराब की दुकानों को नये लाइसेंस नहीं देते हैं। लेकिन क्योंकि जनता के बीच से निकलके आती हैं, जनता की स्थिति को देखते हुए जो डेटा मैंने यहाँ रखा कि अगस्त, 2016 से अब तक शराब की केवल एक दुकान खोली गयी है। तो मतलब आप एक तरह से मान सकते हैं, हमने बीच में बंद भी रखा था पूरी तरह से। लेकिन अभी वर्तमान नीति के अनुसार से शराब की दुकाने खोलना बंद नहीं हैं। लेकिन खोली भी नहीं जा रही हैं। क्योंकि जनता का आमतौर पे विरोध रहता है और उस विरोध को देखते हुए, जनता की भावनाओं को देखते हुए निर्णय लिया जाता है फिर नई खोली जाती है। लेकिन शराब की दुकाने शिफ्ट की जाती हैं अगर एक जगह से बंद की जाती हैं।

श्री नितिन त्यागीः अध्यक्ष जी, एक थोड़ी सी जरूरी बात थी। कल भी जब हमने देखा और आज भी हमने देखा कि बार–बार व्यवधान डाला

जाता है सदन की कार्यवाही में और बिना वजह की बातों को उठा के हंगामा करा जाता है तो एक रेजुलेशन मैं हाउस के सामने रखना चाहता था कि:

I move that Sh. Vijdender Gupta be suspended for the remaining portion of this session for defying directions of Hon'ble Speaker. और मैं चाहूँगा कि पूरा का पूरा हाउस भी सहमत हो।

माननीय अध्यक्षः नितिन जी ने जो प्रस्ताव रखा है, यह सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

नितिन जी का प्रस्ताव पारित हुआ।

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या–23, झा साहब।

श्री संजीव झाः क्या माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013' के लागू होने के बाद विभाग द्वारा कितने राशनकार्ड जारी किए गए हैं; और

(ख) बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किए गए राशन कार्डों की सूची जिसमें उपभोक्ताओं के नाम, पते व दूरभाष/मोबाइल नंबर सम्मिलित हों?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–23 का उत्तर प्रस्तुत हैः

(क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लागू होने के बाद विभाग द्वारा 17,31,633 राशन कार्ड जारी किये गए हैं; और

(ख) पूर्ण विवरण सी.डी में संलग्न[2] है।

माननीय अध्यक्षः सी.डी. मिल गयी आपको, बताइए? सप्लीमेंटरी हो।

श्री संजीव झाः अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या अभी नये राशन कार्ड बनने की क्या प्रक्रिया है, बन रही है कि, नहीं बन रही है क्योंकि 2 प्रॉब्लम होती है एक नया राशन कार्ड बनना और जो पुराने राशन कार्ड हैं उसमें नाम को एड होना। तो क्या ये दोनों अभी संभव है हो पा रहा है?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ये पिछले जो हमारा जो सेशन चला था, उसमें भी उठा था तो पहले ऐसा होता था कि एफएसओ की आईडी से और एफएसआई की आईडी से लोग बाग ये एफएसआई और एफएसओ और डाटा एन्ट्री ओपरेटर ये लोग जो है अपनी मर्जी से जिसका चाहते थे राशन कार्ड बनाते थे। अभी हम लोगों ने इसे क्यू में कर दिया है तो पहले आए पहले पाओ का जो है वो चल रहा है राशन कार्ड बनना एक सतत प्रक्रिया है विभाग की और जिस जो पहले आता है, उसका ये उसी हिसाब से वो राशन कार्ड बनने चालू हैं और डिलिशन–एडिशन में भी वो ही प्रक्रिया चालू है।

माननीय अध्यक्षः संजीव जी।

---

[2]*www.delhiassembly.nic.in* पर उपलब्ध।

श्री संजीव झाः अध्यक्ष महोदय, ये जो क्यू लगाया गया है, उसके बाद ये देखा गया है, मान लो किसी का नाम डिलीट करना है, वो भी क्यू में आ जाता है। अब अगर 9000 क्यू में नम्बर तो उसको 2 साल बाद डिलीट होगा। अगर मान लीजिए वो दिल्ली से कहीं बाहर चला गया तो उसको दिक्कत होती है। तो हमने ये सजेशन दी है और चाहते भी हैं आपसे कि कम–से–कम डिलीशन का क्यू नहीं रखें। डिलीशन का अलग से लाइन बना दें। ताकि कोई नाम कटवाना चाहता है तो नाम कटवा पाए अपना वो।

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः ठीक है। वैसे डिलीशन में इतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि डिलीट ही करना है नाम, वो अलग कर देंगे।

माननीय अध्यक्षः राजेश ऋषि जी।

श्री राजेश ऋषिः अध्यक्ष जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस समय राशन डिपार्टमेंट में स्टाफ की बहुत कमी है। जिसके कारण राशन बेचने वाले मनमानी कर रहे हैं। कहीं इंस्पेक्टर नहीं पहुँच पाता, कहीं पर आपके जो स्टाफ है, उसको भेजा जाता है, वो पहुँचते नहीं हैं। यहाँ तक कि मैं कई बार इनके ऑफिस में गया हूँ, मुझे वहाँ आदमी ही नहीं मिले कोई। काम करने वाले दो स्टाफ नजर आये। बाकी कोई नजर नहीं आया। कारण क्या है कि एक एफएसओ के पास तीन–तीन विधान सभाएँ हैं, वो बस कभी मैं...

माननीय अध्यक्षः भई क्वेश्चन निकालिए न, क्वेष्चन।

श्री राजेश ऋषिः मेरा ये क्वेश्चन है कि ये कब तक इसकी बहाली कर रहे हैं? वहाँ पर एक एफएसओ के पास एक विधान सभा हो, कम–से–कम हो। ये कब तक शुरू करने वाले हैं।

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः ऐसा है, इसके लिए कई बार हम सीएस को भी लिख चुके हैं, एलजी को भी लिख चुके हैं जी। जैसे ही हमें स्टाफ मिल जाएगा, हम सब जगह एक–एक एफएसओ, एफएसआई लगा देंगे। अभी क्योंकि स्टाफ की कमी है तो इसलिए एक–एक एफएसओ, एफएसआई को दो–दो, तीन–तीन इलाके दिये हुए हैं।

माननीय अध्यक्षः टोकस जी।

श्रीमती प्रमिला टोकसः अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि कोई दुकान सस्पेंड हो जाती है तो उसका उसी एरिए का कोई न कोई काम रह जाता है, दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है तो यहाँ मोहम्मद पुर में जो दुकाने थी, दोनों बंद कर दी गयी और उनका मोहम्मद पुर गाँव, आदर्श बस्ती, आजाद बस्ती, कुम्हार बस्ती के चार लगते हैं और राशन कार्ड का उसके साथ ही लग गया।

मेरा आपसे ये निवेदन यह है कि जो मोहम्मद पुर में राशन की दुकानें बंद करी, वो वहीं पर बनें।

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः ठीक है। इसके अन्दर अगर कोई दुकान सस्पेंड होती है तो वो अपील में जाती है एसी के पास और अगर उसमें ज्यादा टाइम लगता है तो वहाँ पे टेम्परेरी दुकान खुलवाने का प्रोविजन है। तो मैं कमिश्नर को आदेश दे दूँगा कि आपके यहाँ दुकानें टेम्परेरी उसी एरिए में खोल दी जाएँ।

माननीय अध्यक्षः श्री सही राम जी।

श्री सही रामः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ कि जो पुराने राशन कार्ड हैं, क्या उनमें नये परिवार के मैम्बरों के नाम अभी जोड़े जा रहे हैं, ऐड किए जा रहे हैं कि नहीं?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः जोड़े जा रहे हैं।

श्री सही रामः नहीं, मेरे यहाँ बंद हैं।

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः नहीं—नहीं, बंद नहीं हैं।

श्री सही रामः अध्यक्ष महोदय, अभी ये रिपोर्ट ठीक नहीं है मेरे यहाँ।

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः अगर नहीं जोड़े जा रहे हैं, ऐसे कोई केस आपके पास हैं तो आप मुझे दे दें। मेरी जानकारी में लाएँ। मैं खुद चेक करता हूँ।

श्री सही रामः मंत्री जी 10—20 केस हों तो हम लाके आपको दे दें। वहाँ तो हजारों की तादाद में हैं, कितने लिखके लेके आएंगे?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः नहीं, तो मैंने आपको बताया है कि अब वो पहले ऐसा होता था; ये लोग जाते थे। सर, मैं मतलब आपको जो सच्चाई बताना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं खुद फील्ड में जाता हूँ, देखता हूँ तो पहले क्या होता था कि आदमी जाता था राशन दुकानदार के पास। वो कहता था, मेरा राशन कार्ड में नाम चढ़ना है तो राशन कार्ड उसका लेके राशन वाला रख लेता था और उसके बाद वो जाता था राशन दफ्तर और वहाँ जाने के बाद वो क्योंकि इतना आपस में तालमेल होता था, तो उसके बाद वो चढ़वा देता था और जो लोग डायरेक्ट विभाग के पास जाते थे, अप्लाई कर देते, नाम कटवाने या जुड़वाने, तो उन लोगों का नहीं हो पाता था। तो इन लोगों की शिकायतों को देखते हुए इसे क्यू के अन्दर कर दिया गया कि अब अगर कोई भी आदमी राशन दुकानदार या और कोई आदमी ये चाहेगा कि मेरा पहले बन जाए और 100 लोग उसके आगे खड़े हैं तो उसको बंद कर दिया गया है। जो पहले आएगा, उसी का पहले बनेगा। अगर ऐसी शायद इसलिए ये दिक्कत आ रही है।

माननीय अध्यक्षः भई, हो गया। सही राम जी, प्लीज।

श्री सही रामः बहुत जरूरी है अध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी है।

माननीय अध्यक्षः अब नहीं इसमें।

श्री सही रामः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि जो एफएसओ महोदय बैठे हैं न आपके, उनपे नेट पे अपनी आईडी से वो लाइने नहीं खुलती ऑन लाइन। वो आईडी की अपनी साइड को तक...

माननीय अध्यक्षः अब आपकी सही राम जी लिख के दीजिए न जी, मंत्री जी को। सरिता सिंह जी।

श्री सही राम जीः सर, मैं लिख के दे चुका हूँ। पर्सनली विजिट कर चुका हूँ।

माननीय अध्यक्षः सरिता सिंह जी।

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः मैं तो खुद सही राम जी के यहाँ विजिट करके आया हूँ कई बार।

माननीय अध्यक्षः बैठिए, प्लीज। सरिता जी।

श्रीमती सरिता सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कोई दुकानदार है, जो बहुत बदमाशी कर रहा है। नियमित तौर से अगर वो राशन नहीं देता है, नियमित तौर से अगर वो दुकान नहीं खोलता है, अगर नियम का पालन नहीं करता है तो दुकान बंद करने के क्या नियम हैं और अगर दुकान बंद हो जाता है तो किस नियम के तहत उसको दोबारा खोल दिया जाता है?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः मैं आपको सबसे पहले तो ये जानकारी देना चाहता हूँ कि माननीय विधायक जितने भी हैं, वो विजिलेंस कमेटी के चेयरमैन हैं जो राशन विभाग की विजिलेंस कमेटी है। तो आप लोग जाओ विजिट करो अपने अपने एरिया के अन्दर और अगर कोई दुकान बंद मिलती है, अपने एफएसओ को बुलाओ, आप एसी को बुलाओ तुरंत सस्पेंड करेंगे और अगर वो नहीं खोलता है तो उसे कैंसिल भी करेंगे तो ये तो प्रोवीजन है। आप लोग इस पर एक्शन मुझे बताओ मैं आऊँगा।

श्रीमती सरिता सिंहः ऐसा होता नहीं है।

माननीय अध्यक्षः आप बताइये न। आपने कोई बताया? उदाहरण दीजिए। अंतिम जगदीप जी, नहीं अंतिम पाँच हो गए इसमें पूरे, कंप्लीट। नहीं और नहीं प्लीज आगे बढ़ने दीजिए।

श्री जगदीप सिंहः सर, जो राजेश ऋषि जी ने बात उठाई है कि स्टॉफ की कमी है जिसकी वजह से एफएसओ और असिस्टेंट कमिश्नर अपनी मनमानी कर रहे हैं। जिनकी दुकान के लाइसेंस रिन्यू होने हैं, उनको बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं और वो बात भी ठीक है कि जहाँ पर नाम नहीं चढ़ाए जा रहे हैं, वो नाम चढ़ाने के लिए वो एसडीएम, डीएम के पास भेज देते हैं। वो गरीब लोग बेचारे धक्के खाते रहते हैं, उनके नाम नहीं चढ़ रहे हैं।

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः अगर ऐसी आपके पास कोई जानकारी है, आप मुझे दो। मैं उसे तुरंत कराता हूँ।

श्री जगदीप सिंहः मंत्री जी, मैं कल ही... आपको मंडे को पत्र देता हूँ।

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः दे दीजिएगा।

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या–24 श्रीमती प्रमिला टोकस।

श्रीमती प्रमिला टोकसः माननीय उप–मुख्यमंत्री जी, प्रश्न संख्या–24 प्रस्तुत है।

क्या **माननीय उप मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली सरकार की दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने की क्या योजनाएँ हैं, संपूर्ण विवरण;

(ख) क्या दिल्ली सरकार का नजफगढ़ नाले के पास पर्यटन को प्रोत्साहित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका पूरा विवरण?

माननीय उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–24 का उत्तर प्रस्तुत हैः

(क) राजधानी दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत डी.टी.टी.डी.सी के द्वारा निम्नलिखित गतिविधियाँ एवं कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैंः

(अ) **पर्यटन का विकास– दिल्ली एक पर्यटन स्थल के रूप में।**

(क) ब्रैंडिंग दिल्ली।

1. पर्यटकों की जानकारी के लिए पर्यटन साहित्य, लीफलेट, नक्शे, ब्रोशर, और अन्य सामग्री का प्रकाशन।

2. प्रिंट और इलैक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा प्रचार।

3. फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में दिल्ली को प्रमोट करना।

(ख) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मेले/प्रदर्शनी/कॉन्फ्रैंस/मार्ट आदि का आयोजन।

(आ) **मेले और उत्सवः** पर्यटको और आगंतुकों को बेहतर मनोरंजन प्रदान करने के लिए दिल्ली पर्यटन नियमित रूप से अपने दिल्ली हाटों और गार्डन ऑफ फाइव सेंसेज में वर्ष भर सांस्कृतिक एवं हैरिटेज कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

(इ) **सूचना केन्द्रः** पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के लिए पर्यटन सूचना केन्द्रों की स्थापना दिल्ली, कलकत्ता एवं चेन्नई में की गयी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त डी.टी.टी.डी.सी. द्वारा पर्यटन के विकास और पर्यटकों की सुविधा के लिए निम्नलिखित कार्य भी किये जाते हैंः-

1. दिल्ली में तीन स्थानों – आईएनए, जनकपुरी और पीतमपुरा में दिल्ली हाट बनाए गये हैं।

2. एडवेंचर गतिविधियों का संचालन किया जाता है जिनमें नौकायन और एडवेंचर पार्क शामिल हैं।

3. पर्यटक संबंधी सेवाएँ प्रदान करने के लिए हॉप–ऑन–हॉप–ऑफ बस सर्विस सेवा शामिल है जो दिल्ली के मुख्य पर्यटन स्थलों का भ्रमण करवाती है। इसके अलावा बस दिल्ली दर्शन की भी सुविधा उपलब्ध है।

4.इसके अतिरिक्त दिल्ली पर्यटन बस द्वारा दिल्ली से आगरा, मथुरा, फतेहपुर सीकरी, जयपुर एवं हरिद्वार एवं ऋषिकेश के लिए भ्रमण सेवा उपलब्ध करवाती है।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली पर्यटन द्वारा की जाने वाली मुख्य गतिविधियों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है;

(ख) दिल्ली पर्यटन द्वारा नजफगढ़ नाले के पास छावला एवं कांगनहेड़ी स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। इस पर्यटन स्थल को सामाजिक गतिविधियों एवं तीज–त्योहारों/मेलों आदि के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसकी ऑन लाइन बुकिंग भी की जाती है; और

(ग) उपरोक्तानुसार।

परिशिष्ट–1

I Promotion of Tourism Delhi as a Destination

(i) Branding Delhi

(a) Production of Tourist Literature, Folders, Leaflets, Map, Booklets, Brochures, Films and Other Publicity Material etc.

To market Delhi more effectively and in a strategic manner on the lines of other state tourism Boards. DTTDC plans to undertake campaigns for Branding Delhi as a Tourism Destination at national as well as international level through various mediums including release of advertisements/ advertorials in Travel magazines & Press advertisement, online social media, production of pictorial brochures on Delhi, Radio Jingles, outdoor publicity through Hoardings, Street Furniture, publicity through Delhi Metro, airports/ airlines etc.

It is also proposed to produce short films on promotion of Delhi - as a

tourism Friendly destination and telecast as TV commercials on various channels. Delhi, currently does not have souvenirs representing the city, therefore it is also proposed that special souvenirs like bookmarks, magnets, postcards etc are created for Delhi Tourism. The publicity material will also include a special customized coffee table book on Delhi which elaborates the charm of the city in a unique manner which can also be used as a souvenir for the important guests.

To brand Delhi in a fresh perspective, it is proposed that the DTTDC website is revamped to make it more visually appealing and revenue generating platform. A user friendly website will also back up more traffic as all social media campaigns and digital media push one and all to DTTDC website. The latest videos and e-brochures will further guide people tourists across Delhi.

(b) Publicity through Print & Electronic Media/Internet/Social Media

The plan includes: Production of Film on Delhi: Promoting Delhi as a Tourist Destination and as Film Shooting Destination - Edited versions of both the films for TVC. Promotions through TVCs on various channels, Release of Advertisements in Magazines (Travel & Tourism), Outdoor publicity through Metro, Backlit panels at Airports, Buses/Bus shelters, Street Furniture, Air Baggage tags etc., publicity for Delhi Tourism activities like Tours, Travel, Adventure Activities, Garden of Five Senses, Dilli Haats through release of advertisements in newspapers and magazines and Social Media including digital campaigns with other leading traffic platforms.

(c) Promotion of Delhi as a Film Shooting Destination

Govt. of Delhi under the direction of Ministry of I & B, Govt. of India has appointed MD & CEO, DTTDC as a nodal officer for facilitating Film Shootings in Delhi vides order no. F2/797/TSM/11 dated 3rd August, 2016 issued by Dy. Secretary (TSM), GNCTD.

Cinema is undoubtedly a powerful tool for the development of a nation. Its impact is immense and it plays an important role in economic expansion. Delhi has been a part of films for a long time. Now, its scenic beauty, picturesque locations and historical monuments form interesting backdrops for movies. Delhi also embodies the stark, almost absurd, contrasts of India: A World-Class metro system, the chaos of Old Delhi and the Colonial Serenity of Lutyen's Delhi.

Subsequently, a Film Shooting Facilitation Cell was set up within the corporation on the direction of the Chief Secretary, Govt. of Delhi with an objective to DTTDC acts as a nodal agency to assist as a bridge between the filmmakers and the stakeholder agencies for facilitating single window clearances of permission for Film Shootings in Delhi.

A specific website targeting the film fraternity including the independent artists for film facilitation is also proposed. It will also detail all the unique locations in Delhi and other facilitations to assist the film producers.

DTTDC is in the process of introducing "Single Window Clearance Mechanism" for film making facility so that the legal formalities to shoot in the city can be performed by visiting only one Government Office. Several steps are being taken to introduce a smooth system for granting permission to Film Producers, to provide them consolidated information on instructions/ guidelines issued by various Departments of Delhi and Ministries of the Government, and to make film shooting a hassle-free experience.

Objectives:

Promoting Delhi as a Film Shooting location will lead to the following:

- Influx of more tourists adding revenue to all stakeholders - Hotels, Transport, Shooting Revenue, etc.
- Increase in employment opportunities.

- ❖ Increase in overall GDP.
- ❖ Boost Tourism.
- ❖ Enhance global presence of Delhi as a tourist destination.

To put the system in place, the proposal has been reviewed at the level of Chief Secretary. Govt. of Delhi by associating stakeholder agencies wherein Chief Secretary emphasized that Govt. of Delhi is very keen to project Delhi as a 'Film Shooting Location' due to its multiplier effect on the economy and tourism promotion.

In order to take the initiative forward, DTTDC has formulated a 'Film Shooting Manual' to facilitate the Film Producers for Shooting in Delhi, which is a comprehensive guide providing all necessary information about the process of Film Shooting in Delhi. Other initiatives include - compilation of over 200 ideal locations for shootings in Delhi in CD format. DTTDC also extended on ground facilitation during the recent years for some of the leading Films Shot in Delhi namely: Raanjhana, PK, Kick, Fugly, Madras cafe, Tanu weds Manu etc. and DTTDC along with Govt. of Delhi got due acknowledgement in the film on screen, prominently.

DTTDC has also been participating in various events, seminars and conclaves pertaining to Film Tourism within and outside Delhi in order to showcase Delhi as a Film Shooting Destination and this actually resulted in substantial increase in Films Shot in Delhi during past few years.

Ministry of I & B, Govt. of India is taking fresh initiatives to develop a web portal for Film Shootings in India wherein all the states have been asked to contribute initiatives taken in their respective cities /states under the mechanism, to attract Foreign Film Makers to Shoot in India.

With a view to promote Delhi - as a Film Shooting Destination and to introduce "Single Window Policy" for facilitating Film Producers, DTTDC

plans to undertake activities such as - Development of dedicated website/ web portal on Film shooting Facilitation in Delhi, production of short film on Delhi - as a Film Shooting Destination, production of pictorial brochures, presentation through slide show and participation in Film Tourism Conclaves such as: Cannes Film Festival, India International Film Tourism Conclave (in association with FFI) Film Bazaar, NFDC, Ministry of I & B, Govt. of India (IFFI - Goa) events organized by Cll, FICCI & PHD Chambers, Cannes Film Festival, Delhi International Film Festival, Indy wood Film Carnival (Hyderabad).

2. Participation in National and International Fairs/Conferences/Marts/ Exhibitions

(A) National Events

(B) International Events

National and International tourism fairs, conferences, travel marts and travel exhibitions are important for interaction with travel industry, media, airlines and other opinion makers. Further, this is helpful in direct marketing of tourist products and services to the consumers by direct interfacing. Presently, DTTDC participates in limited national tourism fairs and international fairs. No major conference has been arranged in Delhi in last more than 25 years by Govt. of Delhi. It is, therefore, necessary that these interactive activities should be organized in Delhi and simultaneously Delhi should also participate in such exhibitions, marts and conferences within India and abroad. DTTDC proposes to participate in the following exhibitions/marts within India and outside India:-

International Events

(i) World Travel Mart, London

(ii) International Tourism Bourse (ITB), Berlin

(iii) Council for Promotion of Tourism in Asia (CPTA)

(iv) PATA International

(v) Participation in International ATTA (Adventure Travel Trade Association Convention)

3. Grant in aid to DTTDC for running of Tourist Information Centres

Delhi Tourism is running Tourist Information Centers at all the main embarkation points in Delhi besides information offices in Kolkata and Chennai. Delhi Tourism disseminates information and distributes literature to the tourists from its offices and a large number of foreign and domestic tourists avail these facilities.

The information centers are located at the following places in and outside Delhi:

- Domestic Airport-Terminal-I
- Travel office at Dilli Haat (INA)
- Coffee Home, Baba Kharak Singh Marg
- "I" Center, Baba Kharak Singh Marg
- Govt. of India Tourist Office, Janpath
- New Delhi Railway Station
- Kolkatta
- Chennai

An evaluation study was conducted by Planning Department, GNCTD and recommendations were given for running of six Information Centers in ten shifts with a provision of financial assistance under plan to the extent of 50% of salary.

The annual salary of the staff posted at information centers has already exceeded Rs. 300 lakh. There is also strong need for opening of new Information Office at Terminal T-3, International Airport at New Delhi and need to take bigger space to handle the tourists. Attractive interior will be made by displaying backlit Delhi map and other tourist attraction of Delhi. DTTDC is vigorously pursuing the matter with GMR for allotment of space at an ideal location. The cost of establishment for new and operation of existing and new information offices would be met out of plan funds as per provision/ pattern of assistance in existence.

माननीय अध्यक्षः सप्लीमेंटरी, एनी सप्लीमेंटरी? प्रश्न संख्या–25 अलका लाम्बा जी। प्रश्न

प्रश्न

सुश्री अलका लाम्बाः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। मेरा प्रश्न संख्या–25 जो माननीय उप मुख्य मंत्री जी से है, प्रस्तुत हैः

(क) वर्ष 2012 से पहले दिल्ली में शराब की दुकानों की संख्या;

(ख) वर्ष 2019 में शराब की दुकानों की कुल संख्या;

(ग) वर्ष 2015–19 के दौरान बंद की गयी शराब की दुकानों की संख्या;

(घ) वर्ष 2015–19 के दौरान खोली गयी शराब की नई दुकानों की संख्या; और

(ङ) शराब की बिक्री से सरकार की वार्षिक आय?

माननीय उप मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–25 का उत्तर प्रस्तुत हैः

(क) और (ख) वर्ष 2012–13 से लेकर 2018–19 तक शराब की दुकानों की दिल्ली में संख्या निम्नलिखित रही है:

वर्ष	दुकानों की संख्या
2012–13	682
2013–14	732
2014–15	768
2015–16	862
2016–17	879
2017–18	866
2018–19	863

(ग) 2015–19 में बंद की गयी शराब की दुकानों की कुल संख्या 37 है;

(घ) 133, किन्तु अगस्त 2016 के बाद कोई नयी दुकान नहीं खोली गयी है; और

(ङ) शराब की बिक्री से सरकारी की वार्षिक आय 2015–19 तक निम्नलिखित है:

वर्ष	आय (करोड़ रूपये)
1	2
2014–15	3422.39
2015–16	4238.32

1	2
2016–17	4244.50
2017–18	4551.57
2018–19	5028.17

माननीय अध्यक्षः सप्लीमेंटरी।

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी, माननीय उप मुख्य मंत्री ने बताया कि 2016 के बाद कोई शराब की दुकान नहीं खोली गयी लेकिन ब्यौरा बता रहा है कि 2015 से 2019 में इसी सरकार के द्वारा 133 नई शराब की दुकानें खोली गयी। मतलब कि 2015 और 2016 सरकार के पहले ही साल में 133 शराब की दुकानें खोली गयी। क्या यह सच है?

माननीय उप मुख्य मंत्रीः जानकारी इसमें दी गयी है और इसके 'घ' में मैंने इसको पूरी तरह से बताया है।

सुश्री अलका लाम्बाः यानी कि यह सच है कि पहले साल में ही 2015–16 में 133 नई शराब की दुकानें खोली गयी हैं। इसलिए यह कहना कि 2016 के बाद कोई दुकान नहीं खुली। मुझे लगता है ये कहीं न कहीं उस वचनबद्धता... जो 2015 में सरकार जब आई थी कि शराब के खिलाफ हम लोग जो हैं, एक अभियान चलाएँगे, आंदोलन। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह् लगाती है कि 133 दुकानें और कुल 181 दुकानें इस सरकार के दौरान शराब की नई दिल्ली में खोली गयी हैं।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न 'क' और 'ख' में दिए गए डेटा को देखेंगे तो 2012–13 में शराब की दुकानों की संख्या 682 थी जो 2015–16 तक आके 862 हुई। 2014–16 तक देखें 768 हुई तो जिस

गति से पहले शराब की दुकानें खोली जा रही थीं जब हम सरकार में आए तो उस समय बहुत सारी दुकानों के लाइसेंस भी दिए जा चुके थे, उनका औपचारिक खुलना बाकी था। बहुत सारी दुकानें लास्ट स्टेज पर रही होंगी लेकिन उसके बाद जब सारी स्थितियों की समीक्षा की पहले साल के दौरान, उसके बाद से आप देखेंगे, अगर आप 2012–13 से देखें 682 से लेके 862 हुईं लेकिन तब से 862 से लेके अब तक 863 दुकानें हैं, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः हाँ जी, सौरभ जी।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या यह कहना सही रहेगा की काँग्रेस के समय में जो पुरानी दिल्ली की सरकार थी, उस वक्त शराब की दुकानें अधिक मात्रा में खोली गयी, कंपेरिजन, जो अब की सरकार है?

माननीय उप मुख्य मंत्रीः ये कहना सही होगा क्योंकि इसीलिए मैंने वो डेटा रखा कि 682 से 2012–13 में 14–15 तक 768 दुकानें हो चुकी थीं।

माननीय अध्यक्षः एनी सप्लीमेंटरी? प्रश्न संख्या–26 श्री अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्तः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। प्रश्न संख्या–26 प्रस्तुत हैः

क्या **खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अंबेडकर नगर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2019 में सील की गयी 'उचित दर दुकानों' की संख्या;

(ख) वर्ष 2019 के दौरान दंडित की गईं 'उचित दर दुकानें' व उनसे वसूल की गयी जुर्माना राशि, संपूर्ण ब्यौरा; और

(ग) वर्ष 2019 के दौरान जिन 'उचित दर दुकानों' के लाइसेंस रद्द निलंबित किए गए, उनकी संख्या?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–26 का उत्तर प्रस्तुत हैः

(क) कोई नहीं;

(ख) मैसर्स राधेश्याम, दुकान संख्या 6636 का लाइसेंस आदेश दिनांक 22.04.2019 द्वारा रद्द किया गया है तथा सिक्योरिटी राशि को जब्त किया गया है;

(ग) एक, मैसर्स राधेश्याम, दुकान संख्या 6636 का लाइसेंस आदेश दिनांक 22.04.2019 द्वारा रद्द किया गया;

माननीय अध्यक्षः सप्लीमेंटरी, हाँ।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी, इसमें मेरी जानकारी के अनुसार एक तो पूरी जानकारी नहीं दी गयी है। क्योंकि मैंने इसमें पूछा था 'ख' में कि वर्ष 2019 के दौरान दंडित की गयी उचित दर की दुकानें व उनसे वसूल की गयी जमाराशि का संपूर्ण ब्यौरा दें। तो इसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आपने कितने चालान काटे हैं, उसका ब्यौरा नहीं दिया गया और दूसरा मेरा सप्लीमेंटरी है कि मैंने खुद एक शिकायत बाकायदा एसी को लिखके दी थी जिसमें राशन की चोरी हो रही थी और उसका भी इसमें कोई ब्यौरा नहीं है। तो ये सदन को गुमराह करने की साजिश है, मुझे ऐसा लग रहा है।

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः नहीं जो क्वेश्चन है, उसके अंदर एसी का कोई जिक्र है नहीं कि आपने एसी को शिकायत दी थी और उसकी जानकारी माँगी थी। मैं आपको सारी जानकारी उपलब्ध करा दूँगा। आप मुझे

लिखकर दे दीजिए या उसकी कापी दे दीजिए। मैं आपको सारी जानकारी उपलब्ध करा दूँगा।

श्री अजय दत्तः धन्यवाद। मंत्री जी, बस मेरा ये दोबारा से अनुरोध है कि जब सदन जानकारी चाहता है...

माननीय अध्यक्षः हो गया, अजय दत्त जी, हो गया, बात हो गई।

श्री अजय दत्तः देखिए, डिपार्टमेंट जानकारी क्यों छिपा रहा है, मेरा ये क्वेश्चन है?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः नहीं, वो क्वेश्चन में भी नहीं है न कि एसी को आपने कंप्लेंट की थी, वो लिखा नहीं क्वेश्चन में।

श्री अजय दत्तः सर मैं कह रहा हूँ कि मैंनें तो खुद कंप्लेंट दी है तो उसमें जानकारी क्यों नहीं है?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः वो दे देंगे आपको दे देंगे, बल्कि अभी मंगा के देंगे आपको यहाँ जानकारी।

माननीय अध्यक्षः ये इसमें जो एक क्वेश्चन है 'ख' में जुर्माना राशि कितनी वसूल की गयी, ये अधिकारियों ने नहीं दिये। इसको देख लीजिए एक बार।

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः ठीक है।

माननीय अध्यक्षः नहीं, लगा है तो आना चाहिए था जुर्माना।

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः जो दुकान कैंसिल कर दी गयी है जो उसकी सिक्योरिटी डिपोजिट थी, वो राशि जब्त कर ली गयी है।

माननीय अध्यक्षः वो बताते न सिक्योरिटी राशि कितनी जब्त की गयी है जो भी सिक्योरिटी राशि थी।

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः ठीक है उसे डलवाकर अभी सारी जानकारी...

माननीय अध्यक्षः अधिकारियों से कहिए अभी लिखके देंगे।

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः अभी लिखके दीजिए।

माननीय अध्यक्षः हाँ, बताइये कमांडो जी।

श्री सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय खाद्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो दुकान महीने में 26 दिन बंद रहती है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः जो दुकान 26 दिन बंद रहती है, वो कैंसिल ही होगी।

श्री सुरेन्द्र सिंहः एक दुकान की मैंने 21.06.2019 को 8333 दुकान की कंप्लेंट की थी, पर उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हुआ।

माननीय अध्यक्षः एफपीएस नंबर बोलिये दोबारा।

श्री सुरेन्द्र सिंहः दुकान नंबर है जी, उसका 8333।

माननीय अध्यक्षः 8 त्रिपल थ्री।

श्री सुरेन्द्र सिंहः वो जो है, प्रह्लादपुर गाँव के अंदर है। 21.06.2019 को मैंने माननीय मंत्री जी को कंप्लेंट की थी। मंत्री जी ने फॉरवर्ड किया था। टीम भी गयी वहाँ पे, पर वो उसी प्रकार से वो दुकान खुलती नहीं है। तीन दिन या चार दिन महीने में खुलती है और साथ ही मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा, जो मेरा क्षेत्र है दिल्ली कैंट का, चाणक्य पुरी के क्षेत्र में वहाँ पे एम्बेंसी एरिया में कोई भी दुकान नहीं है, तो पहले वहाँ गाड़ी से जो उन्हें राशन दिया जाता था। गाड़ी का लाइसेंस होता था। अब वहाँ

के लोगों को लगभग लगभग 10–10 किलोमीटर दूर राशन लेके जाना पड़ता। कैंट के दूसरे एरिया में जाना पड़ता है।

माननीय अध्यक्षः तो आपका क्वेश्चन क्या है?

श्री सुरेन्द्र सिंहः क्वेश्चन गाड़ी से राशन के लिए डिमांड है और मैं कई बार पत्र लिख चुका हूँ।

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः ठीक है, वहाँ अब से व्यवस्था कर दी जाएगी सर।

श्री सुरेन्द्र सिंहः धन्यवाद सर।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, विशेष जी, अब हो गया, प्लीज। मुझे एक क्वेश्चन पूरा करने दीजिए 10 मिनट रह गया। प्रश्न संख्या–27 पंकज पुष्कर जी।

श्री पंकज पुष्करः माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण मंत्री महोदय से निवेदन है कि प्रश्न संख्या–27 का उत्तर देने की कृपा करें।

क्या **माननीय पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नजफगढ़ नाले और जहाँगीरपुरी नाले में प्रदूषण के कारण;

(ख) इस प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ऐजेंसियाँ तथा व्यक्ति;

(ग) जो लोग इस प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं, क्या उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गयी है, और

(घ) यदि नहीं, तो कारण व उसका संपूर्ण विवरण?

माननीय पर्यावरण मंत्री (श्री कैलाश गहलोत): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, प्रश्न संख्या–27 का उत्तर प्रस्तुत हैः

(क) नजफगढ़ नाले और जहाँगीरपुरी नाले के प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है:

1. नाले के साथ बसी अनाधिकृत कालोनियों एवं जे.जे.सी.से छोटे नालो के द्वारा प्रदूषित पानी का गिरना है;
2. नजफगढ नाले में हरियाणा से आता प्रदूषित पानी;
3. अनउपचारित घरेलू जल अपशिष्ट एवं जल अपशिष्ट;
4. पब्लिक तथा अन्य एजेंसियों द्वारा नालों में कूड़ा डालना; और
5. नालों की उचित समय पर सफाई न करना।

नजफगढ नाले में प्रदूषण को रोकने के लिए इंटरसेप्टर सीवर लाइन डाली जा रही है इसमें गिरने वाले नालों के गंदे पानी को निकट के अवजल संशोधन संयंत्र के अंदर पहुंचाया जायेगा, जहाँ इसका शोधन किया जायेगा, जिससे इस नाले का प्रदूषण कम हो जायेगा। इस कार्य के दिसंबर 2019 तक पूरे होने की संभावना है। जहांगीरपुरी नाले को भी ट्रेप करके निकट के अवजल संशोधन संयंत्र के अंदर ले जाने की योजना है एवं शोधित जल को वॉटर बॉडी में फिर से शोधित कर ले जाने की योजना है। इसके साथ बसी अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइन भी डाली जा रही है।

(ख) इस प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ऐजेंसियाँ इस प्रकार हैं– दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली विकास प्राधिकरण, शहरी विकास, डी.एस.आई.आई.डी.सी, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण, समिति, सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड इत्यादि।

(ग) और (घ) 90 विषैली प्रदूषित इकाइयों (स्टेनलेस स्टील पिकलिंग इकाइयों) को बंद कर दिया गया है (संलग्नक–1) तथा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, द्वारा प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर समय–समय पर नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाती है।

Sub:- Status of Closure of S.S. Pickling Units in Compliance of Hon'ble NGT Order Dated 16.10.2018

Sl. No.	Name	Address	Activity
1	2	3	4
1	A.K. Industries	A-102/1A, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
2	Adarsh Steels	B-20, Group, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
3	Arihant Industries	A-101/1A, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
4	Arti Industries,	A-97/1, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
5	Ashish Steel Industries	A-93/4, Group, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
6	Avatar Refrigeration Industries	C-57/1, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
7	Bali Steels	C-58/3, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
8	Bhagwat Steel	B-28/4, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
9	Bhagwat Steel	B-25, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling

संलग्नक

Date of Closure Directions Issued in Compliance of Hon'ble NGT Order Dated 16.10.2018	Inspection by DPCC & Revenue Department	Date of Sealing
5	6	7
06.12.2018	09.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 09.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 08.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	09.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 09.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 08.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	09.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 09.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 08.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 08.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 08.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 08.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018

1	2	3	4
10	Bhawani Industries,	B-62/1, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
11	Bishwanath	B-9(G) Backside, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
12	Brij Mohan Ram Mohan	A-86/2, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
13	Deepak Industries	A-83/5, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
14	Durga industries	A-97/3, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
15	Durga Industries	A-99/4, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
16	Eastern Engineering Works	C-86, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
17	G.S Enterprises	A-74/2, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
18	Ganga Industries	A-113, Group, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
19	Ganapati Roiling Mill	A-98/6, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
20	Gaurav Steel	C-55/1, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
21	Goel Steel Industries	A-35, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
22	Goyal Enterprises,	B-7(G), Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
23	Gupta Enterprises	B-47/2, Group, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling

5	6	7
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 08.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 08.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	09.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 09.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	09.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 09.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 08.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	09.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 09.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 08.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	09.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 09.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	09.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 09.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 08.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 08.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018		Construction work was going on and no industrial activity observed, therefore premises not sealed
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 09.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 09.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018

1	2	3	4
24	Guru Faquir Metal Udyog	C-37, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
25	Guru Prem Industries	A-101, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
26	Hariram	C-40/3	Stainless Steel Pickling
27	Harish Traders	A-96/1, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
28	J.N. Steel Co.	A-111/1, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
29	Jagdish Kumar Area	A-133, Wazirpur Industrial	Stainless Steel Pickling
30	Jai Paras Steel	A-16, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
31	Jayna Strips,	A-97/1A, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
32	Jindal Enterprises	A-116, Group, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
33	Kalyan Steel Roiling Mill	A-13G, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
34	Kamal Steel Industries (Unit-II)	C-37/2, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
35	Kusum Steel Company	C-57, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
36	Metal Fabricator	A-85/3, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
37	Mittal Re-Rolling Industries	A-76/2, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling

5	6	7
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 09.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	09.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 09.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 09.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 09.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	09.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 09.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	09.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 09.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	09.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 09.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 08.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	09.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 09.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	09.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 09.12,2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 08.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 08.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	09.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 09.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	09.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 09.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018

1	2	3	4
38	Mitul Industries	A-124, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
39	National Industries	A-102/2, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
40	Onkar Steels	B-67/1,Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel ickling
41	P.B. Steels	A-24, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
42	Pardeep Industries,	A-31, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
43	Parsvnath Steels	A-95, Wazirpur industrial Area	Stainless Steel Pickling
44	Premier Industries	B-62, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
45	Prime Enterprises	C-44, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
46	R.K. Steel	A-12, Group, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
47	Rahul Udyog	A-96/1-A, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
48	Rajender Jain	C-40, (Backside), Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
49	Ravi Steel Industries	Shed-69, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
50	S.K. Steel	B-58, (Group), Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
51	S.V. Industries	A-59, Group Industrial Area Wazirpur	Stainless Steel Pickling

5	6	7
06.12.2018	09.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 09.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	09.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 09.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 08.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 08.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 08.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 08.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 08.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 08.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	09.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 09.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 08,12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 08.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 08.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 08.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	09.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 09.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018

1	2	3	4
52	Saraswati Traders	A-96/2, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
53	Shankar Lal	C-39/1, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
54	Shiv Industries	B-7(G), Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
55	Shree Krishna Industries	A-101/1, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
56	Shree Krishna Metal Industries	B-22/2, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
57	Shree Luxmi Industries	A-39, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
58	Shree Shyam Steel	A-113/1, Wazirpur Industria! Area	Stainless Steel Pickling
59	Shri Bankey Bihari Rolling	A-118, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
60	Shri Ram Rolling Works	A-93/14, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
61	Sidhartha industries	B-31(G), Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
62	Singhal Udyog	B-70, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
63	Tirupati Industry	C-40/1, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
64	Tirupati Metal	B-8(G), Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
65	U-Like Exports	C-34, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling

5	6	7
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during seating drive took placed on 08.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 08.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 08.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	09.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 09.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 08.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	09.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 09.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	09.12.2018	Unit Seated during sealing drive took placed on 09.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	09.12,2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 09.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	09.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 09.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 08.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 08.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 08.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 08.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	09.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 09.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018

1	2	3	4
66	Vardhman Metal Industries	B-50 (Group), Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
67	Vijay Industries	B-71, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
68	Vikas Enterprises	Shed-43, DSIIDC Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
69	Vishal Industries	C-55/1, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
70	Vishwa Karma Metal	A-101/12, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
71	Sagar Steel Industries	A-14, WIA	Stainless Steel Pickling
72	Kasturi Steel Industries	A-65, WIA	Stainless Steel Pickling
73	Aggarwal Industries	A-95/5, WIA	Stainless Steel Pickling
74	Jay Kay Enterprises	A-127, WIA	Stainless Steel Pickling
75	Shiv Shakti Industries	A-84/1, Wazirpur Industrial Area	Stainless Steel Pickling
76	Mittal Steel Marketing	D-6, S.M.A Industrial Area, GTK Road, Delhi-33	Stainless Steel Pickling
77	Bajrang Engineering Works	D-45, S.M.A Industrial Area, GTK Road, Delhi-33	Stainless Steel Pickling
78	Lal Kishan Vinay Kumar	D-46, S.M.A Industrial Area, GTK Road, Delhi-33	Stainless Steel Pickling

5	6	7
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 08.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 08.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 08.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed ori 08.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	09.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 09.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 08.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	09.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 09.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	08.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 08.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	09.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 09.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	09.12.2018	Unit Sealed during sealing drive took placed on 09.12.2018 as per order of Hon'ble NGT dated 16.10.2018
06.12.2018	08.12.2018	Sealed and electricity disconnected on 08.12.2018
06.12.2018	08.12.2018	Sealed and electricity disconnected on 08.12.2018
06.12.2018	08.12.2018	Sealed and electricity disconnected on 08.12.2018

1	2	3	4
79	Lee Laa Overseas	E-13, S.M.A Industrial Area, GTK Road, Delhi-33	Stainless Steel Pickling
80	S.S. Dawar & Company	16, S.S.I. Industrial Area, GTK Road, Delhi-33	Stainless Steel Pickling
81	Rose Metal Industries	62, S.S.I. Industrial Area, GTK Road, Delhi-33	Stainless Steel Pickling
82	Hanuman Steel Udyog	63, S.S.I. Industrial Area, GTK Road, Delhi-33	Stainless Steel Pickling
83	Unico Steel (P) Ltd.	A-38, Rajasthani Udyog Nagar Indl. Area, Delhi-33	Stainless Steel Pickling
84	Shiv Industries	S-14, Phase-I, Badli Industrial Estate, Delhi-42	Stainless Steel Pickling
85	Swift Chemical Corporation	S-56, Phase-I, Badli Industrial Estate, Delhi-42	Stainless Steel Pickling
86	S.B. Steel	S-58, Phase-I, Badli Industrial Estate, Delhi-42	Stainless Steel Pickling
87	Hitkari Brothers	S-58, Phase-I, Badli Industrial Estate, Delhi-42	Stainless Steel Pickling
88	Surender Kumar and Co.	S-11, Phase-I, Badli Industrial Estate, Delhi-42	Stainless Steel Pickling
89	Niharika Steels	A-78, Rajasthani Udyog Nagar Industrial Area, Delhi-33	Stainless Steel Pickling
90	Vimlak World Enterprises	E-14, S.M.A Industrial Area, GTK Road, Delhi-33	Stainless Steel Pickling

5	6	7
06.12.2018	08.12.2018	Sealed and electricity disconnected on 08.12.2018
06.12.2018	08.12.2018	Sealed and electricity disconnected on 08.12.2018
06.12.2018	08.12.2018	Sealed and electricity disconnected on 08.12.2018
06.12.2018	08.12.2018	Sealed and electricity disconnected on 08.12.2018
06.12.2018	08.12.2018	Sealed and electricity disconnected on 08.12.2018
06.12.2018	08.12.2018	Sealed and electricity disconnected on 08.12.2018
06.12.2018	08.12.2018	Sealed and electricity disconnected on 08.12.2018
06.12.2018	08.12.2018	Sealed and electricity disconnected on 08.12.2018
06.12.2018	08.12.2018	Sealed and electricity disconnected on 08.12.2018
06.12.2018	08.12.2018	Pickling activity closed and plant/machinery removed.
06.12.2018	08.12.2018	Pickling activity closed and plant/machinery removed. Electricity disconnected on 08.12.2018
06.12.2018	08.12.2018	Pickling activity closed and plant/machinery removed. Unit has already surrender its licence to operate.

माननीय अध्यक्षः सप्लीमेंटरी। पंकज जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः जिनका क्वेश्चन है, उनको तो बात करने दो।

श्री पंकज पुष्करः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न के अधूरे उत्तर से अपना असंतोष व्यक्त करते हुए इसको प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेजने का अनुरोध करता हूँ आपसे और मैं बताता हूँ क्यो?

माननीय महोदय, ये बहुत गंभीर मुद्दा है और इस प्रश्न का उत्तर जैसे कि स्वयं जो उसके कारण बताये, उस कारण के संदर्भ में उत्तरदायी एजेंसी अलग–अलग क्या हैं, इस प्रश्न का पर्याप्त स्टार्ड में उत्तर नहीं हैं। इस प्रदूषण के लिए उत्तरदायी जो है, उस पर क्या कार्रवाई की है। केवल एक उस पहलू पर कि जो प्रदूषित इकाइयाँ थीं, उन पर कुछ कार्रवाई की गयी है। केवल अनेक विभागों में से केवल एक विभाग और एक विभाग में से केवल एक डिफॉल्टर पर कार्रवाई की गयी है, तो इसमें पूरक प्रश्न तो अभी 10 बन सकते हैं। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि इसको प्रश्न एवं संदर्भ समिति को इसको रेफर किया जाये। मैं माननीय महोदय, ये भी कहना चाहता हूँ कि ये मामला इतना गंभीर है कि नजफगढ़ ड्रेन, जहाँगीरपुरी ड्रेन मेरे विधान सभा क्षेत्र के टेल एण्ड पर आते हैं, पूरा इलाका और उसके बाद यमुना उससे बहुत बुरी तरह आतंकित है, उसके प्रदूषण की वजह से।

माननीय अध्यक्षः पुष्कर जी, क्वेश्चन करिये न।

श्री पंकज पुष्करः माननीय महोदय, इसमें प्रश्न ये है कि इसमें प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं है। माननीय महोदय, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन

है कि इसका समुचित पर्याप्त और सभी खंडों का उत्तर सुनिश्चित करवाना और विधान सभा तक पहुँचवाना सुनिश्चित करें, यही मेरा अनुरोध है।

माननीय पर्यावरण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि ये मुद्दा गंभीर है, बिल्कुल ये ठीक है एंड मेरे ख्याल से हम सभी इस चीज से बिल्कुल मुँह नहीं मोड़ सकते और पॉल्यूशन वाकई में एक बहुत गंभीर और सीरियस इश्यू है, लेकिन उसके साथ साथ इसका जो सॉल्यूषन है, वो भी उतना ही मुष्किल काम है। लगातार जल बोर्ड और जितनी और एजेंसियाँ हैं, वो लगातार इन्टरसेप्टर सीवर और जितने और एस.टी.पीज हैं। इवनच्युअली, जो भी प्रदूषण किसी भी प्रकार का अगर पॉल्यूशन है, जो नजफगढ़ नाले इत्यादि जितने बड़े नाले हैं, उसके साथ साथ जितनी 108 छोटी ड्रेन्स भी हैं। तो इवनच्युअली वो जितना पॉल्यूषन, जितना ऐफ्लुऐंस जो है, वो जब तक नालों में गिरता रहेगा, तब तक यमूना में जितना पोलूशन है, वो जाता रहेगा। इसको कम करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने और जितनी भी और एजेंसीज हैं; जल बोर्ड हैं, डीएसआईडीसी है, इन्होंने लगातार जो कदम उठाये जा रहे हैं, ये सारा इश्यू एनजीटी भी मॉनिटर कर रहा है लगातार और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो हमने बताया कि दिसम्बर 2019 तक जितने भी इंटरसेप्टर सीवर हैं, 98 परसेंट तक ये सारा कैप्चर हो जाएगा।

श्री पंकज पुष्करः अध्यक्ष महोदय, मेरा मात्र एक प्रश्न ये है कि इसका एक पहलू लिखा है कि पब्लिक एवं अन्य एजेंसियों के द्वारा नालों में कूड़ा डालना। इस संदर्भ में सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट, 2016, जिसको कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा है। एनजीटी भी मॉनिटर कर रहा है, उसके अनुपालन की स्थिति क्या है? क्या पर्यावरण मंत्रालय एक नोडल मिनिस्ट्री

होने के नाते उसकी मॉनिटरिंग के बारे में क्या रिपोर्ट है? क्या सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट, 2016 का अनुपालन हो पा रहा है या नही?

माननीय पर्यावरण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का जो इंप्लीमेंटेशन है, उसका जो इंफोर्समेंट है, उसका जो पूरा रोल है, ये एमसीडी का है। जब भी हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो ये सारा एमसीडी का है और मेरे ख्याल से सभी माननीय सदस्यों को भी पता है, पूरी दिल्ली वासियों को पता है कि कूड़े के जो बड़े बड़े पहाड़ जो दिल्ली में दिखते हैं, वो उसका जीता–जागता एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से जो वेस्ट मैनेजमेंट दिल्ली में किया जा रहा है एमसीडी द्वारा, माननीय एलजी द्वारा और केन्द्र सरकार द्वारा भी, तो इसमें मैं कुछ और नहीं कहना चाहूँगा।

श्री पंकज पुष्करः माननीय अध्यक्ष महोदय एक पंक्ति।

माननीय अध्यक्षः नहीं भाई, अब नहीं। पुष्कर जी, बहुत हो गया। बाकी सदस्य, प्लीज बैठिए, प्लीज।

श्री पंकज पुष्करः अध्यक्ष महोदय, इसमें ये तथ्य सदन में आना जरूरी है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन ये है कि...

माननीय अध्यक्षः पंकज जी।

श्री पंकज पुष्करः क्योंकि वो, वो एमसीडी का रोल है, लेकिन उसमें यूडी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में नोडल एजेंसी है और उसमें प्रदूषण रुक पाया होगा न। मंत्रालय का एक सिग्निफिकेंट रोल है। *एमसीडीज आर ड्यूटी बाउण्ड टु ऑनर देम।* तो ये सदन को सही सूचना आने की आवश्यकता है कि एमसीडी की जिम्मेदारी है, लेकिन उससे पहले उसके

ऊपर एनजीटी की निगरानी में यूडी प्रिंसिपल सेक्रेटरी की मॉनिटरिंग में वो एजेंसी है, उसके अंतर्गत कार्य करना है।

माननीय अध्यक्षः हाँ अखिलेश जी, क्या कह रहे हैं आप।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः सर, ये कहना है कि इतनी उत्तरदायी एजेंसी अब बताई गयी हैं, लेकिन खुलेआम अशोक विहार, वजीरपुर इंडिस्ट्रियल एरिया का जो...

माननीय अध्यक्षः भई अखिलेश जी, अखिलेश जी। मैं ऐसे नहीं अलाउ करूँगा, ये नजफगढ़ नाले से रिलेटेड है।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः हाँ, तो पूछ रहा हूँ।

माननीय अध्यक्षः अगर इस नाले से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः सर, नजफगढ़ ड्रेन में गिर रहा है ये तेजाबी नाला आके। तो ये तेजाबी नाला कब बंद कर दिया जायेगा, जिससे वायु प्रदूषण बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। हमारे क्षेत्र के लोगों का वायु प्रदूषण से जीना मुश्किल है। इतना बदबू आती है नाले से, वो तेजाबी जो नाला आ के गिर रहा है, वो कब तक बंद कर दिया जायेगा? इसके बारे में अगर जानकारी मिले, तो उस क्षेत्र के लोग बड़ा आपका धन्यवाद करेंगे।

माननीय पर्यावरण मंत्रीः स्पैसेफिक इंफार्मेशन मैं लेके माननीय सदस्यों को दे दूँगा, लेकिन जितना मुझे अभी तक बीफ्रिंग के टाइम बताया गया है। टोटल इंटरसेप्टेर सीवर स्पीकर साहब, छः पैकेजेज में ये इंप्लीमेंट होना है। जो फस्ट पैकेज ऑलरेडी कमिशन कर दिया गया है और दो से छः जो पैकेज है, ये दिसम्बर, 2019 तक फुल्ली ऑपरेशन कर दिये जाएँगे।

माननीय अध्यक्षः सोमदत्त जी।

श्री सोमदत्तः अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये जानकारी चाह रहा था कि नजफगढ़ नाले में इंटरसेप्टर सीवर लाइन का काम कितने परसेंट कंप्लीट हुआ है क्योंकि ये मेरे असेम्बली से भी जुड़ा हुआ है और ये काम पिछले साढ़े चार साल से बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है। ये कह रहे हैं कि दिसम्बर तक ये कंप्लीट हो जाएगा, पर मुझे लगता नहीं है कि ये दिसम्बर तक हो पाएगा।

माननीय अध्यक्षः ये बताइये, ये बड़ा अहम प्रश्न है।

माननीय पर्यावरण मंत्रीः जो टाइम–लाइन्स अधिकारियों ने दिये हैं, वही मैं सदन के बीच रख रहा हूँ। स्पेसिफिक जो टाइम–लाइन दी गयी हैं कि रिमेनिंग जो पैकेजेज हैं, ये दिसम्बर, 2019 तक फुल्ली ऑपरेशनल कर दिये जाएँगे।

माननीय अध्यक्षः श्री राजेश जी।

श्री राजेश गुप्ताः सर, जैसा अभी काफी सदन के सदस्यों ने बताया कि नाला कई विधान सभाओं में से हो कर जाता है। मेरा एक इसमें सुझाव है, सवाल नहीं है। बाकी मंत्री जी बता चुके हैं। क्योंकि इसमें प्रदूषण कई तरीके के हैं। जल का भी है, वायु का भी है। इसके ऊपर पहले हम ढ़कने की बात करते थे लेकिन वो मना हो चुका है तो कम से कम इसमें एक एलिवेटिड रोड लिया जाए, जो नजफगढ़ से होते हुए आए तो बहुत सारी वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण दोनों में बहुत ज्यादा कमी आ सकती है।

माननीय पर्यावरण मंत्रीः स्पीकर सर, ये सारा जितने भी ईश्यूज हैं, ये सारे एनजीटी जो कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, ये लगातार *ऑल्मोस्ट ये ऐवरी वीक बेसिस* पर ये मॉनिटर किए जा रहे हैं। *फ्रॉम टाइम टु टाइम आलमोस्ट एवरी मंथ, वी आर गेटिंग न्यू गाइड लाइन्स, न्यू ऑर्डर्स फ्रॉम एनजीटी* अगर

एलिवेटिड रोड उसमें बन सकता है तो उसको एग्जामिन कर लिया जाएगा। पीडब्लयुडी मिनिस्टर माननीय यहाँ बैठें हैं तो उनसे भी मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि अगर वो भी अपने लेवल पर एग्जामिन कर लें तो अच्छा रहेगा।

माननीय अध्यक्षः पवन कुमार शर्मा जी।

श्री पवन कुमार शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि प्रश्न 28 का उत्तर दें।

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आदर्श नगर विधान सभा क्षेत्र में डीयूएसआईबी की भूमि का ब्यौरा तथा यह कहाँ–कहाँ है;

(ख) क्या डीयूएसआईबी की खाली भूमि पर वर्तमान में कोई निर्माण कार्य चल रहा है;

(ग) क्या निकट भविष्य में आदर्श नगर विधान सभा क्षेत्र में डीयूएसआईबी की खाली भूमि पर किसी परियोजना के अंतर्गत निर्माण कार्य किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और;

(घ) एच–ब्लॉक, मंगल बाज़ार रोड, जहाँगीरपुरी में समुदाय भवन के निर्माण कार्य के समापन हेतु निर्धारित समय सीमा?

माननीय शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–28 का जवाब प्रस्तुत हैः

(क) उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार आदर्श नगर क्षेत्र में भूमि का ब्यौरा संलग्न है;

(ख) आदर्श नगर क्षेत्र में विभाग द्वारा एच–2 ब्लॉक में समुदाय भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। इसकी कुल लागत रूपया 4,34,21,000/–

है और समुदाय भवन के निर्माण के समापन की सम्भावित तिथि 20 दिसम्बर 2019 है;

(ग) स्थानीय बिक्री केन्द्र, ए—ब्लाक की चारदीवारी बनाने की योजना है; इसकी अनुमानित लागत रूपया 46,00,000/— है और लगभग 1 साल में पूरा होने की सम्भावना है; और

(घ) समुदाय भवन के निर्माण कार्य के समापन की सम्भावित तिथि 20 दिसम्बर 2019 है।

अनुलग्नक—ए

उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार जहांगीर पुरी (आदर्श नगर विधान सभा) में भूमि का ब्यौर निम्नलिखित है

क्र.सं.	स्थान	क्षेत्रफल	भूमि—उपयोग	टिप्पणियों
1	जी—ब्लॉक कुशल सिनेमा के निकट	13111 वर्ग मी. लगभग	आवासीय (व्यावसायिक)	पार्किंग के लिए इस्तेमाल होना है
2	एच—2 ब्लॉक रामलीला मैदान	9860 वर्ग मी. लगभग	आवासीय (व्यावसायिक)	—
3.	एल एस सी, ए—ब्लॉक मार्किट	18400 वर्ग मी. लगभग	आवासीय (व्यावसायिक)	—
4.	निकट स्कूल प्लाट नं. 5 ए—ब्लॉक	800 वर्ग मी. लगभग	आवासीय (हरित)	पार्किंग के लिए इस्तेमाल होना है।
5.	ई—ब्लॉक स्लम क्वाटर जहांगीर	822 वर्ग मी. लगभग	आवासीय (व्यावसायिक)	कभी—कभी सामाजिक कार्य के लिए बुक होता है।

माननीय अध्यक्षः सप्लीमेंटरी पवन जी।

श्री पवन कुमार शर्माः इसमें जो है, लिस्ट में मंत्री जी दिया गया है 800 वर्ग मीटर आवासीय हरित एरिया है, निकट स्कूल प्लॉट नं0 5 ए–ब्लॉक जहांगीर पुरी। तो इसमें पार्किंग के लिए दिया गया है मंत्री जी। वहाँ पर असामाजिक तत्व बैठते हैं; नशेड़ी टाइप के लोग। साथ में स्कूल है। स्कूल की खिड़कियाँ बिल्कुल जस्ट पार्किग के साइड है तो वहाँ से कम्पलेंट आई है मेरे पास परसों ही। इसको या तो ओल्ड ऐज सीनियर सिटिजन के लिए कोई बना दिया जाए या इसको पार्क डवलप कर दिया जाए, ऐसा कुछ कर दिया जाए।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः आप ये सुझाव लिखकर दे दीजिए। आपको भी... मेरे पास परसों कम्पलेंट आई है। प्रश्न आपने इससे पहले पूछा था तो आपको पता होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, आप लिखकर सुझाव दीजिएगा। इस पर जरूर विचार किया जाएगा।

माननीय अध्यक्षः ठीक है धन्यवाद। प्रश्न संख्या–29, श्री जगदीश प्रधान जी अनुपस्थित। प्रश्न संख्या 30 विजेन्द्र गुप्ता अनुपस्थित। प्रश्न संख्या 31 राजेष गुप्ता।

श्री राजेश गुप्ताः माननीय मंत्री जी कृपा करके प्रश्न संख्या–31 का उत्तर देने की कृपा करें।

क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वज़ीरपुर विधान सभा क्षेत्र में अनधिकृत कॉलोनियों की संख्या;

(ख) क्या उन सबको नियमित कर दिया गया है या कहीं कोई रुकावट है;

(ग) यदि कोई रुकावट है तो उसका ब्यौरा;

(घ) इन कॉलोनियों में गलियों, नालियों, पानी व सीवर के रख–रखाव के लिए क्या व्यवस्था की गयी है और इन व्यवस्थाओं के लिए कौन–सी एजेंसी/विभाग उत्तरदायी है; और

(ङ) जिस अवधि के दौरान ये कॉलोनियाँ अस्तित्व में आईं, उसका ब्यौरा व इन्हें अब तक नियमित न किए जाने के कारण?

माननीय शहरी विकास मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–31 का उत्तर इस प्रकार हैः

(क) वजीरपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 02 अनाधिकृत कॉलोनियाँ आती है;

(ख) जी नहीं, अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमतीकरण की प्रक्रिया केन्द्र सरकार के पास विचारधीन है;

(ग) उपरोक्त 'ख' के अनुसार;

(घ) इन कॉलोनियों में गलियों, नालियों, पानी व सीवर के रख–रखाव की व्यवस्था और उत्तरदायी एजेंसियाँ का विवरण इस प्रकार हैः–

दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि इन कॉलोनियों में पानी व सीवर के रख–रखाव के लिए पूर्वकाल में लाइनें बिछायी जा चुकी हैं एवं दिल्ली जल बोर्ड इनकी व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है;

सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग ने बताया है कि अनाधिकृत कॉलोनी पंजीकरण नं. 46 में एसओआई (जीएसडीएल) मानचित्र उपलब्ध नहीं होने

के कारण विकास कार्य की कोई प्रक्रिया नहीं की जा सकी है तथा दूसरी अनाधिकृत कालोनी पंजीकरण नं. 98 में विकास कार्य डीएसआईआईडीसी द्वारा दिनांक 14.10.2016 को पूर्ण किया गया है। इसलिए सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा अनाधिकृत कालोनी पंजीकरण नं. 98 में कोई योजना नहीं बनाई जा सकती क्योंकि पुराने विकास कार्यो का पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है; और

(ङ) इनमें से एक कॉलोनी जिसकी पंजीकरण संख्या–346 है। उसका आवेदन 2004 में शहरी विकास विभाग में प्राप्त हुआ और दूसरी कॉलोनी जिसकी पंजीकरण संख्या–98 ईएलडी है। उसका आवेदन 2008 में प्राप्त हुआ। इन कॉलोनियों के अब तक नियमितिकरण न होने के कारण (ख) में उल्लिखित हैं।

माननीय अध्यक्षः सप्लीमेंटरी।

श्री राजेश गुप्ताः मंत्री जी, जैसे आपने 'ख' भाग में आपने ही जवाब दिया कि पानी और सीवर का काम दिल्ली जल बोर्ड इसके अंदर कर रहा है। लेकिन उसी के दूसरे पार्ट में हैं कि सिचांई एवं बाढ़ नियन्त्रण विभाग ने बताया कि अनाधिकृत कालोनी पंजीकरण नं0 46 में एसओआई मानचित्र उपलब्ध नहीं है। तो जब दिल्ली बोर्ड ने सीवर और पानी का काम कर दिया तो केवल एक गली रह गयी है। अब यहाँ या तो ये बता दें सिंचाई विभाग बना दे, डीएसआईडीसी बना दे या आप अगर ये भी अलाउड कर दें कि मैं अपने एमएलए फंड से बना सकूं... लेकिन किसी भी तरीके आप ये इस गली के लिए कोई आज्ञा आप दें दें तो बन जाएगी।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय सदस्य

से कहना चाहूँगा अगर एक ही गली है तो कृपया एमएलए फंड से बनवा लें। दो चार लाख रुपये ही लगेंगे, बनवा लें, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगी।

श्री राजेश गुप्ताः नहीं, बात पैसे की नहीं है, लीगेलिटी है। अगर आप अलाउ कर देंगे तो मैं...

माननीय शहरी विकास मंत्रीः नहीं, अनअथॉराइज्ड कॉलोनी के अंदर एमएलए फंड लगाना अलाउ किया गया है और उसमें एमएलए फंड से बनवाई जा सकती है।

माननीय अध्यक्षः श्री संजीव झा।

श्री संजीव झाः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी कालोनियाँ हैं, जो एक्सटैंड हो चुकी हैं। अभी टेंडर किया गया, उसमें ये बताया गया कि ये जीएसडीएल के मैप में नहीं है, अब नहीं हो सकता। तो आधी बनी और आधी गली छूट गयी है। तो जो आधी गली छूट गयी है, उसमें लोगों का जीना दूभर हो गया है। तो क्यों न जब कॉलोनी एक्सटेंड किया है तो उसके जीएसडीएल का नया 2017 में एक वो किया गया था, उसको बाउंड्री को मान करके उसको डेवलप कर दिया जाए ताकि जो गलियाँ बची हैं, वो भी ठीक से बन जाएँ एमएलए फंड से अलाउ कर दें बनने का।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः इसके ऊपर विचार किया जाएगा।

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या–32 ओम प्रकाश जी, अनुपस्थित। अन्तिम भावना गौड़ जी, प्रश्न संख्या–33.

सुश्री भावना गौड़ः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शहरी विकास मंत्री से प्रश्न संख्या–33 का उत्तर चाहूँगी।

क्या **माननीय शहरी विकास** मंत्री बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पालम विधान सभा क्षेत्र में दक्षिण दिल्ली नगर निगम के भवन विभाग द्वारा अप्रैल, 2014 के बाद 'बुक' की गयी संपत्तियों का वार्ड वार ब्यौरा;

(ख) इन संपत्तियों के विरुद्ध की गयी कार्रवाई का ब्यौरा;

(ग) क्या यह सत्य है कि भवन विभाग द्वारा इस अवधि के दौरान पालम विधान सभा की कुछ संपत्तियों को सील किया गया था;

(घ) यदि हाँ, तो सील और डि–सील की गयी संपत्तियों का ब्यौरा;

(ङ) क्या यह सत्य है कि इन सील हो चुकी संपत्तियों में अनाधिकृत निर्माण अभी भी जारी है;

(च) क्या यह भी सत्य है कि पालम विधान सभा क्षेत्र में भवन विभाग के उप–नियमों की अवहेलना करते हुए निर्माण कार्य किया जा रहा है; और

(छ) यदि हाँ, तो इन अनियमितताओं को रोकने के लिए की गयी कार्रवाई?

माननीय शहरी विकास मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–33 का उत्तर इस प्रकार हैः

(क) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के द्वारा सूचित किया गया है कि नजफगढ़ क्षेत्र के पालम विधान सभा के अन्तर्गत आने वाले सभी चार वार्डों से सबंधित सूचना निम्न प्रकार से हैः

क्र. सं.	वार्ड का नाम	कुल बुकिंग (2014 से अब तक)
1	मधु विहार	250
2	महावीर एन्कलेव	306
3	पालम	303
4	साध नगर	146

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के द्वारा सूचित किया गया है कि नजफगढ़ क्षेत्र के पालम विधान सभा के अन्तर्गत आने वाले सभी चार वार्डो से सबंधित सूचना निम्न प्रकार से हैः

क्र. सं.	वार्ड संख्या	डेमोलिशन (2014 से अब तक)	सीलिंग (2014 से अब तक)
1.	मधु विहार	63	20
2.	महावीर एन्कलेव	73	20
3.	पालम	135	11
4.	साधनगर	68	02

सम्पत्तियों पर तोड़–फोड़ की कार्रवाई प्राथमिकता पर डीएमसी एक्ट एवं समय–समय पर जारी विभागीय परिपत्रों के अनुसार की जाती है। सभी सम्पत्तियों पर कार्रवाई न होने का कारण मुख्यतः नजफगढ़ जोन में स्टाफ की कमी, मौकों पर पुलिस फोर्स का न मिल पाना या वांछित पुलिस बल का उपलब्ध न होना है।

(ग) उपरोक्त ख के अनुसार

(घ) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के द्वारा सूचित किया गया है कि पालम विधान सभा क्षेत्र में आने वाली सभी वार्डो में 2014 से सील की गयी सम्पत्तियों की सूची अनुलग्नक–'क' पर संलग्न है तथा इस दौरान किसी भी सम्पत्ति को डि–सील नहीं किया गया है;

(ङ) जी नहीं, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा किसी भी संम्पत्ति पर कार्रवाई के पश्चात उसकी सूचना पुलिस विभाग को दी जाती है तथा सील हो चुकी संम्पत्ति को सील टूटने की सूचना मिलने पर डीएमसी के अनुसार कार्रवाई की जाती है व पुलिस स्टेशन को एफआईआर लॉज करने हेतु पत्र लिखा जाता है;

(च) जी हाँ; और

(छ) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के द्वारा सूचित किया गया है कि जो भी निर्माण कार्य, डी.एम.सी एक्ट एवं उपनियमों की अवेहलना करते हुए होता है, उस पर विभाग द्वारा डी.एम.सी के तहत कार्रवाई की जाती है।

अनुलग्नक–'क'

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम South Delhi Municipal Corporation
अधिशासी अभियन्ता कार्यालय Office of the Executive Engineer
भवन विभाग, नजफगढ़ क्षेत्र Building Deptt., Najafgarh Zone
मुख्य क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा नं. 121-122, प्रथम तल, ढांसा स्टैण्ड, नजफगढ़, नई दिल्ली-43 Main Zonal Building, Room No.121-122, 1st Floor, Dhansa Stand, Najafgarh, New Delhi-43

विषयः विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या 33, दिनांक 23.08.2019 के लिए भवन विभाग द्वारा अप्रैल 2014 के बाद बुक की गई सम्पत्तियों के संबंध में

प्रश्न संख्या 'घ' के संबंध में, नजफगढ़ क्षेत्र के पालम विधान सभा के अंतर्गत आने वाले सभी वार्डों में 2014 से सील की गयी सम्पत्तियों का ब्यौरा निम्नलिखित है और इस दौरान पालम विधान सभा में किसी भी सम्पत्ति को डी सील नहीं किया गया हैः–

Sl. No.	Date of Action	Name of Ward	Property No. with location
1	2	3	4
1.	16-April-14	Madhu Vihar	P.No. C-140 Vishwas Park
2.	13-October-14	Madhu Vihar	H.No. G-1/176, Mandir Marg, Mahavir Enclave
3.	15-October-14	Madhu Vihar	P.No. RZ-1, Old Rajapuri Road
4.	15-October-14	Madhu Vihar	P.No. K-1/14, Gali No. 36, Som Bazar Road, Madhu Vihar
5.	13-April-15	Madhu Vihar	P.No. A-1/59, Gali No. 2, Rajapuri
6.	7-August-15	Madhu Vihar	Plot between C-40 & C-41, Vishwas Park, Rajapuri

1	2	3	4
7.	3-February-16	Mahavir Enclave	P.No. H-2/14, G-1, Bengali Colony, Mahavir Enclave
8.	23-February-16	Mahavir Enclave	P.No. C-81 (Behind Govt. School) Mahavir Enclave-1
9.	19-April-16	Palam	Dangerous building bearing No. WZ-389/11, Palam Village, Near Reliance Fresh Store, New Delhi (Owner/Occupier Sh. Pawan Kumar)
10.	27-May-16	Palam	P.No. E-543, Palam Extn. Ramphal Chowk
11.	3-June-16	Mahavir Enclave	P.No. A-17, Dwarkapuri, Vijay Enclave
12.	6-June-16	Mahavir Enclave	P.No. A-44, Palam Extn.
13.	16-June-16	Mahavir Enclave	P.No. C-3/134, Mahavir Enclave
14.	5-December-16	Mahavir Enclave	P.No. E-21 (adj. to E-1/4, Opp. E-1/10), Kalibari Road, Mahavir Enclave
15.	24-March-17	Palam	P.No. F-609, Palam Extn.
16.	1-Sep-17	Sadh Nagar	P.O. RZ-443-C, Gali No. 24, Sadh Nagar, Main 60 Feeta Road
17	11-June-18	Mahavir Enclave	P.No. A-40, Dwarkapuri (Vijay Enclave), Dabri-Palam Road, Mahavir Enclave
18	4-July-18	Madhu Vihar	P.No. S-15-B, Vishwas Park, Madhu Vihar
19	29-August-l8	Mahavir Enclave	P.No. H-4/120 (in front of H-4/116), Bengali Colony, Mahavir Enclave
20	29-August-18	Mahuvir Enclave	P.No. H-2/25-D, Bengali Colony, Mahavir Enclave

1	2	3	4
21	29-August-18	Mahavir Enclave	P.No. H-3/11 (in front of H-3/17), Bengali Colony, Mahavir Enclave
22	29-August-18	Mahavir Enclave	P.No. H-3/33, Bengali Colony, Mahavir Enclave
23	7-September-18	Madhu Vihar	P.No. J-45-A,Gali No. 39, Rajapuri
24	7-September-18	Madhu Vihar	P.No. J-84,.Gali No.37, Rajapuri, Madhu Vihar
25	7-September-18	Madhu Vihar	P.No. 104, Gali No. 37, Rajapuri
26	7-September-18	Madhu Vihar	P.No. K-1/24, Gali No. 36, Som Bazar Road, Madhu Vihar
27	7-September-18	Madhu Vihar	Prop. adj. to I-66, Gali No. 33, Rajapuri
28	7-September-18	Madhu Vihar	P.No. I-101, Gali No. 35, Rajapuri, Madhu Viliar
29	7-September-18	Madhu Vihar	P.No. G-99, Gali No. 24, Som Bazar Road, Rajapuri
30	18-September-18	Palam	P.No. A-143, Palam Extn., Sec-7, Dwarka
31	18-September-18	Palam	P.No. B-897, Palam Extn.
32	9-October-18	Mahavir Enclave	P.No. RZ-G-16/1, Mahavir Enclave
33	9-October-18	Mahavir Enclave	P.No. H-54, Som Bazar Road, Mahavir Enclave
34	16-October-18	Mahavir Enclave	P.No. B-12/11, Maharaj Aggarsain Plaza, Mahavir Enclave
35	16-October-18	Mahavir Enclave	P.No. H-7, Mahavir Enclave
36	16-October-18	Mahavir Enclave	P.No. E-1/2 (in front of E-20), Mahavir Enclave

1	2	3	4
37	17-October-18	Madhu Vihar	P.No. H-2, Gali No. 17, Rajapuri Road, Madhu Vihar
38	17-October-18	Madhu Vihar	P.No. J-78, Gali No. 38, Rajapuri
39	17-October-18	Madhu Vihar	P.No. J-62, Gali No. 38, Rajapuri
40	17-October-18	Madhu Vihar	P.No. K-1 /l 8, Gali No. 36, Rajapuri
41	17-October-18	Madhu Vihar	P.No. K-1/83, Gali No. 36, Rajapuri
42	17-October-18	Madhu Vihar	P.No. I-70, Gali No. 35, Rajapuri
43.	17-October-18	Madhu Vihar	P.No. H-1/4, Gali No. 29, Rajapuri
44.	14-November-18	Mahavir Enclave	P.No. M-60, Gali No. 1, Vijay Enclave, Mahavir Enclave
45.	14-November-18	Mahavir Enclave	P.No. C-1, Vijay Enclave, Mahavir Enclave
46.	14-November-18	Mahavir Enclave	P.No. E-59, Vijay Enclave, Dwarka, Mahavir Enclave
47.	14-November-18	Mahavir Enclave	P.No. L-212, Near Shiv Property, Vijay Enclave, Mahavir Enclave
48.	8-January-19	Palam	Plot. No. 93, Harijan Basti, Ramphal Chowk, Palam
49.	12-February-19	Palam	Prop. adj. to H.No. 101, Levis Showroom & Opp. 96 House, Palam Extn., Sec-7, Dwarka
50.	12-February-19	Palam	Prop. adj. to WZ-799-A, Palam Village, Badiyal Mohalla
51.	12-February-19	Palam	P.No. WZ-1, Palam Village
52.	13-June-19	Sadh Nagar	Prop. adj. to WZ-274, Gali No. 9, Sadh Nagar (WZ-275)
53.	29-July-19	Palam	P.No. F-618 & F-619, Ramphal Chowk, Palam Extn., Sec-7, Dwarka

माननीय अध्यक्षः सप्लीमैंटरी भावना जी।

सुश्री भावना गौड़ः जी, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगी, इन्होंने एक लिस्ट भी पीछे लगाकर के दी है, जो आधी अधूरी है। बहुत सारे मेरे क्षेत्र के लोग जो मेरे पास आए हैं; कुछ प्रमाणित तथ्य मेरे पास में मौजूद हैं।

मैं सदन से निवेदन करूँगी अध्यक्ष महोदय, आपकी माध्यम से मेरा ये प्रश्न, प्रश्न एवं संदर्भ कमेटी को भेजा जाए। ये आधे अधूरे उत्तर हमें प्राप्त हुए हैं।

माननीय अध्यक्षः मुझे अभी—अभी जानकारी मिली है पंजाब से बुद्धवाड़ा विधान सभा के माननीय विधायक श्री बुधराम जी अपने पुत्र के साथ उप—राज्यपाल दीर्घा में हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

29. श्री जगदीश प्रधानः क्या **माननीय पर्यटन मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने यमुना नदी को विश्व—स्तरीय पर्यटन स्थल में परिवर्तित करने का वादा किया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक हुई प्रगति;

(ग) क्या सिग्नेचर ब्रिज के पास के क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की सरकार की कोई योजना है; और

(घ) क्या सिग्नेचर ब्रिज के भ्रमण के लिए सरकार की गाइड सहित कोई शटल—सेवा उपलब्ध कराने की योजना है, इसका पूरा ब्यौरा?

माननीय पर्यटन मंत्रीः (क) सरकार द्वारा यमुना नदी के पुनर्जीवनीकरण के लिए योजना प्रस्तावित है। जिसके तहत पर्यटन का विकास भी किया जाएगा;

(ख) उपरोक्तानुसार;

(ग) जी हां, सिग्नेचर ब्रिज के आस–पास के इलाके पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना विचाराधीन; और

(घ) जी नहीं, अभी सिग्नेचर ब्रिज के भ्रमण के लिए सरकार की गाइड सहित कोई शटल – सेवा उपलब्ध कराने की कोई भी योजना नहीं है।

30. श्री विजेंद्र गुप्ताः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना नामक कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका संपूर्ण विवरण व उसकी प्रति; और

(ग) यह योजा कब प्रारंभ की गई और इसके कार्यान्वयन में अब तक हुई प्रगति?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) दिल्ली सरकार ने दिनांक 11.12.2017 को दिल्ली स्लम एवं जे.जे. पुर्नवास एवं स्थानान्तरण नीति 2015 को सुचित किया था। दिल्ली सरकार ने इसी नीति को दिनांक 31.01.2019 को मुख्यमंत्री आवास योजना का नाम दिया है;

(ख) विवरण एवं प्रति संलग्न है; और

(ग) उपरोक्त नीति के तहत दिल्ली की सभी जे.जे. बस्तियों का मॉग सर्वेक्षण का कार्य तेजी से चल रहा है, जिसके दिसम्बर, 2019 तक समाप्त होने की योजना है। मुख्यमंत्री आवास योजा के तहत लगभग 5000 मकानों को इन्सिटु उन्नयन के तहत बनाने की दिशा में निविदा प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा जेएएनयुआरएम में बने मकानों में डयूसिब और दिल्ली सरकार के तहत आने वाली जे.जे. बस्तियों का पुनर्स्थापन किया जा रहा है।

यह उत्तर सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जाता है।

Confidential
Cabinet Matter

Government of National Capital Territory Of Delhi
General Administration Department
(Co-Ordination Branch)
Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi

No. F.3/3/2018/GAD/CN/484-493 Dated: 31.01 2019

<u>CABINET DECISION NO, 2673 DATED 29.01.2019</u>

Item 3: Re-nomenclature of "The Delhi Slum & JJ Rehabilitation and Relocation Policy, 2015" as " Mukhya Mantri Awas Yojana"

Decision: The Council of Ministers considered the note of Pr. Secretary (Urban Development) and approved the proposal contained in para 6 (i) and (ii) of the Cabinet Note.

-Sd/-
(Vijay Kumar Dev)
Secretary to the Cabinet

No. F.3/3/2018/GAD/CN/484-493 Dated: 31.01 2019

1. Pr. Secretary to Lt. Governor, Delhi.

2. Addl. Secretary to the Chief Minister, Delhi.
3. Secretary to Dy. Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
4. Secretary to Minister, Labour, Govt. of NCT of Delhi.
5. Secretary to Minister, Health, Govt. of NCT of Delhi.
6. Secretary to Minister, Food and Supply, Govt. of NCT of Delhi.
7. Secretary to Minister, Social Welfare, Govt. of NCT of Delhi.
8. Secretary to Minister, Transport, Govt. of NCT of Delhi
9. Pr. Secretary (UD), Govt. of NCT of Delhi, with request to upload ATR on CDMS.
10. OSD to Chief Secretary. Govt. of NCT of Delhi.
11. Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi for translation
12. Guard file.

(Vivek Pandey)
Joint Secretary to the Cabinet

Government of NCT of Delhi
Department of Urban Development
9th Level, C-Wing, Delhi Secretariat
IP. Estate, New Delhi-110002

F.No.730(7)/UD/BSUP/2016/CDNo.021366111/3014-22 Dated:11/12/2017

ORDER

In pursuance of the provision of sub-section (1) of Section 10 of the Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) Act, 2010 (The Delhi Act 07 of 2010), the Delhi Urban Shelter Improvement Board in its 16th Meeting on 11.04.2016 approved the Delhi Slum Rehabilitation and Relocation Policy-2015. The Council of Ministers, Government of National Capital Territory of Delhi, vide Cabinet Decision No. 2384 dated 08.07.2016 has approved the Delhi Slum and Jhuggi Jhopri Relocation and Rehabilitation Policy, 2015 and

subsequently modified the same vide Cabinet Decision No.2482 dated 20.06.2017.

The Hon'ble Lt. Governor, Government of National Capital Territory of Delhi, has approved the said Delhi Slum and Jhuggi Jhopri Relocation and Rehabilitation Policy, 2015, which will supersede all previous guidelines of this Government in this matter and modifications thereof. It will also be applicable in all such cases where relocation of slum and Jhuggi Jhopri dwellers has already been done as per this policy.

This Order is issued in supersession of Order F.No.730(7)/UD/BSUP/ 2016/CD No.021366111/3002-10 dated 07.12.2017.

Delhi Slum and Jhuggi Jhopri Rehabilitation and Relocation Policy, 2015 (PART-A)

1. This policy is based on the following principles:

(i) The people living in jhuggis perform critical economic activities in Delhi like drivers, vegetable vendors, maid servants, auto and taxi drivers, etc.

(ii) In the past, adequate housing was not planned for these people in middle or upper class areas, to which they provide services. As a result, a number of jhuggi bastis mushroomed ail over Delhi close to the areas, where they provide services.

(iii) They have encroached upon the lands on which they live.

(iv) The decisions of the Hon'ble Supreme Court of India in Chameli Singh Vs. State of UP [1996 (2) SCC 549] and in Shantistar Builders Vs. N.K. Toitame, [1990 (1) SCC 520] and numerous other judgments have laid down that the right to life is not a right to mere animal existence and that the right to housing is a Fundamental Right.

Going further, in Ahmedabad Municipal Corporation Vs. Nawab Khan Gulab Khan, [1997 (11) SCC 123], the Supreme Court held that even poverty stricken persons on public lands have a Fundamental Right to housing. The Court laid down that when slum dwellers have been at a place for some time, it is the duty of the Government to make schemes for housing the jhuggi dwellers. In the most recent decision of the Chief Justice's Bench in the Delhi High Court in Sudama Singh Vs. Government of Delhi [168 (2010) DLT 218], the Court referred to the provisions of the Delhi Master Plan and emphasised in-situ rehabilitation. It is only in the extra ordinary situation, when in-situ rehabilitation is not possible, then only, rehabilitation by relocation is to be done. The normal rule is in-situ upgradation and re-development.

(v) The recent Supreme Court decision in Gainda Ram Vs. Municipal Corporation of Delhi, [2010(10) SCC 715] reiterates that hawkers have a fundamental right to hawk. It is, therefore, clear that the poor, who come to the city for work, must reside reasonably close to their place of work. Even apart from the legal aspect, studies have shown that resettlement at far way places invariably force the poor to return to their informal housing arrangements close to their place of work.

(vi) Government of National Capital Territory of Delhi recognizes that the habitat and environment in which Jhuggi Jhopri Bastis exist is often dirty, unfit for human habitation and unhygienic both for the inhabitants living in that area as wel as for the people living in surrounding areas.

(vii) Government of National Capital Territory of Delhi, therefore, wishes to put in place and Implement this policy to house the poor in a permanent and humane manner; at the same time, clear lands for specific public projects and roads etc.

2. Keeping the above principles in mind, Government of National Capital Territory of Delhi announces the following policy for rehabilitation and relocation of Jhuggi Jhopri basti.

(a) Nodal Agency

The Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) will be the Nodal Agency for relocation/rehabilitation of Jhuggi Jhopri bastis in respect of the lands belonging to MCD and Delhi Government and its Department/Agencies. In case of Jhuggi Jhopri colonies existing in lands belonging to Central Government/Agencies like Railways, Delhi Development Authority, Land & Development Office, Delhi Cantonment Board, New Delhi Municipal Council, etc. the respective agency may either carry out the relocation/rehabilitation themselves as per the policy of the Delhi Government or may entrust the job to the DUSIB:

Provided that, the Agencies while doing relocation rehabilitation/in-situ redevelopment of the dwellers of Jhuggi Jhopri Bastis must ensure that the methodology, benefits and provisions adopted in such tasks are in conformity with the guidelines of Pradhan Mantri Awas Yojana and provisions which have been notified by the Central Government from time to time

(i) **Who is eligible for rehabilitation or relocation**

Jhuggi Jhopri Bastis which have come up before 01.01.2006 shall not be removed (as per National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2011) without providing them alternate housing. Jhuggis which have come up in such Jhuggi Jhopri Bastis before 01.01.2015 shall not be demolished without providing alternate housing; (this is in supersession of

the earlier cut-off date of 04.06.2009 as notified in the guidelines of 2013)

(ii) **No new jhuggis to be allowed in Delhi**

Government of National Capital Territory of Delhi shall ensure that no new jhuggi comes up after 01.01.2015. If any jhuggi comes up after this date, the same shall immediately be removed without providing them any alternate housing. Government of National Capital Territory of Delhi will use the following methods to ensure that no new jhuggis come up:

a. Government of National Capital Territory of Delhi has started procuring satellite maps every three months to keep an eye on any new constructions. New illegal constructions would be removed immediately.

b. Government of National Capital Territory of Delhi is willing to do joint inspections with land owning agencies at regular intervals and any fresh jhuggis would be removed immediately.

c. Government of National Capital Territory of Delhi would enroll volunteers from Jhuggi Jhopri Bastis, who will act for the Government and would inform Government if any fresh jhuggi comes up in any area.

(ii) **In-situ rehabilitation**

Delhi Urban Shelter Improvement Board shall provide alternate accommodation to those living in Jhuggi Jhopri Bastis, either on thesame land or in the vicinity within a radius of five kilometers. In case of exceptional circumstances, it can even go beyond five kilometers with prior approval of the Board. The terms and conditions at which alternate accommodation will be provided and the eligibility conditions are being separately notified.

(iv) **In-situ Rehabilitation of Jhuggi Jhopri Bastis on lands belonging to other Land Owning Agencies**

a. Delhi Urban Shelter Improvement Board is willing to take over any Jhuggi Jhopri Basti on the model of Kathputli Colony from any land owning agency in Delhi for in-situ re-developments on the same terms and conditions on which Delhi Development Authority has given Kathputli Colony slum rehabilitation project to a private builder. Therefore, each land owning agency may make a list of all such bastis which they are willing to hand over to Delhi Urban Shelter Improvement Board on these terms.

b. **For the balance bastis:-**

Master Plan of Delhi 2021 envisages that for in-situ rehabilitation of Jhuggi Jhopri Bastis, a maximum of 40% land can be used as a resource and minimum of 60% of land has to be used for in-situ redevelopment to rehabilitate Jhuggi Jhopri dwellers. Delhi Urban Shelter Improvement Board will prepare a scheme of rehabilitationof any Jhuggi Jhopri Basti and use such portion of land which is required for rehabilitation of Jhuggi Jhopri Dwellers depending upon density of the said Basti and pass on the remaining portion of land to the Land Owning Agency, which will have to bear the cost of rehabilitation. The cost of rehabilitation would include the cost of construction of dwelling units and cost of land in case, additional land belonging to Delhi Urban Shelter Improvement Board is used for rehabilitation.

(v) **Relocation in rare cases**

Any Land Owning Agency will not demolish any Jhuggi Jhopri Basti which is eligible as per para 2(i) above unless:

1. there Is any Court order

2. that basti has encroached a street, road, footpath, Railway safety zone, or a park
3. the encroached land is required by the land owning agency for specific public project as envisaged in The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2011, which is extremely urgent and can't wait.

In the circumstances where the land owning agency brings the proposal before Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB), and Delhi Urban Shelter Improvement Board is satisfied and undertakes the demolition, the Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) shall make all efforts to relocate the jhuggis in that Jhuggi Jhopri Basti, clear the land and hand it over to land owning agencies within next six months after the date of DUSIB resolution. In such circumstances, the land owning agency shall pay such amounts to Delhi Urban Shelter Improvement Board in advance, which meets; (i) Cost of construction of alternative dwelling units, (ii) Cost of the land which will be on 'Institutional Rate' at which Delhi Urban Shelter Improvement Board has purchased the land, (iii) Cost of relocation. However, the beneficiary contribution as well as the contribution made by the Government of India, if any, towards the cost of construction of dwelling units, will be deducted from the aforementioned cost of rehabilitation.

This provision will come into effect only when Central Government approaches Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) for rehabilitation, removal and relocation of jhuggi jhopri Basti. However, in this case also, the provisions which have been notified by Central Government will prevail.

Rehabilitation work to be completed in five years -

Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) hopes to complete this task of rehabilitating all Jhuggi Jhopri Bastis in Delhi in the next five years, if it receives cooperation from all land owning agencies.

Delhi Slum and Jhuggi Jhopri Rehabilitation and Relocation Policy, 2015 (PART-B)

1. The eligibility criteria for allotment of alternative dwelling units to rehabilitate and relocate Jhuggi Jhopri dwellers would be as under:-

   (i) The Jhuggi Jhopri dweller must be a citizen of India and not less than 18 years of age;

   (ii) The Jhuggi Jhopri basti in which the Jhuggi Jhopri dwellers are residing must be in existence prior to 01.01.2006. However, the cutoff date of residing in the jhuggi for becoming eligible for rehabilitation shall be 0101.2015 (this is in supersession of the earlier cut-off date of 04.06.2009, as notified in the guidelines of 2013);

   (iii) The name of Jhuggl Jhopri dweller must appear in at least one of the voter lists of the years 2012, 2013, 2014 and 2015 (prior to 0101.2015) and also in the year of survey, for the purpose of rehabilitation;

   (iv) The name of the Jhuggi Jhopri dweller must appear in the joint survey conducted by the DUSIB and the Land Owning Agency;

   (v) The Jhuggi Jhopri dweller(s) will be subjected to bio-metric authentication by Aadhar Card or bio-metric identification by other mechanism;

   (vi) Jhuggi Jhopri dweller must possess any one of the 12 documents issued before 01.01.2015 as prescribed in the subsequent para;

   (vii) The beneficiary family should not own a pucca house (an all-weather dwelling unit) either In his/her name or in the name of any member of his/her family in any part of India as per the guidelines of Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) PMAY(U);

(viii) No dwelling unit shall be allotted if the jhuggi is used solely for commercial purpose;

(ix) In case, the jhuggi is being used for both residential and commercial purpose, the Jhuggi Jhopri dweller can be considered for allotment of one dwelling unit. In case, the ground floor of the jhuggi is being used for commercial purpose and other floors for residential purpose that will entitle the Jhuggi Jhopri dweller for one dwelling unit only;

(x) If a different family, having separate Ration card issued prior to 01.01.2015, which fulfils all the other eligibility criteria is living on upper floor, the same will also be considered for allotment of a separate dwelling unit, (this is in supersession of the earlier notified guidelines of 2013; and

(xi) The ineligible Jhuggi Jhopri dwellers will be removed from the Jhuggi Jhopri Basti at the time of its rehabilitation/relocation/clearance of Jhuggi Jhopri Basti.

2. As envisaged In Para 1(vi) above, the Jhuggi Jhopri dweller must possess any one of the following documents issued before 01.01.2015 to become eligible for the purpose of allotment of Dwelling Unit:

(i) Passport;

(ii) Ration Card with photograph;

(iii) Electricity bill;

(iv) Driving License;

(v) Identity Card/Smart Card with photograph issued by State/Central Government and/or its Autonomous Bodies/Agencies like PSU/Local Bodies (except EPIC);

(vi) Pass book Issued by Public Sector Banks/ Post Office with photograph;

(vii) SC/ST/OBC Certificate issued by the Competent Authority;

(viii) Pension document with photograph such as Ex-serviceman's Pension Book, Pension Payment Order, Ex-serviceman widow/dependent certificate, old age pension order or widow pension order;

(ix) Freedom Fighter Identity Card with photograph;

(x) Certificate of physically handicapped with photograph issued by the Competent Authority;

(xi) Health Insurance Scheme Smart card with photograph (Ministry of Labour scheme);

(xii) Identity card with photograph issued in the name of the descendant(s) of the slum dweller from a Government school or Certificate with photograph issued by the Principal of a Government School mentioning therein that the descendant(s) of the JJ dweller is/was the student of the school.

3. Appellate Authority

(i) Delhi Urban Shelter improvement Board will constitute an Appellate Authority for redressal of the grievances related to determination of eligibility for allotment of alternate dwelling unit for rehabilitation and relocation of JJ dwellers. The Appellate Authority will consist of the following:

(a) Retired Judge of the level of Additional District Judge;

(b) Retired civil servant of the level of Joint Secretary to Government of India;

(c) An expert member to be nominated by the Chairperson of Delhi Urban Shelter Improvement Board;

(d) Deputy Director of Delhi Urban Shelter Improvement Board to be nominated by the Chief Executive Officer (DUS1B) - as Convener.

(ii) The terms and conditions of the Appellate Authority will be decided by the Board separately.

(iii) Any Jhuggi Jhopri dweller feeling aggrieved by any order passed by an officer/committee, authorized to determine eligibility of the Jhuggi Jhopri dweller shall be entitled to file an appeal before the Appellate Authority within a period of thirty days from the date of communication of the impugned order.

(iv) The Appellate Authority may for good and sufficient reasons, entertain an appeal filed beyond the period of limitation provided under clause (iii) above,

(v) The Appellate Authority may confirm, revoke or reverse the order appealed against and may pass such orders 83 ft deems fit.

(vi) Order passed in appeal by the Appellate Authority, duly accepted by the Chief Executive Officer, Delhi Urban Shelter Improvement Board shall be final.

4. Terms and conditions of Allotment of alternative Dwelling Unit

(i) The contribution of the beneficiary will be Rs. 1,12,000/- (Rs. One Lakh Twelve Thousand) per dwelling unit having the carpet area of 25 sq.mtr (The contribution may slightly vary on case to case basis depending upon the actual carpet area of the dwelling unit). In addition, the beneficiary will be required to pay an amount of Rs.30,000/-

(Rs. Thirty Thousand) at the time of the allotment of the dwelling unit, towards the cost of maintenance for a period of five years.

(ii) The dwelling unit shall be allotted to the eligible Jhuggi Jhopri dweller for a period of ten years on lease hold basis after which it will be converted into free-hold as per the prevalent policy (this is in supersession of the earlier leasehold period of fifteen years as notified in the guidelines of 2013).

(iii) Allotment will be made in the name of person(s) as provided under PMAY (U) Scheme guidelines.

(iv) The allottee shall not sublet or part with possession of the dwelling unit, by way of General Power of Attorney or any other document. The Delhi Urban Shelter Improvement Board will have the right to verify the veracity of the original allottee through Bio-metric survey using Aadhar data-base or otherwise. In case a different person {s)/ family is found living at the time of survey in the dwelling unit, the allotment/lease is liable to be cancelled and Delhi Urban Shelter Improvement Board will have the right to re-enter the dwelling unit.

(v) Delhi Urban Shelter Improvement Board may assist those beneficiaries who are not able to arrange the contribution to avail loans from banks/financial institutions including co-operative banks.

5. Maintenance of dwelling units after allotment

(i) It has been observed that after allotment of dwelling units to Jhuggi Jhopri dwellers for rehabilitation, the maintenance of the common services in these colonies is not done properly by the occupants due to ignorance, lack of knowledge to form associations and/or lack of funds etc.

(ii) Therefore, the Delhi Urban Shelter Improvement Board will maintain the common services in these colonies for a period of fwe years after allotment.

(iii) For this purpose, a Corpus in the form of "DUSIB Estate Management Fund" will be created in Delhi Urban Shelter Improvement Board.

(iv) The allottees will have to contribute Rupees thirty thousand per dwelling unit as maintenance charges which will be deposited in the above said fund.

(v) The maintenance will include common areas like staircase, open ground, water supply and electric supply systems up to the dwelling units; external services e.g. sewer lines, roads, street lights, drainage and parks etc.

(vi) Depending upon the requirement, Delhi Urban Shelter Improvement Board may contribute in this fund from its own resources and attempt will be made as far as possible to carry on the maintenance from the interest earned from this fund.

(vii) In order to ensure that there are sufficient resources for maintenance of these colonies, Delhi Urban Shelter Improvement Board will also request the Government of National Capital Territory of Delhi to give Grant-in-aid for this fund.

(viii) After five years, the maintenance will be transferred to the Residents Welfare Associations which will be required to get registered as Societies and work out their own mechanism for maintenance.

(ix) Delhi Urban Shelter Improvement Board may give grant in aid to the Residents Welfare Associations/ Registered Societies of these colonies depending upon the requirement of the works to be done.

6. Chief Executive Officer. Delhi Urban Shelter Improvement Board is authorized to approve the operational guidelines keeping in view the overall spirit of the policy.

This issues with the approval of the It. Governor of the National Capital Territory of Delhi

(Rajesh Ranjan)
Deputy Secretary (UD)

F.No.730(7)/UD/BSUP/2016/ CD No.021366111/ 3014-22

Dated. 11/12/2017

Copy for information & necessary action to:

1. CEO (DUSIB), Punarwas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.

Copy for information to;

1. Pr. Secretary to Hon'ble Lt. Governor, Raj Niwas Marg, Delhi-54.
2. Advisor to Hon'ble Chief Minister Delhi.
3. Secretary to Hon'ble Minister for Urban Development, GNCTD.
4. Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, Govt, of India, Nirman Bhawan, New Delhi.
5. Vice-Chairman, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi.
6. All Pr. Secretaries/Secretaries/HODs of GNCTD/Local Bodies/ Autonomous Bodies.
7. SO to Chief Secretary, Delhi.
8. PA to Pr. Secretary (UD)

(Rajesh Ranjan)
Deputy Secretary (UD)

Government of NCT of Delhi
Department of Urban Development
9th Level, C-Wing, Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-110002

F.No.692(7)/UD/BSUP/2015/4010-16 Dated. 08/02/2019

ORDER

The Delhi Slum and Jhuggi Jhopri Rehabilitation and Relocation Policy 2015. formulated under Section 10(1) of the Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) Act. 2010. has been issued by the Govt. of NCT of Delhi vide Order F.No.730(7)/UD/BSUP/2016/CD-021366111/3014-22 dated 11.12.2017, after due approval of the Competent Authority, Govt. of NCT of Delhi. The Council of Ministers, Govt. of NCT of Delhi vide Cabinet Decision No. 2673 dated 29.01.2019 has decided to rename "The Delhi Slum & JJ Rehabilitation and Relocation Policy, 2015" as "Mukhya Mantri Awas Yojana", applicable in the National Capital Territory of Delhi.

This decision of the Council of Minister, Govt. of NCT of Delhi is enforced with immediate effect, henceforth, "The Delhi Slum & JJ Rehabilitation and Relocation Policy, 2015" is renamed as "Mukhya Mantri Awas Yojana", applicable in the National Capital Territory of Delhi.

This issues with the approval of Hon'ble Minister for Urban Development. Govt. of NCT of Delhi.

Deputy Secretary (BSUP)
Phone No. 23392247

F.No. 692(7)/UD/BSUP/2015/4010-16 Dated: 08/02/2019

Copy for information to:

1. Pr. Secretary to Hon'ble Lt. Governor, Delhi, Raj Niwas, Delhi-54.

2 Joint Secretary to Hon'ble Chief Minister, GNCT of Delhi.

3. Secretary to all Hon'ble Ministers, GNCT of Delhi.

4. Secretary, Ministry of Housing & Urban Affairs, Govt. of India, Nirman Bhawan, NewDelhi-11.

5. Vice-Chairman (DDA), Vikas Sadan, INA, New Delhi.

6. All Pr. Secretaries/Secretary/HODs of GNCTD.

7. CEO, DUSIB. Punarwas Bhawan, LP. Estate, New Delhi

Deputy Secretary (BSUP)
Phone No. 23392247

Gmail SE COORD <secoord.dusib@gmail.com>

Reply of Assembly Questions No. 30 & 148
1 message

Abdul Dayyan <abdayyan@gmail.com> 14 August 2019 at 12:59
To: JOGINDER SINGH <j.dusib@gmail.com>, SE COORD <secoord.dusib@gmail.com>

The replies are attached.

3 attachments

IMG_20190814_125539.jpg
3564K

New Doc 2019-08-14 12.49.38.pdf
528K

Relocation-Policy-2015.pdf
521K

32. श्री ओम प्रकाश शर्माः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि विज्ञापन देने और उन्हें प्रदर्शित करने के साथ दिल्ली सरकार लेखों सम्पादकीयों और समाचारों को प्रायोजित भी करती है ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 व 2019–20 के दौरान प्रायोजित किए गए लेखों, संपादकियों और समाचारों का ब्यौरा;

(ग) जिन समाचारपत्रों, पत्रिकाओं या चैनलों को उक्त लेख, संपादकियों व समाचार प्रचार हेतु दिए गए उनका ब्यौरा तथा उनमें से प्रत्येक पर क्रमशः हुए खर्च का ब्यौरा; और

(घ) सरकार ने यह कैसे सुनिश्चित किया कि पाठक यह जान सकें कि उक्त लेख, संपादकीय या समाचार सरकार द्वारा प्रायोजित है?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) जी हां;

(ख) वर्ष 2019–20 में कोई नहीं। वर्ष 2018–19 में प्रायोजित लेखों–संपादकियों–समाचारों का ब्यौरा अनुलग्नक (क) में संलग्न है;

(ग) उपरोक्त के अनुसार; और

(घ) प्रत्येक प्रकाशन अपने अनुसार डीएवीपी दर पर सरकारी विज्ञापन को प्रकाशित करता है।

अनुलंग्नक 'क'

Media-wise details of Advertorials and expenditure incurred (Ins Rs.) F.Y 2018-19

Sl. No.	Date of Published Newspaper	02-Mar-19 Advertorial-1	08-Mar-19 Advertorial-2	04-Mar-19 Advertorial-3	10-Mar-19 Advertorial-4	Amount (In Rs.) with all taxes
1.	Amar Ujala				476272	476272
2.	Asian Age		130282	65140		195422
3.	Business Ocean		132834			132834
4.	Dainik Bhaskar				132834	132834
5.	Dainik Jagran				1104520	1104520
6.	Haribhoomi				179170	179170
7..	Hindu	159046	318092			477138
8.	Hindustan Hindi				659096	659096
9.	Hindustan Times	1125434	2250870	1125434		4501738
10.	Indian Express	121788	243578	121788		487154
11.	Mail Today	145984	291968	145984		583936

12.	Millennium Post	121787	243574	121787		487148
13.	Navbharat Times				1281970	1281970
14.	Navodaya Times				326516	326516
15.	Pioneer	177235	354469	177235		708939
16.	Punjab Kesari				832484	832484
17.	Rashtriya Sahara				199981	199981
18.	Statesman	53946	107890	53948		215784
19.	The Impressive Times		132834	66417		199251
20.	Times of India	1059239	2112061	1056037		4227337
21.	Top Story	79137	158274			237411
	Grand Total	3043596	6476726	2933770	5192843	17646935
	Bill Amount (A)	2845812	6055843	2743123	4855390	16500168
	Taxes (B)	197784	420883	190647	337453	1146767
	Gross Amount In Rs.m (A+B)	3043596	6476726	2933770	5192843	17646935

34. श्री अजेश यादवः क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बादली विधान सभा क्षेत्र में बुराड़ी रोड पर गली नं. 8 के समीप बागवानी विभाग की नर्सरी कब से है;

(ख) इस नर्सरी का खसरा नंबर;

(ग) इस नर्सरी की भूमि को उद्यान विभाग को कब दिया गया और इसके पहले यह भूमि किस विभाग की थी, संपूर्ण विवरण;

(घ) इस नर्सरी का कुल क्षेत्रफल;

(ङ) क्या इस भूमि का कुछ हिस्सा एमसीडी को भी आबंटित किया गया है; और

(च) यदि ऐसा है तो उसका कारण?

माननीय शहरी विकास मंत्रीः (क) **उद्यान विभागः** यह भूमि उद्यान विभाग को निदेशक पंचायत, दिल्ली सरकार के पत्र संख्या एफ 1/18/ए/पी/लिबासपुर/90/111/1013 दिनांक 18.03.2002 के द्वारा दी गई थी।

दिल्ली विकास प्राधिकरणः दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रश्न भेजा गया था, परन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र सं. एफ.5 (3)/मिस./2015/पी एंड सी/वीएस/769 दिनांक 2 अगस्त, 2018, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239एए (3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए विधान सभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया

जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के सम्बन्ध में सभा द्वारा उठाये गये प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है। (प्रतिलिपि संलग्न है)

मंडलायुक्त (राजस्व): यह भूमि उद्यान विभाग को नर्सरी के लिए 2002 में दी गई थी जिसके खसरा नं. 21/6 (2–8) एवं 21–15 (2–18) है। इससे पहले यह भूमि ग्रामसभा लिबासपुर के नाम थी;

(ख) **उद्यान विभाग:** 21/6 एवं 21/15

मंडलायुक्त (राजस्व): उपरोक्त 'क' के अनुसार;

(ग) **उद्यान विभाग:** यह भूमि उद्यान विभाग को निदेशक पंचायत, दिल्ली सरकार के पत्र संख्या एफ 1/18/ए/पी/लिबासपुर/90/111/1013 दिनांक 18.03.2002 के द्वारा दी गई थी।

मंडलायुक्त (राजस्व): उपरोक्त 'क' के अनुसार;

(घ) **उद्यान विभाग:** 5 बीघा 6 बिसबा।

मंडलायुक्त (राजस्व): 5 बीघा 6 बिसबा;

(ङ) **मंडलायुक्त (राजस्व):** इस तरह का कोई दस्तावेज नहीं है; और

(च) **मंडलायुक्त (राजस्व):** उपरोक्त 'ङ' के अनुसार।

पूरक सामग्री:— वर्ष 2002 में उद्यान विभाग को खसरा नं. 21/6 (2–8) एवं 21–15 (2–18), निदेशक पंचायत दिल्ली सरकार द्वारा इस जमीन पर फ्लोरी कल्चर डिमोस्ट्रेसन सेन्टर विकसित करने के लिये दी गयी थी, क्योंकि उद्यान विभाग के पास इस कार्य के लिए कोई जमीन नहीं थी जिससे किसानों को फ्लोरीकल्चर एवं उद्यान की जानकारी आसानी से मिल सके।

उद्यान विभाग ने इस जमीन में उद्यान नर्सरी विकसित की हैं जिसमें फूल व फलों के पौधे लगाये गये हैं। जिससे नजदीकी किसानों को फल व पुष्पों के बारे में जानकारी दी जाती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(आयुक्त एवं सचिव कार्यालय)
ब्लॉक–बी, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली–110023

सं. एफ 5(3)/मिस./2015/पी एंड सी/बीएस/769

दिनांक : 2 अगस्त, 2018

श्री संदीप मिश्रा,
विशेष सचिव (संसद अनुभाग),
शहरी विकास विभाग, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार,
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय,
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 09.07.2018 के अपने पत्र सं. एफ 53 (यूएसक्यू)/बजट रोशन–सैकंड–जून–2018/दिल्ली असेंबली/यूडी/डी 7175, 7176 की अवलोकन करे, जिसकी संदर्भ सं. एफयूएसक्यू/बजट सेशन–II जून, 2018/दिल्ली असेंबली/यूडी/डी–6983–43 (यूएसक्यू–80), 6925 34 (क्यूएसक्यू–78), 6977 80 (यूएसक्यू–89) तथा 6901, 6904 (यूएसक्यू–70) दिनांक 29.05.2018 तथा अनुपूरक फर्स्ट डी–7066 से 7068 दिनांक 13.06.2018 है, जिसके द्वारा संदर्भित विषय पर उत्तर तैयार करने के लिए विभाग की उपयुक्त सामग्री प्रेषित करने के लिए कहा गया था।

इस संबंध में यह बताया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 239एए (3)(क) के अनुसार विधान सभा के पास राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में आने वाले किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, केवल

उन मामलों को छोड़कर जो राज्य सूची की प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं तथा सूची की प्रविष्टि 64, 65 तथा 66 से कुछ हद तक संबंधित हैं क्योंकि ये उक्त प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं। अतः आरक्षित विषयों अर्थात् प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 में उल्लिखित विषयों पर राज्य सरकार के पास न तो कानून बनाने की शक्तियां हैं और न ही कार्यकारी कार्रवाई करने की शक्तियां। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 29 में यह वर्णित है कि प्रश्नों की विषय सामग्री प्रशासन के मामलों से संबंधित होनी चाहिए, जिसके लिए सरकार उत्तरदायी है।

अतः दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239एए (3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए, विधान सभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के संबंध में सभा द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए क्योंकि दि.वि.प्रा. केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है।

तथापि, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के विकास कार्य और सार्वजनिक कल्याण में दि.वि.प्रा. की भूमिका से संबंधित मामलों के संबंध में दि.वि.प्रा. रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त पत्राचार के उत्तर देना जारी रखेगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डी. सरकार)
आयुक्त एवं सचिव

Office of the Director (Panchayat)
Development Department
5/9, Under Hill Road, Delhi-54

No.F.1/18/A/P/Libaspur/90/III/1013 Dated 18.03.02

To

The Head of Office (Horticulture),
Govt. of NCT of Delhi,
11th Floor, MSO Building,
I.P. Estate,
New Delhi.

Sub.: Transfer of use of Gaon Sabha-1 and by the Horticulture Unit of the Development Department for Floriculture Demonstration Centre, in Village Libaspur, Distt. (N-W).

Sir,

With reference to your Letter No. 58(43)/DH/FDC/99-00/2379 dated 19.7.99 on the above cited subject, I am directed to convey the approval of the Hon'ble Governor, Delhi for utilizing the Gaon Sabha land bearing Khasra No. 16/15(4-16), 16/16(4-16), 21/9(2-08) and 21/15(2-18) total measuring 14 bigha and 18 biswas in Village Libaspur for establishing a Floriculture Demonstration Centre subject to the following contions:-

1. That no ownership rights/possession will be transferred to Horticulture Department and the land will be retrieved back as and when required by the Panchayat office.

2. That the free vacant area will be kept green by the Horticulture Department.

3. That it shall be the responsibility of the Horticulture Department to protect the land from any type of encroachment.

4. That they will use the land for the purpose for which it is approved and not for any other purpose.

(Vijay Singh)
Director (Panchayat)

No. F.1/18/A/P/Libaspur/99/III./ Dated

Copy forwarded for information and necessary action:-

1. The B.D.O. (Alipur), Distt. North-West, Delhi.

(Vijay Singh)
Director (Panchayat)

35. सुश्री राखी बिरलाः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि सरकारी नियमों के अनुसार शराब की दुकान का लाइसेंस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या सरकारी स्कूल के 100 मीटर के दायरे में नहीं दिया जा सकता;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि रोहिणी, सेक्टर–4, पॉकेट ए–2 में एक शराब की दुकान एक सरकारी स्कूल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के पास ही चल रही है;

(ग) यदि हां, तो क्षेत्र के विधायक के अनेक बार अनुरोध करने पर भी इस दुकान को बंद न किए जाने के कारण; और

(घ) शराब की यह दुकान कब तक बंद कर दी जायेगी?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) जी हां, दूरी का माप दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 51(1) में उल्लिखित प्रावधानों के नियम अनुसार किया जाता है संलग्न सूची ''क'' में उपलब्ध है;

(ख) सितम्बर, 2016 में रोहिणी, सेक्टर–4, पॉकेट ए–2 में स्थित सरकारी शराब की दुकान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि शराब की दुकान से सेंट गिरी स्कूल की दूरी 175.6 मीटर है तथा गुरुद्वारे से यह शराब की दुकान 117.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। अतः दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 व इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों में उल्लेखित पात्रता शर्तों के पूर्ण होने पर ही यह दुकान खोली गई है। निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति संलग्न ''ख'' में उपलब्ध है; और

(ग) और (घ) उपरोक्तानुसार प्रश्न 'ग' व 'घ' नहीं उठता।

(c) the vend to which the licence relates be carried on by. a vendor who may be paid commission on sales;

(17) When a licence has been cancelled, the Deputy Commissioner may resell it by public auction or by inviting fresh tenders or by private contract and any deficiency in fee and all expenses incurred on such resale or attempted resale shall be recoverable by the defaulting licensee in the manner laid down in section 29. The Deputy Commissioner shall communicate the result of such re-sale in a statement in duplicate to the Excise Commissioner, If the amount realized from the original licensee including the initial deposit of one fourth of the annual fee and the amount bid by the incoming licensee together are less than the amount previously tendered by the original licensee together with the expenses incurred, if any, in connection with resale, the deficiency shall be recovered from the original licensee. If these amounts together are more than the amount previously tendered, no refund shall be made to the original licensee.

49. Refund of licence fee when delay is not attributable to licensee.— (1) If the licence fee for any licence is of an annual character and the licence is granted after the commencement of the financial year, the Government may, if it is satisfied that the delay was not attributable to the licensee, remit the fee payable by a sum not exceeding the proportional amount for .the quarter before the licence was granted.

(2) When a licence is cancelled for a cause other than a breach of conditions of licence, the licensee may be excused payment of the fee due to remainder of the term of the licence and if the fee has been paid in advance, proportionate fee for the un-expired period of licence shall be refunded.

50. General Conditions applicable to all licences.—Every licence under these rules shall be granted subject to the condition that the licensee shall comply with the provisions of the Act, the rules framed thereunder, terms and conditions of his licence and the orders issued by the Excise Commissioner from time-to-time and for such observance give security in such form, manner and amount as may be specified. In addition, if the authority granting the licence so requires, shall give a personal bond with or with without surety in such amount as may be required to the satisfaction of such authority.

5l. Conditions dealing with licensed premises.—(1) No retail vend of Indian Liquor, Foreign Liquor or Country Liquor shall be located within one hundred meters from the following, namely:-

(a) major educational institutions;

(b) religious places;

(c) Hospitals with fifty beds and above:

Provided that the condition mentioned in clause (c) above shall not apply for retail vend of liquor for consumption "on" the premises: Provided further that the condition of hundred meters shall apply for the licences granted after the commencement of these rules:

Provided also that if any major educational institution, religious place or hospital with fifty beds or above comes in to existence subsequent to the establishment of the retail vend of Indian Liquor, Foreign Liquor or Country Liquor, the aforesaid distance restrictions shall not apply.

Explanation I—For the purpose of clause (a) above major' educational institutions would mean middle and higher secondary schools, colleges and other institutions of Higher learning recognized by the Government.

Explanation II—For the purpose of clause (b) above, a religious place would imply a religious place having a pucca structure with a covered area of more than 400 square feet.

Explanation III—The measurement of distance shall be the shortest traversable distance, from the mid point of the actual main entrance/door of the premises proposed for licence to mid point of the actual main door/entrance of the building of the places mentioned in clauses (a) (b) and (c) above.

(2) The licensee shall not carry on any business connected with his licence, or store any liquor to be sold or otherwise deal with under his licence, except in the premises specified in his licence, hereinafter called the 'licensed premises'. The Excise Commissioner, may however, grant in an exceptional case, permission to store liquor at a place other than the licensed premises. This permission shall be granted on payment of an extra fee as prescribed and only in cases where it is impracticable to store the required Stock in the licensed premises. Before the grant of permission, the Excise Commissioner shall satisfy himself that the proposed place is adequately guarded and that there is no means of access to it by the public.

(3) The licensed premises shall be established and maintained by the licensee at his own cost.

(4) No licensed premises for sale and storage of liquor shall be used for any other business, except with the permission of the Excise Commissioner. Persons or institutions holding more than one licence must have separate premises for their business. Separate accounts shall be maintained for sale conducted under such licences:

Provided that this sub-rule, except the provision relating to maintenance of separate accounts for sale conducted under the liquor licence, shall not apply to departmental store holding licence in Form L-12.

(5) If a licensee holds a licence in Form L-16, L-16F in conjunction with a licence in Form L-15, L-15F, he shall not, in pursuance of the licence in Form L- 15, L-15F, sell any liquor after the hours fixed as the closing hours for the licence in Form L-16, L-16F in any part of the licensed premises to which persons not residents in the hotel are admitted or in any room or bar adjoining or opening into any room to which persons not residents in the hotel are admitted.

(6) Licensed premises shall be the premises owned or leased by the licensee, provided that where local conditions render it necessary, sites for liquor shops may be leased or bought for Government under the special orders of the Government in each case.

(7) Where the premises have been specially provided by the Government for any shop, the licensee shall be bound to carry on his business in those premises, and to pay to the Government, in addition to his licence fee, such rent for the premises as may be fixed by the Excise Commissioner.

(8) In the case of dining car licence in the Form of L-20 and L-20F the licensed premises are every dining car authorised by the railway administration and any other premises licensed shall be for the purpose of storage only.

REPORT

In compliance of order of Superintendent (IMFL) vide order no. FL-2(39)2001-02/IMFL/Ex/898 dated 06.09.2016 the undersigned inspecting team visited on 07.09.2016 at 02.10PM to 04.15PM regarding the area around the 1,-6 liquor vend situated at CSC-1, Sector-4, DDA Market, Rohini, Delhi-85 to ascertain the facts raised by Shri J.K. Jettley, President of Resident's Welfare Association Pocket-A/2 Scctor-4, Rohini, New Delhi. At the time of inspection Shri G.S. Kumawat, Manager oFDSCSC was present and helped in carried out the inspection. The following observations have been noticed at the inspection:-

1. The inspecting team along with Manager of DSCSC had measured the distance between the Vend and St. Giri School was noticed as 175.6 meters.

2. The inspecting team with manager of DSCSC had measured the distance between the Vend and Gurudwara Gate was noticed as 117.4 meters.

3. The inspecting team with manager of DSCSC had measured the distance between the Vend and MCD Quarters was noticed as 24 meters.

4. The inspecting team with manager of DSCSC had measured distance between the Vend and Pocket A-1, Sector-4 was noticed as 28 meters.

5. The inspecting team with manager of DSCSC had measured distance between the Vend and Pocket A-2, Sector-4 was noticed as 38 meters.

6. Others types of issues as mentioned in complaint, are not related to Excise Deptt.

(RAJESH VIJ) (RAJ KUMAR YAAV)
EXCISE INSPECTOR EXCISE INSPECTOR.

(G.S. KUMAWAT)
MANAGER OF DSCSC

36. श्री श्रीदत्त शर्माः क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि यमुना खादर, (बाढ़ प्रभावित क्षेत्र) में अनधिकृत पार्किंग चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमति किस एजेंसी ने दी है;

(ग) क्या इसको दो गई अनुमति में एमसीडी अथवा दिल्ली सरकार की कोई भूमिका है; और

(घ) क्या पार्किंग को किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति पर बिना संबंधित सरकारी विभाग की अनुमति के चलाया जा सकता है?

माननीय शहरी विकास मंत्रीः (क) पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा बताया गया कि यमुना खादर में अनाधिकृत पार्किंग चलाए जाने की शिकायत मिलती रही है। यह क्षेत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण/सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के संज्ञान में आने से कार्यवाही की जाती है; और

(ख) से (घ) उपरोक्त के अनुसार लागू नहीं है।

सं. F-33/AO/C&C/1351/C&C **दिनांक 20.8.19**

पूरक सामग्री

विषयः विधानसभा तारांकित प्रश्न संख्या 36 माननीय विधायक श्रीदत्त शर्मा, दिनांक 23.08.19 के संबंध में।

यमुना खादर (बाढ़ प्रभावित क्षेत्र) में अधिकृत एवं अनधिकृत पार्किंग का सूची

अधिकृत पार्किंग साइट

क्रम सं.	अधिकृत पार्किंग साइट	पार्किंग साइट
1.	प्रथम पुस्ता उस्मानपुर	1
2.	तीसरा पुस्ता उस्मानपुर	1
	अनधिकृत पार्किंग साइट	
1.	2.5 पुस्ता सोनिया विहार, नियर यमुना खादर	2
2.	टोल टैक्स सोनिया विहार, नियर पुलिस पोस्ट	1

अनधिकृत पार्किंग को हटाने के लिए सहायक आयुक्त दक्षिणी एवं उत्तरी को पत्र भेजा गया है एवं प्रतिलिपि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसीपी ट्रैफिक एवं सम्बंधित एसएचओ को भेजा गया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के संज्ञान में आने से कार्यवाही की जाती है।

कार्य सहायक

अनुभाग अधिकारी/लाभकारी परियोजना कक्ष
प्रशासनिक अधिकारी/लाभकारी परियोजना कक्ष

37. श्री आदर्श शास्त्रीः क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) द्वारका विधान सभा क्षेत्र में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा फुटपाथ पर आबंटित किए गए खोकों के लाइसेंसों का ब्यौरा, जिसमें आबंटी का नाम और आबंटित स्थान का उल्लेख हो;

(ख) डाबरी पालम रोड पर दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन के सामने फूडवैन किन नियमों के अंतर्गत चल रही है; इसका संपूर्ण विवरण;

(ग) द्वारका विधान सभा क्षेत्र में चल रही अनधिकृत व अधिकृत साप्ताहिक बाजार व उनके स्थलों का ब्यौरा;

(घ) क्या यह सत्य है कि डाबरी–पालम रोड पर पीले खोकों की अनुमति एसडीएमसी द्वारा दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा?

माननीय शहरी विकास मंत्रीः (क) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा बताया गया कि द्वारका विधान सभा क्षेत्र में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा फुटपाथ पर आबंटित किए गए खोकों के लाईसेंसों का ब्यौरा, संलग्न है (अनुलंग्नक 'अ');

(ख) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा बताया गया कि डाबरी पालम रोड पर दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन के सामने किसी फूडवेन को चलाने की स्वीकृति नहीं दी गई है। हाल ही में दिनांक 14.08.2019 को निरीक्षण के दौरान कोई भी फूडवैन चलती नहीं पाई गई;

(ग) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा बताया गया कि द्वारका विधान सभा क्षेत्र में अधिकृत साप्ताहिक बाजारों की सूची संलग्न है (अनुलंग्नक 'ब') तथा उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, कोई भी अनाधिकृत साप्ताहिक बाजार इस क्षेत्र में नहीं है। यदि किसी अनाधिकृत साप्ताहिक बाजार की जानकारी जैसे ही उपलब्ध होती है तो उस पर डीएमसी एक्ट 1957 के तहत तुरंत कार्रवाई की जाती है;

(घ) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा बताया गया कि दिल्ली नगर निगम के विभाजन के बाद किसी भी प्रकार से डाबरी–पालम रोड पर पीले खोकों की अनुमति एसडीएमसी द्वारा नहीं दी गई है; और

(ङ) उपरोक्त 'घ' अनुसार लागू नहीं होता।

(अनुलंग्नक 'अ')

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारका विधान सभा क्षेत्र केअंतर्गत अधिकृत खोखों की सूची

क्र. सं.	नाम	स्थान	साईट नम्बर	आकार
1	2	3	4	5
1.	राजीव खोसला	डाबरी पंखा रोड प्राईमरी स्कूल डाबरी	10876	7′×5′

1	2	3	4	5
2.	अनुज कुमार गुप्ता	दादा देव अस्पताल डाबरी	10879	7′×5′
3.	रवीन्द्र कुमार	दशरथ पुरी	10873	7′×5′
4.	निर्मला देवी	दशरथ पुरी स्टैंड	10874	7′×5′
5.	सुरेन्द्र भाटिया	पालम डाबरी मोड़	10878	7′×5′

प्रशा.अधि./नं. क्षेत्र अनुभाग अधि./नं. क्षेत्र एल.आई./नं. क्षेत्र आर.सी./नं. क्षेत्र

(अनुलंग्नक 'ब')

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारका विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत अधिकृत साप्ताहिक बाजार की सूची

क्र. सं.	वार्ड का नाम व वार्ड संख्या	साप्ताहिक बाजार के नाम	बाजार का स्थान	दिन
1.	वेस्ट सागर पुर (31एस)	बृहस्पति बाजार	नागर पार्क, सागर पुर	बृहस्पतिवार
2.	मंगला पुरी (33एस)	बुध बाजार	बस टर्मिनल, मंगला पुरी	बुधवार

38. श्री महेन्द्र गोयलः क्या **माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) रिठाला विधान सभा क्षेत्र में राशनकार्ड धारकों की कुल संख्या;

(ख) राशनकार्ड के लिए लंबित आवेदनों की संख्या, इसका पूर्ण ब्यौरा;

(ग) वर्ष 2015 में राशनकार्ड धारकों की कुल संख्या; और

(घ) 2015 के बाद से कितने राशनकार्ड रद्द किए गए?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः (क) रिठाला विधान सभा क्षेत्र में राशनकार्ड धारकों की कुल संख्या 33540 है;

(ख) राशनकार्ड के लिए लंबित आवेदनों की संख्या 2897 है। विवरण की सूची सी.डी. में संलग्न[1] है;

(ग) वर्ष 2015 में राशनकार्ड धारकों की कुल संख्या 31785 थी; और

(घ) 2015 के बाद 4448 राशनकार्ड रद्द किए गए।

39. **श्री नारायण दत्त शर्माः** क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में एमसीडी प्रायः भवनों को 'ओ' ज़ोन में होने के कारण गिराने का कार्य करती है, जिससे जनता को बहुत असुविधा होती है;

(ख) क्या इस समस्या के समाधान के लिए सरकार की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा कब तक कार्रवाई की जाएगी?

माननीय शहरी विकास मंत्रीः (क) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगमः** जी

---

*www.delhiassembly.inc.in पर उपलब्ध।

हां, यह सत्य है कि बदरपुर विधान सभा क्षेत्र में भवन विभाग, मध्य क्षेत्र द्वारा 'ओ' जोन में होने वाले नये अवैध निर्माण को गिराने का कार्य किया जाता है। 'ओ' जोन क्षेत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) के कार्यक्षेत्र में आता है, परन्तु दिनांक 12.04.2016 को उपराज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक के आदेशानुसार ओ.जोन क्षेत्र में नये अवैध निर्माण रोकने के लिए दिल्ली नगर निगम नोटिस निर्गत करता है तथा आवश्यक तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाती है;

(ख) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगमः** यह नीतिगत मामला है; और

(ग) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगमः** उपरोक्त 'ग' अनुसार लागू नहीं होता।

पूरक सूचना, दक्षिणी दिल्ली नगर निगमः– गत वर्षों के दौरान ('ओ' जोन) क्षेत्र की देख रेख दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में थी। परन्तु दिनांक 12.04.2016 की मीटिंग के दौरान उपराज्यपाल महोदय द्वारा इस क्षेत्र ('ओ' जोन) में नए अवैध निर्माण के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को आदेश दिये गये (कॉपी संलग्न है)। तदूपरांत इस ('ओ' जोन) क्षेत्र में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा नए अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। अतः अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

1. Booking/Notice u/s 333/334 DMC Act = 821
2. Demolition action on file = 35

   Demolition action ongoing = 104

Sealing Action = 52

सत्यमेव जयते

राज निवास,
दिल्ली–110054
RAJ NIWAS
DELHI-110054

Please find enclosed herewith minutes of the meeting chaired by Hon'ble Lt. Governor, Delhi on 12.04.2016 at Raj Niwas regarding unauthorized constructions in Zone 'O' in pursuance of order dt. 09.03.2016 of Hon'ble High Court of Delhi passed to WP (C) 5751/2014 titled Vijay Kumar Diwakar vs. South Delhi Municipal Corporation & Ors.

It is requested that the minute may kindly be circulated to all concerned for compliance.

(Swati Sharma)
Special Secretary to Lt. Governor

Encl.: As above

Vice-Chairman, DDA
U.O.No. 100(3)/2016/RN/169/A-2656 Dated 19.4.16

Minutes of Meeting Chaired by Hon'ble LG, Delhi on 12.04.2016 at 10:30 am at Raj Niwas Regarding 'Unauthorised Constructions in Zone 'O' in Pursuance of Order of Hon'ble High Court of Delhi on 09.03.2016

The Joint Task Force, reconstituted by Hon'ble LG, .Delhi on 03.03.2016 gave a presentation regarding unauthorized constructions in Zone 'O' on 12.04.2016 which was. attended by the following:

1. Pr. Commissioner. (LM) DDA
2. Dy. Commissioner, SDMC
3. Dy. Commssioner, Delhi Police, South East Distt
4. Chief Legal Adviser, DDA

The Chief Legal Advisor, DDA, firstly, briefed Hon'ble LG about the Hon'ble Court's order which is reproduced as under:

"While an overall picture is being considered by the LG as also by the Task Force, it should be kept in mind that the constructions that have come up unauthorizedly in these areas would obviously, not be in compliance with the Building Byelaws and in all likelihood whould not be in compliance with the requirements of the National Building Code for seismic Zone-IV. Therefore, particular attention should be given to a detailed consideration should be undertaken as to how to make these structures compliant even if the Government is considering regularization of these authorized colonies. This is important because in case there is a natural calamity such as a flood or an earthquake which hits Delhi, areas such as Jaitpur and Mithapur would be most vulnerable and may lead to a massive loss of life and properly.

Renotify on 27.04.2016 in order to enable the LG as also the Task Force to come out with a complete proposal."

CLA, DDA informed that DDA has requested the Convenor/Secretary/ Coordinator, DDMA, Revenue Deptt. GNCTD on 30.03.2016 vide letter No. HC/LM (18062)14/Legal/Dup./1802 for nomination of an expert who can be co-opted as one of the Members of the Joint Task Force to consider a detailed proposal as per the requirements of the National Building Code for Seismic Zone-IV.

Pr. Commissioner (LM), DDA - Chairman, joint Task Force submitted that the Joint Task force has identified works in the 2nd meeting or Joint Task Force held on 22.03.2016 to prevent fresh unauthorized constructions in the areas as per mandate of the Force.

5. The existing unauthorized-constructions in Jaitpur and Mithapur areas are presently in the list of 1639 unauthorised colonies to be regularized by Govt. of NCT of Delhi and protected under. The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2011. Therefore, the joint Task Force was, accordingly, mandated to prevent any further fresh encroachment/ unauthorized construction in the eco-sensitive 'O' Zone.

6. Having heard all 'the participants in the meeting, Hon'ble LG directed as follows:

   (a) The Joint Task Force will ensure continuous mentoring, of the areas for preventing further unauthorized constructions.

   (b) DDA should undertake immediate demarcation of the 'O' Zone and carry out survey of the area to identify buildings/dwelling units vulnerable to earthquakes. The expert member from DDMA will be a part of this exercise and suggest measures.

   (c) To prevent fresh unauthorized constructions, SDMC will issue Notices as per law and carry out demolitions.

   (d) DCP, South East Distt., Delhi Policy will .ensure protection to the staff of SDMC/DDA and maintenance of law and order.

   (e) DDA will set up a Control Room for round the clock monitoring and will ensure that CCTVs are installed at critical .locations to he identified in consultation with concerned SDMC, Delhi Police and Revenue Deptt., GNCTD.

   (f) DDA shall continue to remain Engaged with its special responsibility to protect the eco-sensitive 'O' Zone and will file an Action Taken Report from time to time to the Hon'ble LG in' this respect.

Meeting ended with vote of thanks to the Chair.

40. श्रीमती बंदना कुमारीः क्या **माननीय उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि शालीमार बाग विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सिंघलपुर गांव, हैदरपुर गली नंबर–6 व 9, शालीमार गांव, शालीमार बाग के सीए ब्लॉक के जे.जे. क्लस्टर में अवैध शराब की खुली बिक्री होती है जिससे समाज व सरकार को बहुत नुकसान होता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इन अवैध शराब की दुकानों को न चलने देने के लिए क्या कार्य योजना है?

माननीय उप मुख्यमंत्रीः (क) विभाग द्वारा अवैध शराब की बिक्री करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाती जा रही है। शालीमार बाग विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाले शालीमार बाग थाने में पिछले दो वित्तीय वर्षों में अवैध शराब की बिक्री करने वालों के खिलाफ निम्नलिखित कार्यवाही की गई है:–

वर्ष	कुल मुकदमें दर्ज	पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या	पकड़ी गई बोतलों की संख्या
2018–19	06	05	2,341
2019–20 (18.08.2019 तक)	01	02	240

सूची संलग्न* है; और

*www.delhiassembly.inc.in पर उपलब्ध।

(ख) इस विभाग के ईआईबी शाखा द्वारा लगातार गोपनीय सूचना एकत्रित कर दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009, के अंतर्गत स्थानीय पुलिस के माध्यम से अवैध शराब की तस्करी व बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाही की जाती है।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

89. श्री राजेश गुप्ताः क्या **माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वजीरपुर विधान सभा क्षेत्र में राशन की कितनी उचित दर दुकानें हैं;

(ख) प्रत्येक दुकान पर कितने कार्ड हैं, पूरा ब्यौरा दें;

(ग) कितने नए कार्ड छठी विधान सभा में बने हैं और कितने कटे हैं;

(घ) क्या यह सत्य है कि राशन की दुकानों पर चीनी बंद हो गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) यदि कोई राशन कार्ड धारक राशन नहीं लेता है तो उस राशन का क्या किया जाता है;

(छ) राशन की गुणवत्ता की जांच कैसे होती है; और

(ज) बरसात में राशन का दुकानों तक सुरक्षित पहुंचना सुनिश्चित करने की क्या व्यवस्था है?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः (क) वजीरपुर विधान सभा क्षेत्र के मंडल संख्या–17 में 31 उचित दर दुकानें हैं;

(ख) मंडल संख्या–17 के दुकानों का पूर्ण विवरण संलग्न हैं।

(ग)	अनुमोदित	निरस्त
	2617	2582

(घ) नहीं। AAY कार्डधारी को एक किलो चीनी प्रति माह उपलब्ध करायी जाती है;

(ङ) उपरोक्त 'घ' अनुसार;

(च) बचे हुए राशन की मात्रा भविष्य के आबंटन में समायोजित की जाती है;

(छ) राशन की गुणवत्ता की जांच भारतीय खाद्य निगम द्वारा उनके क्वॉलिटी कंट्रोल सेल में नियुक्त टैक्निकल कर्मचारियों द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार की जाती है; और

(ज) अनुबंध के अनुसार परिवहन ठेकेदार खाद्यान जारी होने से लेकर उचित दर दुकान तक पहुंचाने के लिए पूर्णतया बाध्य है। जिसके लिए वह मानसून में तिरपाल वगैरह का इंतजाम करता है।

Note: The FPS Showing with background Color of Yellow and black will not get Allocation due to their shop status.

Last updated on (mm/dd/yyyy HH:MM:SS AM/PM):- 8.22.2019 6:51:15 AM

Sr. No.	District	Circle	FPS	FPS Status	FPS Detail	FPS Address
1	2	3	4	5	6	7
1	North	17-Wazirpur	100200700003	Active	100200700003 [945] M/s Hari Ram Jai Bhagwan	WP-510, Wazirpur Village Wazirpur
2	North	17-Wazirpur	100200700004	Active	100200700004 [986] M/s Sunder Lal Gaje Singh	WP-559, Wazirpur Village Wazirpur
3	North	17-Wazirpur	100200700006	Active	10020070000s [3217] M/s Sohan Singh	A-26, Satwati Colony Delhi-110052 Wazirpur
4	North	17-Wazirpur	100200700007	Active	10d200700007 [3315] M/s Manjhi Ram Hari Ram	K-532, J.J. Colony, Wazirpur Delhi-110052 Wazirpur, J.J. Colony
5	North	17-Wazirpur	100200700008	Active	100200700008 [4126] M/s Gyan Chandra Vijay Kumar	WP-586, Wazirpur Village, Delhi-110052 Wazirpur
6	North	17-Wazirpur	100200700009	Active	100200700009 [4163] M/s Daulat Ram Ashok Kumar	H-335, J.J. Colony, Wazirpur Delhi Wazirpur, J.J. Colony
7	North	17-Wazirpur	100200700010	Active	100200700010 [4356] M/s Krishna Lal	359, Nimri Colony, Delhi-110052 Wazirpur

Contact No.	License Upto	Phase-1				Phase-2		Total	Total Members
		AAY	Member in AAY	PRS	Member in PRS	PR	Member in PR		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9350437288	12/04/2021	83	317	410	1674	409	1421	902	3412
9816466685	12/02/2021	93	398	285	1143	332	1135	710	2676
9212267080	19/03/2021	60	220	343	1844	453	1645	856	3509
9811244532	16/03/2021	18	71	264	1210	530	2174	812	3455
9555290493	12/04/2021	58	219	324	1318	444	1598	826	2135
9810534163	06/03/2021	59	207	144	604	731	2857	934	3068
9899538455	20/02/2021	13	66	172	763	369	1361	654	2190

1	2	3	4	5	6	7
8	North	17-Wazirpur	100200700017	Active	100200700017 [5661] M/s Raj Store	WP-1, Wazirpur Village, Delhi Wazirpur
8	North	17-Wazirpur	100200700018	Active	100200700018 [5668] M/s Balbir Singh Ramesh Chander	WP-556, Wazirpur Village, Delhi Wazirpur
10	North	17-Wazirpur	100200700019	Active	100200700019 [5694] M/s Krishna Pal	WP-449, Wazirpur Village, Delhi Wazirpur
11	North	17-Wazirpur	100200700020	Active	100200700020 [5695] M/s Gupta Provijan Store	WP-312, Wazirpur, Delhi-110052 Wazirpur
12	North	17-Wazirpur	100200700021	Active	100200700021 [5711] M/s Rajesh Store	WP-538, Wazirpur Village, Delhi Wazirpur
13	North	17-Wazirpur	100200700032	Active	100200700032 [5763] M/s Kela Devi	L-305, J.J. Colony, Wazirpur, Delhi Wazirpur, J.J. Colony
14	North	17-Wazirpur	100200700023	Active	100200700023 [5885] M/s Ved Gupta Rashan Shop	C-5, Wazirpur Indl. Area, Delhi Wazirpur, Indl. Area
15	North	17-Wazirpur	100200700024	Active	100200700024 [5912] M/s Anand Kumar Mukesh Kumar	438/2, Shiv Mandir Market, Wazirpur Village, Delhi Wazirpur
16	North	17-Wazirpur	100200700026	Active	100200700026 [5982] M/s Balamiki Store	L-408, J.J. Colony, Wazirpur Delhi Wazirpur, J.J. Colony

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8860169645	12/02/2021	53	183	231	953	303	1058	587	2194
9311075656	12/02/2021	97	378	437	1734	265	913	799	3025
9873740377	16/03/2021	90	356	229	916	361	1373	680	-"2645
9212162975	02/03/2021	94	334	220	826	323	1107	637	2266
9210486255	19/03/2021	67	249	351	1436	403	1415	821	3100
9811929166	22/03/2021	76	266	217	947	466	1840	759	3053
9868286365	22/03/2021	178	676	228	901	324	1094	730	2671
9711784141	19/03/2021	155	589	446	1805	167	602	768	2996
9891891838	26/03/2021	77	320	218	934	475	1846	770	3100

1	2	3	4	5	6	7
17	North	17-Wazirpur	100200700027	Active	100200700027 [6067] M/s Ganga Devi Gupta	H-332, J.J. Colony, Delhi Wazirpur, J.J. Colony
18	North	17-Wazirpur	100200700028	Active	100200700028 [6151] M/s Ram Avtar	C-433, J.J. Colony, Delhi Wazirpur, J.J. Colony
19	North	17-Wazirpur	100200700030	Active	100200700030 [6189] M/s Satya Kumar Dipak	Shop No-3 D Block Market, Ashok Vihar Wazirpur
20	North	17-Wazirpur	100200700031	Active	100200700031 [6449] M/s Ashok Kumar Singhal	C-4 Market Larance Road, Delhi Wazirpur
21	North	17-Wazirpur	100200700033	Active	100200700033 [7133] M/s Tika Ram Dinesh Kumar	D-1/32 J.J. Colony, Wazirpur Delhi, Wazirpur, J.J. Colony
22	North	17-Wazirpur	100200700034	Active	100200700034 [7134] M/s Kundara Store	D-88, J.J. Colony, Wazirpur, Delhi-110052 Wazirpur, J.J. Colony
23	North	17-Wazirpur	100200700035	Active	100200700035 [7135] M/s Janta Store	F-338, J.J. Colony, Wazirpur, Delhi Wazirpur, J.J. Colony
24	North	17-Wazirpur	100200700036	Active	100200700035 [7156] M/s Kuldeep	C-1/5, Larance Road, Delhi, Wazirpur
25	North	17-Wazirpur	100200700037	Active	100200700037 [7376] M/s Pragati Store	Shop No. 9 D Block, Market Phase-1, Ashok Vihar, Delhi Ashok Vihar Phase-I, DDA Flats

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9310103156	05/02/2021	64	262	288	1349	383	1553	735	3154
9868065241	19/02/2021	123	492	170	722	536	2112	829	3326
9899665253	19/02/2021	49	175	84	360	173	664	306	1199
9899662000	27/02/2021	51	207	66	260	170	573	287	1040
9873989828	19/0Z/2021	106	380	294	1422	377	1495	777	3297
9811673412	06/03/2021	82	310	298	1317	444	1807	824	3434
9213112222	06/03/2021	48	194	220	983	435	1749	703	2926
9811321574	09/03/2021	128	496	38	149	130	448	296	1093
9899865253	22/03/2021	25	93	69	277	174	616	268	986

1	2	3	4	5	6	7
26	North	17-Wazirpur	100200700039	Active	100200700039 [7408] M/s Prem Kumar Bhagat Ram	WP-434, Wazirpur Village, Delhi Wazirpur
27	North	17-Wazirpur	100200700040	Active	100200700040 [7409] M/s Jagrati Store	G-169, J.J. Colony, Wazirpur, Delhi Wazirpur, J.J. Colony
28	North	17-Wazirpur	100200700041	Active	100200700041 [7430] M/s Goyal Provijan Store	Shop No-11 D Block, Market, Ashok Vihar, Delhi Ashok Vihar
29	North	17-Wazirpur	100200700043	Active	100200700043 [7435] M/s Shivam Store	N-194/47, B Block 70/1 Wazirpur Ind. Area Delhi Wazirpur, Ind. Area
30	North	17-Wazirpur	100200700044	Active	100200700044 [8712] M/s Kali Charan Bansal	C-6/178, Keshav Puram, Delhi Keshav Puram, Block C-8
31	North	17-Wazirpur	100200700045	Active	10d200700045 [8790] M/s Gupta Store	N-28 E-214, Chander Shekar Colony Wazirpur Ind. Area Delhi Wazirpur Indl Area, C.S.A. Colony Rly. Line
						Total

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9213745545	02/03/2021	124	809	236	946	241	898	701	2653
9811770188	20/02/2021	28	99	148	646	641	2413	817	3158
9899665253	19/02/2021	23	84	131	568	180	643	334	1295
9212567435	02/03/2021	207	803	233	920	182	551	622	2274
8860170385	23/02/2021	113	416	67	268	250	833	430	1517
9868286362	21/02/2021	416	1510	312	1252	314	1286	1042	4048
		2958	11169	7173	30246	10985	41060	21116	82495

90. श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः क्या **माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र में कितने राशन कार्ड चालू हैं; पूर्ण विवरण दें;

(ख) मार्च, 2015 से अभी तक त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र में रद्द किए गए राशन कार्डों की संख्या बताते हुए उनका पूर्ण विवरण दें;

(ग) राशन कार्डों को रद्द करने के क्या कारण थे;

(घ) इस विधान सभा क्षेत्र में नए राशन कार्ड बनाने हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों का पूर्ण विवरण दें; और

(ङ) इन आवेदकों के राशन कार्ड कब तक बनकर चालू हो जाएंगे, यह स्पष्ट करें?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः (क) त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र में कुल 17124 राशन कार्ड चालू हैं। पूर्ण विवरण सी.डी. में संलग्न* है;

(ख) त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र में मार्च, 2015 से लेकर अभी तक कुल 1957 राशन कार्ड रद्द किये गए हैं, पूर्ण विवरण सी.डी. में संलग्न है;

(ग) निम्नलिखित कारणों से राशन कार्ड रद्द किये गये थेः–

1. लाभार्थी का दिये हुए पते पर रहते हुए न पाया जाना।
2. बिजली का बिल 2 किलो वॉट से अधिक होना।
3. परिवार की वार्षिक आय एक लाख से अधिक होना;

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(घ) पूर्ण विवरण सी.डी. में संलग्न है; और

(ङ) राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया सुचारू रूप से कार्यरत है।

91. श्री प्रकाश जारवालः क्या **माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देवली विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013 से 2019 तक नये राशन कार्ड बनवाने के लिए कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) 2019 तक कुल कितने नये राशन कार्ड बनाये गये;

(ग) इस क्षेत्र में कुल कितने राशनकार्ड बनाये जाने शेष हैं; और

(घ) यह कार्य कब तक पूर्ण किया जायेगा?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः (क) देवली विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013 से 2019 तक नये राशन कार्ड बनवाने के लिए 51065 आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) 2019 तक कुल 31635 नये राशन कार्ड बनाये गये;

(ग) इस क्षेत्र में 3265 आवेदक कतार में हैं; और

(घ) नये राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया सतत् जारी है।

92. श्रीमती प्रमिला टोकसः क्या **माननीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि बार–बार शिकायत करने के बावजूद आर.के. पुरम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली राशन की दुकानों पर राशन का वितरण समय पर नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इन दुकानों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है, विवरण सहित बताएं;

(ग) इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली राशन की दुकानों के नये व पुराने कार्ड धारकों का विवरण दिया जाए; और

(घ) वर्तमान में कितने आवेदन आए हैं, इसकी जानकारी दी जाए?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः (क) नहीं, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत उचित दर दुकान समय पर लाभार्थियों को निर्धारित खाद्य सामग्री देने के लिए बाध्य है। समय–समय पर उचित दर दुकानों का अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा शिकायत प्राप्त होने पर विभागीय नीति अनुसार तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाती है;

(ख) उपरोक्त क अनुसार;

(ग) वर्तमान में आर.के. पुरम विधान सभा में उचित दर दुकानों पर लगे हुए राशन कार्डों के विवरण की सूची सी.डी. में संलग्न है; और

(घ) वर्तमान में नये राशन कार्ड बनवाने तथा राशन कार्ड में संशोधन/नाम जोड़ने/काटने के कुल 1583 आवेदन लम्बित हैं।

93. श्री गिरीश सोनीः क्या **माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा कुछ अधिकारियों के स्थानांतरण किए जा रहे हैं;

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(ख) पिछले चार सालों में अब तक कितने एफएसओ एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण मादीपुर विधान सभा से किए गए हैं, उनका पूर्ण विवरण दिया जाए; और

(ग) क्या यह सत्य है कि अभी भी मादीपुर विधान सभा के राशन कार्यालय में अस्थायी तौर पर ही एफएसओ की नियुक्ति की गई है?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः (क) हां। विभाग में स्थानांतरण एक सतत् प्रक्रिया है;

(ख)

क्र. सं.	एफएसओ एवं कर्मचारियों के नाम	पद	से	तक
1	2	3	4	5
1.	किंशुक श्रीवास्तवा	एफएसओ	20.03.15	04.09.15
2.	सतबीर	एफएसओ	17.07.15	15.05.16
3.	दिनेश	एफएसओ	16.05.16	11.05.16
4.	जलधारी मीना	एफएसओ	11.05.16	23.08.16
5.	जितेंदर कुमार	एफएसओ	23.08.16	25.01.19
6.	जयपाल यादव	एफएसओ	25.01.19	20.02.19
7.	लिंक ऑफिसर	एफएसओ	20.02.19	06.03.19

1	2	3	4	5
8.	मंजीत सिंगमार	एफएसओ	07.03.19	12.07.19
9.	संदीप कुमार	एफएसओ	12.07.19	अब तक
10.	प्रोमिला गुप्ता कालरा	एफएसआई	08.04.15	13.01.16
11.	पूनम ढिल्लों कालरा	एफएसआई	16.10.15	31.12.16
12.	पूनम ढिल्लो	एफएसआई	16.10.15	31.12.16
13.	बिंदु	हेड क्लर्क	10.04.17	14.06.18
14.	लथिका एसडी	एफएसआई	23.06.17	04.01.19
15.	सुनील कुमार वर्मा	एफएसआई	04.01.19	अब तक
16.	रजनी मोहला	सीनियर असिस्टेंट	02.07.19	16.09.15
17.	सुरेश कुमार	सीनियर असिस्टेंट	05.09.14	28.02.17

(ग) नहीं। एक एफएसओ को स्थायी तौर पर मादीपुर तथा विकासपुरी राशन कार्यालय का कार्यभार दिया गया है।

94. श्री गिरीश सोनीः क्या **माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अभी नए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं;

(ख) वर्ष 2015 से 2019 तक मादीपुर विधान सभा क्षेत्र में नये राशन कार्ड के लिए कितने आवेदन आए हैं, उनका पूर्ण विवरण दें;

(ग) वर्ष 2015 से 2019 तक मादीपुर विधान सभा में कितने राशन कार्ड नये बने हैं, उनकी सूची दी जाए;

(घ) कितने आवेदकों के आवेदन निरस्तर किए गए, उनका पूर्ण विवरण कारण के साथ बताया जाए;

(ङ) अभी कुछ समय पहले राशन कार्ड से कट गए नामों को पुनः जोड़ने के लिए जो कैंप लगाया था, उसका क्या परिणाम रहा, पूर्ण विवरण दें; और

(च) क्या यह सत्य है कि जिन लोगों ने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया था, उनके राशन कार्ड वर्ष के अनुसार (जिसने पहले फॉर्म जमा किया, उसका पहले बनेगा आधार पर) बन रहे हैं?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः (क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन कार्ड बनाना एक सतत् प्रक्रिया है;

(ख) वर्ष 2015 से 2019 तक नये राशन कार्ड के कुल 5552 आवेदन प्राप्त हुए। AAY के 229, PR-S 367 तथा PR के 4959;

(ग) वर्ष 2015 से 2019 तक मादीपुर विधान सभा में 3350 राशन कार्ड अनुमोदित किए गए हैं। सूची सी.डी. में संलग्न है;

(घ) 2013 से 2019 तक 2296 आवेदन निरस्त किए गए हैं, जिसकी सूची सी.डी. में संलग्न है। आवेदन निरस्त के कारण निम्न हैः–

1. दिये हुए पते पर रहते हुए न पाया जाना।
2. बिजली का बिल 2 किलो वॉट से अधिक होना।
3. परिवार की वार्षिक आय एक लाख से अधिक होना।

(ङ) विभाग द्वारा निरस्त राशन कार्ड को पुनः चालू करने हेतु कैम्प में प्राप्त 101 आवेदन जिला शिकायत निवारण अधिकारी के पास पुनः निर्देश देने हेतु भेजे गए हैं। सूची सी.डी. में संलग्न* है; और

(च) विभाग द्वारा पहले आओ पहले पाओ की कार्यशैली पर नये राशन कार्ड बनाये जा रहे हैं।

95. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या **माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली छावनी विधान सभा में 2015 से अब तक कितने राशन कार्ड बनवाए गए, इसकी संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाए;

(ख) सन् 2014 से आज तक राशन कार्ड बनवाने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए, इनमें से कितनों को राशन कार्ड प्रदान किया गया, कितने आवेदन अभी लम्बित है और किस कारण से;

(ग) कब तक शेष आवेदकों को राशन कार्ड प्रदान किए जाएंगे;

(घ) राशन कार्ड आवेदन स्वीकृत करने के लिए बिजली के बिल की अनिवार्यता लागू करने का क्या कारण है, पूर्ण विवरण दें; और

(ङ) बिजली का बिल न होने की दशा में और किन दस्तावेजों के आधार पर राशन कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है, संपूर्ण जानकारी की जाए?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः (क) दिल्ली छावनी विधान सभा क्षेत्र में 2015 से अब तक कुल 928 राशन कार्ड बनाये गए हैं। सूची संलग्न है;

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(ख) सन् 2014 से आज तक राशनकार्ड बनवाने हेतु कुल 15344 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 14886 आवेदकों को राशनकार्ड प्रदान किये गये, और 458 आवेदन अभी लम्बित हैं जिनके निपटान की प्रक्रिया अभी जारी है;

(ग) राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया सतत् जारी है;

(घ) दिल्ली सरकार की नीति के अनुसार यदि परिवार में बिजली का कनैक्शन दो किलोवाट से ज्यादा का है तो वह आवेदन स्वीकृत नहीं किया जा सकता; और

(ङ) राशन कार्ड बाने के लिए आवेदन पत्र से साथ निम्न दस्तावेज संलग्न* किए जाते हैंः–

1. परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड/ईआईडी की कॉपी।
2. आवेदक के निवास प्रमाण–पत्र की कॉपी यदि आवेदन में दिया हुआ पता, आधार कार्ड में दिए हुए पते या राशन कार्ड के पते से भिन्न है;
3. राजस्व विभाग द्वारा जारी किया हुआ आय प्रमाण–पत्र जहां आवश्यक हो।

96. श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः क्या **माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि राजौरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र में राशन माफिया के कारण क्षेत्रवासियों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है;

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(ख) क्या यह भी सत्य है कि राशन माफिया के कारण दुकानदारों द्वारा कार्ड धारकों से दुर्व्यवहार किए जाने, निर्धारित मात्रा से कम राशन दिए जाने की शिकायतें मिलती रहती हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस तरह के माफियाओं के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई की है;

(घ) क्या यह सत्य है कि इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए कोई नीति बनाने पर सरकार विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः (क) जब भी किसी उचित दर दुकान की शिकायत आती है, उस पर तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाती है और समय–समय पर अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण भी किया जाता है;

(ख) उपरोक्त 'क' के अनुसार;

(ग) उपरोक्तानुसार;

(घ) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2015, तथा दिल्ली सरकार के नियंत्रण आदेश, 1981 के प्रावधानों के अनुसार नीति लागू है; और

(ङ) उपरोक्त 'घ' के अनुसार।

97. श्री पंकज पुष्करः क्या **माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि वर्ष 2017–18 की अवधि में बायोमैट्रिक पद्धति से राशन कार्ड धारकों को राशन वितरण किया गया; और

(ख) तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र की समस्त दुकानों पर जो उपभोक्ता राशन लेने नहीं आए, उन सभी उपभोक्ताओं का विवरण एवं जिस उचित दर दुकान से उनका कार्ड संबंधित था, उसका पूरा विवरण सूची में उपलब्ध करवाएं?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः (क) हां। दिल्ली में 01.01.2018 से 25.04.2018 की अवधि में बायोमैट्रिक पद्धति से राशन वितरण किया गया; और

(ख) तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र के समस्त दुकानों पर उन राशनकार्डधारियों (4176 राशन कार्ड) का विवरण, जिन्होंने जनवरी, 2018 से मार्च, 2018 तक लगातार तीन महीने बायोमैट्रिक पद्धति से राश नहीं लिया, विवरण संलग्न* है।

98. श्री शिवचरण गोयलः क्या **माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मोतीनगर विधान सभा क्षेत्र में नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया कब तक शुरू कर दी जाएगी;

(ख) क्या पुराने राशन कार्डों में संशोधन/नाम जोड़ने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है;

(घ) मोती नगर विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण क्या है;

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(ङ) क्या मोती नगर विधान सभा में राशन की चोरी पर लगाम लगाने हेतु विभाग द्वारा कोई छापेमारी/निरीक्षण किया गया;

(च) यदि हां, तो मार्च, 2015 से अब तक इस संबंध में हुई कार्रवाई का विवरण क्या है; और

(छ) इस अवधि के दौरान दोषी पाए गए राशन दुकानदारों और विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः (क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, के अंतर्गत राशन कार्ड बनाना एक सतत् प्रक्रिया है;

(ख) राशन कार्डों में संशोधन/नाम जोड़ना एक सतत् प्रक्रिया है;

(ग) उपरोक्त ख अनुसार;

(घ) 1. श्री मदनलाल – खाद्य एवं संभरण अधिकारी।

2. श्री हेमन्त अग्रवाल – खाद्य एवं संभरण अधिकारी।

3. श्री लक्ष्य वर्मा – वरिष्ठ सहायक।

4. श्री नेमू लाल राम – कनिष्ठ सहायक।

5. श्री पोली राम – चपरासी।

(ङ) मोती नगर विधान सभा क्षेत्र में समय–समय पर राशन की चोरी पर लगाम लगाने हेतु विभाग द्वारा छापेमारी/निरीक्षण किया जाता है;

(च) मार्च, 2015 से अब तक मोती नगर मंडल कार्यालय के अंतर्गत दो उचित दर दुकान संख्या 3274 मैसर्स तुलसी राम तथा संख्या 1946 मैसर्स

नत्थु सिंह लक्षमण सिंह को वर्ष 2018 में निलंबित तथा बाद में इसी वर्ष रद्द किया गया; और

(छ) उपरोक्त च के अनुसार।

99. श्री सोमनाथ भारतीः क्या **माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में कितने नये राशन कार्ड बनाए गए;

(ख) राशन कार्डों में कितने नये सदस्य जोड़े गए;

(ग) ऐसे कितने अनुरोध पत्र लंबित हैं; और

(घ) प्रत्येक आवेदन पत्र के लम्बित होने के कारण बताते हुए इसकी सूची उपलब्ध कराएं?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः (क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लागू होने के बाद मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में 6459 राशन कार्ड बनाए गये हैं;

(ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लागू होने के बाद मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में 3345 नये सदस्य राशन कार्डों में जोड़े गए;

(ग) मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में नये सदस्य जोड़ने के 266 अनुरोध पत्र लंबित हैं; और

(घ) प्रत्येक आवेदन पत्र का निपटारा पहले आओ पहले पाओ First come first serve के आधार पर किया जाता है तथा 266 लंबित आवेदनों की सूची संलग्न है।

100. श्री एस.के. बग्गाः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली में जीएसटी के अंतर्गत कितने व्यापारी पंजीकृत हैं;

(ख) कितने सो–मोटो आर.सी. कैंसल्ड किए हैं, उनका क्या कारण रहा है, पूर्ण विवरण दें;

(ग) वैट के अंतर्गत कितने व्यापारियों के रिफंड पेंडिंग पड़े हैं, एमाउंट वाइज व्यापारी के नाम सहित, किस–किस वर्ष का रिफंड पेंडिंग पड़ा है, उसका पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध करें;

(घ) जीएसटी डिपार्टमैंट में टोटल कितने इंस्पेक्टर कार्यरत हैं, उनके कार्य क्षेत्र क्या हैं; और

(ङ) वैट के अंतर्गत 30.06.2019 तक कितने ऑबजेक्शंस पैंडिग पड़े हैं, कितना एमाउंट इंवॉल्वड है, ईयर वाइज, जोन वाइज ब्यौरा देने का कष्ट करें;

(च) जीएसटी के अंतर्गत वर्ष 2017–18 व 01.04.2018 से 30.06.2019, कितने जीएसटी रिफंड व्यापारियों को दिए गए, उसका पूर्ण ब्यौरा देने का कष्ट करें;

(छ) वैट के लेट रिफंड करने पर व माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर से वर्ष 2014–15, 2015–16 व 2016–17 के रिफंड ऑर्डर पर कितना ब्याज व्यापारियों को दिया गया है, ईयर वाइज ब्यौरा देने का कष्ट करे;

(ज) वैट सिस्टम के असेसमैंट 2014–15 टू (अप टू 30.06.17) की कितना एडिशनल डिमांड निकाली गयी हैं, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, पूरा ब्यौरा ईयर वाइज देने का कष्ट करें;

(झ) वैट के अंतर्गत वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17 व 30.06.17 तक की कितनी ऑब्जेक्शंस पेंडिंग पड़ी हैं, उन ऑब्जेक्शंस में कितना टैक्स, इंटरेस्ट व पेनल्टी इंवॉल्वड है, ईयर वाइज, जोन वाइज ब्यौरा देने का कष्ट करें; और

(ञ) वर्ष 2017–18 व अप टू 30.06.19 तक कितने व्यापारियों पर एनफोर्समेंट टीम ने निरीक्षण किया व इन निरीक्षणों में कितनी टैक्स चोरी पकड़ी गई है, कृपया ब्यौरा देने का कष्ट करें?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) दिल्ली में जीएसटी के तहत कुल 7,89,887 व्यापारी पंजीकृत हैं। इसका विवरण इस प्रकार हैः–

सामान्य टैक्स पेयर	–	7,66,050
कॉम्पोजिट टैक्स पेयर	–	19,398
इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर	–	1,302
केजुअल टैक्य पेयर	–	134
टैक्स कलेक्टर एट सोर्स	–	693
टैक्स डिडक्टर एट सोर्स	–	2,308
नोन रेजिडेन्ट टैक्स पेयर	–	02
कुल	–	7,89,887

(ख) जीएसटीएन पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1 जुलाई, 2017 से 16 अगस्त, 2019 तक कुल 5727 सो–मोटो आरसी कैन्सल किए गए हैं। यह आरसी कैंसिलेशन जीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 29 में दिये गए कारणों के अंतर्गत किए गए हैं जैसे कि फर्म का रैजिस्टर्ड पते पर

न पाया जाना, व्यापारी द्वारा लगातार 6 महीने या अधिक की रिटर्न जमा न करना, व्यापारी द्वारा जानबूझकर गलत जानकारी देना अथवा जानकारी छुपाकर जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना, जीएसटी एक्ट तथा नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करना इत्यादि;

(ग) वैट के अंतर्गत 39583 व्यापारियों के 1898 करोड़ रुपए के रिफंड लंबित है। डी वैट एक्ट 2004 के सेक्शन 98 के तहत रैजिस्टर्ड व्यापारियों के द्वारा जमा किए गए रिटर्न, लेखा जोखा एवं रिकॉर्ड में दिये गए विवरण व जानकारी गोपनीय हैं, अतः व्यापारियों के नाम तथा रिकॉर्ड/रिफंड का ब्यौरा प्रदान नहीं किया जा सकता;

(घ) जीएसटी डिपार्टमेंट में कुल 84 इंस्पेक्टर कार्यरत हैं। उनके कार्यक्षेत्र की सूची अनेक्स्चर क संलग्न है; और

(ङ) वैट के अंतर्गत 30.06.2019 तक कुल 33329 ऑबजेक्शन पेंडिंग पड़े हैं जिसमें 1425.40 करोड़ रुपए टैक्स व इंटरेस्ट तथा 725.32 करोड़ रुपए पेनाल्टी ईन्वोल्व्ड है। इयर वाइज़ व ज़ोन वाइज़ ब्यौरा अनेक्स्चर ग में संलग्न है;

(च) जीएसटी के अंतर्गत दिये गए रिफंड का ब्यौरा निम्न प्रकार हैः

वर्ष	रिफंड की संख्या	रिफंड राशि (करोड़ रुपए)
2017–18	66	3.84
2018–19	10042	225.39
2019–20	5246	173.26
कुल	15354	402.49

(छ) वैट सिस्टम के अनुसार 2014–15 से 30.06.2017 तक का ब्यौरा निम्न प्रकार हैं:–

वर्ष	रिफंड की संख्या	रिफंड राशि (रुपए में)	ब्याज (रुपए में)
2017–18	13208	4,94,73,83,159	7,56,11,884
2018–19	9334	4,24,67,66,936	1,09,82,032
2019–20	7303	3,90,52,09,411	1,87,61,159
कुल	29845	13,09,93,59,506	10,53,55,075

(ज) वैट सिस्टम के अनुसार 2014–15 से 30.06.2017 तक निकाली गयी कुल डिमांड इस प्रकार हैः–

(क) टैक्स : 13,176/– करोड़ रु.

(ख) इंटरेस्ट : 6,564/– करोड़ रु.

(ग) पेनल्टी : 3,011/– करोड़ रु.

(घ) टोटल : 22,751/– करोड़ रु.

वर्षानुसार ब्यौरा अनेक्चर ख में संलग्न है।

(झ) वैट के अंतर्गत कुल 20131 आवेदन पैंडिंग पड़े हैं जिसमें कर, ब्याज व पेनाल्टी मिलकर कुल 847.10 करोड़ रुपए ईन्वोल्व्ड हैं। ज़ोन वाइज़ व इयर वाइज़ ब्यौरा अनेक्स्चर 'ग' में संलग्न है।

((ञ)) वर्ष 2017—18 व अप टू 30.06.19 तक 322 व्यापारियों पर एनफोर्समेंट टीम ने निरीक्षण किया व इन निरीक्षणों में निरीक्षण टीम द्वारा प्रारंभिक रूप से पता लगाई गई अनुमानित कर चोरी निम्न प्रकार हैं:—

वर्ष	संख्या	राशि (करोड़ रुपए)
2017—18	170	12.63
2018—19	140	45.31
2019—20 30.06.19 तक	12	1.93
कुल	322	59.87

अनेक्स्चर "क"

Details of GST Inspectors posted in different Wards/Sections of Department of Trade & Taxes

Sl. No.	Name	Place of Posting/Ward No.
1	2	3
1.	Ravi Trehan	1, 3
2.	Inderjit Rana	2, 12, 14 & 16
3.	Naveen Kumar Dagar	5
4.	Charanjit	6, 4
5.	Rajdeep Malik	7

1	2	3
6.	Pankaj	8, 9
7.	Ashok Kumar	13, 15
8.	Neetu Juneja	17, 18
9.	Pranesh Gautam Singh	19, 20
10.	Navneet Malhotra	21, 22
11.	Rajat Yadav	23, FM Branch
12.	Amit Mathur	26, 27
13.	Yogender Kumar Saini	28, 31 & 35, 24
14.	Subhash Dutt	29, 30, 32, 25
15.	Rahul Dhaka	33
16.	Pawan Kumar Singh	34
17.	Rajesh Kumar	38, 39, 36 & 37
18.	Nitish Khattar	40
19.	Nitish Sharma	41
20.	Jagdish Prasad Sharma	43, 44
21.	Kavita Bajaj	45, 54
22.	Adarsh Grover	46, 47
23.	Anup Ahuja	48, 49 & 50
24.	Deepa Nagpal	51, 55
25.	Raj Bala Dahiya	52, 53

1	2	3
26.	Ashok Batra	56
27.	Gurjeet Singh	59, 58
28.	Vinod Kr. Mishra	61, 62
29.	Ashok Kumar Gulati	61
30.	Kuldeep Sharma	63
31.	Rajesh Sehrawat	63, Entertainment
32.	Raju Tripathi	63
33.	Nitin Lochhab	63
34.	Jaspal Singh	64, 60, 57
35.	Rama Rajput	65
36.	Mahabir Singh	65
37.	Virender Prakash	66, 70
38.	Pawan Kumar	67
39.	Naresh Kumar Rudola	71
40.	Narender Singh	72
41.	Vinod Popli	73, 69, 68
42.	Ch. Jaya Raju	74, 75
43.	Nitin Tomar	76
44.	Paras Goel	77
45.	Rajesh Kumar Sharma	79, 78

1	2	3
46.	Rajiv Yadav	83
47.	Brij Mohan	84, 95
48.	Anantjay Bhatt	85, 86, 99
49.	Krishna Kautia	87
50.	Rajinder Sidhu	88
51..	Mahabir Singh	89, 93
52.	Mukesh	90, 92
53.	Nikhil	91
54.	Pankaj Sharma	94
55.	Anand Kataria	96, 97
56.	Subha Brato Das	98, Entertainment & Luxury Betting Tax (100)
57.	J.B. Sandhu	101
58.	Suresh Kumar	102, 103
59.	Chander Kant Sharma	104, E-II
60.	Param Singh	105, 106
61.	Geeta Kashyap	Accounts Branch
62.	Neena Kharbanda	Accounts Branch
63.	Sundari Narayan Murthy	Delhi Authority for Advance Ruling
64.	Gurmeet Singh	E-I

1	2	3
65.	Rajesh Kumar Batra	E-I
66.	Pankaj Kumar Yadav	E-II
67.	Ram Kesh	FM Branch, 10 & 11
68.	Ashok Kumar Paswan	FM Branch
69.	M Subramany	HR Branch
70.	Bankesh Chander	HR Branch, 80 to 82
71.	Kiran Mai	HR Branch
72.	Tulsi Samvedi	HR Branch
73.	Neetu Kumari	HR Branch
74.	Kamlesh Chugh	KCS (201, 204, 207 & 208)
75.	Naveen Kumar Meena	KCS (202, 203, 205 & 206)
76.	Yashpal Bajaj	Pension Branch
77.	Mamta Nasa	Pension Branch
78.	Uma Sharma	Recovery Branch
79.	Poonam Gahlot	Policy Branch
80.	Yogesh Raj	Pr. Branch of Sh. Rajesh Goyal, ACTT
81.	Narender Rai Khatri	Spl Zone
82.	Pankaj Kumar	Spl Zone
83.	Pankaj Gupta	Vigilance
84.	Ravinder Singh	Vigilance Branch

अनेक्स्चर "ख"

Additional Demand, Tax, Interest & Penalty for CST

Type	Year	No. of Cases (Demand)	Tax	Interest	Penalty	Total (Tax + Interest + Penalty)
CST	2014-15	186504	61,58,03,09,251	38,53,41,05,455	40,02,55,870	1,00,51,46,70,576
CST	2015-16	10209	2,17,03,44,471	68,85,76,640	31,84,30,495	3,17,73,51,606
CST	2016-17	6098	2,22,85,86,806	40,57,89,360	17,90,08,189	2,81,33,84,355
CST	2017-18 (First Quarter)	2136	79,15,54,916	12,14,05,608	8,49,68,890	99,79,29,414
	Total	204947	66,77,07,95,444	39,74,98,77,063	98,26,63,444	1,07,50,33,35,951

Additional Demand, Tax, Interest & Penalty for VAT

Type	Year	No. of Cases (Demand)	Tax	Interest	Penalty	Total (Tax + Interest + Penalty)
DVAT	2014-15	73201	31,47,08,15,038	15,28,30,59,890	16,71,75,95,671	63,47,14,70,600
DVAT	2015-16	49609	16,99,87,11,528	6,66,18,91,918	5,97,52,43,945	29,63,68,47,391
DVAT	2016-17	14331	13,40,01,33,765	3,37,91,12,490	5,44,03,49,473	22,21,95,95,728
DVAT	2017-18 (First Quarter)	2991	3,12,55,07,776	56,64,11,892	99,70,20,574	4,68,89,40,242
	Total	140132	64,99,51,68,108	25,89,04,76,190	29,13,12,09,663	1,20,01,68,53,961

Total Additional Demand, Tax, Interest & Penalty (VAT + CST)

Type	Year	No. of Cases (Demand)	Tax	Interest	Penalty	Total (Tax + Interest + Penalty)
	Total	345079	1,31,76,59,63,552	65,64,03,53,253	30,11,38,73,107	2,27,52,01,89,912

Statement Showing Institution, Disposal and Pendency of Objections upto 2019-20

Zone No.	Upto 2013-14			2014-15		
	Cases	Amount (Rs. in Lakh)		Cases	Amount (Rs. in Lakh)	
		Tax & Interest	Penalty		Tax & Interest	Penalty
1	752	6463.72	1871.88	227	378.21	251.22
2	82	10381.05	687.55	25	332.76	125.76
3	721	1837.33	744.35	170	295.49	144.57
4	89	3209.29	941.2	35	256.77'	177.66
5	222	4028.55	707.54	65	293.55	19.9
6	350	3863.94	2114.72	116	295.03	137.08
7	322	291.74	286.01	201	107.39	93.38
8	428	731.36	288.61	85	21.61	32.97
9	652	3972.15	2291.35	283	2912.37	1013.87
KCS	299	53219.73	30586.75	90	24051.35	13847.08
SOHA	8987	528.32		3710	944.1	
Enf I & II	294	741.6	573.44	62	233.19	234.78
Embassy Refund						
E Comm.				4	266.95	6.05
Total	13198	89268.78	41093.4	5073	30388.77	16084.32
Total Cases 33329		Tax & Interest 142540.2 (lakh)			Penalty 72531.59 (lakh)	

अनेक्स्चर "ग"

2015-16			2016-17			2017-18 (Upto June 2017)		
Cases	Amount (Rs. in Lakh)		Cases	Amount (Rs. in Lakh)		Cases	Amount (Rs. in Lakh)	
	Tax & Interest	Penalty		Tax & Interest	Penalty		Tax & Interest	Penalty
78	1130.31	886.94	68	289.55	202.5	22	104.74	17.21
18	275.81	113.34	16	232.34	117.24	2	24.9	20.64
77	154.67	114.57	75	208.95	126.51	27	63.84	44.96
15	288.14	156.77	2	20.99	15.94	5	113.26	32.35
4	65.67	7.78	3	30.65	0.32	1	3.61	
45	188.94	98.48	17	129.73	93.39	7	825.61	716.07
216	35.43	42.52	239	48.68	53,2	123	76.21	42.83
19	12.15	7	35	44.17	15.66	2	0	1
54	1963.95	297.49	56	1609.21	544.99	15	1000.01	777.74
35	11180.74	10575.73	12	458.86	10.01	5	1919.61	62.7
91	10.56		500	102.69		13073	64.55	
48	107.78	89.6	29	62.75	35.28	18	19.43	33.11
			1	1.16		5	13.04	
700	15414.15	12390.22	1053	3239.73	1215.04	13305	4228.81	1748.61

101. श्री प्रकाश जारवालः क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देवली विधान सभा क्षेत्र में आबकारी विभागी द्वारा गैर कानूनी नशे के बढ़ते व्यापार पर क्या कोई कार्रवाई की गयी;

(ख) यदि हां, तो विवरण दें; और

(ग) कितनी दुकानें सस्पैंड एवं कैंसल की गई?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) देवली विधान सभा क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री करने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2019 में (19.08.2019 तक) विभाग द्वारा कुल 18 मुकदमें सम्बन्धित थानों में पंजीकृत कराये है तथा कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) उपरोक्तानुसार; और

(ग) शून्य।

102. श्री विजेन्द्र गुप्ताः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में शराब की अवैध तस्करी और गतिविधियों की जांच के लिए सरकार ने इस वर्ष क्या कदम उठाए;

(ख) खुले इलाके में शराब पीने और शराबियों द्वारा अराजक स्थिति पैदा करने की शिकायतों के मद्देनजर सरकार द्वारा कब–कब अभियान चलाया गया;

(ग) गत चार वर्षों में इन गतिविधियों के लिए क्रमानुसार कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया;

(घ) दिल्ली सरकार ने अपने कार्यकाल में अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए कितने ठिकानों पर छापे मारे;

(ङ) अवैध शराब की बिक्री करने वाले कितने लोगों के खिलाफ मुकदमें दर्ज कराये गए; और

(च) अवैध शराब की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार द्वारा व्यापक स्तर क्या कार्रवाई की गई?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) इस विभाग की ई.आई.बी. शाखा द्वारा वर्ष 2019 (19.08.2019 तक) कुल अवैध शराब की तस्करी करने वालों के खिलाफ कुल 566 मुकदमें पंजीकृत किए गए है तथा 567 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

(ख) विभाग द्वारा समय–समय पर खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाती रही है। पहले चरण में 07.11.2016 से 31.12.2017 तक, दूसरे चरण में 01.11.2018 से 31.01.2019 तक व तृतीय चरण में 02.08.2019 से 15.08.2019 तक विशेष अभियान चलाकर खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

(ग)
- 07.11.2016 से 31.12.2017 तक 1707 कलन्दरा बनाये गये व 3118 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 01.11.2018 से 31.01.2019 तक 272 कलन्दरा बनाये गये व 495 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 02.08.2019 से 15.08.2019 तक 277 कलन्दरा बनाये गये व 558 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

(घ) से (च) विभाग द्वारा पिछले 5 वर्षों में अवैध शराब की बिक्री करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नवत है—

वर्ष	कुल मुकदमें दर्ज	पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या	पकड़ गई बोतलों की संख्या
2014—15	747	777	2,09,323
2015—16	882	900	2,27,387
2016—17	853	872	3,46,791
2017—18	890	892	3,22,544
2018—19	806	823	3,65,391
2019—20 (18.08.19 तक)	323	339	1,33,160

103. श्री विजेन्द्र गुप्ताः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2015—16, 2016—17, 2017—18 तथा 2018—19 में आबकारी से प्रत्येक वर्ष कितना राजस्व प्राप्त हुआ;

(ख) वर्ष 2019—20 के लिए सरकार ने कितना लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) आबकारी से उपरोक्त वर्षों के मुकाबले पिछले वित्तीय वर्ष में कितने प्रतिशत आय वृद्धि हुई है; और

(घ) आयात परमिट और परिवहन परमिट को ट्रैक करने के लिए तथा बूटलैगिंग को कम करने में दिल्ली पुलिस की मदद के लिए (ईएससीआईएमएस) (उत्पाद आपूर्ति शृंखला सूचना प्रबंधन प्रणाली) में ऑनलाइन विन्डों का क्या स्टेटस है?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क)

- वर्ष 2015–16 में राजस्व–4238.32 करोड़।
- वर्ष 2016–17 में राजस्व–4244.50 करोड़।
- वर्ष 2017–18 में राजस्व–4551.57 करोड़।
- वर्ष 2018–19 में राजस्व–5028.17 करोड़।

(ख) वर्ष 2019–20 के लिए सरकार ने 6000 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है।

(ग) आबकारी से वित्तीय वर्ष वृद्धिः–

- वर्ष 2015–16 में राजस्व–23.84%
- वर्ष 2016–17 में राजस्व–0.13%
- वर्ष 2017–18 में राजस्व–7.24%
- वर्ष 2018–19 में राजस्व–10.47% हुई है।

(घ) आयात परमिट और परिवहन परमिट ऑनलाईन ईएससीआईएमएस पोर्टल से स्वतः अनुमोदित एवं निर्गमन होती है। फिलहाल इनको ट्रैक करने के लिए दिल्ली पुलिस को ईएससीआईएमएस में कोई ऑनलाईन विंडों देने का कोई प्रावधान नहीं हैं।

104. श्री राजेश गुप्ताः क्या **माननीय पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वजीरपुर विधान सभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी और दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों ने कितने पेड़ लगाए;

(ख) छठी विधान सभा में वजीरपुर विधान सभा में कितने पेड़ लगें;

(ग) कौन–कौन से पेड़ सड़कों के किनारे और बीच में लग सकते हैं;

(घ) किसी पेड़ के कभी भी गिरने की आशंका होने पर उस पेड़ को कैसे कटवाया जा सकता है;

(ङ) ऐसे पेड़ को कटवाने में कितना समय लगता है;

(च) पेड़ की डाली मोटी हो जाए, पर गिर सकती हो, तो आकस्मिकता को देखते हुए कैसे काटा जाए; और

(छ) फिलहाल ऐसे खतरनाक पेड़ वजीरपुर विधान सभा में कितने है?

माननीय पर्यावरण मंत्रीः (क) वन एवं वन्य जीव विभाग के अंतर्गत कोई भूमि वजीरपुर विधान सभा क्षेत्र में नहीं है इसलिए कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया है। यद्धपि उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा 850 पेड़ तथा शिक्षा विभाग द्वारा 430 पेड़ लगाए गए हैं।

(ख) उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा 850 पेड़ व 1540 झाड़ियां/शर्ब तथा शिक्षा विभाग द्वारा 1723 पेड़ स्कूलों में लगाए गए हैं।

(ग) देशी प्रजातियों के पेड़ झाड़ियों और औषधि पौधे सड़कों के किनारे और बीच में लग सकते हैं।

(घ) से (च) दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा (8) के अनुसार यदि किसी वृक्ष से किसी प्रकार के जान या माल के खतरे की सम्भावना हो अथवा यातायात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो, तो भूमि का मालिक ऐसे वृक्षों को तुरन्त गिरवा सकता है और इस सम्बन्ध में सूचना संबंधित वृक्ष अधिकारी को 24 घंटे के अन्दर देनी अनिवार्य है।

(छ) फिलहाल वन विभाग में ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

105. श्री महेन्द्र गोयलः क्या **माननीय पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले दिनों दिल्ली में प्रदूषण स्तर बढ़ने का मुख्य कारण क्या था;

(ख) क्या यह सत्य है कि पड़ोसी राज्यों के पराली जलाने से प्रदूषण की मात्रा में हर वर्ष वृद्धि होती है;

(ग) पिछले चार वर्षों में पड़ोसी राज्यों से बढ़ने वाले प्रदूषण की औसत मात्रा क्या रही है; वर्ष–वार विवरण दें;

(घ) क्या विभाग द्वारा ऐसा प्रयास किया गया कि पड़ोसी राज्य पराली न जलाएं;

(ङ) क्या यह सत्य है कि प्रदूषण के नाम पर एनजीटी द्वारा छोटे–मझोले व्यापारियों के मनमाने चालान किए जा रहे हैं;

(च) दिल्ली में कुल प्रदूषण का कितना प्रतिशत पड़ोसी राज्यों के कारण है;

(छ) एनजीटी ने पड़ोसी राज्यों में एक वर्ष में कितने चालान किए या नोटिस दिए; पूर्ण जानकारी दी जाए; और

माननीय पर्यावरण मंत्रीः (क) दिल्ली में वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत इस प्रकार हैः–

- वाहनों का प्रदूषण
- सड़क और मिट्टी की धूल
- निर्माण व विध्वंस गतिविधियों के कारण उत्पन्न धूल
- सूखे पत्तों/कचरे आदि का जलना
- पड़ोसी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फसल अवशेषों को जलाने के कारण प्रदूषकों की मात्रा में वृद्धि होती है।
- औद्योगिक इकाई/थर्मल पावर स्टेशन।

इसके अलावा मौसम की स्थिति/परिवर्तन भी प्रमुख कारण हैं।

(ख) से (घ) • सरकार द्वारा उठाए गए कदमों जैसे किसानों का पराली न जलाने के लिए जन जागरुक करने एवं कृषि उपकरण और Happy Seeder के लिए सब्सिडी दी जाती है।

• विगत चार वर्षों में डीपीसीसी द्वारा मोनिटर किया गया Continuous ambient air quality data संलग्न है (संलग्नक–I)

(ङ) इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(च) इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(छ) इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

संलग्नक—I

Yearly City Average* of Various Pollutants of DPCC CAAQMS [2015 = 2019 (Till July)]

Year	PM_{10} (ug/m^3)	$PM_{2.5}$ (ug/m^3)	SO_2 (ug/m^3)	NO_2 (ug/m^3)	O_3 (ug/m^3)	NH_3 (ug/m^3)	CO (mg/m^3)	C_8H_6 (ug/m^3)
2015	295	133	18	71.96	45.11	43.97	1.51	4.41
201S	303	137	21	71.63	39.78	43.16	1.84	6.28
2017	277	130	23	74.01	43.60	37.99	2.07	5.20
2018	277	128	19	50.00	38.57	40.00	1.52	3.10
2019 (till July)	236	101	17.63	50.30	40.16	37.28	1.41	4.17

*Yearly City Average of 4 stations except 2018-2019 (24 stations average)

106. श्री प्रकाश जारवालः क्या **माननीय पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देवली विधान सभा में वन विभाग की कितनी जमीन है;

(ख) क्या इस पर बाउंड्री बॉल करने की परियोजना है;

(ग) यदि हां, तो विवरण दे;

(घ) इस क्षेत्र में सरकारी व गैर—सरकारी जमीनों पर कुल कितने पेड़ हैं;

(ङ) इस क्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर अनिधिकृत कब्जे हटाने के संदर्भ में कब, कहां और क्या कार्रवाई की गई; और

(च) देवली विधान सभा में वन विभाग की भूमि को चिन्हित किया जा चुका है या नहीं?

माननीय पर्यावरण मंत्रीः (क) रेवेन्यू विभाग के द्वारा नयी निशानदेही के अनुसार देवली गांव में वन विभाग की भूमि का क्षेत्रफल 5631 बिघा 03 बिस्वा है।

(ख) हां।

(ग) देवली में 24353 मीटर की चारदीवारी बनाने की योजना है। और 5408 मीटर अर्धस्थायी बाड़ (Semi-permanent fencing) बनने की योजना है।

(घ) सरकारी व गैर–सरकारी जमीनों पर वृक्षों की संख्या प्राकृतिक होने के कारण परिवर्तन शील है एवं वृक्ष आवरण, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार, जिले–वार उपलब्ध है जो कि अनुच्छेद–अ पर संलग्न* है।

(ङ) नये अनाधिकृत कब्जे को तुरन्त ही हटा दिया जाता है। पुराने अनाधिकृत कब्जे जो कि रेवेन्यू विभाग के द्वारा दर्शाये गये हैं। उन को हटाने के लिए एसटीएफ को पत्र लिखा जा चुका है। सूची की प्रतिलिपि अनुच्छेद पर संलग्न है।

(च) देवली गांव में वन विभाग की बाहरी सीमा को रेवेन्यू विभाग के द्वारा चिन्हित किया जा चुका है।

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

अनुच्छेद–अ

District	Geographical Area	2017 Assessment			% of Total	Charge* GA	Scrub	
		Very Dense Forest	Mod. Dense Forest	Open Forest				
Central Delhi	25	0	2 08	2.86	4.94		-0.20	0
East Delhi	64	0	1.05	2.65	3.7	5.78	042	0
New Delhi	35	1.69	5.47	9.25		46.89		0
North Delhi	59	0	2.83	1.75	4.58	7.76	0.05	0
North-East Delhi	60	0	0.99	2.99	3.98	6 63	0.01	0
North-West Delhi	440	0.09	8.72	8.74	17.55	3.99	0.51	0.06
South Delhi	250	2.59	17.68	63.08	83.35	33.34	1.21	0.56
South-West Delhi	421	2.35	14.86	53.89	51.1	12.14	2 56	0.05
West Delhi	129	0	2.56	4.24	68	5.27	-0.02	0
Grand Total	1,483	6.72	56.24	129.45	192.41	12.97	3.64	0.67

*Change compared to updated 2015 assessment

अनुच्छेद–ब

Forest List Village Devli

Sl. No.	Block No.	Khasra No.	Forest area as per list	Encroached area as per list	Remark
1	2	3	4	5	6
1	20	22	4-06	4-06	Unauthorised Colony
2	20	23/1	3-00	3-00	Unauthorised Colony
3	21	25/2	0-19	0-19	Unauthorised Colony
4	25	22/1	1-10	1-10	Unauthorised Colony
5	38	3/1	3-13	3-13	Unauthorised Colony
6	38	8/2	1-19	1-19	Unauthorised Colony
7	40	21	4-18	4-18	Unauthorised Colony
8	40	26	10-10	10-10	Unauthorised Colony
9	41	9	3-05	3-05	Unauthorised Colony
10	41	10	6-08	6-08	Unauthorised Colony
11	41	11	6-06	6-06	Unauthorised Colony
12	41	16	4-00	4-00	Unauthorised Colony
13	41	17	5-10	5-10	Unauthorised Colony
14	41	20/1	2-02	2-00	Unauthorised Colony
15	41	21/2	0-13	0-13	Unauthorised Colony
16	41	24	6-00	6-00	Unauthorised Colony

1	2	3	4	5	6
17	41	25	4-13	4-12	Unauthorised Colony
18	42	5/2	2-13	2-13	Unauthorised Colony
19	42	6	4-16	4-16	Unauthorised Colony
20	42	7/1	1-03	1-03	Unauthorised Colony
21	42	10/2	0-07	0-07	Unauthorised Colony
22	42	11/1	2-13	2-13	Unauthorised Colony
23	42	14	4-05	4-05	Unauthorised Colony
24	42	15	4-16	4-16	Unauthorised Colony
25	42	16/1	2-04	2-04	Unauthorised Colony
26	42	17	4-15	4-15	Unauthorised Colony
27	42	20	5-00	5-00	Unauthorised Colony
28	42	21	4-16	4-16	Unauthorised Colony
29	42	22/1	2-04	2-04	Unauthorised Colony
30	42	25/2	2-16	2-16	Unauthorised Colony
31	43	6	5-00	5-00	Unauthorised Colony
32	43	7/1	3-00	3-00	Unauthorised Colony
33	43	15/1	4-06	4-06	Unauthorised Colony
34	43	16/1	1-15	1-15	Unauthorised Colony
35	43	21/2	1-12	1-12	Unauthorised Colony
36	43	22/2	2-12	2-12	Unauthorised Colony

1	2	3	4	5	6
37	43	23/2	1-00	1-00	Unauthorised Colony
38	43	25/2	0-09	0-09	Unauthorised Colony
39	44	11/1	2-10	2-10	Unauthorised Colony
40	44	12	4-16	4-16	Unauthorised Colony
41	44	19	3-16	3-16	Unauthorised Colony
42	44	22	3-07	3-07	Unauthorised Colony
43	44	23/1	1-12	1-12	Unauthorised Colony
44	44	24/2	1-04	1-04	Unauthorised Colony
45	45	23	1-02	1-02	Unauthorised Colony
46	45	27	10-04	10-04	Unauthorised Colony
47	46	4/2	4-13	4-13	Unauthorised Colony
48	46	6/2	1-00	1-00	Unauthorised Colony
49	46	7	4-00	4-00	Unauthorised Colony
50	46	15	7-04	4-16	Unauthorised Colony
51	46	16	7-04	4-16	Unauthorised Colony
52	46	17	2-08	2-08	Unauthorised Colony
53	46	24/2	2-00	2-00	Unauthorised Colony
54	46	25	4-16	4-16	Unauthorised Colony
55	49	3/1	2-00	0-03	Unauthorised Colony
56	49	6/2	1-15	0-16	Unauthorised Colony

1	2	3	4	5	6
57	56	2	4-16	0-05	Unauthorised Colony
58	56	3	4-16	4-06	Unauthorised Colony
59	56	18/2	3-00	1-04	Unauthorised Colony
60	56	21/2	4-04	1-00	Unauthorised Colony
61	58	3	5-09	5-09	Unauthorised Colony
62	58	8	6-09	5-00	Unauthorised Colony
63	58	13	5-06	1-10	Unauthorised Colony
64	58	14	3-13	1-10	Unauthorised Colony
65	58	15	4-12	0-12	Unauthorised Colony
66	58	18	4-16	0-12	Unauthorised Colony
67	58	23	4-16	0-05	Unauthorised Colony
68	59	1	4-132	4-12	Unauthorised Colony
69	59	7	3-02	3-02	Unauthorised Colony
70	59	8	4-16	4-16	Unauthorised Colony
71	59	9	4-16	4-16	Unauthorised Colony
72	59	10	4-12	4-12	Unauthorised Colony
73	59	11	4-16	2-00	Unauthorised Colony
74	59	12	4-16	4-16	Unauthorised Colony
75	59	13	4-16	4-16	Unauthorised Colony
76	59	14	5-01	5-01	Unauthorised Colony

1	2	3	4	5	6
77	59	17	4-16	1-14	Unauthorised Colony
78	59	18	4-16	4-16	Unauthorised Colony
79	59	19	4-16	4-16	Unauthorised Colony
80	59	20	4-16	3-06	Unauthorised Colony
81	59	21	4-16	3-00	Unauthorised Colony
82	59	22	4-16	4-16	Unauthorised Colony
83	59	23	4-16	4-16	Unauthorised Colony
84	59	24	4-16	1-16	Unauthorised Colony
85	60	1/2	3-07	3-07	Unauthorised Colony
86	60	2/1	4-07	1-10	Unauthorised Colony
87	60	4	4-16	0-02	Unauthorised Colony
88	60	5	4-16	3-12	Unauthorised Colony
89	60	6	4-16	0-02	Unauthorised Colony
90	60	9	4-16	0-02	Unauthorised Colony
91	60	10/1	2-01	2-01	Unauthorised Colony
92	60	10/3	1-07	1-07	Unauthorised Colony
93	60	12	5-14	1-12	Unauthorised Colony
94	60	19	4-12	0-10	Unauthorised Colony
95	60	20/1	4-04	1-04	Unauthorised Colony
96	61	1/1	0-12	0-12	Unauthorised Colony

1	2	3	4	5	6
97	61	4	4-16	4-16	Unauthorised Colony
98	61	5	4-12	4-12	Unauthorised Colony
99	61	6	4-12	4-12	Unauthorised Colony
100	61	7	4-16	4-16	Unauthorised Colony
101	61	10/2	2-06	2-00	Unauthorised Colony
102	61	11	4-00	1-10	Unauthorised Colony
103	61	19	5-04	5-00	Unauthorised Colony
104	61	20	4-16	0-04	Unauthorised Colony
105	61	23	4-16	4-16	Unauthorised Colony
106	61	24MIN	0-06	0-06	Unauthorised Colony
107	61	25MIN	0-19	0-19	Unauthorised Colony
108	63MIN		96-08	28-08	Unauthorised Colony

107. श्री गिरीश सोनीः क्या **माननीय पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए नई योजनाओं पर कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ये योजनाएं कब तक लागू होंगी; पूर्ण विवरण दें;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि सरकार ने प्लास्टिक पॉलीथिन पर दिल्ली में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है;

(घ) यदि हां, तो प्लास्टिक पोलीथिन का विकल्प क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या प्लास्टिक पोलीथिन के प्रचलन को रोकने के लिए सरकार द्वारा कार्रवाई की जाती रही है; और

(च) यदि हां, तो कार्रवाई का पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय पर्यावरण मंत्रीः (क) और (ख) सरकार पर्यावरण सुरक्षा के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्य कर रही है इनमें से प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैः–

- दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने दिल्ली में केवल अनुमोदित ईंधन का उपयोग करने के लिए 29.06.2018 को अधिसूचना जारी की है।
- औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों/यूनिट्स को प्रदूषणकारी ईंधन इस्तेमाल करने की जगह पाईप्ड नेचुरल गैस (PNG) के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने दिल्ली में निरंतर परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों की स्थापना करके परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों की स्थापना करके परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी अवसंरचना को सुदृढ़ किया है। पुराने नेटवर्क के अंतर्गत डीपीसीसी के इस तहत के केवल छह केन्द्र थे और इस वृद्धि से डीपीसीसी द्वारा संचालित केन्द्रों की कुल संख्या 26 हो गयी है।
- डीपीसीसी एवं Washington Univesity, USA ने एक समझौता ज्ञापन (MOU) हस्ताक्षर किया है जिसके तहत दिल्ली में वायु की गुणवत्ता

जानने हेतु Real time Source Apportionment अध्ययन किया जा रहा है।

- बैटरी चालित वाहनों को बढ़ायाः प्रदूषण नहीं फैलाने वाले ई–वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के ई–वाहनों जैसे दुपहिया वाहन, चौपहिया वाहन और ई–रिक्शा आदि को अपनाने वालों के लिए सब्सिडी योजनाओं की घोषणा की है हाल में खरीदे गये बैटरी चालित चौपहिया और दुपहिया वाहनों के मालिकों को दिल्ली सरकार दुपहिया वाहनों के लिए भारत सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी के अतिक्ति 2,000 रुपये से 5,500 रुपये और चौपहिया वाहनों के लिए 30,000 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी अपनी ओर से देती है। राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में पंजीकृत और परिवहन विभाग द्वारा प्राधिकृत बैटरी चालित ई–रिक्शा के मालिकों को 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है।

- वायु–प्रदूषण रोकने हेतु सम्बद्ध एक्शन प्लान बनाया गया है, जिसका प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा गठित हाई लेवल टास्क फोर्स (HLTF) भी समय–समय पर समीक्षा कर रहा है।

दिल्ली पार्क एण्ड गार्डन सोसाइटी द्वारा पौधों का लगाने व पार्क के रख–रखाव हेतु प्रोत्साहन देने हेतु वित्तीय सहायता बढ़ा कर रुपये 2 लाख प्रति एकड़ मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण योजना के तहत लागू किया गया है। साथ ही विकेन्द्रित एसटीपी लगाने की योजना में एक मुश्त वित्तीय सहायता राशि रुपये 2 लाख प्रति एकड़ की दर से प्रदान की जाती हैं।

- दिल्ली सरकार के नेतृत्व में वन विभाग 20 एजेंसियों के साथ मिलकर प्रत्येक वर्ष 10 लाख से ज्यादा पौधे लगाये जाते हैं। पिछले तीन वर्षों से अब तक वन विभाग तथा अन्य सभी ग्रीनिंग एजेंसियों द्वारा लगाए गए पौधों/वृक्षों/झाड़ियों की संख्या का विवरण इस प्रकार हैं:–

वित्त वर्ष 2016–2017	24,75,665
वित्त वर्ष 2017–2018	19,62,598
वित्त वर्ष 2018–2019	28,95,816

इन योजनाओं का समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ग) से (च) दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सभी प्रकार की प्लास्टिक की थैलियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने पर विचार किया और दिनांक 20.09.2011 को प्रारूप अधिसूचना व दिनांक 23.10.2012 को फाइनल अधिसूचना निकाली। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अधिसूचना दिनांक 23.10.2012 के तहत सभी प्रकार की प्लास्टिक की थैलियों (जिसमें पॉली प्रोपलीन व न–बुने हुए फैब्रिक प्रकार की प्लास्टिक की थैलियां भी शामिल है) के प्रयोग, विनिर्माण, आयात, भंडारण, विक्रय एवं ढुलाई पर प्रतिबंध लगाया है।

(http://it.delhigovt.nic.in/writereaddata/egaz2013546.PDF)

यह अधिसूचना याचिका संख्या WPC 7012/2012 द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन थी परन्तु 05.12.2016 के फैसले के तहत माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस याचिका को माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में स्थानांतरित कर दिया है।

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने दिनांक 10.08.2017 को याचिका संख्या OA 281/2016 की RA 1/2017 तथा OA 04/2017 में दिए गए अंतरिम निर्देश के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाया है एवं दोषियों को 5000/– रुपये पर्यावरण मुआवजा भरने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इन निर्देशों का क्रियान्वयन तीनों नगर निगम, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कौंसिल, रेवन्यू डिर्पाटमेंट, दिल्ली कैंट बोर्ड तथा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा किया जा रहा है।

(http://www/greentribunal.gov.in/DisplayFile.aspx)

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देश पालन की कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 15.07.2019 तक 131120 किलो 50 माइक्रोन से कम प्लास्टिक की थैलियां जब्त की गई, दोषियों के 4409 चालान काटे गए एवं 9160000/– रुपये पर्यावरण मुआवजे के रूप में जमा किए गए हैं।

108. श्री सुरेन्द्र सिंहः क्या **माननीय पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पर्यावरण एवं वन विभाग के द्वारा दिल्ली छावनी विधान सभा क्षेत्र में किन–किन श्रेणियों के कितने पौधे लगाए गये; उनकी सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की जाए;

(ख) राव तुला राम मार्ग, आर.आर. हॉस्पिटल के पास किन–किन श्रेणियों के कितने वृक्षों को काटा गया और काटे गए वृक्षों के स्थान पर कितने वृक्ष लगाए गए, पूर्ण विवरण दें;

(ग) दिल्ली छावनी विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार के स्कूलों में वन विभाग के द्वारा किन स्कूलों में पौधारोपण कराया गया, इसकी सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की जाए; और

(घ) पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए किन तकनीकी संसाधनों को अपनाया गया?

माननीय पर्यावरण मंत्रीः (क) वन एवं वन्य जीव विभाग के अंतर्गत कोई भूमि दिल्ली छावनी विधान सभा क्षेत्र में नहीं है यद्धपि दिल्ली छावनी व अवस्थित अन्य संस्थाओं को उपयुक्त प्रजातियों के पौधे प्रदान किए जाते रहे हैं।

(ख) 2142 वृक्षों को गिराने की अनुमति भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को टी–जंक्शन धौला कुओं मेट्रो स्टेशन के नजदीक और एनएच–8 के चौड़ीकरण, आर.आर. हॉस्पिटल के सुधार हेतु जारी की गयी है। 21420 देशी प्रजातियों के पौधों का प्रतिपूरक वृक्षारोपण उत्तरी बन प्रभाग द्वारा यमुना फलड प्लेन्स पर किया गया है।

इसके अतिरिक्त 51 वृक्षों को गिराने की अनुमति लोक निर्माण विभाग को आउटर रिंग रोड, आरटीआर फ्लाई ओवर, आर्मी हॉस्पिटल आर. & आर. के नजदीक, निर्माण हेतु जारी की गयी है। 510 देशी प्रजातियों के पौधों का प्रतिपूरक वृक्षारोपण निर्माण स्थल सुबारतों पार्क, आरटीआर फ्लाई ओवर की उत्तरी दिशा में उपलब्ध भूमि पर तथा मलिकपुर में वन विभाग द्वारा प्रस्तावित है।

(ग) वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा दिल्ली छावनी विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार के स्कूलों में कोई पौधारोपण नहीं कराया गया है। यद्धपि

शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में बड़े पौधे 480 व छोटे पौधे 804 लगाए गए हैं जिसकी सूची अनुच्छेद–अ पर संलग्न है। वन विभाग स्कूलों को मुफ्त पौधे उपलब्ध करवाता है।

(घ) पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा केवल पौधरोपण का कार्य किया जाता रहा है।

अनुच्छेद–अ

क्र. सं.	सरकारी विद्यालय	बड़े पौधे	छोटे पौधे
1.	सर्वोदय बाल विद्यालय दिल्ली, कैंट।	10	25
2.	सर्वोदय सह शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महरम नगर।	15	50
3.	सर्वोदय कन्या विद्यालय, दिल्ली कैंट।	10	20
4.	राजकीय बाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मोती बाग–1 नई दिल्ली।	50	10
5.	सर्वोदय कन्या विद्यालय, मोती बाग–1, नई दिल्ली।	152	250
6.	सर्वोदय सह शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आर.के. पुरम, सेक्टर–13, नई दिल्ली।	50	150

क्र. सं.	सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय	बड़े पौधे	छोटे पौधे
1.	एयर फोर्स, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दिल्ली कैंट।	52	80
2.	श्राजपुताना राजफलस हीरोस मेमोरियल (सह–शिक्षा) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दिल्ली कैंट।	05	12
3.	स्नातन धर्म (सह–शिक्षा) उच्च माध्यमिक विद्यालय, दिल्ली कैंट।	10	15
4.	श्री गुरूनानक खालसा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दिल्ली कैंट।	01	79
5.	डी.ए.वी. उच्च माध्यमिक विद्यालय, दिल्ली कैंट।	56	73
6.	मॉडे लाइन एयर फोर्स प्राथमिक विद्यालय, दिल्ली कैंट।	69	40
	योग	450	804

109. श्री सुखबीर सिंह दलालः क्या **माननीय पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मुंडका विधान सभा क्षेत्र में कितने आरएमसी संयंत्र चल रहे हैं;

(ख) इस क्षेत्र में चल रहे आरएमसी संयंत्रों की सूची उपलब्ध करवाये;

(ग) इस क्षेत्र में पता लगाए सभी अवैध आरएमसी की सूची और उनके विरुद्ध की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट भी उपलब्ध कराएं;

(घ) इस क्षेत्र में स्थित अवैध आरएमसी के संयंत्रों के विरुद्ध कोई कार्रवाई न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) 01.01.2015 से इस क्षेत्र में वन विभाग द्वारा किए गए सभी कार्यों के वर्क ऑर्डर की पूरी सूची उपलब्ध कराएं;

(च) अब तक इस क्षेत्र में किसी भी संयंत्र का ऑडिट न किए जाने के क्या कारण हैं;

(छ) टीकरी कलां की पीवीसी मार्केट के विरुद्ध प्रदूषण फैलाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ज) क्या सरकार इन इकाइयों के समीप हरियाणा में शिफ्ट होने और दिल्ली का वातावरण प्रदूषित करने पर इन यूनिट्स के विरुद्ध कार्रवाई करने की योजना बना रही है;

(झ) मुंडका विधान सभा क्षेत्र में वृक्षों की कटाई सम्बन्धी वृक्ष अधिकारियों के समक्ष कितने मामले/शिकायतें लंबित हैं; इनकी वर्तमान स्थिति बताइये; और

(ञ) 01.01.2015 से मुंडका विधान सभा क्षेत्र में वन विभाग द्वारा किए गए सभी कार्यों की सूची उपलब्ध कराएं?

माननीय पर्यावरण मंत्रीः (क) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार 8 आरएमसी प्लांट मुंडका विधान सभा क्षेत्र में चालू हैं।

(ख) सूची अनुच्छेद–अ पर संलग्न है।

(ग) और (घ) 7 आरएमसी ने वायु एवं जल अधिनियमों के अंतर्गत दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से सहमति ले रखी है। एक इकाई बंद करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

(ङ) मुंडका विधान सभा क्षेत्र में वन विभाग द्वारा कोई भी कार्य के वर्क ऑर्डर नहीं किया गया है।

(च) इन इकाइयों पर समय–समय पर उपरोक्त अधिनियम के अनुपालन की जानकारी के लिये निरीक्षण किया जाता है।

(छ) टीकरी कलां की पीवीसी मार्किट दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लास्टिक के भंडारण एवं छटाई के लिये विकसित की गई है।

(ज) जिलाधिकारी (पश्चिम), दिल्ली सरकार द्वारा जिलाधिकारी झज्जर को दिनांक 16.07.2019 को प्लास्टिक इकाईयों जोकि हरियाणा के खेतों में चल रही है, के खिलाफ उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये लिखा गया है।

(झ) मुंडका विधान सभा क्षेत्र में वृक्षों की कटाई सम्बन्धी 10 मामले/शिकायत प्राप्त हुई है। सूची वर्तमान स्थिति सहित अनुच्छेद–ब संलग्न है।

(ञ) 01.01.2015 से मुंडका विधान सभा क्षेत्र में वन विभाग द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया है। यद्यपि क्षेत्र वासियों से आवेदन प्राप्त होने पर मुफ्त पौधे उपलब्ध कराये जाते हैं।

अनुच्छेद–अ

मुंडका विधान सभा क्षेत्र में आरएमसी की सूचीः–

01. श्री राम रैडि–मिक्स कोंकरेट।
    (संचालित करने की सहमति के लिए आवेदन किया है)

02. एन.डी. कोन कन्स्ट्रक्शन।
    (संचालित करने की सहमति के लिए आवेदन किया है)

03. एन.पी. कोन कन्स्ट्रकशन।
    (संचालित करने की सहमति के लिए आवेदन किया है)

04. शिव शक्ति एंटरप्राइसेस।
    (संचालित करने की सहमति के लिए आवेदन किया है)

05. एस. कुमार कोंकरेट प्राइवेट लिमिटेड।
    (संचालित करने की सहमति के लिए आवेदन किया है)

06. राज रैडि कोंकरेट प्राइवेट लिमिटेड।
    (संचालित करने की सहमति के लिए आवेदन किया है)

07. वोंडर रैडि–मिक्स कोंकरेट प्राइवेट लिमिटेड।
    (संचालित करने की सहमति के लिए आवेदन किया है)

08. एस. कुमार कोंकरेट प्राइवेट लिमिटेड।
    (संचालित करने की सहमति के लिए आवेदन किया है)

अनुच्छेद–ब

List of offence cases under Mundka constituency for the year 2018-19

Sl. No.	File No	Offender name and address	Place of offence	Complaint name and address	Current status
1	F.3 (36)/WFD/ TCOFF/2018-19	Smt. Savita, Ground Floor, Hiran Kudna, Kh. No. 90/7 Village Ghevra	Ground Floor, Hiran Kudna, Kh. No. 90/7 Village Ghevra	Dharamveer Lakra, H. No. 1333, near Bhagat Singh Park, Mundka, New Delhi	The matter is sub-judice before the tree officer (West)
2.	F.3 (37)/WFD/ TCOFF/2018-19	Sh. Sanjay Yadav, Ram Murath, Ram Manorath, Sube Lal, Om Prakash Panday and others, Laxmi Park, Ranhola Extn. Phase-I, Nangloi New Delhi	Laxmi Park, Ranhola Extn. Phase-I, Nangloi, New Delhi	Ms. Priya D/o Sh. Kanhaiya Lal, H. No. 155-A, Laxmi Park, Ranhola Extn. Phase-I, Nangloi, New Delhi	The matter is sub-judice before the tree officer (West)
3.	F.3 (56)/WFD/ TCOFF/2018-19	Sh. Amit Dabas, S/o Rajinder Singh, Sh. Naveen, Anuj, S/o Chandan, Village and Post Kanjhawala, New Delhi	Kh. No. 137/1, Village and Post Kanjhawala, New Delhi	Sh. Rattan Pal Bhardwaj, H. No. 883, Sri Satya Pal, S/o Sh. Raj Singh, H.No. 121, Village and Post Kanjhawala, New Delhi	A letter has been written to the SHO Kanjhawala, for inquiry and lodging of FIR.

4.	F.3 (106)/WFD/ TCOFF/2018-19	Dy. Director (Hort.) PWD, North Div., near DJB Water Plant, Haiderpur, Outer Ring Road, Delhi-88	PWD Road Kanjhawala to Ghevra	Sh. Ravinder, 220 Kampu Bali Gali, Kanjhawala	The matter is sub-judice before the tree officer (West).
5.	F.3 (109)/WFD/ TCOFF/2018-19	Sh. Sukhbir Singh, S/o Sh. Raghunath, H.No. 845 and Sh. Anil Kumar, near Durga Mandir, Village Mundka, Todarmal Chowk, New Delhi-41	Kh. No. 178, Mundka Vidhaa Village	Sh. Rambir Singh, A-74, Village Mundka Todarmal Chowk, New Delhi	The matter is sub-judice before the tree officer (West).

Tree Offence Record 2017-18 (Mundka Vidhan Sabha)

Sl. No.	File Name	Offender's Name	Offence Area	Complaint Name	Status
1	2	3	4	5	6
1	F.3 (10)/WFD/ TCOFF/2017-18	Mahadev Prasad Goyal, A-1/41 Rajendera Park, Nangloi Near Metro Pillar No. 421 Delhi-41	Ground Floor, Hiran Kudna, Kh. No. 90/7 Village Ghevra	Dharamveer Lakra, H. No. 1333, near Bhagat Singh Park, Mundka, New Delhi	The matter is sub-judice before tree officer (West)

1	2	3	4	5	6
2	F.3 (44)/WFD/ TCOFF/2017-18	Ramesh Chand, Rajeev Nagar, Main Kanjhawala Road Pooja Tiles Shop Jain Nagar	Front of Pooja Tiles Shop, Rajeev Nagar	Pawan Kumar, G-3, Rajeev Nagar, Begumpur, Delhi-86	The matter is sub-judice before tree officer (West)
3	F.3 (80)/WFD/ TCOFF/2017-18	Sh. Bhagwan S/o Sh. Nathu Ram, H.No. 34, C-Block, Begum Vihar, Begampur	Plot No. 1 Khasra No. 18/19, Near Parnami Market, Barwala Road, Begam Vihar	Surender Pratap Singh	The matter is sub-judice before Tree Office (West)
4	F.3 (115)/WFD/ TCOFF/2017-18	Sh. Baljeet Singh, H.No. 435, Village Karala	H.No. 435, Village-Karala	Sanjeev Kumar, Village-Karala Majri	The matter is sub-judice before Tree Office (West)
5	F.3 (116)/WFD/ TCOFF/2017-18	Sh. Pravesh Jain, Managing Director, Paras Chemical Factory Pvt. Ltd., B-82, Defence Colony	Paras Chemical Factory Pvt. Ltd., B-82, Defence Colony	Sanjeev Kumar, Village-Karala Majri	The matter is sub-judice before Tree Office (West)

110. श्री विजेन्द्र गुप्ताः क्या **माननीय पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार प्रदूषण कम करने के लिए किन–किन बिन्दुओं पर काम कर रही है;

(ख) दिल्ली को कीकर मुक्त बनाने की योजना पर अब तक कितना काम हुआ है और इसके कब तक पूरा हो जाने की आशा है; और

(ग) क्या यह सत्य है कि सरकार ने पर्यावरण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण योजना, जिसके अंतर्गत किसी परियोजना के लिए कम–से–कम 80 प्रतिशत पेड़ों को आधुनिक तकनीक से ट्रांसप्लांट करना अनिवार्य किये जाने की बात कही थी, इस परियोजना में अब तक क्या प्रगति हुई?

माननीय पर्यावरण मंत्रीः (क) दिल्ली वन विभाग दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए समय–समय पर पौधारोपण का कार्य करता है और भविष्य में भी जो भूमि वन विभाग के पास उपलब्ध है उसपर पौधारोपण का कार्य किया जायेगा। वन विभाग के द्वारा वर्षा ऋतु के दौरान एनजीओ, स्कूल, निवासी कल्याण संघ आदि को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराता है ताकि दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण हो सके। गत वर्ष 28.95 लाख पौधे वन विभाग व सहयोगी हरित एजेंसी के द्वारा लगाए जा चुके हैं।

इस वर्ष सभी हरित एजेंसी 24.18 लाख पौधे लगाने एवं पौधे वितरण की योजना है। वन विभाग द्वारा 4.30 लाख पौधे लगाने एवं 3.50 लाख पौधे निःशुल्क वितरण करने की योजना है।

(ख) योजना का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) ड्राफ्ट ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी के संबंध में जन साधारण से सुझाव

आमंत्रित किए गए थे जिनका संकलन करके उपयुक्त निर्णय लेने में सहायता होंगी। विचार/सुझाव के संकलन का कार्य पूर्ण हो चुका है।

111. श्री जगदीप सिंहः क्या **माननीय पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि मायापुरी में मृत पड़े एक पेड़ को हटाने का निरीक्षण दो साल पहले किये जाने पर भी अभी तक उसे नहीं हटाया गया है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक उस पेड़ को न हटाये जाने के क्या कारण है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि वैदिक मार्ग से 20 पेड़ हटाने का आवेदन पिछले दो वर्ष से लम्बित है;

(घ) उसकी परमिशन न दिये जाने के क्या कारण है; और

(ङ) ये पेड़ कब तक हटा दिये जाएंगे?

माननीय पर्यावरण मंत्रीः (क) और (ख) घटना स्थल स्पष्ट नहीं है, यह भी स्पष्ट नहीं है कि मायापुरी में मृत पड़े एक पेड़ को हटाने का निरीक्षण संबंधित भू–स्वामित्व एजेंसियों के अधिकारियों के द्वारा किया गया है या नहीं। हालांकि मृत पड़े पेड़ को हटाने का कार्य वन विभाग को आवंटित नहीं है इस तरह का कार्य भू–स्वामित्व निकायों द्वारा किया जाता है।

(ग) से (ङ) दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत आवेदक ने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं इसलिए इस विभाग द्वारा आवेदक को आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने हेतु चेक सूची पत्र जारी की है जिसकी प्रतिलिपि अनुच्छेद–अ पर संलग्न है।

Annexure-B

Government of N.C.T. of Delhi
Office of the Dy. Conservator of Forests
West Forests Division: Mandir Lane: New Delhi-60
(Ph. #011-23361879, Fax: #011-23361876)

No. F. July/WFD/COT/2019/3198 Dated: 10.07.19

ORDER

Sub: Widening of road from 2 lane to 4 lane C/o Gabtpath. Dea verge to drain on Vedic Marg, Hari Nagar, New Delhi.

Ref: 23(16)/उ.म. नार्थ/ली.नि.वि./1332 dt. 14.6.19

With reference to your letter cited on the subject it is to convey that your application/letter was examined and it was found to be incomplete in the following respects. Application has not been made in prescribed manner.

You may please be informed that application for tree felling/pruning permission requires to be made in accordance with the Delhi Preservation of Tree Rules, 1994, since the request made by you was incomplete for the reasons sated below, the permission is being denied.

1. Correctly and completely filled up from B (In case of Government agencies, by an officer not below the rank of Chief Engineer of H.O.D.)

2. An Affidavit (In case of Government agencies, by an officer not below the rank of Chief Engineer or H.O.D.), attested by Notary Public.

3. Rs. 5/- Court Free Stamp to be affixed on the affidavit.

4. Enumeration list of trees existing on the land indicating girth (GBIT) at 1.37 meter height of individual tree:-

   (i) Yellow rectangular base be painted (with oil paint) on all the trees within the alignment and its immediate vicinity, at a height of approx. 1.5-2 m above the ground, towards road facing side.

   (ii) Clear numbering in Black be painted (with oil paint) over the Yellow rectangular base.

   (iii) For trees to be felled/pruned in addition to the above numbering, 4 cross ('X') in RED oil paint may be placed on the tree trunk just below the yellow rectangular base containing the number.

5. List of trees required for felling/pruning, to be numbered with paint as mentioned in above points, along with tree photograph.

6. Justification on felling/pruning of trees and possibility of reducing the number of trees to be felled, by the applicant.

7. A map specifying location of each tree, along with geo-coordinates, in the site proposed for felling of trees, duly approved by concerned officials in UTTIPEC/DUAC.

8. The exact area (in Sq. mtr.), from which felling of trees is to be carried out, for which permission is sought.

9. Attested copy of property/occupancy documents.

10. No objection Certificate from local body (NDMC/MCD/DDA/RWA/PWD/CPWD).

11. Boundary list.

12. No objection list form the adjoining owners.

13. Details of Compensatory plantation plan:-
    (i) Name and area of the site of Compensatory plantation.
    (ii) Map of Vacant area available at the site identified for Compensatory plantation, along with its geo-coordinates.
    (iii) In case of government agency, an undertaking from the Dy. Director (Hort.) for carrying out compensatory plantation, within the specified time frame, i.e. 09 (Nine) months.
14. Approved master plan/building plan/map by the competent authority.
15. Contact number of the personnel involved during site inspection to be provided in the Form 'B'.
16. Please provide hard copy of presentation of the said proposal.
17. Indemnity Bond of Rs. 100/- Stamp Paper.
18. Geo-coordinates of the area proposed for compensatory plantation as well as site of construction and site for frame of trees propose.
19. Depute staff for joint inspection.
20. Provide the inspection report of concerned Section Officer.

Original application is being returned herewith.

DY. CONSERVATOR OF FORESTS
TREE OFFICER (WEST)

To

Sh. Jaswant Singh
Dy. Director (Hort.) PWD
Near D.J.B. Water Treatment Plant
Haiderpur, Outer Ring Road
Delhi-110085

112. श्री सोमनाथ भारतीः क्या **माननीय पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जनवरी, 2014 विभाग से सीधे या दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के माध्यम से मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में पेड़ों की छटाई; कटाई, पेड़ों के गिराने के लिए कितने व्यक्तियों और एजेंसियों को अनुमति प्रदान की गयी, इसका पूरा विवरण दीजिए;

(ख) क्या यह सत्य है कि पेड़ गिरने, काटने की प्रत्येक अनुमति के लिए शर्त है, कि काटे गए पेड़ के स्थान पर 10 पेड़ लगाने अनिवार्य है;

(ग) यदि हां, तो इस शर्त का अनुपालन कराने में विभाग कैसे सफल हुआ;

(घ) जनवरी, 2014 से मालवीय नगर विधान सभा में क्षेत्र में कितने पेड़ लगाए गए हैं और कितने वृक्षारोपण समारोह आयोजित किए गए है, पुरा विवरण दीजिए;

(ङ) मालवीय नगर विधान सभा में जनवरी, 2014 से अवैध वृक्ष काटने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इन शिकायतों पर क्या कारवाई की गयी;

(च) इनमें कितने अभियोग तथा कितनी प्राथमिकी दर्ज की गयी, उसका पूर्ण विवरण देने की कृपा करें; और

(छ) वृक्षों की कटाई और छटाई से संबंधित अपनाई जाने वाली कौन सी पद्धति है, कृपया इससे संबंधित पूर्ण विवरण सविस्तार बताएं जिससे निर्धारित समय–सीमा और संबंधित अधिकारियों का उल्लेख हो?

माननीय पर्यावरण मंत्रीः (क) विवरण अनुच्छेद–अ पर संलग्न है।

(ख) जी, हां सूखे व खतरनाक वृक्षों को छोड़कर काटे जाने वाले सभी वृक्षों के बदले 10 गुना पेड़ लगाने अनिवार्य है;

(ग) परमिशन में दर्शाये गये नियम एवं शर्तों के अनुसार वृक्षों को काटे जाने की सुरक्षा राशि के अंतर्गत प्रार्थी को 10 गुना लगाये वृक्षों का 7 साल तक रख–रखाव का साक्ष्य कार्यालय में जमा कराना होता है। तदुपरांत सुरक्षा राशि का लौटाए जाने योग्य रकम प्रतिदेय होती है, अथवा सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाती है और पौधारोपण विभागीय स्तर पर होता है।

(घ) मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र पौधारोपण हेतु वन विभाग के अंतर्गत नहीं आता है, व ना ही वहां वन विभाग की कोई जमीन है।

(ङ) मालवीय नगर विधान सभा में जनवरी, 2014 से अब तक वृक्ष काटने की कुल 18 शिकायतें प्राप्त हुई है, शिकायतों को वृक्ष अधिकारी के द्वारा सुनवाई करने के पश्चात् विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जाती है।

(च) उपरोक्त 14 शिकायतों की सुनवाई जारी है तथा 4 शिकायतों का निपटारा वृक्ष अधिकारी के द्वारा किया जा चुका है।

(छ) वृक्षों की कटाई और छटाई से संबंधित अपनाई जाने वाली वद्धति का विवरण इस प्रकार है–

दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 9 के अनुसार दिल्ली में प्रत्येक पेड़ को काटने/हटाने हेतु उस क्षेत्र के सम्बंधित वृक्ष अधिकारी/उप–वन संरक्षक से अनुमति लेना आवश्यक है। वन विभाग किसी पेड़ को गिराने या छंटाई का कार्य नहीं करता है केवल अनुमति प्रदान करता है जिसके लिए भू–स्वामी निकायों/व्यक्तियों द्वारा "फॉर्म–बी" आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होता है। पूर्ण आवेदन के

बाद वृक्ष अधिकारी/उप–वन संरक्षक निरीक्षण/जांच कराता है और आवेदन को अनुमोदित अथवा निरस्त अथवा अग्रिम अनुमोदन हेतु, वन संरक्षक को प्रेषित करता है।

दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम, 1994 के वृक्ष काटने के आवेदन से संबंधित धारायें निम्नलिखित हैः–

धारा 2–जिसमें वृक्ष (Tree) की definition है।

धारा 8, धारा 9, धारा 10.

इसके अतिरिक्त दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) नियम, 1996 बनाये गए हैं।

वृक्ष काटने/हटाने की अनुमति प्रदान करने की अथॉरिटी वृक्षों की संख्या/साइट के क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित की गई है, जो कि इस प्रकार हैः–

1. यदि हटाये जाने वाले पेड़ों की संख्या 10 से कम है– उप–वन संरक्षक।
2. यदि हटाये जाने वाले पेड़ों की संख्या 20 तक है– वन संरक्षक।
3. यदि हटाये जाने वाले पेड़ों की संख्या 20 से अधिक है– सचिव, पर्यावरण एवं वन {दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 9 के अनुसार}।
4. जिस भूमि से पेड़ों को हटाया जाना है यदि उसका क्षेत्रफल 1 हैक्टेयर या उससे अधिक हो तो वह प्रस्ताव दिल्ली वन (परिरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 29 के अंतर्गत छूट (exemption) के लिए दिल्ली सरकार की मंजूरी प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया जाता

है। दिल्ली सरकार की मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात सचिव (पर्यावरण एवं वन) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के हस्ताक्षर के तहत अधिसूचना फॉर्म में जारी किया जाता है।

उपरोक्त सभी प्रकार के अनुमोदन के पश्चात उप–वन संरक्षक द्वारा एक पत्र सुरक्षा जमा राशि हेतु जारी किया जाता है। इसके बाद आवेदक इस राशि को डी.डी./चेक अथवा ऑनलाइन के माध्यम भुगतान कर सकता है। राशि प्राप्त होने के बाद उप–वन संरक्षक आवेदक यानि उपभोगी संस्था/व्यक्ति वृक्ष काटने/हटाने की अनुमति प्रदान करता है।

वृक्षों की छंटाई के लिए निम्न प्रक्रिया है–

वन विभाग किसी पेड़ की छंटाई का कार्य नहीं करता है केवल अनुमति प्रदान करता है। दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 9 के अनुसार दिल्ली में पेड़ों को छांटने हेतु उस क्षेत्र के सम्बंधित वृक्ष अधिकारी/उप–वन संरक्षक के अनुमति लेना आवश्यक है। परन्तु यदि किसी शाखा की 20 सेंटीमीटर से कम की गोलाई है तो उस शाखा की कटाई/छंटाई के लिए विभाग की अनुमति आवश्यक नहीं है। यदि किसी शाखा की गोलाई 20 सेंटीमीटर से अधिक है तो कटाई/छंटाई हेतु, भू–स्वामी निकायों/व्यक्तियों द्वारा "फॉर्म–बी" आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होता है। पूर्ण आवेदन के बाद वृक्ष अधिकारी/उप–वन संरक्षक निरीक्षण/जांच कराता है और आवेदन की वृक्ष छांटने की स्वीकृति प्रदान करता है।

दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 9(3) के अनुसार वृक्ष अधिकारी को अपना निर्णय 60 दिन के अंतर्गत देना होता है।

अनुच्छेद–'अ'

Individual 2013-14 (Pvt.)

S.No.	Category	Numbers of trees permitted
1.	Cutting	3
2.	Pruning	13
3.	Dangerous	0

Individual 2014-15 (Pvt.)

S.No.	Category	Numbers of trees permitted
1.	Cutting	35
2.	Pruning	165
3.	Dangerous	11

Individual 2015-16 (Pvt.)

S.No.	Category	Numbers of trees permitted
1.	Cutting	13
2.	Pruning	7
3.	Dangerous	3

Individual 2016-17 (Pvt.)

S.No.	Category	Numbers of trees permitted
1.	Cutting	7
2.	Pruning	2
3.	Dangerous	2

Individual 2017-18 (Pvt.)

S.No.	Category	Numbers of trees permitted
1.	Cutting	3
2.	Pruning	3
3.	Dangerous	1

Individual 2018-19 (Pvt.)

S.No.	Category	Numbers of trees permitted
1.	Cutting	18
2.	Pruning	13
3.	Dangerous	5

Individual 2019-20 (Pvt.)

S.No.	Category	Numbers of trees permitted
1.	Cutting	8
2.	Pruning	1
3.	Dangerous	0

MCD 2013-14

S.No.	Category	Numbers of trees permitted
1.	Cutting	0
2.	Pruning	449
3.	Dangerous	4

MCD 2014-15

S.No.	Category	Numbers of trees permitted
1.	Cutting	6
2.	Pruning	511
3.	Dangerous	8

MCD 2015-16

S.No.	Category	Numbers of trees permitted
1.	Cutting	1
2.	Pruning	352
3.	Dangerous	18

MCD 2016-17

S.No.	Category	Numbers of trees permitted
1.	Cutting	6
2.	Pruning	341
3.	Dangerous	2

MCD 2017-18

S.No.	Category	Numbers of trees permitted
1.	Cutting	23
2.	Pruning	237
3.	Dangerous	21

MCD 2018-19

S.No.	Category	Numbers of trees permitted
1.	Cutting	4
2.	Pruning	304
3.	Dangerous	9

MCD 2019-20

S.No.	Category	Numbers of trees permitted
1.	Cutting	0
2.	Pruning	46
3.	Dangerous	1

113. श्री गिरीश सोनी: क्या **माननीय पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसी नई योजना पर कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उनके लिए किन–किन स्थानों का चयन किया गया है, उसका विवरण दें; और

(ग) यह कार्य जमीनी स्तर पर कब तक हो पाएगा, उसकी समय–सीमा बताई जाए?

माननीय पर्यटन मंत्री: (क) और (ग) दिल्ली में पर्यटन का विकास निरंतर प्रक्रिया है और डीटीटीडीसी दिल्ली सरकार की ओर से योजना फंड

के अंतर्गत अनेक पर्यटन विकास योजनाएं संचालित करता है। नयी योजनाओं में निम्नलिखित प्रमुख हैं–;

- सिग्नेचर ब्रिज के आसपास के क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना विचाराधीन है।
- दिल्ली के विभिन्न प्रवेश द्वारों के सौन्दर्यकरण का कार्य विचाराधीन है।
- हैरिटेज टूर होप–ओन–होप–ओफ सेवा के माध्यम से संचालित करवाने का प्रस्ताव भी है।

संबंधित विभागों से अपेक्षित अनुमोदन प्रतीक्षित हैं, इसलिए वर्तमान में टाईमलाइन निर्धारित करना संभव नहीं है।

दिल्ली में पर्यटन विकास के लिए, डीटीटीडीसी दिल्ली सरकार की प्लान स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां संचालित करता है–

(अ) पर्यटन का विकास– दिल्ली पर्यटन स्थल के रूप में

(क) ब्रैंडिंग दिल्ली

1. पर्यटकों की जानकारी के लिए पर्यटन साहित्य, लीफलैट, नक्शे, बरौशर, फिल्म और अन्य प्रचार सामग्री का प्रकाशन
2. सोशल मीडिया/इंटरनेट/प्रिंट और इलैक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा प्रचार
3. स्ट्रीट फर्नीचर, जन सुविधाओं के साथ
4. फिल्म शूटिंग डैस्टीनेशन के रूप में दिल्ली को प्रमोट करना

5. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेले/प्रदर्शनी/कॉन्फ्रेंस/मार्ट आदि में भाग लेना

6. उत्सवों और मेलों का आयोजन

7. डीटीटीडीसी दिल्ली के मुख्य स्थालों के साथ–साथ कोलकाता और चेन्नई में पर्यटन सूचना केन्द्र संचालित कर रहा है। डीटीटीडीसी के इन सूचना केन्द्रों के माध्यम से स्वदेशी और विदेशी पर्यटक पर्यटन संबंधी सूचनाओं का लाभ प्राप्त करते हैं और इनके माध्यम से पर्यटन संबंधि साहित्य उपलब्ध कराये जाते हैं।

114. श्री सुरेन्द्र सिंहः क्या **माननीय पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली छावनी विधान सभा क्षेत्र में टूरिज्म विभाग द्वारा क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, पूर्ण विवरण दें;

(ख) सन् 2014 से 01 अगस्त, 2019 तक दिल्ली सरकार के द्वारा पर्यटन विभाग द्वारा दिल्ली की स्थानीय जनता को कौन–कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं पूर्ण विवरण दें; और

(ग) इन सुविधाओं पर कितना खर्च हुआ उनकी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए?

माननीय पर्यटन मंत्रीः (क) दिल्ली छावनी विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली पर्यटन द्वारा अलग से कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाती है।

हालांकि, डीटीटीडीसी द्वारा दिल्ली हाट जनकपुरी की स्थापना की गयी

है जो कि दिल्ली कैंट के निकट है और यहां नियमित पर्यटन गतिविधियां आयोजित की जाती है।

(ख) राजधानी दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत डीटीटीडीसी के द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां एवं कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैंः—

पर्यटन का विकास— दिल्ली पर्यटन स्थल के रूप में

'ब्रैंडिंग दिल्ली'

1. पर्यटकों की जानकारी के लिए पर्यटन साहित्य, लीफलैट, नक्शे, बरौशर, फिल्म और अन्य प्रचार सामग्री का प्रकाशन

2. सोशल मीडिया/इंटरनेट/प्रिंट और इलैक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा प्रचार

3. स्ट्रीट फर्नीचर, जन सुविधाओं के साथ

4. फिल्म शूटिंग डैस्टीनेशन के रूप में दिल्ली को प्रमोट करना

5. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेले/प्रदर्शनी/कॉन्फ्रेंस/मार्ट आदि में भाग लेना

6. उत्सवों और मेलों का आयोजन

7. डीटीटीडीसी दिल्ली के मुख्य स्थालों के साथ—साथ कोलकाता और चेन्नई में पर्यटन सूचना केन्द्र संचालित कर रहा है। डीटीटीडीसी के इन सूचना केन्द्रों के माध्यम से स्वदेशी और विदेशी पर्यटक पर्यटन संबंधी सूचनाओं का लाभ प्राप्त करते हैं और इनके माध्यम से पर्यटन संबंधी साहित्य उपलब्ध कराये जाते हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त डीटीटीडीसी द्वारा पर्यटन के विकास और पर्यटकों की सुविधा के लिए निम्नलिखित कार्य भी किये जाते हैं–

1. दिल्ली में तीन स्थानों– आईएनए, जनकपुरी और पीतमपुरा में दिल्ली हाट बनाए गए हैं।

2. एड़वेंचर गतिविधियों का संचालन किया जाता है, जिनमें नौकायान और एडवेंचर पार्क शामिल है।

3. पर्यटक संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए होप–ऑन–होप–ऑफ बस सेवा शामिल है जो दिल्ली के मुख्य पर्यटन स्थलों का स्थलों का भ्रमण करवाती है।

4. इसके अतिरिक्त दिल्ली पर्यटन बस द्वारा दिल्ली से आगरा, मथुरा, फतेहपुर सीकरी, जयपुर एवं हरिद्वार व ऋषिकेष के लिए भ्रमण सेवा उपलब्ध करवाती है।

पर्यटन विकास पर योजना खर्च का विवरण निम्नलिखित है–

वित्तीय वर्ष	कुल खर्च (लाख रुपए में)
2014–15	327.27
2015–16	239.95
2016–17	463.15
2017–18	371.99
2018–19	521.60

115. श्री सुखबीर सिंह दलालः क्या **माननीय पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पर्यटन विभाग की टीकरी कलां, नई दिल्ली स्थित आजाद हिन्द ग्राम के जीर्णोद्धार की कोई योजना है;

(ख) टीकरी कलां में आजाद हिन्द ग्राम के जीर्णोद्धार के लिए पर्यटन विभाग को भेजे गए सभी पत्रों की स्थिति क्या है;

(ग) मुण्डका विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग क्या प्रयत्न कर रहा है;

(घ) पर्यटन विभाग के दायित्वों की सूची उपलब्ध कराइए;

(ङ) क्या तालाबों का पिकनिक/पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए जीर्णोद्धार किया जा सकता है;

(च) पर्यटन विभाग को वर्ष 2015 से लेकर अब तक प्राप्त कुल राजस्व और विदेशी पर्यटकों से वर्ष–वार कितना–कितना राजस्व प्राप्त हुआ है;

(छ) क्या आजाद हिन्द ग्राम को आजाद हिन्द ग्राम की स्मृति में एक संग्रहालय विकसित करने की सरकार की योजना है; और

(ज) यदि हां, तो अनुमोदन देने के लिए सक्षम प्राधिकारी/प्राधिकरण कौन है?

माननीय पर्यटन मंत्रीः (क) से (ग) हां, टीकरी कलां, नई दिल्ली स्थित आजाद हिन्द ग्राम के जीर्णोद्धार की योजना विचाराधीन है।

(घ) संबंधित सूचना परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(ङ) निगम की वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है। यद्यपि निगम निम्नलिखित दिल्ली के तालाबों और झीलों पर नौकायान की सुविधा प्रदान कर रहा हैः–

कृषि भवन, संजय झील, इंडिया गेट, भलेस्वा झील।

(च) पर्यटन विभाग को प्राप्त राजस्व की सूचना, परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

विदेशी पर्यटकों द्वारा प्राप्त राजस्व का ब्यौरा दिल्ली सरकार के पास उपलब्ध नहीं होता है।

(छ) आजाद हिन्द ग्राम में पहले से ही आजाद हिन्द फौज और नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की स्मृति में एक संग्रहालय विकसित है, जिसके जीर्णोद्धार की योजना विचाराधीन है।

(ज) अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम का गठित बोर्ड है।

परिशिष्ट–1

Department of Tourism
Government of National Capital Territory of Delhi
Vikas Bhawan-II, 2nd Floor, Owing, Upper Bela Road,
Near Metcalfe House, Delhi-110054

email: *tourism.gnctd@gmail.com* Tel.:011-23812878 Fax: 011-23812941

CITIZEN CHARTER

INTRODUCTION

Tourism Department was separated from Transport Department with effect from 01.08.1999. Presently the Department is working independently with set

out objectives and activities. The main objectives of Tourism Department are to plan various infrastructure facilities and essential services for improving tourism in Delhi, monitoring of Plan and Non-Plan work, related to Tourism Sector in Delhi.

Our Vision

To make Delhi the best tourism destination with the state of the art facilities and vibrant tourist friendly environment.

OUR CLIENTS

1 All Bed & Breakfast Establishments

2 All restaurants seeking approval

3 All Guest Houses seeking approval & Grading

4 All Tour Operators/Travel Agents

OUR SERVICES

1 Bed & Breakfast Scheme

Tourism Department is implementing a scheme, namely "Bed & Breakfast Scheme", with effect from October, 2007 for providing budget accommodation to the tourists, both domestic and international. The house owners, who have spare room availability, can avail of the scheme by registering 2/3rd of the total Bedrooms available, with a minimum of one room and maximum of six rooms. The rooms are registered in two categories, i.e. Silver or Gold, on the basis of the facilities available at the premises. The details of the facilities which are expected in Silver and Gold category are given in Form 'C', enclosed with the application form.

**The process of the application under the B & B Scheme will be completed within 90 days under the e-SLA.*

2 Approval of Restaurants

Tourism Department has started a scheme namely "Approval of Restaurants" which was earlier implemented by Department of Tourism, Govt. of India. The Scheme was transferred to Govt. of NCT of Delhi from July 2003. Those standalone restaurants which have seating capacity of more than 30, and are operational, are given approval by Department of Tourism, if they conform to the norms prescribed for the purpose, with regard to kitchen hygiene, staff facilities, garbage collection etc.

**The process of the application under the scheme of Approval of Restaurants will be completed within 21 days under the e-SLA after receipt of all requisite valid licenses/certificates from the concerned authorities.*

3 Approval and Grading of Guest Houses

In order to meet the rising demand of hotel accommodation for budget tourists both domestic and foreign, Tourism Department, Govt, of N.C.T. of Delhi has decided to standardize and ensure good, clean, hygienic, fair and upgraded facilities and practices in the large number of Guest Houses and unregulated accommodation units that spring up in cities and towns. Department of Tourism, Govt. of N.C.T. of Delhi has a voluntary Scheme for approval and grading of Guest Houses which are conform to the norms prescribed for the purpose with regard to sufficient lighting, wardrobe, shelves, opaque curtain etc. and 25% of the room should have air conditioning/heating facilities. The approval granted to guest houses which have minimum 06 testable rooms with proper ventilation and located at 6 meters approach road. The Guest Houses are graded under the three categories - (i) Standard (ii) Premier (iii) Luxury.

**The process of the application under the scheme of Approval of Guest Houses and Grading of Guest Houses will be completed within 21 days under the e-SLA after receipt of all requisite valid licenses/certificates from the concerned authorities.*

4 **Registration of Tour Operators/Travel Agents/Excursion Agents/ Tourist Transport Operators.**

A scheme for registration of Tour Operators/Travel Agents/Excursion Agents/ Tourist Transport Operators etc. has been notified and draft guidelines in this regard are in the process of being finalized. The Department proposes to initiate licensing of these operators, as soon as the guidelines are finalized, after due consultation with all stakeholders.

5 **Data Collection**

The Tourism Department in also collecting tourist information from registered Hotels/Lodges/Inns and Guest Houses and the same after compilation is transmitted to Ministry of Tourism, Govt, of India.

6 Grant-in-aid is given by the Department for development and promotion of Tourism:-

(a) To Delhi Tourism & Transportation Development Corporation Ltd. (DT&TDC Ltd.).

(i) For development of ancient lakes and other tourism related infrastructure projects.

(ii) For Organization of cultural festival viz. Mango festival, Qutub Festival Gandhi Jayanti Utsav, Uttar festival, Chrysanthemum Flower show, Sharad Utsav, Kite Flying festival Basant Utsav, Garden Festival etc.

(iii) For participating in national and international events.

(iv) For publicizing and marketing Delhi as a tourist destination.

(v) For running Tourists Information Centers, as approved by the Govt. of NCT of Delhi.

(vi) Grant-in-aid to Tourist Information Centers.

(vii) Tourist City Information Services.

(b) To Delhi Institute of Hotel Management & Catering Technology (DIHM&CT).

(i) For running of three years diploma course.

(ii) For running 1½ year trade diploma course in five streams.

(iii) Development of e-learning material in hospitality management in Delhi Institute of Hotel Management & Catering Technology based on NCHM&CT.

परिशिष्ट–2

Year-wise details of Revenue for the period of 2016-19

Year	Name of scheme	Total Revenue
2016-17	Approval of Standalone Restaurant	22,15,000/-
2017-18		26,66,250/-
2018-19		24,48,000/-

Year	Name of scheme	Total Revenue
2016-17	Registration under Bed & Breakfast	3,38,000/-
2017-18		4,67,000/-
2018-19		6,05,000/-

Year	Name of scheme	Total Revenue
2016-17	License for Tour Operators/Travel Agents/Excursion Agents/Tourist Transport Operator	1,51,000/-
2017-18		1,43,000/-
2018-19		95,000/-

Year	Name of scheme	Total Revenue
2016-17	Grading of Guest House	10,000/-
2017-18		6,000/-
2018-19		10,000/-

Year	Name of scheme	Total Revenue
2016-17	Approval of Guest House	15,000/-
2017-18		25,000/-
2018-19		15,000/-

116. श्री ओम प्रकाश शर्माः क्या **माननीय पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली के प्रवेश स्थलों के सौन्दर्यीकरण और प्रवेश द्वार बनाने हेतु क्या–क्या काम किये जा रहे हैं;

(ख) अभी तक कितने और कौन–कौन से स्थल चिन्हित किये गये हैं और इन पर कितना लाभ हुआ है;

(ग) उपरोक्त के अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष में कितने प्रवेश स्थलों को सौन्दर्यकरण के लिए चुना गया है; और

(घ) उपरोक्त कार्यों पर कितना खर्च आएगा?

माननीय पर्यटन मंत्रीः (क) दिल्ली के प्रवेश स्थलों के सौन्दर्यीकरण करने की योजना बनाई जा रही है और उनके वांछित अनुमोदनों के उपरांत इस पर कार्य किया जाएगा।

(ख) अभी तक आठ प्रवेश स्थलों को चिन्हित किया गया है जो कि निम्नलिखित हैः–

- टिकरी कलां सीमा
- आनन्द विहार सीमा
- अप्सरा (दिलशाद गार्डन) सीमा
- कापसहेरा सीमा
- गाजीपुर सीमा एनएच–24
- सिंधु सीमा एनएच–1
- गुरूग्राम सीमा – एनसच–8
- मयूर विहार/नोएडा सीमा

इन चिन्हित प्रवेश स्थानों पर कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है क्योंकि योजना का वांछित अनुमोदन प्रगति में है।

(ग) उपरोक्त के अतिरिक्त कोई प्रवेश स्थल इस वित्त वर्ष के लिए नहीं चुना गया है।

(घ) उपरोक्त कार्यों पर खर्च का आंकलन कार्य की योजना के लिए अनुमोदन के उपरांत ही उपलब्ध कराना संभव हो सकेगा।

117. श्री राजेश गुप्ताः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वजीरपुर विधान सभा में हिन्दी अकादमी, सिंधी अकादमी या किसी भी अन्य अकादमी ने छठी विधान सभा में कुल कितने कार्यक्रम किये;

(ख) क्या इन कार्यक्रमों के लिए कोई राशि ली जाती है;

(ग) इन कार्यक्रमों को करने में सरकार का कुल कितना खर्चा आया; और

(घ) छठी विधान सभा से पूर्व कितने कार्यक्रम हुए और उन पर कितना खर्चा आया?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) **हिन्दी अकादमीः**

1. नव स्वर कवित सम्मेलन 27.2.2018 लक्ष्मीबाई महाविद्यालय, अशोक विहार, फेज–3, दिल्ली–52
2. साहित्य महोत्सव 22 से 24 मार्च, 2018 सत्यवती महाविद्यालय, अशोक विहार, फेज–3, दिल्ली–52

संस्थागत (चार)

1. अशोक विहार सीनियर सिटीजन एसोसिएशन, दिल्ली (13.6.18)
2. दिल्ली प्रशासन आवासीय परिसर, रेजि.वेल.फे.ऐसो.अशोक विहार, दिल्ली (3.9.18)
3. एच ब्लॉक, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन, फेज–1, अशोक विहार, दिल्ली (25.1.19)
4. रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, वजीरपुर, जे.जे. कॉलोनी, दिल्ली (26.1.19)

सिंधी अकादमीः वजीरपुर विधान सभा में सिंधी अकादमी द्वारा केवल एक कार्यक्रम दिनांक 10.04.2016 को आयोजित किया गया।

पंजाबी अकादमीः पंजाबी अकादमी द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कार्यक्रम करवाए जाते हैं, किन्तु विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र–वार ब्यौरा अकादमी में उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) **हिन्दी अकादमीः** उपर्युक्त कार्यक्रमों पर कुल व्यय 38,74,816/– रुपए।

सिंधी अकादमीः उपरोक्त कार्यक्रम में कुल रुपए 8,07,224/– की राशि खर्च हुई।

(घ) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

118. श्री सुरेन्द्र सिंहः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले चार सालों में सरकार के द्वारा कितनी और कौन–कौन सी भाषाओं की नई अकादमियां बनाई गई हैं;

(ख) ये अकादमियां दिल्ली में किस स्तर पर कार्य कर रही हैं;

(ग) इन सभी अकादमियों के कार्यालय कहां–कहां स्थित हैं, सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की जाये;

(घ) इन सभी अकादमियों को सरकार के द्वारा कितना–कितना बजट प्रदान किया गया है, सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करें; और

(ङ) नई बनाई गई अकादमियों में हरियाणवी भाषा (लोक दिल्ली की भाषा) के कितने सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए गए हैं?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) कैबिनेट के दिनांक 07.08.2018 के निर्णयानुसार निम्नलिखित अकादमियों का गठन किया गया हैः–

1. मलयालम अकादमी
2. गुजराती अकादमी
3. बंगाली अकादमी
4. इंटरनेशनल अकादमी
5. पाली एंड प्राकृति अकादमी
6. कुमाओनी – गड्वाली एंड जौनसारी अकादमी
7. मारवाड़ी अकादमी
8. कश्मीरी अकादमी
9. असमी अकादमी
10. हरियाणवी अकादमी
11. ओडिया अकादमी
12. कन्नड़ अकादमी
13. मराठी अकादमी
14. तेलगु अकादमी
15. तमिल अकादमी

(ख) अकादमियों के गठन की प्रक्रिया प्रगति पर है।

(ग) अकादमियों के गठन की प्रक्रिया प्रगति पर है।

(घ) नई अकादमी खोलने के लिए FY 2019–20 25 करोड़ रुपए की राशि कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग को प्रदान की गयी है।

(ङ) लागू नहीं।

119. श्री सोमनाथ भारतीः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2014 से सरकार द्वारा कराये गए सभी कार्यक्रम/समारोह का विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र–वार पूरा ब्यौरा क्या है

(ख) कार्यक्रम की तिथि, स्थल, इस पर हुई लागत और इस कार्यक्रम के लिए धनराशि के स्रोत का पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) विधायकों द्वारा अपने विधान सभा क्षेत्र में ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने के लिए कितना फंड उपलब्ध किया जाता है;

(घ) दिल्ली में देश के विभिन्न भागों की भाषाओं और संस्कृतियों को बढ़ावा देने के लिए नई अकादमियों की स्थापना करने की स्थिति क्या है;

(ङ) कृपया दिल्ली में चल रही विभिन्न अकादमियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तिथि, संपर्क नंबर, ई–मेल आईडी सहित ब्यौरा उपलब्ध कराएं?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार ब्यौरा अकादमियों में उपलब्ध नहीं है।

(ख) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र–वार ब्यौरा अकादमियों में उपलब्ध नहीं है।

(ग) वर्ष 2018–19 से **"विधायक सांस्कृतिक निधि स्कीम"** के अंतर्गत प्रत्येक विधायक द्वारा अपने–अपने विधान सभा क्षेत्र में कार्यक्रमों का आयोजन करवाने के लिए **25 लाख रुपए** की राशि प्रति वर्ष उपलब्ध करवाई जाती है।

(घ) दिल्ली में देश के विभिन्न भागों के भाषाओं और संस्कृतियों को बढ़ावा देने के लिए नई अकादमियों की स्थापना/पंजीकरण का कार्य दिनांक 02.01.2019 को किया जा चुका है।

(ङ) **डॉ. गोस्वामी गिरधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्य प्रतिष्ठानमः** डॉ. जीतराम भट्ट, निदेशक (प्रतिनियुक्ति आधार पर), 01.05.2013, 23520859, drgglspvpratishthanam@gmail.com

हिन्दी अकादमीः डॉ. जीतराम भट्ट, निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), फरवरी, 2016, 23693118, hindiacademydelhi@gmail.com

पंजाबी अकादमीः श्री गुरभेज सिंह गुराया, सचिव (प्रतिनियुक्ति आधार पर), 22.03.2016, 23616265, 23514692, secretarypunjabiacademy@ gmail.com

संस्कृत अकादमीः डॉ. जीतराम भट्ट, सेक्रेटरी (अतिरिक्त प्रभार), 01.06.2017, 23635592, 23681835, delhisanskritacademy@gmail.com

सिंधी अकादमीः श्रीमती सिन्धु मिश्रा, सचिव (अतिरिक्त प्रभार), 01.06. 2007, 23863167 sindhiacademy@gmail.com

उर्दू अकादमीः श्री एस.एम. अली, सचिव (अतिरिक्त प्रभार), 02.07.2015, 23863858, 23863566, urduacademy@gmail.com

मैथिली–भोजपुरी अकादमीः श्री गुरभेज सिंह गुराया, सचिव (अतिरिक्त प्रभार), 05.01.2018, 23629681, 23629682, mbacademydelhi@rediffmail.com

120. श्री विजेन्द्र गुप्ताः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्रीय करों में दिल्ली का कितना हिस्सा है;

(ख) वर्ष 2018–19 में दिल्ली का बजट कितना था और इसमें से केन्द्र सरकार ने कुल मिलाकर विभिन्न मदों में कितनी राशि दी;

(ग) दिल्ली सरकार को कितनी राशि अनुदान के रूप में और सेवा निवृत्त कर्मचारियों की पेंशन के रूप में प्राप्त हुई;

(घ) भारत सरकार से वर्ष 2018–19 में कितनी राशि जीएसटी लागू करने पर होने वाले राजस्व घाटे के एवज में मिली;

(ङ) जीएसटी के कारण वर्ष 2017–18 और 2018–19 में सरकार की वैट इत्यादि के मुकाबले कितनी अधिक राशि प्राप्त हुई; और

(च) केन्द्रीय सरकार दिल्ली मैट्रो, एम्स तथा अन्य प्रमुख अस्पतालों, नेशनल हाईवेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय तथा केन्द्रीय योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक पर कितनी–कितनी रशि व्यय करती है?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) दिल्ली को केन्द्रीय करों में यथोचित अंश के स्थान पर अनुदान दी जा रही है। जो कि मात्र 325 करोड़ रुपये है और यह अनुदान वर्ष 2001 से बढ़ाया नहीं गया है।

(ख) वर्ष 2018–19 में दिल्ली का बजट कुल 53000 करोड़ रुपये का था। जिसमें से केंद्र सरकार ने विभिन्न मदों में कुल 1741.76 करोड़ रुपये की राशि दिल्ली सरकार को विभिन्न मदों में प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त 4182 करोड़ रुपये जीएसटी लागू करने पर होने वाले राजस्व घाटे के एवज में प्राप्त हुए हैं।

(ग) दिल्ली सरकार को भारत सरकार से अनुदान के रूप में वर्ष 2018–19 में मात्र 15282.01 करोड़ रुपये (325 करोड़ – केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बदले अनुदान, 449.99 करोड़ रुपये – केंद्रीय सहायता और 807.02 करोड़ रुपये – केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं) प्राप्त हुए। सेवा निवृत्त कर्मचारियों की पेंशन का भुगतान भारत सरकार के बजट में सम्मिलित था, अतः इस मद में दिल्ली सरकार को कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने वर्ष 2018–19 में दिल्ली सरकार को जीएसटी लागू करने पर होने वाले राजस्व घाटे के एवज में 4182 करोड़ रुपये मुआवजे के रूप में प्रदान किये।

वर्ष	(जीएसटी) करोड़ रुपये
2017–18	13880.02
2018–19	19197.26
वृद्धि / कमी	5317.24

क्योंकि पैट्रोलियम उत्पाद तथा लीकर को छोड़कर वैट, लग्जरी टैक्स, मनोरंजन कर, सेवा कर, सेंट्रल एक्साइज इत्यादि वर्ष 2017–2018 में जीएसटी लागू होने पर जीएसटी में समाहित हो गये थे, इसलिए जीएसटी में प्राप्त राशि की तुलना वैट इत्यादि से नहीं की जा सकती है।

(च) केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली मैट्रो, एम्स तथा अन्य प्रमुख अस्पतालों, नेशनल हाईवेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय एवं केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से खर्च हुई राशि का बजट दिल्ली सरकार के बजट में सम्मिलित नहीं है।

121. श्री महेन्द्र गोयलः क्या **माननीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि डीएमसी एक्ट के सेक्शन 329 के अनुसार स्ट्रीट लाइट लगाने और रख–रखाव की जिम्मेदारी एमसीडी की है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि एमसीडी स्ट्रीट लाइट लगाने और उसके रख–रखाव के लिए खर्च की भरपाई के लिए डिस्कॉम के माध्यम से विद्युत कर लेता है;

(ग) क्या यह सत्य है कि 19 जनवरी, 2018 को माननीय मंत्री जी द्वारा बुलाई गई मीटिंग में यह निर्णय हुआ था कि स्ट्रीट लाइटों के रख–रखाव का काम एमसीडी द्वारा ही किया जाएगा;

(घ) वर्तमान में दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट किस निकाय के माध्यम से व किस फण्ड से लगाई जा रही है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि डिसकॉम द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों में लगाई गई नई स्ट्रीट लाइटों को चालू करने के लिए एमसीडी बिल करने की सहमति नहीं देता;

(च) पिछले वित्त वर्ष में पूरी दिल्ली में कितनी अनाधिकृत कॉलोनियों में लाइट लगाई गई; पूर्ण जानकारी दी जाए;

(छ) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली नगर निगम अनाधिकृत कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट विधायक फंड से लगा रही है; प्रक्रिया सहित पूर्ण विवरण दें;

(ज) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(झ) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा अपने आदेश संख्या WPC3569/UC-I/UD/CD-021295572/1627-1643 दिनांक 16.09.2016 के अनुसार अनाधिकृत कॉलोनियों की स्ट्रीट लाइट डीएसआईआईडीसी या सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा लगाई जाएगी;

(ञ) यदि हां, तो इन विभागों को स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए वित्त वर्ष में कितना फंड आवंटित किया गया था, पूर्ण विवरण दें; और

(ट) दिल्ली के अनाधिकृत कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट लगाने की विभाग की क्या योजना हैं, पूर्ण विवरण दे?

माननीय शहरी मंत्रीः (क) **डीएसआईआईडीसीः** जी हां।

पूर्वी दिल्ली नगर निगमः जी हां, अधिकृत क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगाने व उनके रख रखाव की जिम्मेदारी पूर्वी दिल्ली नगर निगम की है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगमः जी हां, अधिकृत क्षेत्र में स्ट्रीट–लाइट लगाने तथा उनके रख रखाव की जिम्मेदारी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगमः जी हां, अधिकृत क्षेत्र में स्ट्रीट–लाइट लगाने तथा उनके रख रखाव की जिम्मेदारी उत्तरी दिल्ली नगर निगम की है।

(ख) पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम व उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा बताया गया है दिल्ली नगर निगम की एक्ट की धारा 113 के अनुसार यह सत्य नहीं है;

(ग) **डीएसआईआईडीसीः** सत्य है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगमः इस संदर्भ में पूर्वी दिल्ली नगर निगम को कोई भी आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगमः जी हां, यह सत्य है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी अधिकृत क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटों के रख रखाव का कार्य करता है तथा अनाधिकृत कॉलोनियों में वैकल्पिक तौर पर करता है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगमः इस संदर्भ में उत्तरी दिल्ली नगर निगम को कोई भी आदेश प्राप्त नहीं हुआ है;

(घ) वर्तमान में दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट डीएसआईआईडीसी व सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के द्वारा शहरी विकास विभाग के विधायक निधि से लगाई जा रही है;

(ङ) **पूर्वी दिल्ली नगर निगमः** 2008 में दिल्ली सरकार द्वारा दिये गये फंड से डिस्कॉम द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों में लगाई गई स्ट्रीट लाइटों के बिजली बिल का भुगतान पूर्वी नगर निगम जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कर रहा है।

ऊर्जा विभागः टीपीडीडीएल द्वारा सूचित किया गया है कि उत्तरी एमसीडी केवल ऊर्जा प्रभार का भुगतान कर रही है।

बीआरपीएल द्वारा सूचित किया गया है कि यह सत्य है। बीवाईपीएल द्वारा सूचित किया गया है कि एमसीडी मेंटीनेंस प्रभार का भुगतान कर रही है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगमः 2008 में दिल्ली सरकार द्वारा दिये गये फंड से डिस्कॉम द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों में लगाई गई स्ट्रीट लाइटों के

बिजली बिल का भुगतान दक्षिणी दिल्ली नगर निगम जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कर रहा है। जिसकी राशि दिल्ली सरकार से मांगी गई है हालांकि 2016 के उपरोक्त आदेश अनुसार यह जिम्मेदारी डीएसआईआईडीसी की है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगमः 2008 में दिल्ली सरकार द्वारा दिये गये फंड से डिस्कॉम द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों में लगाई गई स्ट्रीट लाइटों के बिजली बिल का भुगतान उत्तरी दिल्ली नगर निगम जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कर रहा है। जिसकी राशि दिल्ली सरकार से मांगी गई है हालांकि 2016 के उपरोक्त आदेश अनुसार यह जिम्मेदारी डीएसआईआईडीसी की है;

(च) डिपोजिट स्किम के अंतर्गत केवल अमन विहार अनाधिकृत कॉलोनी में डीएसआईआईडीसी द्वारा लगभग 800 लाइट लगाई गई;

(छ) **पूर्वी दिल्ली नगर निगमः** जी नहीं।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगमः जी नहीं।

उत्तरी दिल्ली नगर निगमः जी नहीं;

(ज) **पूर्वी दिल्ली नगर निगमः** अनाधिकृत कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

दक्षिण दिल्ली नगर निगमः दिल्ली सरकार द्वारा अपने आदेश संख्या WPC3569/UC-I/UD/CD-021295572/1627-1643 Dated 16.09.2016 व F.No. 1-33/UC/UD/Policy/Part File/3030-344 Dated 23.10.2017 के अनुसार अनाधिकृत कॉलोनियों की स्ट्रीट लाइट डीएसआईआईडीसी या सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा ही लगाई जाएगी।

उत्तरी दिल्ली नगर निगमः दिल्ली सरकार द्वारा अपने आदेश संख्या WPC3569/UC-I/UD/CD-021295572/1627-1643 Dated 16.09.2016 व F.No. 1-33/UC/UD/Policy/Part File/3030-344 Dated 23.10.2017 के अनुसार अनाधिकृत कॉलोनियों की स्ट्रीट लाइट डीएसआईआईडीसी या सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा ही लगाई जाएगी;

(झ) **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभागः** सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा स्ट्रीट लाइट लगाने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

शहरी विकास विभाग (अनाधिकृत कॉलोनी शाखा): हां यह सत्य है कि अनाधिकृत कॉलोनी के आदेश दिनांक 16.09.2016 के अनुसार अनाधिकृत कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट डीएसआईडीसी के द्वारा डिस्कॉम लगाएगी;

(ञ) इस वित्त वर्ष में कोई भी फंड स्ट्रीट लाइट के लिए नहीं दिया गया; और

(ट) दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में विभाग की योजना के बारे में यह कहना है कि अनाधिकृत कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट लगाने का मामला विभाग में अंतिम निर्णय हेतु लंबित है। इस मामले में जल्दी ही कोई निर्णय ले लिया जाएगा।

122. श्री महेन्द्र गोयलः क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2015 से वर्तमान समय तक रिठाला विधान सभा क्षेत्र में विधायक फंड से कुल कितने कार्य किए गए तथा वर्तमान में सभी कार्यों की क्या स्थिति है; सभी का लागत सहित विवरण दिया जाए;

(ख) सभी कार्यों के लिए विभाग ने कुल कितना फंड जारी किया व

कार्य पूर्ण होने के बाद कुल कितना व्यय हुआ, व कुल कितनी बचत रही; पूर्ण विवरण दें;

(ग) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली की एमसीडी के तहत आने वाली सड़कों को पुनः बनाने के लिए मुख्य मंत्री सड़क निर्माण योजना चलाई जा रही है;

(घ) यदि हां, तो वर्तमान समय तक किस विधान सभा क्षेत्र को कितना बजट इस योजना के तहत दिया गया; पूर्ण विवरण दें; और

(ङ) इस योजना के लिए इस वित्त वर्ष में कुल कितना बजट रखा गया और उसमें से कुल कितना बजट इस्तेमाल किया गया, पूर्ण विवरण दें?

माननीय शहरी विकास मंत्रीः (क) **डूडा, उत्तर–पश्चिमी राजस्व विभाग** द्वारा अवधि 2015–16, 2016–17 तथा 2017–18 के दौरान रिठाला विधान सभा से संबंधित विधायक निधि के कार्यों की स्वीकृति की सूची अनुसंलग्नक 'क' पर संलग्न है तथा शहरी विकास विभाग द्वारा अवधि 2018–19 तथा 2019–20 में रिठाला विधान सभा से संबंधित विधायक निधि के कार्यों की स्वीकृति की सूची अनुसंलग्नक 'ख' पर संलग्न है;

(ख) शहरी विकास विभाग द्वारा वर्ष 2014–2015 में कुल रुपये 122.72 लाख तथा दिसंबर 2017 से अब तक रुपये 1810.21 लाख रुपये विभिन्न विकास कार्यों के लिए विधायक निधि से जारी किए जा चुके हैं तथा माननीय विधायक के विधायक निधि में बचत नहीं आई है क्योंकि विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों से बकाया राशि के लिये प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुए हैं;

(ग) जी हां, यह सत्य है;

(घ) इस योजना के विधान सभा क्षेत्रानुसार बजट का आवंटन का विवरण अनुलग्नक 'ग' से संलग्न* है; और

(ङ) इस वित्त वर्ष में इस योजना के तहत कुल रुपये आठ सौ करोड़ का बजट रखा गया है। उसमें से रुपये 147.69 करोड़ का बजट अभी तक इस योजना के तहत आवंटित हो गया है।

123. **श्री अजेश यादवः** क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बादली विधान सभा में क्षेत्र औद्योगिक कारखानों की एमसीडी के द्वारा की जा रही सीलिंग के क्या मापदंड हैं;

(ख) इस क्षेत्र में वर्ष 2019 में कितने औद्योगिक कारखानों की सीलिंग की गई है, पूर्ण विवरण उपलब्ध करें;

(ग) इस क्षेत्र में भविष्य में कितने औद्योगिक कारखानों की सीलिंग की जानी बाकी है, उन सभी की लिस्ट उपलब्ध करवाई जाए; और

(घ) इस सीलिंग से लगभग कितने लोगों के रोजगार पर असर पड़ेगा?

माननीय शहरी विकास मंत्रीः (क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगमः** उ.दि.न.नि. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर (एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य 4677/1985) के अनुपालन में रिहायशी क्षेत्र में चल रही अनअनुमेय औद्योगिक इकाइयों में डीएसआईआईडीसी के नेतृत्व में सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है जिसमें बादली विधान सभा भी आता है;

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगमः** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीलिंग का निर्देश चरणबद्ध तरीके से करने का आदेश दिया है जोकि तीन चरणों में है। क्षेत्रीय कार्यालय सिविल लाईंस से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 16.08.2019 के अनुसार बादली विधान सभा में वर्ष 2019 में एक भी इकाई सील नहीं की गई है;

(ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगमः** अनअनुमेय औद्योगिक इकाइयों जो रिहायशी क्षेत्रों में अनाधिकृत रूप से चल रही हैं, के सर्वे का कार्य चल रहा है; और

(घ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगमः** ऐसी कोई जानकारी इस विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

124. श्री अजेश यादवः क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मुकरबा चौक बाई पास स्थित राधा कृष्ण मंदिर के पास जो यूनिपोल खड़ा है, क्या वह नियमों के आधार पर सही है;

(ख) क्या यह सत्य है कि यह यूनिपोल किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो किसके द्वारा;

(घ) यदि नहीं, तो इसे किस विभाग ने लगाया है;

(ङ) इसे लगाने की टैंडर प्रक्रिया के दस्तावेज प्रस्तुत करें; और

(च) विभाग ने इसे हटाने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की है?

माननीय शहरी विकास मंत्रीः (क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगमः** जी हां;

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगमः** नहीं;

(ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगमः** होंशू बिल्ड्कोन प्रा.लि. द्वारा Allotment Date: 20.07.2016 Cancellation Date: 10.03.2017;

(घ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगमः** इस जगह पर कोई यूनिपोल वर्तमान में किसी को नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त किसी विज्ञापन साइट की अवधि पूर्ण हो जाती है, जो कि पूर्व में किसी को आबंटित थी, तो वह सम्पत्ति भी निगम की हो जाती है;

(ङ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगमः** इस जगह पर कोई युनिपोल वर्तमान में किसी को नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त किसी विज्ञापन साइट की अवधि पूर्ण हो जाती है, जो कि पूर्व में किसी को आबंटित थी, तो यह सम्पत्ति भी निगम की हो जाती है; और

(च) **उत्तरी दिल्ली नगर निगमः** यूनिपोल हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह नियमानुसार लगा हुआ है।

125. श्री अजेश यादवः क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बादली विधान सभा क्षेत्र में मुकरबा चौक पर कितनी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है;

(ख) अतिक्रमण किस प्रकार का है; कार्यालय, दुकान या अन्य भवन निर्माण कार्य;

(ग) विभाग के द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए आज तक क्या कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो उसका विवरण दें; और

(ङ) यह अतिक्रमण कब किया गया था?

माननीय शहरी विकास मंत्रीः (क) **लोक निर्माण विभाग** के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मुकरबा चौक पर रेहडी पटरी की दुकानें, राधा कृष्ण मंदिर परिसर में युनीपोल, निजी पार्किंग इत्यादि अतिक्रमण है। मुकरबा चौक पर स्थित राधा कृष्ण मंदिर प्रांगण का क्षेत्रफल पार्किंग एवं पुस्तकालय सहित लगभग 350 वर्ग मीटर है। मुकरबा चौक पर अनाधिकृत रूप से लगने वाली रेहडी पटरी का क्षेत्रफल लगभग 50 वर्ग मीटर है;

(ख) **लोक निर्माण विभाग** के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मंदिर प्रांगण का स्थाई ढांचे के अलावा अस्थाई दुकानें, खोमचें रेहडी पटरी इत्यादि;

(ग) **लोक निर्माण विभाग** के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिल्ली नगर निगम तथा एसडीएम को समय–समय पर अतिक्रमण हटाए जाने के लिए अवगत कराया गया है।

इस विभाग के पत्र संख्या द्वारा DB (Encroachment)/PWD/North Roads/ 3568 दिनांक 17.09.2018 एवं 3487 दिनांक 10.09.2018 द्वारा सहायक आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम तथा एसडीएम अतिक्रमण हटाने हेतु अवगत कराया गया था। समय–समय पर एमसीडी तथा एसटीएफ के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा लॉजिस्टिक असिस्टेंस प्रदान की गई है;

(घ) **लोक निर्माण विभाग** उपरोक्त 'ग' अनुसार वर्णित पत्रों की प्रतियां संलग्न है; और

(ङ) **लोक निर्माण विभाग** इस प्रकार की कोई जानकारी इस विभाग के पास उपलब्ध नहीं हैं।

उपरोक्त 'ग'

कार्यपालक अभियंता कार्यालय,
उत्तरी रोड, लो.नि.वि.,
खालसा कॉलेज के विपरीत,
माल रोड, दिल्ली–110054

O/o THE EXECUTIVE ENGINEER
North Roads, PWD, (GNCTD),
Opposite Khalsa College,
Mall Road, Delhi-110054

Tel: 23814412, Fax: 23818058 Email: eepwddelhinr@gmail.com

No. DB (Encroachment)/PWD North Roads/3567 Dated 17.9.18

To,

The Assistant Commissioner
North Delhi Municipal
Corporation 16, Rajpur Road,
Delhi-54

The SDM Alipur
Room No. 14, DM Office Complex,
Grand Trunk Road, Alipur,
New Delhi110036

Sub: **मुकरबा चौक पर बने राधा कृष्ण मंदिर परिसर में अवैध कब्जों के संबंध में।**

Ref: माननीय विधायक (बादली) श्री आजेश यादव की पत्र सं. दिनांक 16.08.18

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको अवगत कराया जाता है कि राधा कृष्ण मंदिर परिसर में लगे unipole को हटाने के लिए इस कार्यालय के पत्र सं DB(Misc-NR14)/PWD North Roads/2228 dated 01.06.2018 के द्वारा

उप–जिलाअधिकारी (अलीपुर) को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जा चुका है। जिसके लिए अग्रिम कार्यवाही DTF/STF द्वारा अपेक्षित है। माननीय विधायक महोदय ने सूचित किया है कि वहां अनाधिकृत पुस्तकालय और आरामगाह (फार्म हाउस) भी बना दिया गया है तथा निजी पार्किंग भी बनाई गई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मंदिर परिसर से अवैध कब्जा हटाने के लिए DTF/STF को मामला सौंप दिया जाए जिससे अग्रिम अनाधिकृत कब्जा हटाने वाले कार्यक्रम में उसे सम्मिलित कर इसे हटाया जा सके।

Yours Sincerely

(Er. Vikram Pal)
Executive Engineer
North Roads, PWD
(GNCTD), Delhi-54

Copy to:-

1. कार्यपालक अभियंता (वै.), उ.वै.मं, लो.नि.वि., डा.बा.सा. अस्पताल, रोहिणी, दिल्ली को संदर्भित पत्र की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं उनसे अनुरोध है कि हटवाने का कष्ट करें एवं इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए भी आवश्यक कदम उठाने का कष्ट करें।

2. सहायक अभियंता, एनआर–14 w.r.t. his letter no. 54(misc)/स.ई (सि.)/लो.नि.वि./उ.मं. आर.–14/2018–19/280 हि. दिनांक 05.09. 2018 को सूचनार्थ।

कार्यपालक अभियंता कार्यालय,
उत्तरी रोड, लो.नि.वि.,
खालसा कॉलेज के विपरीत,
माल रोड, दिल्ली–110054

O/o THE EXECUTIVE ENGINEER
North Roads, PWD, (GNCTD),
Opposite Khalsa College,
Mall Road, Delhi-110054

Tel: 23814412, Fax: 23818058 Email: eepwddelhinr@gmail.com

No. DB (Encroachment)/PWD North Roads/3487 Dated 10.9.18

To,

The Assistant Commissioner
North Delhi Municipal Corporation
16, Rajpur Road, Delhi-54

Sub: मुकरबा चौक ओवर पर अनाधिकृति रेहडी पटरी की दुकाने लगाने के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको अवगत कराया जाता है कि मुकरबा चौक फ्लाई ओवर पर बस स्टैंडों के पास कई ठेले/रेहडी वाले अपनी दुकान अनाधिकृत रूप से लगा रहे हैं जिनको कई बार वहां से हटवाया भी है परन्तु ये लोग पुनः आकर दुकान लगा लेते हैं इनके द्वारा बस स्टैंडों के आस पास बहुत ही ज्यादा गंदगी फैलाई जा रही है जिसके कारण यात्रियों को बहुत ही परेशानी हो रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त अनाधिकृति कब्जा हटाने के लिए उपरोक्त समक व फ्लाई ओवर को आगामी अनाधिकृत कब्जे हटाने के प्रोग्राम में शामिल करें।

Yours Sincerely

(Er. Vikram Pal)
Executive Engineer
North Roads, PWD
(GNCTD), Delhi-54

Copy to:-

1. Superintending Engineer (North) Circle, PWD, ISBT Kashmere Gate, Delhi for kind information.
2. SDM (Model Town), Convener, Special Task Force, Kewal Park, Near NDPL Office, Azadpur, Delhi-33 alongwith all details.
3. Assistant Engineer, NR-14 w.r.t. his letter no. 54 (Encroachment)/स.ई (सि.)/लो.नि.वि./उ.मं. आर.–14/2018–19/267 दिनांक 31.08.2018 for information and necessary action.

Exective Engineer

126. श्री जरनैल सिंहः क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एमपीडी–2021 के मुताबिक व्यावसायिक कार्यालय, मॉल्स व अस्पतालों में पार्किंग क्षेत्र को एमएआर से मुक्त रखा गया है जिसका व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं हो सकता;

(ख) दिल्ली में कुल कितने व्यावसायिक कार्यालय, मॉल्स व अस्पताल हैं जहां एमपीडी–2021 की उल्लंघन करके पार्किंग चार्ज लिया जा रहा है;

(ग) जब एमपीडी–2021 में यह व्यवस्था की गयी है कि पार्किंग क्षेत्र का व्यावसायीकरण नहीं किया जाएगा तो क्या कारण है कि दिल्ली में बहुत सारे कार्यालय, मॉल्स व अस्पतालों द्वारा पार्किंग चार्जेज वसूले जा रहे हैं; और

(घ) इस लापरवाही के लिए किस–किस विभाग के कौन–कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं, उनका पूर्ण ब्यौरा दिया जाए?

माननीय शहरी विकास मंत्रीः (क) **दिल्ली छावनी परिषद :** एमपीडी–2021 दिल्ली छावनी परिषद् पर लागू नहीं है तथापि दो पार्किंग लोट्स उपलब्ध किए गए हैंः सदर बाजार व शास्त्री बाजार। दिल्ली छावनी परिषद् में पार्किंग सुविधा निःशुल्क है।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम एवं पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि, एमपीडी–2021 के अनुसार, पार्किंग हेतु स्वीकृत भूमिगत तल एफएआर से मुक्त है तथा इसके व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता;

नोटः–दिल्ली मास्टर प्लान की प्रतिलिपि पृष्ठ संख्या 273, 274 और 275 संलग्न की जा रही है। **अनुलंग्नक 'क'**

(ख) **दिल्ली छावनी परिसद्ः** एमपीडी–2021 दिल्ली छावनी परिषद् पर लागू नहीं है तथापि दो पार्किंग लोट्स उपलब्ध किए गए हैंः सदर बाजार व शास्त्री बाजार। दिल्ली छावनी परिषद् में पार्किंग सुविधा निःशुल्क है।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्ः एमपीडी–2021 में पार्किंग चार्ज (खण्ड 'क') के बारे में कोई जिक्र नहीं है। यद्यपि एमपीडी 2021 के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पार्किंग चार्जिज की नीति का निष्कर्ष करना होगा।

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्डः डूसिब विभाग के अंतर्गत आने वाले मॉल्स जो कि डूसिब भूमि की लीज पर उपस्थित हैं। उनकी सूची संलग्न है। **अनुलग्नक 'ख'**

इस संदर्भ में डूसिब द्वारा सभी मॉल्स को पार्किंग चार्ज के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। जिसको उप–आयुक्त दक्षिण नगर निगम और

निदेशक (भवन), दिल्ली विकास प्राधिकरण को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गयी है। चूंकि भवन सम्बन्धी नियम की देख रेख की जिम्मेदारी इन्हीं विभागों की है। प्रतिलिपि संलग्न है। **अनुलग्नक 'ग'**।

पूर्वी दिल्ली नगर निगमः पूर्वी दिल्ली नगर निगम के प्रस्ताव संख्या 73 दिनांक 27.08.2018 के अनुसार पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 06 अस्पताल एवं 07 माल्स में पार्किंग चार्ज नहीं लिया जा रहा है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगमः उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी पत्र संख्या 825 दिनांक 15.11.2018 एवं पत्र संख्या 837 दिनांक 20.11.2018 (जिनकी प्रतिलिपि अनुलंग्नक 'क' पर संलग्न है) पत्रों में दिये गये निर्देशों का पालन न करने वालों पर क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा डीएमसी एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगमः दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र एवं नजफगढ़ क्षेत्र के व्यावसायिक कार्यालय, मॉल्स व अस्पतालों में किसी प्रकार का पार्किंग चार्ज नहीं लिया जा रहा हैं, हालांकि दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित मॉल्स में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पार्किंग चार्ज वसूला जा रहा हैः

S.No.	Name of Malls
1.	DLF Emporia, Vasant Kunj
2.	DLF Promenade Mall, Vasant Kun
3.	Ambience Mall, Vasant Kunj

(ग) **दिल्ली छावनी परिसद्:** एमपीडी–2021 दिल्ली छावनी परिषद् पर लागू नहीं है तथापि दो पार्किंग लोट्स उपलब्ध किए गए हैं: सदर बाजार व शास्त्री बाजार। दिल्ली छावनी परिषद् में पार्किंग सुविधा निःशुल्क है।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्: एमपीडी–2021 में पार्किंग चार्ज (खंड 'क') के बारे में कोई जिक्र नहीं है। यद्यपि एमपीडी–2021 के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पार्किंग चार्जिज की नीति का निष्कर्ष करना होगा।

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड: उपरोक्त 'ख' के अनुसार।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम: पूर्वी दिल्ली नगर निगम के प्रस्ताव संख्या 73 दिनांक 27.08.2018 के अनुसार पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 06 अस्पताल एवं 07 माल्स में पार्किंग चार्ज नहीं लिया जा रहा है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम: उत्तरी दिल्ली नग निगम द्वारा जारी पत्र संख्या 825 दिनांक 15.11.2018 एवं पत्र संख्या 837 दिनांक 20.11.2018 (जिनकी प्रतिलिपि अनुलंग्नक 'क' पर संलग्न है) पत्रों में दिये गये निर्देशों का पालन न करने वालों पर क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा डीएमसी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम: उपरोक्त 'ख' के अनुसार; और

(घ) **दिल्ली छावनी परिसद्:** एमपीडी–2021 दिल्ली छावनी परिषद् पर लागू नहीं है तथापि दो पार्किंग लोट्स उपलब्ध किए गए हैं: सदर बाजार व शास्त्री बाजार। दिल्ली छावनी परिषद् में पार्किंग सुविधा निःशुल्क है।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्: एमपीडी–2021 में पार्किंग चार्ज (खंड 'क') के बारे में कोई जिक्र नहीं है। यद्यपि एमपीडी–2021 के अनुसार,

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पार्किंग चार्जिज की नीति का निष्कर्ष करना होगा।

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्डः उपरोक्त 'ख' के अनुसार।

पूर्वी दिल्ली नगर निगमः पूर्वी दिल्ली नगर निगम के प्रस्ताव संख्या 73 दिनांक 27.08.2018 के अनुसार पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 06 अस्पताल एवं 07 माल्स में पार्किंग चार्ज नहीं लिया जा रहा है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगमः उत्तरी दिल्ली नग निगम द्वारा जारी पत्र संख्या 825 दिनांक 15.11.2018 एवं पत्र संख्या 837 दिनांक 20.11.2018 (जिनकी प्रतिलिपि अनुलंग्नक 'क' पर संलग्न है) पत्रों में दिये गये निर्देशों का पालन न करने वालों पर क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा डीएमसी एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगमः उपरोक्तनुसार लागू नहीं होता।

अनुलंग्नक 'क'

(iii) In all TOD projects, boundary walls along any edge facing a public open space viz. pathway, road, park, etc. shall be prohibted. In case enclosure of sites is required, translucent fencing shall be used.]

8(4) Parking Standards

Parking Standards have been prescribed in each use premises however, where it is not prescribed, it will be followed as given m the Table 17.2.

Table 17.2: Parking Standards

Sl. No.	Use Premises	Permissible Equivalent Car Spaces (ECS) per 100 sqm. of floor area [1][*]
1.	Residential	2.0
2.	Commercial	3.0 [1][**]
3.	Manufacturing	2.0
4.	Government	1.8
5.	Public and Semi Public-Facilities	2.0
6.	All Use Premises within TOD Zone	1.33]

[1][Notes:

* Additional parking may be created within integrated schemes only as paid, shared parking facilities accessible to general public at all times.

** Planned commercial centres may be developed/redeveloped as per integrated schemes, in which mixed use component may be introduced along with comprehensive PMD plans, feeder systems, public spaces, etc. In such cases, parking norms may be rationalized and ECS norms for mixed use may be applied subject to approval of Technical Committee of DDA. Activities permitted shall be as per Table 5.1 of the Master Plan.]

(i) In existing buildings having plot area of more than 2000 sqm., an extra ground coverage of 5% shall be permissible for construction of automated multi-level parking to provide dedicated parking structures for additional needs.

(ii) For the provision of car parking spaces, the space standards shall be as given in Table 17.3.

[1]Added vide S.O. 1914 (E) dated 4-07-2015.

Table 17.3: Space Standards for Car Parking

Sl.No.	Type of Parking	Area sqm. per ECS
1.	Open	23
2.	Ground floor covered	28
3.	Basement	32
4.	Multi level with rarnps	30
5.	Automated multilevel with lifts	16

(iii) In the use premises, parking on the above standards shall be provided within the plot.

(iv) [1][In cases, where the building (except hotel] with sanctioned plan is existing/under construction and where building plans stand sanctioned as per MPD-2001, the parking is to be provided for additional FAR availed, shall be as per the parking standards prescribed in MPU-2021.]

[2](v) Parking is one of the utilities permitted in all use zones except in regional park/ridge, Recreational Open Space and parks as per the approved Zonal Plan/layout plan.

(vi) The standards given in Equivalent Car Space (ECS) shall include parking for all types of vehicles i.e. cars, scooters, cycles, light and heavy commercial vehicles, buses etc., Parking adequacy statement/ study for large projects like Stadia, Shopping Malls, Multiplexes will be desirable. Mode-wise parking spaces are to be marked on drawings to be submitted for approval]

[1]Added vide S.O. 1603(E) dated 17.07.2012 and S.O. 1706(E) dated 26.07.2012
[2]Added vide S.O. 1914(E) dated 14.07.2015

[1][Table 17.4: Indicative On-site Parking (ECS) Requirements for project*

Mode	ECS Standard by mode	Area in Sq.m. (including circulation)	Distribution by mode - per 1 ECS/100 sq.m of Built up area for all projects	Distribution by mode per 1 ECS/100 sq.m. of Built up Area within TOD Zone
Cars/Taxis	1	23.00	0.60	0.60
2 Wheelers	0,25	5.75	0.25	0.10
Cycles	0.1	2.30	0.05	0.10
Buses/Shared Vans	3.5	80.50	0.05	0.10
Commercial Vehicles	3.5	80.50	0.05	0.10
Total			1,00 ECS	1.00 ECS

*The above figures are indicative and may be customized on case to case basis. However minimum proportion of cycle parking is mandatory.]

8(5) BASEMENTS

(a) Basement(s) upto the setback line maximum equivalent to parking and services requirement, such as Air Conditioning Plant and equipment, water storage, Boiler, Electric Sub-Station HT and LT

[1]Added vide S.O. 1914(E) dated 14.07.2015

Panel roams, Transformer Compartment, Control Room, Pump House, Generator Room and other mechanical services and installation of electrical and fire fighting equipments, and other services required for the maintenance of the building with prior approval of the concerned agencies, could be permitted and not to be counted in FAR. [1][In case of Hotels Laundry, Cold Room for storing Food articles, Linen Store, Garbage Room, Housekeeping store and Cold Storage may be allowed.]

(b) [2][The basement(s) beyond building line shall be kept flushed with the ground and shall be ventilated with mechanical means of ventilation; and]

(c) Basement(s) shall be designed to take full load of the fire tender, wherever required and subject to adequate safety measures.

(d) In case the basement is used for activity in conformity with the use premises, wherever permitted, the same shall be counted in FAR subject to clearance from the Fire Authorities and other statutory bodies.

(e) Parking area, if misused, is liable to be municipalized/taken over by the Local Body/Authority.

(f) The ESS, fire fighting installations and underground water tank shall neither be counted in ground coverage nor in FAR.

[3][8(6) SERVICES PLAN

The Developing Agency should provide for the following in layout plans of plots of size 3000 sq.m and above:-

---

[1]Modified vide S.O. 678(E) dated 04.03.2014
[2]Modified vide S.O. 1215(E) dated 13.05.2013
[3]Modified vide S.O. 2894(E) dated 23.09.2013

(i) Recycling of treated waste water with separate lines for potable water and recycled water. Dual piping system to be introduced.

(ii) Ground water recharge through rain water harvesting, conserving water bodies and regulating groundwater abstraction.

(iii) Treated sewage effluent should be recycled for non-potable uses like gardening, washing of vehicles, cooling towers, etc.

(iv) Utilities such as, underground water storage tank, roof-top water harvesting system, separate dry and wet dustbins etc. are to be provided within the plot.

अनुलंग्नक 'ख'

List of malls given on lease hold basis situated on DUSIB Land is as under:

Sl. No.	Name of agency	Name of mall present status
1.	4, 5, 6	M/s GPS Properties
2.	7	M/s Sewa International Fashion Pvt. Ltd.
3.	8	M/s Discovery Estate Pvt. Ltd.
4.	2	M/s ESS CEE CEE (India) Pvt. Ltd.
5.	10	M/s R.S. Sood & Company Pvt. Ltd.
6.	11	M/s Vardhman Land Developers Pvt. Ltd. & M/s Pushpanjali Pvt. Ltd.

अनुलंग्नक 'ग'

DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD
GOVT. OF NCT Of DELHI
R.P. CELL, VIKAS KUTEER, I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110002

No. F/RP Cell/DUSIB/2018/0-14 Date 24.01.2019

To,

M/s Sewa International Fashion Ltd.
Through Sh. Subhash Chuhan,
Commercial Plot No. 7,
District Centre, Raja Garden, New Delhi-27

Sub: Regarding collection of illegally parking charges in shopping mall, Shivaji Place, District Centre, Raja, Garden.

Please refer to this office letter No. DD/113/RP Cell/DUSIB/18 dated 27.08.2018 on the subject died above wherein directions were Issued to implement SDMC circular date 02.12.2015 for providing free parking in the Malls. But, it has again been brought to the notice of DUSIB, that the parking fee/charges are being collected in the parking available in Shopping Mall situated on the DUSIB land and Shopping Malls thus violating the guidelines issued by the ;SDMC/EDMC/NDM vide circular dated 02.12.2015, 15.11.2018 & 07.12.2018, respectively and order of Hon'ble High Court in the matter of Sh. Sanjay Puri Vs. South Delhi Municipal Corporation in W.P.(C) 9531/2017.

In view if the above circulars-an 1 Court directions, it once again reiterated to implement the instruction issued by SDMC/EDMC/NDMC's circular's dated 02.12.2015, 15.11.2018 & 07.12.18 respectively, in letter and spirit failing which action may be initiated by the concerned municipal, authorities.

Deputy Director (RP)

Copy to:-

1. Deputy Commissioner, SDMC far Information and necessary action, if any.
2. Director (Building}, G'DA-as the building activities of this District Centre Is vested with DOA.
3. EE C-4 for strict compliance with the directions to paste this letter at conspicuous place of the premises of all the shopping malls.

DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD
GOVT OF NCT OF DELHIOFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER C-4

Subject: Regarding collection of illegally parking charges in shopping mall, Shivaji Place, District Centre, Raja Garden.

Notices regarding subject mentioned above were received vide No. F/RP Cell/DUSIB/2018/D-15-19 dated 24.01.2019 in this office on 28.01.2019. These notices were pasted on the respective malls on 31.01.2019 (Photographs attached) and the report regarding the same was sent to DD (RP) from this office bearing no. D-6005, D-6010, D-6011, D-6012, D-6013 and D-6014 on dated 02.02.2019.

The list of the malls where notices were pasted is mentioned below:

Sl. No.	Plot No.	Name of Agency	Name of Mall (present status)	Remarks
1	2	3	4	5
1	4, 5, 6	M/s GPS Properties	West Gate Mall	Notice Pasted on 31.01.2019

1	2	3	4	5
2.	7	M/s Sewa International Fashion Pvt. Ltd.	City Square Mall	Notice Pasted on 31.01.2019
3.	8	M/s Discovery Estate Pvt. Ltd.	City Square Mall Pvt. Ltd. Mall	Notice Pasted on 31.01.2019
4.	2	M/s EES CEE CEE (India) Pvt. Ltd.	Paragon Mall	Notice Pasted on 31.01.2019
5.	10	M/s R.C. Sood & Company Pvt. Ltd.	Shopper's Stop (Pearl Academy)	Notice Pasted on 31.01.2019
6.	11	M/s Vardhman Hand Developers Pvt. Ltd & M/s Puspanjali Pvt. Ltd.	TDI Mall	Notice Pasted on 31.01.2019

अनुलंग्नक 'घ'

North Delhi Municipal Corporation
(Remunerative Project Cell)

16th Floor, Civic Centre
Minto Road, New Delhi
Tel. No. 2322-6602

No. ADC/RP Cell/NDMC/2018/D-825 Dated: 15.11.2018

PUBLIC NOTICE

It has been brought to the notice of Commissioner, North Delhi Municipal Corporation that heavy fee/parking charge is being collected from the public for parking the vehicles in the place meant for parking in commercial/office Malls/

Hospital Complexes, The place earmarked for parking in commercial/office Malls/Hospital complexes is free from FAR and place Is meat-it for parking by public without any fee. Further, as per provision of MPD-2021 and sanctioned plans by Corporation, the area reserved for parking, the said place provided for parking cannot be put to commercial use in any manner being free from FAR. The collection of such fee amounts to business and against the sanction of plan by North DMC for parking. It is the duty of owner of every complex to provide free parking to the public who visit such complex for shopping/work. If fee is collected, the earmarking of parking place in commercial/office complexes will become futile. People are parking their vehicles In the road margin as complex owners are collecting fee and resulting In traffic problems and accidents. Hence, all the concerned are hereby cautioned that parking fee should not be collected in parking areas in commercial/office Malls/ Hospital complexes. Collection of such fee amounts to violation of sanctioned plan and it will be. treated seriously and North DMC will take appropriate action against those persons. The general public Is also requested to inform the North DMC about collection of any such fee to take appropriate action.

Additional Deputy Commissioner
R.P. Cell/North DMC

Distribution:-

1. All Zonal Deputy Commissioners/North DMC
2. All S.Es of Zones/North DMC
3. Director (P & I)/North DMC ; for publication in news papers
4. Ms. Monica Arora, Mpl. Counsel

Copy for kind information to:

1. Secy, to Commissioner/North DMC
2. Addl. Cm. (Rev.)/North DMC

Copy for kind information to:

1. P.S. to Mayor/North DMC
2. P.S. to Deputy Mayor/North DMC
3. Chairperson, Standing-Committee/North DMC
4. Leader of House/North DMC
5. Leader of Opposition/North DMC

North Delhi Municipal Corporation
(Remunerative Project Cell)

16th Floor, Civic Centre
Minto Road, New Delhi
Tel. No. 2322-6602

No. ADC/RP Cell/NDMC/2018/D-837 Dated: 20.11.2018

Sub: Reg. enforcement action on levy of parking charges for parking space in the Commercial Complex Offices, Mans, Hospitals

Ref: Hon'ble High Court fatter titled as "Sanjay Puri V/s South Delhi Municipal Corporation and Contempt Petition in WPC-9531/2017

On the subject I am directed to inform that during the meeting held on 10.10.2013 in the Chamber of the Additional Commissioner (Revenue), North Delhi Municipal Corporation regarding levy of parking charges for parking space in the Commercial Complex Offices, Malls, Hospitals, it was decided that a public notice in Regard to subject matter shall be issued by the RP Cell/North DMC on the pattern of South DMC. Further, it was also decided that enforcement action will be taken by the Engineering Department as well as by the Zonal Building Departments as per the provisions of MPD-2021 and Building bylaws.

As per approval of the Competent Authority dated 12.11.2018, public notice is issued vide No. ADC/RP Cell/NDMC/2018/D-825 dated 15.11.2018 restraining Commercial Complex Offices, Malls, Hospitals to charge parking fee because charging of parking fee is the violation of sanction building plans and building bylaws. The copy of public notice is attached herewith for ready reference.

Further, the approval of Competent Authority is hereby conveyed to Zonal Engineering Department and Building Department take actions against the above mentions violations as per provisions of MPD-2021 and building bylaws.

Additional Deputy Commissioner
R.P. Cell/North DMC

Distribution:-

1. All Zonal Deputy Commissioners/North DMC
2. All S.Es of Zones/North DMC
3. Director (P&I)/North DMC
4. Ms. Monica Arora, Mpl. Counsel through C.L.O./North DMC

Copy for kind information to:

1. Secy. to Commissioner/North DMC
2. Addl. Cm. (Rev.)/North DMC

Copy for kind information to:

1. P.S. to Mayor/North DMC
2. P.S. to Deputy Mayor/North DMC
3. Chairperson, Standing Committee/North DMC
4. Leader of House/North DMC

127. श्री जरनैल सिंहः क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र में डीडीए की सभी प्रकार की सम्पत्तियों का ब्यौरा देते हुए उनका भूमि उपयोग भी बताया जाए;

(ख) इस क्षेत्र में आने वाली छोटी सब्जी मण्डी में कुल कितनी दुकानें हैं और इनमें से कितनी दुकानें खुली हैं व कितनी बंद हैं;

(ग) बड़ी संख्या में इन दुकानों का बन्द पड़े रहने का क्या कारण है; इसका पूरा विवरण दिया जाए; और

(घ) खाली पड़ी व उपयोग में न आ रही सम्पत्तियों पर आने वाले समय पर विभाग द्वारा की जाने वली कार्रवाई का विवरण दिया जाए?

माननीय शहरी विकास मंत्रीः (क) से (घ) **दिल्ली विकास प्राधिकरणः** दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रश्न भेजा गया था। इस संदर्भ में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र संख्या एफ 5(3)/मिस./2015/पी एंड सी/वीएस/769 दिनांक 2 अगस्त, 2018 द्वारा यह सूचित किया है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239एए(3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए विधान सभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के सम्बन्ध में सभा द्वारा उठाये गये प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है। (प्रतिलिपि संलग्न है)

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(आयुक्त एवं सचिव कार्यालय)
ब्लॉक–बी, विकास सदन, आईएनए नई दिल्ली–110023

सं. एफ5(3)/मिस./2015/पी एंड सी/वीएस/769 दिनांक 2 अगस्त, 2018

सेवा में

श्री संदीप मिश्रा,
विशेष सचिव (संसद अनुभाग),
शहरी विकास विभाग, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार,
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय,
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–11002

विषयः छठी दिल्ली विधान सभा के 7वें सत्र के दूसरे भाग में दिनांक 07.06.2018 को उठाए गए अतारांकित प्रश्न के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 09.07.2018 के अपने पत्र सं. एफ–53 (यूएसक्यू)/बजट सेशन–सैंकड–जून–2018/दिल्ली असेंबली/यूडी/डी 7175–7176 का अवलोकन करें, जिसकी संदर्भ सं. एफयूएसक्यू/बजट सेशन–II जून, 2018/दिल्ली असेंबली/यूडी/डी–6983–43 (यूएसक्यू–80), 6925–34 (क्यूएसक्यू–78), 6977–80 (क्यूएसक्यू–89) तथा 6901–6904 (क्यूएसक्यू–70) दिनांक 29.05.2018 तथा अनुपूरक फर्स्ट डी–7066 से 7068 दिनांक 13.06.2018 है, जिसके द्वारा संदर्भित विषय पर उत्तर तैयार करने के लिए विभाग की उपयुक्त सामग्री प्रेषित करने के लिए कहा गया था।

इस संबंध में, यह बताया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 239एए(3)(क) के अनुसार विधान सभा के पास राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में आने वाले किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, केवल उन

मामलों को छोड़कर जो राज्य सूची की प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं तथा सूची की प्रविष्टि 64, 65 तथा 66 से कुछ हद तक संबंधित हैं क्योंकि ये उक्त प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं। अतः आरक्षित विषयों अर्थात् प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 में उल्लिखित विषयों पर राज्य सरकार के पास न तो कानून बनाने की शक्तियां हैं और न ही कार्यकारी कार्रवाई करने की शक्तियां। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 29 में यह वर्णित है कि प्रश्नों की विषय सामग्री प्रशासन के मामलों से संबंधित होनी चाहिए, जिसके लिए सरकार उत्तरदायी है।

अतः दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239एए(3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए विधान सभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के संबंध में सभा द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए क्योंकि दि.वि.प्रा. केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है।

तथापि, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के विकास कार्य और सार्वजनिक कल्याण में दि.वि.प्रा. की भूमिका से संबंधित मामलों के संबंध में दि.वि.प्रा. रा. रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त पत्राचार के उत्तर देना जारी रखेगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डी. सरकार)
आयुक्त एवं सचिव

128. श्री जरनैल सिंहः क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली के तीनों नगर निगमों में पिछले कुछ वर्षों में अवैध निर्माण के दर्ज हजारों मामलों में से विभाग कुछ ही मामलों में कार्रवाई कर पाया है;

(ख) शेष दर्ज किए गए मामलों पर कार्रवाई न होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सत्य है कि दिल्ली के तीनों नगर निगम 1.1.2014 से अब तक बिल्डिंग डिपार्टमेंट द्वारा दर्ज की गयी सम्पत्तियों की आज की स्थिति बताने में असमर्थ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो तीनों नगर निगमों में 1.1.2014 से अब तक दर्ज की गयी बिल्डिगों की जोन वाइज संख्या, उन पर की गयी कार्रवाई व उनकी आज की स्थिति का विवरण क्या है;

(च) क्या यह सत्य है कि जून, 2018 को पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा इस सदन को दिए गए जवाब में इस काम के लिए दो महीने का समय मांगा गया था व उत्तरी तथा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम इसका सतोषजनक जवाब नहीं दे पाये;

(छ) 1.1.2014 से अब तक तीनों नगर निगमों में भवन विभाग में कार्यरत वार्ड अनुसार जेई, एई, एक्सइन व इनके सभी वरिष्ठ अधिकारियों व उनके कार्यकाल का विस्तृत विवरण दिया जाए; और

(ज) इतनी अधिक संख्या में अनाधिकृत निर्माण होने के लिए जिम्मेवार

भवन विभाग के जेई से लेकर उच्च अधिकारियों पर अभी तक कोई कार्रवाई न किए जाने के कारण बताएं?

माननीय शहरी विकास मंत्रीः (क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगमः** उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि क्षेत्रीय भवन विभाग द्वारा निर्माण के दर्ज मामलों में डीएमसी एक्ट के तहत विधित कार्यवाही की जाती है। कार्यवाही का ब्यौरा क्रम संख्या 'ड' में दिया गया है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगमः 01.01.2014 से 31.07.2019 तक कुल 11,699 अवैध निर्माण बुक किये गये हैं जिनमें से 4,869 पर तोड़फोड़ की कार्यवाही की गयी है और 1,763 को सील कर दिया गया है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगमः अवैध निर्माण का कोई भी मामला संज्ञान में आने पर डीएमसी एक्ट 1957 के तहत तदोपरान्त अवैध निर्माण के विरुद्ध प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है;

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगमः** उपरोक्त 'क' के अनुसार।

पूर्वी दिल्ली नगर निगमः पूर्वी दिल्ली नगर निगम उपलब्ध संसाधनों के अनुसार के कार्यवाही कर रहा है। शेष दर्ज मामलों में संसाधनों की कमी के वजह से कार्यवाही नहीं हो सकी है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगमः उपरोक्तानुसार;

(ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगमः** जी, नहीं।

पूर्वी दिल्ली नगर निगमः यह सत्य है कि आज की स्थिति बताने के लिए सर्वे करने की आवश्यकता है। बिना सर्वे किये आज की स्थिति बताना मुश्किल है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगमः यह सत्य नहीं है। यद्यपि जो सम्पत्तियां बुक की गई है उनका विवरण MCD की वेबसाइट *www.mcdonline.gov.in* पर उपलब्ध है;

(घ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगमः** उपरोक्त 'ग' के अनुसार।

पूर्वी दिल्ली नगर निगमः उपरोक्तानुसार।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगमः उपरोक्तानुसार;

(ङ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगमः** उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 01.01.2014 से अब तक दर्ज की गयी बिल्डिंगों की जोन वाइज संख्या व उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है।

क्षेत्रीय भवन विभाग द्वारा समय–समय पर डीएमसी एक्ट के तहत विधिवत कार्यवाही की जा रही है।

जोन	बुक की गई सम्पत्तियों की संख्या	डिमोलिशन की गई सम्पत्तियों की संख्या	सील की गई सम्पत्तियों की संख्या
करोल बाग	2685	965	265
रोहिणी	2103	1903	116
केशव पुरम	1631	1154	506
सिविल लाईन	2293	1787	506
नरेला	993	95	42
शहरी सदर पहाड़ गंज	3488	2815	1069

पूर्वी दिल्ली नगर निगमः 01.01.2014 से 31.07.2019 तक कुल 11,699 अवैध निर्माण बुक किये गये हैं जिनमें से 4,869 पर तोड़फोड़ की कार्यवाही की गयी है और 1,763 को सील कर दिया गया है। आज की स्थिति बताने के लिए सर्वे करने की आवश्यकता है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगमः दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले चारों जोनों में 01.01.2014 से अब तक दर्ज की गयी जोन वाईज कार्यवाही का ब्यौरा निम्न प्रकार हैः–

क्र. सं.	जोन	दर्ज की गई संपत्तियों की संख्या	तोड़ फोड़ की कार्यवाही	सीलिंग की कार्यवाही
1.	पश्चिमी क्षेत्र	7,045	1,416	667
2.	दक्षिणी क्षेत्र	6,546	4,518	1,776
3.	मध्य क्षेत्र	8,817	3,760	1,026
4.	नजफगढ़ क्षेत्र	4,493	1,804	303

(च) **उत्तरी दिल्ली नगर निगमः** जून, 2018 में दिया गया उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार व क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दी गयी जानकारी से बनाया गया था। इसके अतिरिक्त पुनः निर्माण का मामला संज्ञान में आते ही उसके विरुद्ध डीएमसी एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगमः जून, 2018 में श्री जरनैल सिंह, विधायक के प्रश्न के जवाब में बुक किये गये अवैध निर्माणों की वर्तमान स्थिति का सर्वे करने के लिए महीने के समय की आवश्यकता बतायी थी परन्तु संसाधनों की कमी के कारण यह संभव नहीं हो पाया।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगमः दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा उपलब्ध प्राप्त सूचना के अनुसार हर संभव प्रयास किया जाता है कि प्रश्न का संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत किया जाएं;

(छ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगमः** इस संदर्भ में विवरण अनुलंग्नक 'क' पर संलग्न* है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगमः भवन विभाग में 01.01.2014 से अब तक कार्यरत जेई, एई, एक्सइन व एसई का वार्ड वाईज कार्यकाल संलग्न है। (Annexure-A)

दक्षिणी दिल्ली नगर निगमः दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले चारों जोनों से प्राप्त सूची पश्चिमी क्षेत्र 'क', दक्षिणी क्षेत्र 'ख', मध्य क्षेत्र 'ग' और नजफगढ़ क्षेत्र 'घ' पर संलग्न* है; और

(ज) **उत्तरी दिल्ली नगर निगमः** उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा 01.01.2014 से 31.08.2019 तक 72 जेई 51 एई 06 ईई को अनाधिकृत निर्माण के मामलों में चार्जशीट किया गया है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगमः संलग्न अनुलग्नक (Annexure-B)

दक्षिणी दिल्ली नगर निगमः दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा 01.01.2014 से 31.08.2019 तक 19 जेई 12 एई 02 ईई को अनाधिकृत निर्माण के मामलों में चार्जशीट किया गया है।

129. श्री जरनैल सिंहः क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में मोबाइल फोन टावर लगाने की क्या निर्धारित प्रक्रिया है;

---

*www.delhiassembly.inc.in पर उपलब्ध।

(ख) मोबाइल टावर लगाने के लिए किस–किस विभाग से एनओसी लेने की जरूरत पड़ती है;

(ग) दिल्ली में कुल कितने मोबाइल टावर लगे हुए हैं;

(घ) क्या इन सभी टावर्स को लगाने के लिए बताई गई निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि पिछले वर्ष दिल्ली नगर निगम व सेलुलर आपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बीच में दिल्ली मेडिएशन सेन्टर का तीस हजारी कोर्ट में कोई समझौता हुआ है;

(च) यदि हां तो उसकी जानकारी दी जाए; और

(छ) मोबाइल टावर की रेडिएशन से होने वाले नुकसान की भी जानकारी दी जाए?

माननीय शहरी विकास मंत्रीः (क) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** ने सूचित किया है कि मोबाइल फोन टॉवर लगाने के लिए, सेल टॉवर ऑपरेटर को सेल टॉवर पॉलिसी/एग्रीमेंट दिनांक 30.01.2017 के तहत आवेदन करना होता है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के आदेश दिनांक 28.08.2017 के अनुसार दिल्ली में मोबाइल फोन टॉवर लगाने की प्रक्रिया Settlement/Agreement dated 30.01.2017 के अनुसार निर्धारित की गई है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया एवं तीनों नगर निगमों के बीच 30.01.2017 को

एक सेटलमेंट/एग्रीमेंट हुआ था जिसे उच्च न्यायालय ने भी मंजूर कर लिया था। उसी के अनुसार मोबाइल टॉवरों को परमिशन दी जा रही है।

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने सूचित किया है कि समय–समय पर राजस्व प्राप्ति के लिए डूसिब अपनी सम्पत्तियों को पट्टे के आधार पर मोबाइल कम्पनियों को मोबाइल टॉवर लगाने हेतु लिखित नियम एवं शर्तों के आधार पर अनुमति देती है।

दिल्ली छावनी परिषद् ने सूचित किया है कि रक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या एफ. 11026/1/2005/डी (भूमि) दिनांक 26.02.2019 के अंतर्गत सैन्य स्टेशनों/छावनियों में संचार नेटवर्क का विस्तार करने के लिए साझा संचार टॉवर और अन्य दूरसंचार अवसंरचना पर एक संशोधित नीति जारी की है। कैंटोनमेंट क्षेत्र में मोबाइल/संचार टॉवर स्थापित करने के लिए इस नीति को अपनाना जरूरी है।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने सूचित किया है कि एनडीएमसी में ग्राउंड बेस्ड टॉवर तथा रूफ टॉप टॉवर लगाने की प्रक्रिया परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव क्रमांक 28 (v-01) दिनांक 15.12.2015 तथा 27 (v-02) दिनांक 25.07.2016 में दिए गए नियमों के तहत की गई हैं।

सेलुलर ऑन व्हील (COWs) लगाने की प्रक्रिया परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव क्रमांक 17 (H-31) दिनांक 26.12.2018 के तहत ही प्रदान की गयी है;

(ख) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** ने सूचित किया है कि सेल टॉवर पॉलिसी/एग्रीमेंट के भाग 13/16 के अनुसार कोओपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लिए मैंनेजमेंट कमेटी/प्रशासक। डीडीए ग्रुप हाउसिंग के लिए

रेजीमेंट वेलफेयर एसोसिएशन से तथा प्लॉटेड डेवलपमेंट में सभी सम्पत्ति मालिकों तथा छत के मालिक से तथा जहां पर भी आवश्यकता है दिल्ली अरबन आर्टस कमिशन अथवा दिल्ली अग्नि शमन विभाग से सेल टॉवर आपरेटर को No Objection Certificate (NOC) जमा करना होता है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि Settlement/ Agreement dated 30.01.2017 में एनओसी के सम्बन्ध में दर्शाया गया है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम उपरोक्त कार्यालय आदेश के अनुसार।

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने सूचित किया है कि ये मोबाइल कम्पनियों की जिम्मेदारी है कि वे संबंधित विभागों से सभी तरह की अनुमति प्राप्त करें। इसमें डूसिब की कोई जिम्मेदारी नहीं है।

दिल्ली छावनी परिषद् ने सूचित किया है कि पैरा 1 में उल्लेखित संशोधित नीति के अनुसार सिविल ऐविएशन और एयर फोर्स अथोरिटी प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र उनके आसपास के क्षेत्र में सेलुलर टॉवरों की स्थापना के लिए अनिवार्य हैं।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने सूचित किया है कि मोबाइल टॉवर स्थापना के लिए मूलतः निम्न इन सभी विभाग से एनओसी की आवश्यकता पड़ती है:–

1. संचार मंत्रालय, 2. नागरिक उड्डयन मंत्रालय, 3. वायु सेना प्राधिकारण, 4. SACFA & 5. DUAC;

(ग) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** ने सूचित किया है कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत कुल 4377 मोबाइल टॉवर लगे हुए हैं।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधीन विभिन्न क्षेत्रों में कुल 3197 मोबाइल टॉवर लगे हैं।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि पूर्वी दिल्ली में कुल 1942 टॉवर लगे हुए हैं।

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने सूचित किया है कि डूसिब से संबंधित नहीं है। पट्टे पर दी गई डूसिब की सम्पत्तियों की 14 साईट पर मोबाइल टॉवर लगे हुए हैं।

दिल्ली छावनी परिषद् ने सूचित किया है कि मासिक लाइसेंस शुल्क/स्पेश रेंट के आधार पर प्राधिकृत एजेंसी द्वारा दिल्ली कैंटोनमेंट क्षेत्र में 53 संचार टॉवर (सेल ऑन व्हील्स) स्थापित/स्थापित किए गए हैं।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने सूचित किया है कि स्पेशल प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार एनडीएमसी ने 179 अधिकृत मोबाइल टॉवर लगे हुए हैं;

(घ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** ने सूचित किया है कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत 2207 मोबाइल टॉवर्स परमिशन के तहत लगाये गए हैं। 1963 सेल टॉवर्स के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सेल टॉवर एग्रीमेंट के तहत एप्लीकेशंस प्राप्त हुई है जिसमें से 1146 को अनुमति दे दी गई है। 496 एप्लीकेशंस को अस्वीकृत कर दी गई है तथा शेष एप्लीकेशंस पर कार्यवाही की जा रही है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि सभी क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार 1996 मोबाइल टावर्स परमिशन के तहत लगाये गये हैं। 1692 सेल टावर्स के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सेल टॉवर एग्रीमेंट के तहत एप्लीकेशंस प्राप्त हुई है जिसमें से 888 को अनुमति

दे दी गई है। 138 एप्लीकेशंस को अस्वीकृत कर दी गई है तथा शेष एप्लीकेशंस पर कार्यवाही की जा रही है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उपरोक्त कुल 1942 टॉवरों में से 1397 टॉवर को परमिशन दी गई है एवं 545 टॉवर अवैध है। 545 अवैध टॉवरों में से 337 टॉवरों को सील कर दिया गया है। अन्य पर कार्यवाही की जा रही है।

दिल्ली छावनी परिषद् जी हां।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने सूचित किया है कि एनडीएमसी क्षेत्र ने मोबाइल टॉवर के लगते समय सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है;

(ङ) जी हां;

(च) दिल्ली नगर निगम व सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बीच में दिल्ली मीडिएशन सेन्टर का तीस हजारी कोर्ट दिनांक 30.01.2017 को समझौता हुआ है, कॉपी संलग्न है; और

(छ) मोबाइल टावर की रेडिएशन से होने वाले नुकसान की जानकारी के संबंध में Centre for Occupational and Environmental Health ने संचार विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र की प्रति संग्लित* की गई है।

130. श्री सुरेन्द्र सिंहः क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली छावनी परिषद् के द्वारा छावनी क्षेत्र में विज्ञापन लगवाने के लिए अनुमति किन–किन आधारों पर दी जाती है;

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(ख) यह अनुमति अब तक किन–किन विभागों को दी गई है, संपूर्ण विवरण दिया जाये;

(ग) क्या यह सत्य है कि जीएमआर/एयर पोर्ट अथॉरिटी के क्षेत्र में विज्ञापन बोर्ड लगवाने के लिए अनुमति दी गई;

(घ) यदि हां, तो इससे कितना राजस्व विभाग को जमा करवाया गया संपूर्ण जानकारी दी जाए;

(ङ) विज्ञापन बोर्ड एजेंसियों के द्वारा हर महीने कितना राजस्व दिया जाता है, उसकी संपूर्ण जानकारी एवं राजस्व जमा करने की रसीद की कॉपी प्रदान की जाए;

(च) दिल्ली छावनी बोर्ड में स्वच्छता अभियान को लेकर पिछले पांच सालों में कितनी राशि खर्च की गई है, इस मिशन के तहत कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया, संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाए; और

(छ) स्वच्छता अभियान में कौन–कौन से संसाधन का इस्तेमाल किया गया और भविष्य में क्या–क्या योजनाएं हैं, संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाए?

माननीय शहरी विकास मंत्रीः (क) **दिल्ली छावनी बोर्डः** दिल्ली छावनी परिषद आउट डोर विज्ञापन नीति 2017 को अपनाने की प्रक्रिया में है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित की गई;

(ख) दिल्ली छावनी परिषद् आउट डोर विज्ञापन नीति 2017 को अपनाने की प्रक्रिया में है इसलिए किसी को भी अनुमति नहीं दी गई;

(ग) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगमः** जी हां, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, टर्मिनल 3 (टी–3) पर विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु दक्षिणी दिल्ली नगर निगम एवं TIMDAA (TIM Delhi Airport Advertising) के बीच

23.02.2018 को एक समझौता (MoU) हुआ है जो कि 01.04.2017 से लागू है। टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 पर किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी गई है;

(घ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगमः** समझौता (MoU) होने के बाद राजस्व अंश के रूप में अब तक दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के रुपये 41,39,87,416/– राजस्व के रूप में प्राप्ति हुई है;

(ङ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगमः** समझौता (MoU) होने के बाद अप्रैल 2017 से अब तक प्राप्त हुए राजस्व का ब्यौरा **अनुलंग्नक 'ए'** के रूप में संलग्न है। रसीदों का ब्यौरा भी अनुलंग्नक 'ए' में दिया गया है;

(च) **दिल्ली छावनी बोर्डः** दिल्ली छावनी परिषद को पत्र संख्या 1(5)/ओएसडी/एसबीए/2014/175/190 दिनांक 20.01.2016 के दौरान स्वच्छ भरत मिशन के लिए केन्द्र सरकार से रुपये 4,43,00,000/– की रशि प्राप्त हुई थी। जिसके अंतर्गत दिल्ली छावनी परिषद् द्वारा स्वच्छ भारत मिशन पर 4,07,92,727/– की राशि की गई। इस मिशन के तहत 350 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया; और

(छ) **दिल्ली छावनी बोर्डः** स्वच्छता अभियान में इस्तेमाल किये गये संसाधन का विवरण निम्न प्रकार है:–

1. मुख्य कचरा परिवर्तन शेड का निर्माण करना।
2. मोबाइल टॉयलेटों का उपलब्ध कराना।
3. रोड़ ब्रूमर का उपयोग करना।
4. डोर टू डोर कचरा इकट्ठा करने हेतु दो भागों में विभाजित गाड़ियों का उपलब्ध कराना।

5. 4 मॉडर्न शोचालयों का निर्माण किया जाना।

6. उपलब्ध सार्वजनिक शोचालयों का उच्चस्तरीय रख–रखाव किया जाना।

भविष्य में कार्यान्वयन की जाने वाली योजनाएंः–

1. उपरोक्त कार्यों को जारी रखते हुए 10 मॉडर्न शोचालयों का निर्माण करना, जिसमें लगभग एक वर्ष की अवधि का समय लगना अनुमानित है।

2. पर्यावरण की दृष्टि से एक नया रोड ब्रूमर का क्रय करना जिसे अगले तीन माह में खरीद लिया जायेगा।

3. 100 प्रतिशत गीले–सूखे कचरे की उत्पति के स्रोत पर ही अलग करने के संकल्प का कार्यान्वयन करना जिसमें लगभग 6 से 8 माह के समय में पूरा करने का लक्ष्य है।

4. छावनी परिषद् क्षेत्र को बिनलैस क्षेत्र बनाना, जिसमें लगभग एक वर्ष की अवधि का समय लगेगा।

Annexure 'A'

Revenue received from TIMDAA for display advertisements at T-3, IGI Airport

Sl.No.	Amount	G8 Receipt no.	Deposit Month
1	2	3	4
1.	1,16,160	CM 94150	Apr'2017
2.	1,98,401	CM 94151	Apr'2017
3.	3,63,000	CM 94152	Apr'2017

1	2	3	4
4.	7,20,197	CM 94153	Apr'2017
5.	2,57,682	CM 94153	Apr'2017
6.	80,022	CM 94154	Apr'2017
7.	80,022	CM 94154	Apr'2017
8.	2,40,066	CM 94154	Apr'2017
9.	1,59,720	CM 94155	Apr'2017
10.	19,45,974	CM 94155	Apr'2017
11.	20,95,176	CM 94155	Apr'2017
12.	9,64,706	CM 94158	Apr'2017
13.	5,44,645	CM 94158	Apr'2017
14.	13,10,999	CM 94158	Apr'2017
15.	9,64,706	CM 94266	May'2017
16.	5,44,645	CM 94266	May'2017
17.	13,10,999	CM 94266	May'2017
18.	1,59,720	CM 94267	May'2017
19.	19,45,974	CM 94267	May'2017
20.	20,95,176	CM 94267	May'2017
21.	7,20,196	CM 94268	May'2017
22.	2,57,682	CM 94268	May'2017
23.	80,022	CM 94269	May'2017

1	2	3	4
24.	80,022	CM 94269	May'2017
25.	2.40,066	CM 94269	May'2017
26.	3,63,000	CM 94270	May'2017
27.	1,98,401	CM 94271	May'2017
28.	1,16,160	CM 94272	May'2017
29.	5,44,645	DC 020	June'2017
30.	13,10,999	DC 020	June'2017
31.	9,64,706	DC 020	June'2017
32.	19,45,974	DC 021	June'2017
33.	20,95,176	DC 021	June'2017
34.	1,59,720	DC 021	June'2017
35.	80,022	DC 022	June'2017
36.	80,022	DC 022	June'2017
37.	2,40,066	DC 022	June'2017
38.	3,63,000	DC 023	June'2017
39.	1,98,401	DC 024	June'2017
40.	7,20,197	DC 025	June'2017
41.	2,57,682	DC 025	June'2017
42.	1,16,160	DC 026	June'2017
43.	7,20,197	DC 101	July'2017

1	2	3	4
44	2.57,682	DC 101	July'2017
45	13,10,999	DC 101	July'2017
46	9,64,706	DC 102	July'2017
47	5,79,784	DC 102	July'2017
48	9,000	DC 102	July'2017
49	1,59,720	DC 103	July'2017
50	19,45,974	DC 103	July'2017
51	20,95,177	DC 103	July'2017
52	80,022	DC 104	July'2017
53	80,022	DC 104	July'2017
54	2,40,066	DC 104	July'2017
55	1,16,160	DC 105	July'2017
56	1,98,401	DC 106	July'2017
57	3,63,000	DC 107	July'2017
58.	1,16,160	DC 200	Aug'2017
59	1,98,401	DC 201	Aug'2017
60	15,63,816	DC 203	Aug'2017
61	42,00,871	DC 204	Aug'2017
62	22,88,878	DC 205	Aug'2017
63	4,00,110	DC 206	Aug'2017

1	2	3	4
64	3,63,000	DC 207	Aug'2017
65	7,20,197	DC 285	Sept'2017
66	13,10,999	DC 286	Sept'2017
67	2,57,682	DC 287	Sept'2017
68	10,25,804	DC 288	Sept'2017
69	9,843	DC 289	Sept'2017
70	5,99,110	DC 290	Sept'2017
71	3,63,000	DC 291	Sept'2017
72	1,98,401	DC 292	Sept'2017
73	80,022	DC 293	Sept'2017
74	80,022	DC 294	Sept'2017
75	2,40,066	DC 295	Sept'2017
76	1,19,645	DC 296	Sept'2017
77	2,412	DC 297	Sept'2017
78	1,59,720	DC 298	Sept'2017
79	19,45,974	DC 299	Sept'2017
80	20,95,177	DC 300	Sept'2017
81	10,61,177	DB 99405	Oct'2017
82	5,99,110	DB 99406	Oct'2017
83	80,022	DB 99407	Oct'2017

1	2	3	4
84	80,022	DB 99408	Oct'2017
85	2,40,066	DB 99409	Oct'2017
86	7,20,197	DB 99410	Oct'2017
87	2,57,682	DB 99411	Oct'2017
88	13,10,999	DB 99412	Oct'2017
89	1,59,720	DB 99413	Oct'2017
90	19,45,974	DB 99414	Oct'2017
91	20,95,177	DB 99415	Oct'2017
92	3,63,000	DB 99416	Oct'2017
93	1,98,401	DB 99417	Oct'2017
94	1,27,776	DB 99418	Oct'2017
95	3,69,050	DB 99474	Nov'2017
96	7,300	DB 99475	Nov'2017
97	1,98,401	DB 99476	Nov'2017
98	1,27,776	DB 99477	Nov'2017
99	1,59,720	DB 99478	Nov'2017
100	19,45,974	DB 99479	Nov'2017
101	10,61,177	DB 99480	Nov'2017
102	80,022	DB 99481	Nov'2017
103	80,022	DB 99482	Nov'2017

1	2	3	4
104	2,40,066	DB 99483	Nov'2017
105	7,20,197	DB 99484	Nov'2017
106	2,57,682	DB 99485	Nov'2017
107	13,10,999	DB 99486	Nov'2017
108	22,83,742	DB 99487	Nov'2017
109	26,081	DB 99488	Nov'2017
110	5,99,110	DB 99490	Nov'2017
111	80,022	DB 99564	Dec'2017
112	80,022	DB 99565	Dec'2017
113	2,40,066	DB 99566	Dec'2017
114	1,74,662	DB 99567	Dec'2017
115	5,256	DB 99568	Dec'2017
116	19,45,974	DB 99569	Dec'2017
117	10,61,177	DB 99570	Dec'2017
118	7,20,197	DB 99571	Dec'2017
119	14,20,954	DB 99572	Dec'2017
120	12,696	DB 99573	Dec'2017
121	23,04,694	DB 99574	Dec'2017
122	2,67,682	DB 99575	Dec'2017
123	5.99,110	DB 99576	Dec'2017

1	2	3	4
124	1,27,776	DB 99577	Dec'2017
125	1,98,401	DB 99578	Dec'2017
126	3,99,300	DB 99579	Dec'2017
127	3,99,300	DB 99687	Jan'2018
128	1,98,401	DB 99688	Jan'2018
129	23,04,694	DB 99689	Jan'2018
130	5,99,110	DB 99690	Jan'2018
131	2,57,682	DB 99691	Jan'2018
132	7,52,722	DB 99692	Jan'2018
133	4,392	DB 99693	Jan'2018
134	14,42,099	DB 99694	Jan'2018
135	80,022	DB 99695	Jan'2018
136	80,022	DB 99696	Jan'2018
137	2,50,907	DB 99697	Jan'2018
138	1,512	DB 99698	Jan'2018
139	1,75,692	DB 99699	Jan'2018
140	19,45,974	DB 99700	Jan'2018
141	10,61,177	DB 99701	Jan'2018
142	1,27,776	DB 99702	Jan'2018
143	1,27,776	DB 99791	Feb'2018

1	2	3	4
144	3,99,300	DB 99792	Feb'2018
145	2,15,407	DB 99793	Feb'2018
146	1,515	DB 99793	Feb'2018
147	80,022	DB 99794	Feb'2018
148	84,880	DB 99794	Feb'2018
149	492	DB 99794	Feb'2018
150	2,64,072	DB 99794	Feb'2018
151	7,92,216	DB 99795	Feb'2018
152	14,42,099	DB 99795	Feb'2018
153	10,61,177	DB 99795	Feb'2018
154	1,75,692	DB 99796	Feb'2018
155	20,57,172	DB 99796	Feb'2018
156	28,752	DB 99796	Feb'2018
157	23,04,694	DB 99797	Feb'2018
158	2,57,682	DB 99797	Feb'2018
159	5,99,110	DB 99797	Feb'2018
160	57,30,404	DB 99865	Mar'2018
161	5,78,99,474	DB 99866	Mar'2018
162	48,16,087	DB 99882	Mar'2018
163	1,54,30,464	DB 99970	Apr'2018

1	2	3	4
164	1,52,48,115	DE 72162	May'2018
165	1,39,81,442	DE 71064	June'2018
166	1,25,50,588	DE 72279	July'2018
167	1,47,14,491	DE72436	Sept'2018
168	1,60,64,237	DE 72531	Oct'2018
169	51,417	DE 72531	Oct'2018
170	1,55,74,868	DE 72604	Nov'2018
171	1,40,35,144	DE 72725	Dec'2018
172	1,52,73,576	DE 72800	Jan'2019
173	1,58,13,802	DE 72912	Feb'2019
174	1,55,45,554	DE 73000	Mar'2019
175	1,55,00,000	Through RTGS	Mar'2019
176	6,07,243	DD 93543	Apr'2019
177	1,59,10,054	DD 93632	May'2019
178	1,60,35,130	DD 93752	June'2019
179	1,58,20,672	DQ 0092	July'2019
180	1,47,75,954	DQ 0184	Aug'2019
	41,39,87,416		

131. श्री सुखबीर सिंह दलालः क्या **माननीय शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 1.1.2015 से शहरी विकास विभाग द्वारा स्वीकृत विधायक निधि के कार्यों की सूची उपलब्ध कराएं;

(ख) 1.1.2015 से मुण्डका विधान सभा क्षेत्र में हाईटेंशन लाइन हटाने से संबंधित विभिन्न फाइलों की स्थिति क्या है;

(ग) 01.01.2015 से मुण्डका विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न कार्यों के लिए आईजीएल, जियो, एयरटेल आदि को दी गयी सभी स्वीकृतियों की सूची, स्वीकृति पत्रों की प्रति उपलब्ध कराएं;

(घ) क्या उक्त अनुमति के लिए इन कम्पनियों ने कुछ प्रभार जमा कराएं हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की गयी है जबकि ये सड़कों के निर्माण कार्यों में बाधा डाल रहे हैं;

(च) मुण्डका विधान सभ क्षेत्र में अभी तक जिला पार्क क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया है;

(छ) दिल्ली में शहरी विकास विभाग के कार्यों/दायित्वों के पूरे विवरण की सूची दीजिए; और

(ज) क्या शहरी विकास विभाग का बागवानी के क्षेत्र में कोई दायित्व है?

माननीय शहरी विकास मंत्रीः (क) **डूडा, उत्तर–पश्चिमी राजस्व विभाग** द्वारा अवधि 2015–16, 2016–17 तथा 2017–18 के दौरान मुण्डका

विधान सभा से संबंधित विधायक निधि के कार्यों की स्वीकृति की सूची अनुसंलग्नक 'क' पर संलग्न है तथा शहरी विकास विभाग द्वारा अवधि 2018–19 तथा 2019–20 में मुण्डका विधान सभा से संबंधित विधायक निधि के कार्यों की स्वीकृति की सूची अनुसंलग्नक 'ख' पर संलग्न है;

नोटः— दिल्ली की सभी विधान सभा से संबंधित विधायक निधि के स्वीकृत कार्यों की सूची शहरी विकास विभाग की बेवसाइट पर उपलब्ध है।

(ख) **ऊर्जा विभाग** ने सूचित किया है कि 01.01.2015 से मुण्डका विधान सभा क्ष्ज्ञेत्र में हाईटेंशन लाइन हटाने से संबंधित विभिन्न फाइलों की स्थिति संलग्न है। **(संलग्नक–1)**

शहरी विकास विभाग (अनाधिकृत कॉलोनी शाखा): मुण्डका विधान सभा क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन हटाने से सम्बन्धित कोई भी फाइल अनाधिकृत कॉलोनी शाखा में लम्बित नहीं है;

(ग) लोक निर्माण विभाग द्वारा रोड़ काटने की दी गई स्वीकृति ब्यौरा अनसंलग्नक **'ए'** पर संलग्न है*;

(घ) जी हां;

(ङ) उपरोक्त **'घ'** के अनुसार लागू नहीं है;

(च) **दिल्ली विकास प्राधिकरणः** दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रश्न भेजा गया था। इस संदर्भ में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र संख्या एफ 5(3)/मिस./2015/पी एंड सी/वीएस/769 दिनांक 2 अगस्त, 2018 द्वारा यह सूचित किया है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239एए

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए विधान सभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है। कि यदि दि.वि.प्रा. के सम्बन्ध में सभा द्वारा उठाये गये प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित है, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता;

(छ) **शहरी विकास विभाग (अनाधिकृत कॉलोनी शाखा)**: शहरी विकास विभाग की अनाधिकृत कॉलोनी शाखा में वर्ष 2007–08 में प्राप्त दिल्ली की 1797 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करन एवं इन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराती है।

शहरी विकास विभाग (प्रशासनिक शाखा): शहरी विकास विभाग के कार्यों/दायित्वों के पूरे विवरण की सूची संलग्न है; और

(ज) **शहरी विकास विभाग (प्रशासनिक शाखा)**: जी नहीं, शहरी विकास विभाग का बागवानी के क्षेत्र में कोई सीधा दायित्व नहीं है तथापि सभी स्थानीय निकायों का अपना अलग–अलग बागवानी विभाग है।

132. श्री संजीव झा: क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि बंगाली कॉलोनी पुलिया से लेकर बुराड़ी मोड़ तक मेन 100 फुटा रोड पर निगम द्वारा पुनर्निर्माण का कार्य किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई थी;

(ग) इस कार्य के वर्क ऑर्डर की प्रति उपलब्ध करें;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि कौशिक इन्क्लेव में दिल्ली सरकार के

निर्माणाधीन अस्पताल के सामने स्थित निगम के स्टोर रूम को स्थानांतरित करने के लिए एसडीएम सिविल लाइन तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई अनुरोध पत्र निगम को दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस स्टोर रूम को स्थानांतरित करने के लिए निगम की क्या योजना है, पूर्ण विवरण दें?

माननीय शहरी विकास मंत्रीः (क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगमः** जी हां, बुराड़ी रोड पर Central Road Fund (CPF) के अंतर्गत एक स्कीम रुपये 2438.96 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी इस स्कीम में बुराड़ी रोड पर बाहरी रिंग रोड से बंध तक कार्य करवाये गए थे तथा बंगाली पुलिया से बुराड़ी मोड़ तक इसी रोड का भाग है। इस योजना के अंतर्गत करवाए गए विभिन्न कार्यों का विवरण निम्न प्रकार से हैं:—

Sl. No.	Name of Scheme/Sub-Head	Word order No.	Expenditure incurred (in Lakh)
1	2	3	4
	WA/S of Burari Road from outer Ring Road to Burari Chowk RHS portion Burari Chowk to Bandh and LHS portion from outer Ring Road to DJB office.		
A	Construction of Central verge	84 19.01.2011	129.24
B	Widening of Carriageway and const. of Road Berms	05 01.04.2011	308.03

1	2	3	4
C	Strengthening of Carriageway	33 30.06.2011	543.19
D	Construction of Retaining wall and construction of drain	50 28.07.2011	491.52
E	Road development/profile correction of Burari Road from outer Ring Road to Burari Chowk.	06 18.01.2012	24.92
F	Painting of Central Verge.	09 18.01.2012	14.90
G	P/L Mastic Ashpalt at various intersections on Burari Road.	02 02.07.2012	21.12
H	Stg. of carriageway from Sant Nagar Nallah to Nathupura LHS Nathupura to Hiranki Road.	51 10.01.2015	252.68

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**: उपरोक्त 'क' के अनुसार;

(ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**: इस योजना के अंतर्गत करवाए गए 8 कार्यों देशों की प्रतियां **अनुलंग्नक 'क'** पर संलग्न* है;

(घ) **मंडलायुक्त (राजस्व)**: कौशिक इन्क्लेव में दिल्ली सरकार के अस्पताल के सामने स्टोर रूम को स्थानांतरित करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने दिनांक 21.06.2019 और 15.07.2019 को एसटीएफ मीटिंग के समक्ष रखा था इस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि निगम इस स्टोर को

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

स्थानांतरित करने के लिए स्वयं जांच करेगी। इस विषय में अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगमः जी हां।

लोक निर्माण विभागः जी हां, लोक निर्माण विभाग द्वारा 3 अनुरोध पत्र नगर निगम को लिखे गये है, जिनकी प्रतियां संलग्न हैं; और

(ङ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** ने बताया है कि स्थान उपलब्ध होने पर सफाई कर्मियों के इस ऑफिस को दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

133. श्री संजीव झाः क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत किन–किन कॉलोनियों में कितने मकानों में अनधिकृत निर्माण पाए जाने पर उन्हें नोटिस जारी किए थे;

(ख) क्या इन अनधिकृत निर्माण को डिमोलिश करने हेतु निगम द्वारा कोई कार्रवाई की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इसका पूरा ब्यौरा क्या है?

माननीय शहरी विकास मंत्रीः (क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगमः** उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 01.09.2017 से 10.08.2019 तक कुल 438 मकानों को अनाधिकृत निर्माण पाए जाने पर नोटिस जारी किए गये हैं। जिसकी सूची **अनुलग्नक 'क'** पर संलग्न है;

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगमः** जी हां, उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 01.09.2017 से 10.08.2019 तक कुल 438 मकानों को अनाधिकृत निर्माण तथा 13 निर्माण होते हुए (On going unauthorised construction) भवनों पर पाए जाने पर उनके विरुद्ध तोड़–फोड़ की कार्यवाही की गई है। इस प्रकार कुल 451 अनाधिकृत भवन निर्माणों पर कार्यवाही की गई हैं; और

(ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगमः** ब्यौरा **अनुलंग्नक* 'क'** पर दर्शाया गया है।

134. श्री संजीव झाः क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अनाधिकृत कॉलोनियों में वर्ष 2007 के बाद बढ़ी हुई आबादी वाले क्षेत्रों को शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार के नक्शे में सम्मिलित किए जाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब से आरंभ किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, इस संबंध में सरकार की क्या योजना है?

माननीय शहरी विकास मंत्रीः (क) दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए विनियम भारत सरकार के अवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में लंबित है। 2007 के बाद बढ़ी हुई आबादी को सम्मिलित करने के संबंध में कोई भी फैसला इस विनियम के भारत सरकार से अनुमोदित होने के बाद लिया जायेगा;

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(ख) उपरोक्त 'क' के अनुसार; और

(ग) उपरोक्त 'क' के अनुसार।

135. सुश्री भावना गौड़ः क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि कई विधायकों ने अपने एमएलए लैड फंड का कुछ हिस्सा दिल्ली नगर निगम को विकास कार्यों के लिए दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण (नाम एवं राशि) सहित तीनों नगर निगम, अलग–अलग उपलब्ध करवाएं;

(ग) क्या यह कार्य पूर्ण हो चुके हैं;

(घ) अगर नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उपरोक्त कार्यों को पूर्ण करने की समय सीमा क्या है?

माननीय शहरी विकास मंत्रीः (क) जी हां, यह सत्य है;

(ख) **पूर्वी दिल्ली नगर निगमः** विवरण की प्रतिलिपि अनुसंलग्नक 'क' पर संलग्न है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगमः अभियांत्रिक विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसारः– वर्तमान की विधान सभा के दौरान माननीय विधायकों की संस्तुति से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को प्राप्त एमएलए लैड फंड के कार्यों के नाम एवं राशि अनुलंग्नक 'ख' पर संलग्न है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगमः विवरण अनुलंग्नक 'ग' पर संलग्न है;

(ग) **पूर्वी दिल्ली नगर निगमः** पूर्ण कार्यों का विवरण की प्रतिलिपि अनुसंलग्नक 'क' पर संलग्न है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगमः पूर्ण कार्यों का विवरण की प्रतिलिपि अनुसंलग्नक 'ख' पर संलग्न है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगमः वित्त वर्ष 2015–16 से अब तक विधायक निधि के अंतर्गत स्वीकृत किए गये उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा सभी कार्यों की वर्षानुसार abstract निम्नलिखित हैः–

Year	Works sanctioned		Works Completed		Works in progress/ Under Tender/ award	
	No.	Amt. (in lac)	No.	Amt. (in lac)	No.	Amt. (in lac)
2015-16	502	3485.36	479	2272.03	23	1033.00
2016-17	666	4543.71	547	2883.26	119	1677.13
2017-18	278	1627.78	224	655.74	54	1020.22
2018-19	1302	8278.22	389	44.97	913	8078.54
2019-20	237	3618.78	0	0.00	237	3618.78
Total	2985	21553.85	1639	5856.00	1346	15427.67

(घ) **पूर्वी दिल्ली नगर निगमः** पूर्ण कार्यों का विवरण की प्रतिलिपि अनुसंलग्नक 'क' पर संलग्न* है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगमः पूर्ण कार्यों का विवरण की प्रतिलिपि अनुसंलग्नक 'ख' पर संलग्न* है।

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

उत्तरी दिल्ली नगर निगमः यद्यपि उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा विधायक निधि के अंतर्गत स्वीकृत किये गये सभी कार्यों को समय सीमा के अंदर पूर्ण किया जाता है। तथापि कुछ कार्य, कार्य स्थल पर विभिन्न अवरोध जैसे की कोर्ट केस, सीवर, बिजली, पानी, टेलीफोन लाइनों को बिछाने हेतु खुदाई तथा जनअवरोध के कारण समय पर पूरे नहीं हो पाते। इनके कार्यों की बाधाये दूर कर शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं; और

(ङ) **पूर्वी दिल्ली नगर निगमः** पूर्ण कार्यों का विवरण की प्रतिलिपि अनुसंलग्नक 'क' पर संलग्न है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगमः पूर्ण कार्यों का विवरण की प्रतिलिपि अनुसंलग्नक 'ख' पर संलग्न है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगमः सामान्यतः कार्य के स्कोप एवं कार्य स्थल की स्थिति के अनुसार 2 माह से 4 माह के बीच है।

136. सुश्री भावना गौड़ः क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि पालम विधान सभा क्षेत्र की नियमित व अनाधिकृत कॉलोनियों तथा गांवों में बड़ी संख्या में बिल्डिंग बनाने का कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिल्डिंगों के ये सभी निर्माण–कार्य भवन नियमों/उप–नियमों के अनुसार हो रहे हैं;

(ग) भवन–निर्माण के लिए निर्धारित नियम व उप–नियमों का क्या विवरण है;

(घ) पालम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महावीर एंकलेव, पालम, मधु विहार तथा साध नगर, निगम वार्डों में वर्ष 2015 से लेकर अब तक वार्ड–अनुसार कितनी–कितनी बड़ी बिल्डिगों; जैसे बहुमंजिला–भवन/कमर्शियल–कॉम्प्लेक्स आदि का निर्माण किया गया है, पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि पालम विधान सभा के प्रत्येक वार्ड में बनने वाली अनाधिकृत बिल्डिंगों में बेसमेंट भी बनाए जा रहे हैं;

(च) यदि हां, तो किस नियम के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं; और

(छ) क्या इन अवैध निर्माण पर विभाग एवं एसटीएफ की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है?

माननीय शहरी विकास मंत्रीः (क) जी नहीं;

(ख) उपरोक्तानुसार;

(ग) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** ने सूचित किया है कि वर्ष 2016 से पहले भवन निर्माण के लिये भवन उप–नियम 1983 लागू थे तदोपरान्त वर्ष–2016 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 22.03.2016 को एकीकृत भवन निर्माण उपविधि–2016 अधिसूचना जारी की गई है। कोई भी भवन मालिक अपने भवन का निर्माण कसरकार द्वारा अधिसूचित एकीकृत भवन निर्माण उपविधि–2016 तथा मास्टर प्लान 2021 के अनुसार ही कर सकता है तथा आम जनता की सहायता के लिए एकीकृत भवन निर्माण उपविधि–2016 तथा मास्टर प्लान–2021, दिल्ली नगर निगम की वेबसाइट *www.mcdonline.gov.in* पर उपलब्ध है;

(घ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** ने सूचित किया है कि अनाधिकृत एरिया में भवन विभाग द्वारा नक्शे पास नहीं किए जाते हैं। केवल अधिकृत

एरिया में ही नक्शे पास किए जाते हैं। पालम विधान सभा के अंतर्गत आने वाले निगम वार्डों में अनधिकृत एरिया और अधिकृत एरिया सम्मिलित हैं।

अभी कुछ समय पहले पालम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी चारों निगम वार्डों का सर्वे किया गया था जिसमें कुल 71 बहुमंजिल भवन/कमर्शियल भवन (चार मंजिल से अधिक) पाये गए थे, जिनकी सूची 'क' पर संलग्न* है;

(ङ) जी नहीं;

(च) उपरोक्तानुसार लागू नहीं; और

(छ) जी हां।

137. श्री आदर्श शास्त्रीः क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को पता है कि डाबड़ी–पालम रोड के साथ फुटपाथ पर विभिन्न स्थानों पर स्थाई ढांचे बनाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो अनुच्छेद 91(1)(डी) और 19(1)(जी) के अंतर्गत फुटपाथ पर पैदल पथिकों के मौलिक अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कौन–कौन से कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या यह भी सत्य है कि अधिकांशतः सड़क के अधिकतर भाग पर वाहनों को खड़े करके या अन्य द्वारा अवैध कब्जा किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसे हटाने के लिए किए गए प्रयासों का पूर्ण विवरण क्या है?

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः (क) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** ने सूचित किया है कि 60 फुट से अधिक आरओडब्ल्यू वाली सड़कों का रखाव P.W.D, GNCTD के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यदि लोक निर्माण विभाग, डाबड़ी–पालम रोड से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए संयुक्त कार्यवाही के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से आग्रह करता है तो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, लोक निर्माण विभाग को पूरा सहयोग करेगा।

लोक निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि डाबरी–पालम रोड के साथ फुटपाथ पर स्थाई ढांचे बने हुए हैं परन्तु कुछ जगहों पर अस्थाई ढांचे बने हुए हैं;

(ख) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगमः** उपरोक्त 'क' के अनुसार।

लोक निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि इसको हटाने के लिए समय–समय पर एमडीएम (द्वारका) से पत्राचार किया गया है (प्रतिलिपि संलग्न* है);

(ग) **लोक निर्माण विभाग** ने सूचित किया है कि ऐसा कोई भी अनाधिकृत कब्जा नहीं है। केवल अस्थाई रूप से कभी–कभी गाड़ियां खड़ी रहती हैं; और

(घ) **लोक निर्माण विभाग** ने सूचित किया है कि कोई अनाधिकृत कब्जा नहीं है।

138. सुश्री भावना गौड़ः क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(क) क्या यह सत्य है कि पालम विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नए बारातघरों का निर्माण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो विस्तृत जानकारी दें;

(ग) इस क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित सभी बारातघरों की विस्तृत जानकारी दें;

(घ) क्या यह सत्य है कि इस क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित कोई बारातघर चालू स्थिति में नहीं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो कारण सहित पूर्ण विवरण दे?

माननीय शहरी विकास मंत्रीः (क) से (ङ) **दिल्ली विकास प्राधिकरणः** दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रश्न भेजा गया था। इस संदर्भ में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र संख्या एफ 5(3)/मिस./2015/पी एंड सी/वीएस/769 दिनांक 2 अगस्त, 2018 द्वारा यह सूचित किया है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239एए(3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए विधान सभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के सम्बन्ध में सभा द्वारा उठाये गये प्रश्नों के उत्तर अेपेक्षित हैं, तो उन्हें आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है। (प्रतिलिपि संलग्न है)

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(आयुक्त एवं सचिव कार्यालय)
ब्लॉक–बी, विकास सदन, आईएनए नई दिल्ली–110023

सं. एफ5(3)/मिस./2015/पी एंड सी/वीएस/769 दिनांक 2 अगस्त, 2018

सेवा में

श्री संदीप मिश्रा,
विशेष सचिव (संसद अनुभाग),
शहरी विकास विभाग, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार,
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय,
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–11002

विषयः छठी दिल्ली विधान सभा के 7वें सत्र के दूसरे भाग में दिनांक 07.06.2018 को उठाए गए अतारांकित प्रश्न के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 09.07.2018 के अपने पत्र सं. एफ–53 (यूएसक्यू)/बजट सेशन–सैंकड–जून–2018/दिल्ली असेंबली/यूडी/डी 7175–7176 का अवलोकन करें, जिसकी संदर्भ सं. एफयूएसक्यू/बजट सेशन–II जून, 2018/दिल्ली असेंबली/यूडी/डी–6983–43 (यूएसक्यू–80), 6925–34 (क्यूएसक्यू–78), 6977–80 (क्यूएसक्यू–89) तथा 6901–6904 (क्यूएसक्यू–70) दिनांक 29.05.2018 तथा अनुपूरक फर्स्ट डी–7066 से 7068 दिनांक 13.06.2018 है, जिसके द्वारा संदर्भित विषय पर उत्तर तैयार करने के लिए विभाग की उपयुक्त सामग्री प्रेषित करने के लिए कहा गया था।

इस संबंध में, यह बताया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 239एए(3)(क) के अनुसार विधान सभा के पास राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में आने

वाले किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, केवल उन मामलों को छोड़कर जो राज्य सूची की प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं तथा सूची की प्रविष्टि 64, 65 तथा 66 से कुछ हद तक संबंधित हैं क्योंकि ये उक्त प्रविश्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं। अतः आरक्षित विषयों अर्थात् प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 में उल्लिखित विषयों पर राज्य सरकार के पास न तो कानून बनाने की शक्तियां हैं और न ही कार्यकारी कार्रवाई करने की शक्तियां। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 29 में यह वर्णित है कि प्रश्नों की विषय सामग्री प्रशासन के मामलों से संबंधित होनी चाहिए, जिसके लिए सरकार उत्तरदायी है।

अतः दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239एए(3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए विधान सभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के संबंध में सभा द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए क्योंकि दि.वि.प्रा. केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है।

तथापि, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के विकास कार्य और सार्वजनिक कल्याण में दि.वि.प्रा. की भूमिका से संबंधित मामलों के संबंध में दि.वि.प्रा. रा. रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त पत्राचार के उत्तर देना जारी रखेगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डी. सरकार)
आयुक्त एवं सचिव

139. सुश्री भावना गौड़ः क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि पालम विधान सभा क्षेत्र में फलाईओवर के नीचे की सड़क की देखभाल की जिम्मेवारी दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस सड़क की मरम्मत का कार्य किया गया है;

(ग) यदि हां, तो किये गये कार्यों की विस्तृत जानकारी दें;

(घ) इस क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए सड़कों के पुनर्निर्माण या मरम्मत के कार्य का स्थान सहित पूर्ण विवरण दें; और

(ङ) सन् 2015 से आज तक पालम विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोई विकास या रख–रखाव का कार्य किया गया हो तो संपूर्ण ब्यौरा दे?

माननीय शहरी विकास मंत्रीः (क) से (घ) **दिल्ली विकास प्राधिकरणः** दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रश्न भेजा गया था। इस संदर्भ में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र संख्या एफ 5(3)/मिस./2015/पी एंड सी/वीएस/769 दिनांक 2 अगस्त, 2018 द्वारा यह सूचित किया है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239एए(3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए विधान सभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया

जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के सम्बन्ध में सभा द्वारा उठाये गये प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है। (प्रतिलिपि संलग्न है)

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(आयुक्त एवं सचिव कार्यालय)
ब्लॉक–बी, विकास सदन, आईएनए नई दिल्ली–110023

सं. एफ5(3)/मिस./2015/पी एंड सी/वीएस/769 दिनांक 2 अगस्त, 2018

सेवा में

श्री संदीप मिश्रा,
विशेष सचिव (संसद अनुभाग),
शहरी विकास विभाग, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार,
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय,
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–11002

विषयः छठी दिल्ली विधान सभा के 7वें सत्र के दूसरे भाग में दिनांक 07.06.2018 को उठाए गए अतारांकित प्रश्न के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 09.07.2018 के अपने पत्र सं. एफ–53 (यूएसक्यू)/बजट सेशन–सैंकड–जून–2018/दिल्ली असेंबली/यूडी/डी 7175–7176 का अवलोकन करें, जिसकी संदर्भ सं. एफयूएसक्यू/बजट सेशन–II जून, 2018/दिल्ली असेंबली/यूडी/डी–6983–43 (यूएसक्यू–80), 6925–34 (क्यूएसक्यू–78), 6977–80 (क्यूएसक्यू–89) तथा 6901–6904 (क्यूएसक्यू–70) दिनांक 29.05.2018 तथा अनुपूरक फर्स्ट डी–7066 से 7068

दिनांक 13.06.2018 है, जिसके द्वारा संदर्भित विषय पर उत्तर तैयार करने के लिए विभाग की उपयुक्त सामग्री प्रेषित करने के लिए कहा गया था।

इस संबंध में, यह बताया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 239एए(3)(क) के अनुसार विधान सभा के पास राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में आने वाले किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, केवल उन मामलों को छोड़कर जो राज्य सूची की प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं तथा सूची की प्रविष्टि 64, 65 तथा 66 से कुछ हद तक संबंधित हैं क्योंकि ये उक्त प्रविशिट 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं। अतः आरक्षित विषयों अर्थात् प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 में उल्लिखित विषयों पर राज्य सरकार के पास न तो कानून बनाने की शक्तियां हैं और न ही कार्यकारी कार्रवाई करने की शक्तियां। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 29 में यह वर्णित है कि प्रश्नों की विषय सामग्री प्रशासन के मामलों से संबंधित होनी चाहिए, जिसके लिए सरकार उत्तरदायी है।

अतः दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239एए(3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए विधान सभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के संबंध में सभा द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए क्योंकि दि.वि.प्रा. केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है।

तथापि, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के विकास कार्य और सार्वजनिक

कल्याण में दि.वि.प्रा. की भूमिका से संबंधित मामलों के संबंध में दि.वि.प्रा. रा. रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त पत्राचार के उत्तर देना जारी रखेगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डी. सरकार)
आयुक्त एवं सचिव

140. श्री पंकज पुष्करः क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र एसी–3 की विधायक निधि के अंतर्गत उत्तरी दिल्ली नगर निगम से 2015 से लेकर आज तक करवाए गए सभी कार्यों के संबंध में विधायक तिमारपुर या उनके कार्यालय से कितनी शिकायतें कमिश्नर, एडीशनल कमिश्नर इंजीनियरिंग, इंजीनियर इन चीफ इंजीनियर या सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर के स्तर पर की गई;

(ख) इन सभी शिकायतों का पूर्ण विवरण क्या है; और

(ग) सभी शिकायतों पर की गई कार्रवाई का पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय शहरी विकास मंत्रीः (क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगमः** एसी–03 में विधायक निधि से कराये गये कार्यों के बारे में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार 2015 से अब तक कुल 04 शिकायत प्राप्त हुई;

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगमः** शिकायतों का पूर्ण विवरण संलग्न है; और

(ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगमः** सभी शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

नॉर्थ दिल्ली नगर निगम
अधिशासी अभियंता कार्यालय एम–1
सिविल लाईन जोन, राजपुर रोड, दिल्ली
फोन नं.: 23994148

सं. ई.ई.–एम–1 / सि.ला.जो. / 2019–20 दिनांक 08.2019

विषयः तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र एसी–3 की विधायक निधि के अंतर्गत कार्यों के विषय में।

Ref.: F.33/408/AO/(C&C)/2019/431 dated 13.08.2019 (Dy No. 140) dated 23.08.2019

उपरोक्त विषय के संदर्भ में इस खंड का जवाब निम्न प्रकार से हैः–

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क.	तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र एसी–3 की विधायक निधि के अंतर्गत उत्तरी दिल्ली नगर निगम से 2015 से लेकर आज तक करवाए गए सभी कार्यों के संबंध में विधायक तिमारपुर या उनके कार्यालय से कितनी शिकायते कमिश्नर, एडीशनल कमिश्नर इंजीनियरिंग, इंजीनियर इन चीफ इंजीनियर या सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के स्तर पर की गई;	इस खंड में कार्य से सबंबंधित कुल 04 शिकायतें प्राप्त हुई थी जिसके बारे में विवरण निम्न प्रकार से है तथा इन शिकायतों के उत्तर साथ में संलग्न किये जा रहे हैंः– 1. MLA/AC-03/MCD/Works/384 dated 05.06.2017 2. MLA/AC-03/MCD/Works/383 dated 05.06.2017 3. MLA/AC-03/MCD/0603 dated 05.11.2017 4. MLA/AC-03/MCD/DC/0607 dated 07.11.2017

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
ख.	इन सभी शिकायतों का पूर्ण विवरण क्या है; और	उत्तर संख्या (क) के अनुसार
ग.	सभी शिकायतों पर की गई कार्रवाई का पूर्ण विवरण क्या है?	उत्तर संख्या (क) के अनुसार

अधि. अभियंता एम–1
सि.ला.जो.

141. श्री पंकज पुष्करः क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पास तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र के विधायक निधि के अंतर्गत कितने कार्य/वर्कआर्डर ऐसे हैं जिनका कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है;

(ख) एसी–3 तिमारपुर की विधायक निधि के उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा सन् 2016 से लेकर अभी तक के कितने कार्य ऐसे हैं जिनको पूरा करने में पूर्व निर्धारित अवधि से अधिक समय लगा;

(ग) इस क्षेत्र के विधायक निधि के उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा सन् 2016 से लेकर अभी तक कितने कार्य ऐसे हैं जो अभी शुरू होने के बाद अपूर्ण है;

(घ) इन सभी कार्यों को पूरा करने में पूर्व निर्धारित अवधि क्या तय थी;

(ङ) इन कामों में अधिक समय लगने के कारण क्या है;

(च) इस देरी के पूरे कारण सहित विवरण की सूची उपलब्ध कराएं; और

(छ) इन सभी कार्यों में देरी के लिए जिम्मेदार ठेकेदार एजेंसी पर क्या कार्रवाई हुई?

माननीय शहरी विकास मंत्रीः (क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगमः** तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र के विधायक निधि के अंतर्गत जो कार्य किये गये हैं, जो कार्य प्रगति पर है तथा जो कार्य होने है उनका वर्ष अनुसार ब्यौरा निम्न प्रकार से है तथा उन कार्यों की सूची भी संलग्न* की जा रही हैः—

वर्ष	कुल	जो कार्य पूरे हो गये	जो कार्य प्रगति पर है। उनकी संख्या	जो कार्य पूरे होने बाकी है है।
1	2	3	4	5
2019—20	—			कोई बजट आबंटित नहीं किया गया तथा कोई कार्य नहीं किया।
2018—19	04		03	(01 कार्य) माननीय विधायक जी को अतिरिक्त बजट देने हेतु पत्र संख्या EE(M-1) CLZ/2019/48 dated 09.04.19 और EE(M-1) CLZ/2019/278 dated 28.05.2019 के द्वारा भेजा गया था। परंतु अभी बजट

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

1	2	3	4	5
				उपलब्ध नहीं हुआ है। तथा यूडी विभाग में भी पत्र संख्या EE(M-1) CLZ/2019/287 dated 28.05.2019, EE(M-1) CLZ/2019/49 dated 09.04.2019 and EE(M-1) CLZ/2019/749 dated 08.08.2019 को पत्र बजट लेने हेतु भेजे हैं।
2017—18	02	01 कार्य जिसमें सक्षम अधिकारी द्वारा Time of Extension की अनुमति प्रदान की है।		Toilet Block बनाने हेतु कार्य की साईट माननीय विधायक जी द्वारा पब्लिक के साथ मिलकर उपलब्ध नहीं करवाई गई है।
2016—17	48	36		(04 कार्य) इन कार्यों का उद्घाटन माननीय विधायक जी द्वरा होना है जो उस समय माननीय विधायक जी उद्घाटन नहीं कर पाये। कुछ ऐसे कार्य है जो same agency द्वारा पूर्ण कर दिये गये हैं। लेकिन उनका completion certificate माननीय विधायक जी द्वारा नहीं दिया गया है और उनका भुगतान विलम्ब है।
				01 इस कार्य में तीन हाई मास्क लगाने का कार्य

1	2	3	4	5
				माननीय विधायक जी द्वारा सुझाए गए स्थानों पर संभव नहीं होने के कारण कार्य नहीं हो पाय। अतः परिवर्तित स्थलों का सुझाव व स्वीकृति माननीय विधायक महोदय से अपेक्षित है। 03 कार्य माननीय विधायक जी द्वारा उद्घाटन में देरी के कारण कार्य विलम्ब हुए हैं उस समय Public की जरूरत के अनुसार गलियों में सीवर लाइन इस कार्य से पहले करवाना चाहते थे। 04 कार्य, कार्यों के केस closed कर दिये हैं। माननीय विधायक जी की सहमति पर;

(ख) वर्षों अनुसार डिटेल इस प्रकार हैः–

2018–19 के 01, उत्तर (1) के अनुसार

2017–18 के 01, उत्तर (1) के अनुसार

2016–17 के 04 कार्य उत्तर 1 के अनुसार व 35 कार्यों में से कुल कार्य देरी से हुये तथा सक्षम अधिकारी ने सभी कार्यों की Time of Extension की अनुमति प्रदान की है;

(ग) उपरोक्त 'क' के अनुसार;

(घ) सभी कार्यों की समय अवधि उत्तर 1 के संलग्न रिपोर्ट में प्रदर्शित की गई है;

(ङ) माननीय विधायक जी द्वारा समय पर उद्घाटन न करने से व पब्लिक की इच्छा अनुसार गली में पहले सीवर लाइन डलवाने के विवाद हेतु कार्य विलम्ब हुए हैं;

(च) उपरोक्त 'ख' के अनुसार; और

(छ) जी हां, सक्षम अधिकारी ने आवश्यकतानुसार कार्यवाही की गई है।

142. श्री शिव चरण गोयलः क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मोती नगर विधान सभा के वार्ड 99, 100, 101 में पिछले तीन वर्षों में अधिकृत एवं स्वीकृत प्लान के साथ कितने रिहाइशी भवन बनाए गए हैं;

(ख) उसमें से कितने मकान अनाधिकृत पाए गए;

(ग) इन पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई, उसका पूरा ब्यौरा दें;

(घ) पिछले तीन वर्षों में इन तीन वार्डों में बैंक्वेंट हॉल बनाने हेतु कितने परमिट जारी किए गए हैं;

(ङ) पिछले तीन वर्षों में इन वार्डों में गैर–आवासीय एवं व्यावसायिक निर्माण कार्यों (जिसे फैक्टरियां, गोदाम, दुकानें इत्यादि) का विवरण क्या है; और

(च) इस क्षेत्र में कितने बैंकवेट हॉल अनाधिकृत रूप से चल रहे हैं; और

(छ) इन पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई, पूर्ण विवरण दें?

माननीय शहरी विकास मंत्रीः (क) मोती नगर विधान सभा क्षेत्र में जनवरी, 2016 से अब तक अधिकृत एवं स्वीकृत प्लान की संख्या 426 है;

(ख) उपरोक्त संख्या में 164 भवनों में निर्माण स्वीकृत प्लान से परिवर्तित पाया गया;

(ग) संदर्भ क एवं ख में दिये गये उत्तर के विस्तार में प्रेषित है। उपरोक्त 164 भवन जिनमें निर्माण स्वीकृत प्लान से परिवर्तित पाया गया उन्हें निगम के 1957 विनियम धाराओं के अंतर्गत बुक कर दिया गया है। इनमें 37 सम्पत्तियों में तोड़–फोड़ की कार्यवाही तथा 6 सम्पत्तियों में सीलिंग की कार्यवाही की गई है। शेष सम्पत्तियों में वांछित कार्यवाही नियमानुसार शीघ्र की जाएगी;

(घ) बैंक्वेट हॉल को कोई परमिट नहीं दिया जाता है बल्कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाइसेंस जारी किया जाता है पिछले तीन वर्षों में वार्ड 99,100 और 101 में कुल 15 बैंकवेट हॉलों को लाइसेंस जारी किये गये हैं;

(ङ) पिछले तीन वर्षों में इन वार्डों में गैर–आवासीय यानि 13 फैक्टरी एवं 06 व्यावसायिक निर्माण कार्य हुए;

(च) इस क्षेत्र में कोई भी बैंक्वेट हॉल अनाधिकृत रूप से नहीं चल रहा है; और

(छ) इस क्षेत्र में कोई भी बैंक्वेट हॉल अनाधिकृत रूप से नहीं चल रहा है। इसलिए विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

143. श्री शिव चरण गोयलः क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मोती नगर विधान सभा के वार्ड–99 में पिछले 2 सालों से सरकारी भूमि पर जो अवैध निर्माण हेतु उसका पूरा ब्यौरा दें; और

(ख) उन पर क्या कार्रवाई की गई उसका भी पूरा ब्यौरा दें?

माननीय शहरी विकास मंत्रीः (क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगमः** मोती नगर विधान सभा के वार्ड–99 में सड़कों के ऊपर व गलियों में जो कि अभियांत्रिकी विभाग, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आती है उन पर पिछले दो सालों में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण संज्ञान में नहीं है।

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगमः** मोती नगर विधान सभा के वार्ड–99 में सड़कों के ऊपर व गलियों में जो कि अभियांत्रिकी विभाग, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आती है उन पर पिछले दो सालों में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण संज्ञान में नहीं है।

144. श्री विशेष रविः क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) शहरी विकास विभाग के पास करोल बाग विधान सभा क्षेत्र के विधायक निधि के कितने प्रोजेक्ट पेंडिंग है, तिथि अनुसार पूर्ण विवरण दें;

(ख) इन प्रोजेक्ट को स्वीकृति में विलम्ब के का क्या कारण हैं;

(ग) ये सभी प्रोजेक्ट किस तिथि तक विभाग द्वारा स्वीकृत कर दिए जायेंगे; प्रोजेक्ट नुसार पूर्ण विवरण दें;

(घ) 27.07.2019 को अजमल खां रोड, करोल बाग पर नॉर्थ एमसीडी

द्वारा हॉकर्स व वॉकर्स, रेहड़ी पटरी व अन्य वेंडर्स को हटाने की कार्रवाई का पूर्ण विवरण दें;

(ङ) अजमल खां रोड पर एनडीएमसी द्वारा किसके आदेश पर किस नियम व कानून के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई;

(च) क्या यह सत्य है कि टाउन वेंडिंग कमेटी एक्ट लागू हो जाने के बाद रेहड़ी पटरी व अन्य संबंधित पर किसी तरह के निर्णय सिर्फ टाउन वेंडिंग कमेटी के पास हैं;

(छ) यदि हां, तो 27.7.2019 की गैर–कानूनी कार्रवाई का कौन जिम्मेदार है; और

(ज) विधायक निधि के स्वीकृत कार्यों में हो रही देरी का क्या कारण है?

माननीय शहरी विकास मंत्रीः (क) डायरी संख्या 2716 द्वारा प्राप्त किये गये 13 प्रस्ताव लम्बित हैं, जिनकी सूची संलग्न है;

(ख) डायरी संख्या 2716 द्वारा प्राप्त किये गये 13 प्रस्ताव विधायक निधि शाखा ने वेट होने के लिये लेखा शाखा को भेजे थे जांच के दौरान पाया गया प्रस्तावों के साथ संलग्न अनुमानित आंकलन स्पष्ट/पढ़ने योग्य नहीं हैं इसलिये प्रस्ताव वेट नहीं हो पाये। इस संबंध में माननीय विधायक जी को तथा सम्बन्धित अधिशासी अभियंता व सहायक अभियंता को फोन पर सूचित किया जा चुका है परन्तु अभी तक अनुमानित आंकलन की स्पष्ट/पढ़ने योग्य प्रति नहीं प्रदान की गई जिसके चलते प्रस्ताव लम्बित है। जैसे ही वांछित दस्तावेज प्राप्त होंगे प्रस्तावों को अनुमोदन हेतु तुरन्त प्रस्तुत किया जाएगा;

(ग) अनुमानित आंकलन की स्पष्ट/पढ़ने योग्य प्रति प्राप्त होने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जा सकेगी;

(घ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगमः** अजमल खां रोड हाकिंग/वैडिंग क्षेत्र नहीं है, दिनांक 27.07.2019 को अवैध हाकर्स व वैंडर्स को अजमल खां रोड से हटाया/स्थानातंरित किया गया है। ये प्रक्रिया जारी है;

(ङ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगमः** अजमल खां रोड पर एनडीएमसी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के रिट पेटीशिन नंबर 5023/2015 के निर्देशानुसार यह कार्यवाही की गयी है;

(च) **उत्तरी दिल्ली नगर निगमः** उपरोक्तानुसार;

(छ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगमः** उपरोक्तानुसार; और

(ज) **उत्तरी दिल्ली नगर निगमः** विधायक श्री विशेष रवि के विधायक निधि के अंतर्गत EE(M)II/KBZ (Karol Bagh Zone) में कुल 30 स्वीकृत कार्यों का ब्यौरा इस प्रकार है।

Work Completed	:	10
Work in progress	:	11
Work delayed	:	09

Delayed works के कारणः

1. अन्य विभाग द्वारा सीवर लाइन एवं पानी की लाइनों के कार्य किये जाने के कारण।
2. लोक सभा चुनाव के अंतर्गत मोडल कोड़ ऑफ कंडक्ट लागू हो जाने के कारण।
3. कुछ कार्यों में ठेकेदारों द्वारा कार्यों में देरी करने के कारण जिसके लिए उनके खिलाफ अनुबंध के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है।

आशा है कि बाकी बचे हुए कार्य नवम्बर, 2019 तक पूर्ण हो जाएंगे।

Diary No.	AC No.	MLA Name	MLA Letter Date	Name of Work	Agency
1	2	3	4	5	6
27I6	23	Sh. Vihsesh Ravi	13.06.2019	Imp to glai no. 52 Rehgarpura by pdg. RMC and drainage system in Ward C-94(N) Dev Nagar/KBZ	North DMC
2716	23	Sh. Vihsesh Ravi	13.06.2019	Imp to glai no. 67 Rehgarpura by pdg. RMC and drainage system in Ward C-94(N) Dev Nagar/KBZ	North DMC
2716	23	Sh. Vihsesh Ravi	13.06.2019	Imp to glai no. 68 Rehgarpura by pdg. RMC and drainage system in Ward C-94(N) Dev Nagar/KBZ	North DMC
2716	23	Sh. Vihsesh Ravi	13.06.2019	Imp to glai no. 69 Rehgarpura by pdg. RMC and drainage system in Ward C-94(N) Dev Nagar/KBZ	North DMC
2716	23	Sh. Vihsesh Ravi	13.06.2019	Imp to glai no. 70 Rehgarpura by pdg. RMC and drainage system in Ward C-94(N) Dev Nagar/KBZ	North DMC
2716	23	Sh. Vihsesh Ravi	13.06.2019	Imp to glai no. 48 Rehgarpura by pdg. RMC and drainage system in Ward C-94(N) Dev Nagar/KBZ	North DMC

1	2	3	4	5	6
2716	23	Sh. Vihsesh Ravi	13.06.2019	Imp to glai no. 49 Rehgarpura by pdg. RMC and drainage system in Ward C-94(N) Dev Nagar/KBZ	North DMC
2716	23	Sh. Vihsesh Ravi	13.06.2019	Imp to glai no. 50 Rehgarpura by pdg. RMC and drainage system in Ward C-94(N) Dev Nagar/KBZ	North DMC
2716	23	Sh. Vihsesh Ravi	13.06.2019	Imp to glai no. 51 Rehgarpura by pdg. RMC and drainage system m Ward C-94(N) Dev Nagar/KBZ	North DMC
2716	23	Sh. Vihsesh Ravi	13,06.2019	Imp to glai no. 47 Rehgarpura by pdg. RMC and drainage system in Ward C-94(N) Dev Nagar/KBZ	North DMC
2716	23	Sh. Vihsesh Ravi	13,06,2019	Imp to glai no. 55 Rehgarpura by pdg. RMC and drainage system in Ward C-94(N) Dev Nagar/KBZ	North DMC
2715	23	Sh. Vihsesh Ravi	13.06,2019	Imp to glai no. 64 Rehgarpura by pdg. RMC and drainage system in Ward C-94(N) Dev Nagar/KBZ	North DMC
2716	23	Sh. Vihsesh Ravi	13.06.2019	Imp to glai no. 75 Rehgarpura by pdg. RMC and drainage system in Ward C-94(N) Dev Nagar/KBZ	North DMC

145. श्री सोमनाथ भारतीः क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जनवरी, 2014 से मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में एमएलए लैड और मुख्य मंत्री सड़क पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत पूर्व निष्पादित और लम्बित कार्यों की सूची उपलब्ध कराएं?

माननीय शहरी विकास मंत्रीः (क) **एमएलए लैड/योजना**

अवधि जनवरी, 2014 तक शून्य।

वर्ष 2014–15 में कार्यों की सूची संलग्न।

अप्रैल, 2015 से जुलाई, 2015 तक शून्य।

जुलाई, 2015 से दिसम्बर, 2017 तक यह कार्य डूडा, राजस्व विभाग द्वारा देखा गया मंडलायुक्त (राजस्व विभाग) ने डूडा द्वारा किये गये कार्यों की सूची अनुलंग्नक 'क' पर संलग्न है।

दिसम्बर, 2017 से 12.08.2019 तक में कार्यों की सूची संलग्न।

मुख्य मंत्री सड़क योजना

विधान सभा संख्या – 43

निष्पादित कार्य – शून्य

लम्बित कार्य – कुल 26 प्रस्ताव, 3 फाइलों में प्रक्रियाधीन है (सूची संलग्न है)।

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

146. श्री राजेश गुप्ताः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वजीरपुर विधान सभा क्ष्क्षेत्र में डूसिब का वर्ष 2015 से 8 अगस्त, 2019 तक कितना काम पूर्ण हो चुका है और कितना कार्य चल रहा है;

(ख) इन पर व्यय और अनुमानित राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि डूसिब झुग्गी बस्तियों की गलियों को तोड़कर नहीं बना रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि ऐसा न करने से कई झुगियां गली से नीची हो जाएंगी;

(ङ) डूसिब के शौचालयों में सफाई कर्मचारी या सफाई ठेकेदारों की तनख्वाह किस हिसाब से दी जाती है;

(च) क्या इनका कोई सोशल ऑडिट भी होता है;

(छ) जेलर वाला बाग में प्रमुख शौचालय कब तक बनकर तैयार हो जाएगा; और

(ज) डूसिब के वजीरपुर में पड़ने वाले खाली प्लॉटों का ब्यौरा दें, बस्ती विकास केन्द्रों का ब्यौरा दें?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) वजीरपुर विधान सभा क्षेत्र में डूसिब का वर्ष 2015 से 8 अगस्त, 2019 तक 92 कार्य पूरे हो चुके हैं और दस कार्य चल रहे हैं;

(ख) इन 92 कार्यों पर 1311.41 लाख व्यय किया जा चुका है और चल रहे 10 कार्यों की अनुमानित राशि 300.41 लाख है;

(ग) डूसिब झुग्गी बस्तियों में पानी की निकासी के लिए नाली एवं गलियों में सुधार का कार्य करता है। अगर पानी की निकासी के लिए स्थित आउटफॉल ऊंचा है तो गलियों में भी नाली को ढ़लान देकर ऊंचा बनाया जाता है। उसके बाद गलियों में सिमेंट क्रंकिट का कार्य किया जाता है। प्रत्येक साइट के कार्य की आवश्यकतानुसार गली को बनाया जाता है। अगर नाली का आउटफॉल नीचे है तो गली में स्थित सिमेंट कंक्रिट को तोड़कर भी दुबारा डाला जाता है। जहां तोड़ने की आवश्यकता होती है वहां तोड़ कर भी बनाया जाता है;

(घ) डूसिब का उद्देश्य गलियों में सुधार का है, चूंकि झुग्गियां ऊंची एवं नीची बनी होती हैं तो संभव है कि कुछ झुग्गियां गली के नीचे भी हो जाएं;

(ङ) शौचालय का संचालन एवं रख–रखाव का कार्य ठेकेदार को विभाग द्वारा आवंटित किया गया है। यह सफाई कर्मचारी व अन्य कर्मचारियों की तनख्वाह ठेकेदार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से दी जाती है;

(च) सोशल ऑडिट हेतु माननीय विधान सभा के सदस्यों को विभाग द्वारा मेम्बर सोशल ऑडिट के लिए बिनती की गई;

(छ) जेलर वाले बाक के 40 मीटर शौचालय का आंकलन कर लिया गया है जो कि जर्जर हालत में है। उसके पुनर्निर्माण का कार्य प्रस्तावित है और इसका पुनर्निर्माण का कार्य छः महीने में पूरा कर लिया जाएगा;

(ज) वजीरपूर क्षेत्र में डूसीब का कोई प्लाट खाली नहीं है। एवं बस्ती विकास केन्द्रों की सूची संलग्न है।

यह उत्तर सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जाता है।

BVK AC: 17

Sl. No.	Name & Address of BVK	Name of NGO to whom allotted	Total area of BVK Sqm (Carpet Area)	Allotted Area of BVK Sqm	BVK Allotted/ Vacant/ Partly/ Vacant	Present Status of BVK Performing or Not
1	BVK at Sawan Park Chowki No. 3 Ashok Vihar	Health (MCD)	98.79	58.16	Partly allotted	Performing
2	BVK at K-Block Wazirpur	Room No. 1 to 3 allotted to Delhi public liabrary 53.67 Sqm	98.79	53.67	Fully allotted	Not
		Room No. 4 to 7 allotted to Chhitiz Mahila Vikas Samiti 45.12 Sqm		45.12	Fully allotted	Not
3	BVK at along Railway line Prem Bari Bridge C-Pocket	Jan Utthan Sangh	98.79	98.79	Fully allotted	Performing
4	BVK at Chander Shekhar Azad Colony Wazirpur Indus. Area	Health Deptt.	98.79	98.79	Fully allotted	Performing
5	BVK at E-Block Pathar Wala Bagh Wazirpur JJ Colony	Room No. 3, 4 & 5 allotted to Balmiki Yuvak Samaj registered	120.68	75.94	Partly allotted	Performing
6.	BVK (Harijan Chaupal) at Village Wazirpur	Yuva Dalit Vlkas Manch	124.90 (62.45 + 62.45)	124.90	Fully allotted	Performing

147. श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य नहीं है कि त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी झुग्गी बस्तियों में स्ट्रीट लाइट/रात में झुग्गी बस्तियों की गलियों में पथ–प्रकाश की व्यवस्था बहुत खराब है;

(ख) क्या यह सत्य है कि मार्च, 2015 से लेकर आज तक त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र की सभी झुग्गी बस्तियों में डूसिब द्वारा एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गई है;

(ग) क्या इन बस्तियों में स्ट्रीट लाइट लगाने की डूसिब की कोई योजना है;

(घ) क्या यह सत्य हैं कि डूसिब द्वारा सन् 2019 में तय किया गया था कि सभी झुग्गी–बस्तियों में हाई मास्ट लाइटें लगाई जाएंगी; और

(ङ) यदि हां, तो ये हाई मास्ट लाइटें कब तक लगा दी जाएंगी?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) जी हां, 8 कलस्टरों का सर्वे हो चुका है जिसमें 2 BRPL के हैं और 6 TPDDL के है। BRPL की 35 लाइटें लगीं हैं और 19 अतिरिक्त लाइटें लगाने की आवश्यकता है जो कि प्रस्तावनाधीन है। TPDDL के कलस्टरों की रिपोर्ट आनी अपेक्षित है;

(ख) जी हां;

(ग) जी हां, इस सम्बन्ध में डूसिब एवं BRPL द्वारा संयुक्त सर्वे/निरीक्षण किया गया एवं अपेक्षित संख्या में और LED लाइटें लगाई जाएंगी। बोर्ड के अनुमोदन उपरांत, डूसिब ने 1.11.2018 से जेजे कलस्टर में सभी लगी हुई स्ट्रीट लाइट को तत्काल प्रभाव से चालू करने का TPDDL, BRPL & BYPL को उचित निर्देश जारी किया है। इसके अतिरिक्त डूसिब ने बिजली कम्पनियों को जरूरी अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट को जरूरत अनुसार भी लगाने का निर्देश दिया है और इसका कार्य जारी है;

(घ) डूसिब द्वारा अपने अधिनस्थ शौचालय, बस्ती विकास केंद्र के समीप मास्ट लाइट लगाने की योजना है। इस प्रस्ताव हेतु त्रिनगर AC-16 में 5 जन सुविधा परिसर पर मास्ट लाइट प्रस्तावित है; और

(ङ) उपरोक्त प्रस्तावित कार्य प्रक्रिया में है और 31.12.2019 तक कार्य संपन्न होने की उम्मीद है।

148. श्री अजय दत्तः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि डूसिब दिल्ली झुग्गियों को नये मकानों में शिफ्ट कर रही है; और

(ख) क्या इस कार्य में सभी झुग्गीवासियों का सर्वेक्षण किया जा रहा है?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) जी हां। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की पुनर्वास शाखा द्वारा अब तक 21 जेजे बस्तियों के 2031 योग्य झुग्गीवासियों को पुनर्वास नीति के अनुसार फ्लैटों में पुनर्वासित किया गया है; और

(ख) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों को सर्वेक्षण SPYM एजेंसी के माध्यम से कराया जा रहा है।

149. श्रीमती प्रमिला टोकसः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा विधान सभा क्षेत्र आर.के. पुरम के अम्बेडकर झुग्गी बस्ती में पुराना शौचालय के सेफ्टी टैंक की खाली पड़ी भूमि पर बच्चों के खेलने व जिम लगाने हेतु प्रार्थना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक किया जाएगा, विस्तारपूर्वक बताया जाए;

(ग) इस क्षेत्र के आर.के. पुरम नेहरू एकता झुग्गी बस्ती पार्क व गलियों के निर्माण का लम्बित कार्य कब तक किया जायेगा; इसकी जानकारी दी जाए;

(घ) क्या यह सत्य है कि आर.के. पुरम की झुग्गी बस्ती में बने बस्ती विकास केंद्र अलग–अलग एनजीओ को दिए गए हैं;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि इन केन्द्रों को इस्तेमाल अपने निजी हित के लिए किया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो क्या ऐसे मामलों में विभाग द्वारा क्या कार्रवाई प्रस्तावित है; और

(छ) और कब तक?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) इस झुग्गी बस्ती की भूमि का स्वामित्व के पास हैं, पुराने शौचालय के सैप्टिक टैंक की जमीन पर बच्चों के खेलने व जिम लगाने का कोई आग्रह प्राप्त नहीं हुआ;

(ख) उपरोक्त क के अनुसार;

(ग) इस बस्ती के पार्क/शिशु वाटिका के जीर्णोद्धार का कार्य लगभग तीन महीने में पूर्ण हो जाएगा। इस बस्ती की गलियों में सीवर लाइन डालने की मांग है, यह कार्य दिल्ली जल बोर्ड के अंतर्गत आता है। गलियों में सीवर लाइन डालने के पश्चात् दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा सी.सी. पेवमेंट का कार्य किया जाएगा;

(घ) हां, यह सत्य है और बस्ती विकास केंद्र के आवंटन का कार्य बस्ती विकास केंद्र विभाग द्वारा किया जाता है। बस्ती विकास केन्द्रों की सूची संलग्न है;

(ङ) यह सत्य नहीं है क्योंकि विभाग के संज्ञान में अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है;

(च) उपरोक्त ङ के अनुसार; और

(छ) उपरोक्त ङ के अनुसार।

List of BVKs in AC-44. RK Puram

Sl. No.	Address of BVK	Area (In sqm)	No. of storey	Details of accommodation
1	2	3	4	5
1	Sardar Patel Ekta Vihar Sec-6, RK Puram (BVK No. 1) (LBCC) (Sh Ramesh)	7919	1	4 rooms
2	Sardar Patel Ekta Vihar, Sec-6, RK Puram (BVK No. 2)	308.00	2	G.F - 9 rooms, F.F. -6 rooms
3	Sardar Patel Ekta Vihar, Sec-6, RK Puram (BVK No. 3)	10300	1	4 rooms
4	Sardar Patel Ekta Vihar, Sec-6, RK Puram (BVK No. 4)	175.00	1	4 rooms
5	Sardar Patel Ekta Vihar Sec-6, RK Puram (BVK No. 5) Sh. Mathur, 9810220655	306.00	2	G.F -5 rooms, F.F. -3 rooms
6	Sardar Patel Ekta Vihar, Sec-6, RK Puram (BVK No. 6)	75.41	1	4 rooms (2 room allotted to Ek Lakshya, 2 rooms allotted to Prayas)

Division C-5

Name of Agency/NGO	Activities run by NGO	Remarks
6	7	8
LBCC	Office use *Cancelled but possession not yet handed over by NGO*	Court case
ASHA	Dispensary, Path lab etc. (Asha Poly Clinic)	
Mission Converence (Samajik Suvidha Sangthan) (Credence)	No activities *Cancelled*	Reserved as afidevit file in High Court
Asha & Tamanna	Elementary Education, Physio Therapy, Vaccination Center	
Community Education and Development Foundation (2 rooms allotted to NGO - Disha)	Tailoring, computer education, vocational activities, Typing works, ladies pariour *Cancelled bul possession not yet handed over by NGO*	As per confirmation from representative of NGO Sh. Mathur (9810220655) this BVK not in the list of cancelled BVKs.
Ek Lakshya & Prayas	Elementary education by Prayas No activity by Ek Lakshya *Cancelled*	Locked on 30.08.18

1	2	3	4	5
7	Kanak Durga Camp, Sec-12, RK Puram (BVK No. 1) Ms. Anny (9871458067) Sh Manmohan Sarin	513.00	2	G.F. -14 rooms, F.F. -10 rooms
8	Kanak Durga Camp, Sec-12, RK Puram (BVK No. 2) Ms Renu. 9971606299	138.89	1	7 rooms
9	Kanak Durga Camp, Sec-12, RK Puram (BVK No. 3) Sh. Purshottam Jha. 9810184456	175.29	1	6 rooms (1 room const. by deptt. 5 rooms const. by NGO)
10	Kanak Durga Camp, Sec-12, RK Puram (BVK No. 4)	75.73	1	2 rooms (Porta cabin const, by NGO)
11	South Moti Bagh, Shastri Market (BVK No. 1)	93.00	1	6 rooms
12	South Moti Bagh, Shastri Market (BVK No. 2) Mr Vijay, 8700870820	94.00	1	2 rooms
13	Nehru Ekta Camp. Sec-7, RK Puram (BVK No. 1) Sh Shankar, 9650066202	108.00	1	5 rooms
14	Nehru Ekta Camp, Sec-7, RK Puram (BVK No 2) Major Bhupendra. 9810844466	76.52	1	3 rooms
15	Shri Ram JJ Camp Near Springdale School Dhaula Kuan (BVK No. 1)	75.41	1	4 rooms

6	7	8
Ashutosh Dawar Trust (Prem Chikitsa Kendra)	Dispensary/Poly Clinic & Physio Therapy Center	Cancelled but possession not yet handed over by NGO
Can Support	Counselling Centre for cancer paitent and guide line and care etc.	Taken possession from can support 21 02.2019 and handing over to Dir (Rajya Sabha) on dt 14.032019
Swati	Elementary education, computer education, cultural activities	Locked on 28.08.18 and open on dt 29.08.18 as per court order
ASHA	Vaccination center, Health Counseling center	Locked on 28.08 18 and open on dt 29.08 18 as per court order.
Delhi Govt Dispensary	Fully allotted to Delhi Admn. Dispensary	
Disha & USD (Institute of Social Development)	*Cancelled*	Locked by DUSIB on 30.08.18
Project Aid & Society	Computer education, Tailoring, elementary education	
MAITRI	Tailoring & Elementary education, library	
Health Care and Society	Tailoring, Elementary education, Computer classes	

1	2	3	4	5
16	Sri Ram JJ Camp Near Spring Dall School, Dhaula Kuan (BVK No.2)	50.00	1	1 Hall
17	Bhanwar Singh Camp Behind Janta Flat, Block-D, Vasant Vihar Phase-I (BVK No. 1)	140.00	1	6 rooms
18	Bhanwar Singh Camp Block-D/ Nepali Camp Vasant Vihar (BVK No 2) Ms. Anny (9871458067) Sh. Manmohan Sarin	7540	1	2 Rooms & 1 Hall
19	Ambedkar Basti. Sec-1, RK Puram (BVK No. 1) MS Ranjana, 9971046199	60.00	1	2 rooms
20	Ambedkar Basti, Sec-1, RK Puram (BVK No. 2) Ms Ranjana, 9971046199	90 00	1	2 rooms
21	Ambedkar Basti. Sec-1, RK Puram (BVK No. 3)	40.00	1	1 Hall
22	Adarsh Basti Mohammad Pur, RK Puram Sh Guru Nanak. 9868443051	75.40	1	4 rooms
23	Leprosy Colony In Front of Mohan Singh Market, Sec-1, RK Puram	54.00	1	2 rooms
24	Ravi Dass Camp, Sec-3 RK Puram Sh Shankar, 9650066202	2214	1	1 room
25	Mahiwal Saraswati Camp, Sec-3, RK Puram (Back side ot CNG Filling Station)	75.41	1	1 Hall, 2 Rooms

6	7	8
Health Deptt Delhi	Mohalla Clinic	Handed over to Health Deptt Delhi tor mohalla Clinic on dt 04 10 2018
Nyay Paryas	Computer education, elementary education etc.	
Ashutosh Dawar Trust	Running Dispensary (Physician. Dental etc.)	
ASHA	Literacy center and resources center	
AS HA	Health Center, vaccination etc.	
	Vacant	Reserved as afidevit file in High Court
Sewa Bharti	Tailoring and elementary education	
Leprosy society	No regular activity	
Project Aid Society	Elementary Education	
NA	Vacant	Reserved as afidevit file in High Court

150. श्री गिरीश सोनीः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गुरू गोविन्द हॉस्पिटल के पीछे डूसिब द्वारा बनाई कपड़ा मार्किट किस विभाग के अंतर्गत आती है;

(ख) क्या इसका कोई बोर्ड बना है;

(ग) क्या सरकार अन्य मार्किट की तरह इस मार्किट का भी बोर्ड बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) इस मार्किट का संचालन कौन करता है उसका पूर्ण विवरण दिया जाए?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) पुराना कपड़ा मार्किट का संचालन दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के अंतर्गत आता है;

(ख) जी नहीं, पुराना कपड़ा मार्केट के लिए कोई बोर्ड नहीं बना है;

(ग) जी नहीं, इस मार्किट का बोर्ड बनाने की, ऐसी कोई योजना, अभी तक विचाराधीन नहीं है; और

(घ) पुराना कपड़ा मार्किट का संचालन दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के द्वारा किया जात है।

151. श्री सुखबीर सिंह दलालः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मुण्डका विधान सभा क्षेत्र की सभी अनुसूचित जाति/जनजाति बस्तियों की पूरी सूची पूरे विवरण सहित उपलब्ध कराएं;

(ख) टीकरी कलां के फ्लैटों के निर्माण का काम रोकने के क्या कारण हैं;

(ग) 01.01.2015 से मुण्डका विधान सभा क्षेत्र में डूसिब द्वारा किराए गए कार्यों का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं;

(घ) मुण्डका विधान सभा क्षेत्र में डूसिब द्वारा 01.01.2015 में अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जनजाति बस्तियों में कितने पुस्तकालय, हाई मास्ट लाइट, पथ–प्रकाश व्यवस्था आदि उपलब्ध कराए गए हैं;

(ङ) यदि पुस्तकालय, हाईमास्टर लाइट, स्ट्रीट लाइट आदि उपलब्ध है तो उसका पूरा विवरण क्या है;

(च) क्या यह सत्य है कि डूसिब दिल्ली में अनूसूचित जाति/जनजाति बस्तियों में सफाई कार्य भी कराता है;

(छ) यदि हां, तो मुण्डका विधान सभा क्षेत्र में कराए गए कार्यों की सूची उपलब्ध करें;

(ज) मुण्डका विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति बस्तियों के उत्थान के लिए कौन–कौन से एनजीओ कार्य कर रहे हैं, उनकी सूची उपलब्ध कराएं; और

(झ) मुण्डका विधान सभा क्षेत्र में उक्त एनजीओ द्वारा किए गए कार्यों का विवरण क्या है?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) यह प्रश्न दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड से संबंधित नहीं है;

(ख) यह प्रश्न दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड से संबंधित नहीं है;

(ग) सूची संलग्न है;

(घ) यह प्रश्न दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड से संबंधित नहीं है;

(ङ) यह प्रश्न दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड से संबंधित नहीं है;

(च) नहीं;

(छ) उपरोक्त अनुसार;

(ज) उपरोक्त; और

(झ) उपरोक्त।

Annexure-A

List of Work Executed in Mundka Assembly Constituency w.e.f. 2015 to till date

Sl. No.	Project Name	Tendered Amount (in Lacs)	Status	Name of Scheme	Financial year is which project sanctioned	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	N.O.W.:- GIA to DUSIB Infrastructure, SH:- C/o boundary wall for OCF at K-Blocks SRS Savda Ghevra Phase-I	2.85	Complete	(GIA to DUSIB) for existing infrastructure	2016-17	
2.	NAME OF WORK: Improvement of SC/ ST Basties, SH:- Providing and laying cement, concrete pavement and construction of drains by raising the level of lanes in SC/ST Basti Chander Vihar (Guru Nanak Basti	33.02	Complete	SC & ST basties Funds	2016-17	
3.	N.O.W.:- Improvement of SC/ST Basties, SH:- Providing and laying cement, concrete pavement and construction of drains and culvert at C-3 Swaran Park, Mundka	128.46	Complete	SC & ST basties Funds	2016-17	
4.	N.O.W.:- SC/ST/OBC Minorities, SH:- C/o Balmiki Chaupal at Village Nilothi	33.21	Complete	SC & ST basties Funds	2016-17	

5.	N.O.W.:- Community Hall & Built up facility, SH:- Special repair and A/R & M/O of Basti Vikas Kendra at G-Block SRS Savda Ghevra	7.42	Complete	Construction of BVK/C. Hall (Capital)	2016-17
6.	Built up facility Community Hall, SH:- A/R & M/O & Upgraded of Community Hall, providing and fixing M.S. Railing, contile fencing for the safety of building and providing & fixing kota stone around the surrounding of Community Hall building	6.69	Complete	Construction of BVK/C. Hall (Capital)	2016-17
7.	N.O.W.:- GIA existing infrastructure, SH:- R.C.C. boundary wall based on prefabricated technology on the land lying vacant at Savda Ghevra Phase-I	123.39	Complete	(GIA to DUSIB) for existing infrastructure	2017-18
8.	N.O.W.:- GIA to DUSIB Infrastructure, SH:- C/o boundary wall for LSC in N-Block SRS Savda Ghevra Phase-II	7.9	Complete	(GIA to DUSIB) for existing infrastructure	2017-18
9.	N.O.W.:- Imp. of SC/ST/OBC Minorities Basties, SH:- Repair/Raising of lanes at Harijan Basti and Badi Basti (of SC/ST Community) at Village Jyonti, AC-8, Mundka	44.88	Complete	SC & ST basties Fund	2017-18
10.	N.O.W.:- Imp. of SC/ST/OBC Minorities Basties, SH:- Repair/Raising of lanes at Balmiki Basti and Harijan Basti at Village Rani Khera, AC-8, Mundka	4.07	Complete	SC & ST basties Fund	2017-18

1	2	3	4	5	6	7
11.	N.O.W.:- SC/ST/OBC Minorities , SH:- Pdg. Dash Fastners for stone cladding on outer Faces of Building at Community Hall, B-Block, Nangloi Ph-II.	9.63	Complete	SC & ST basties Fund	2017-18	
12.	N.O.W.:- Imp. of SC/ST/OBC Minorities Basties, SH:- Repair/Raising of lanes at Harijan Basti at Village Gadhi Randhala, AC-8, Mundka	21.14	Complete	SC & ST basties Fund	2017-18	
13.	N.O.W.:- Imp. of SC/ST/OBC Minorities Basties, SH:- Repair/Raising of lanes and Drains at Balmiki Basti at Village	10.54	Complete	SC & ST basties Fund	2017-18	
14.	N.O.W.:- Imp. of SC/ST/OBC Minorities Basties, SH:- Providing and laying Cement Concrete Pavement and Construction of drains by raising the level in main lains of SC/ST Basti at C-5 Khatik Mohalla Swarn Park, Mundka	53.07	Complete	SC & ST basties Fund	2017-18	
15.	N.O.W.:- Community Hall & Built up facility, Sh:- Special repair and A/R & M/O of Basti Vikas Kendra at A-Block SRS Savda Ghevra	5.31	Complete	Construction of BVK/C. Hall (Capital)	2017-18	
16.	N.O.W.:- GIA, SH:- Protection of vacant plot by providing barbed wire fencing at K-Block, Savda Ghevra Phase-I	2.73	Complete	(GIA to DUSIB) for existing infrastructure	2018-19	
17.	N.O.W.:- Infrastructure Development/ Staff quarters, Remunerative Pre-project activity, safe guardings the DUSIB Land, SH.:- Construction of boundary wall	1.79	Complete	(GIA to DUSIB) for existing infrastructure	2018-19	

	partly for Religious building site and partly for Dispensary Site at Block-L Savda Ghevra Phase-II				
18.	N.O.W.:- GIA to DUSIB, SH:- Construction of B. Wall to project the vacant land earmarked for Primary School (PS) at M-Block, SRS Savda Ghevra Phase-II	11.81	Complete	(GIA to DUSIB) for existing infrastructure	2018-19
19.	N.O.W.:- GIA to DUSIB, SH:- Construction of B. Wall to project the vacant land earmarked for Primary School (PS) at L-Block, SRS Savda Ghevra Phase-II	7.14	Complete	(GIA to DUSIB) for existing infrastructure	2018-19
20.	N.O.W.:- GIA to DUSIB, SH:- Construction of B. Wall to project the vacant land earmarked for Primary School (PS) at L-Block, SRS Savda Ghevra Phase-II	6.87	Complete	(GIA to DUSIB) for existing infrastructure	2018-19
21.	Infrastructure Development/Staff Qtrs. Remunerative pre project activity to save guard the DUSIB land (GIA to DUSIB) SH:- Construction of Boundary wall to project the vacant land earmarked for Higher Secondary School (HSS) at M-Block, SRS Savda Ghevra	10.2	Complete	(GIA to DUSIB) for existing infrastructure	2018-19
22.	N.O.W.:- Imp. of SC/ST/OBC Minorities Basties, SH:- Reconstruction of Balmiki Chaupal (Three Storeyed) at Village Garhi Randhala AC-8, Mundka	72.61	In Progress	SC & ST basties Fund	2018-19
23.	N.O.W.:- Imp. of SC/ST/OBC Minorities Basties, SH:- Construction of Julaha Chaupal (3 Storeyed) at Village Mundka, AC-8, Mundka	44.81	In Progress	SC & ST basties Fund	2018-19

152. श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि राजौरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले श्याम नगर में डूसिब की भूमि पर पार्किंग माफिया ने जबरन कब्जा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस भूमि को खाली करवाने के लिए कोई कार्रवाई की जा रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इस भूमि को खाली न कराए जाने का क्या कारण है; और

(घ) क्या सरकार का इस भूमि को झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास के लिए प्रयोग करने पर विचार कर रही है?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) जी नहीं, श्याम नगर की खाली भूमि पर पार्किंग हेतु भूमि को 2 वर्ष के लिए विभाग द्वारा आवंटित कर दिया गया है। कब्जा अगले सप्ताह दे दिया जाएगा;

(ख) उपरोक्त क के अनुसार;

(ग) उपरोक्त क के अनुसार; और

(घ) जी हां सरकार इस भूमि को झुग्गी बस्तियों के पुर्नवास के लिए प्रयोग करने पर विचार कर रही है।

153. श्री शिवचरण गोयलः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मोती नगर विधान सभा की झुग्गी झोपड़ी निवासियों के पुनर्वास एवं विकास के संबंध में सरकार की कोई विस्तृत नीति है;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(ग) सरकार द्वारा झुग्गी निवासियों के लिए अब तक कितने मकान बनाये गये हैं;

(घ) झुग्गी वासियों से अग्रिम राशि के रूप में किस दर पर और कितनी राशि वसूल की गई है;

(ङ) झुग्गी बस्तियों को कितने मकान आबंटित किये गये हैं; और

(च) ऐसे कितने मकान है जो बनकर तैयार हैं परन्तु अभी तक झुग्गी वासियों को आबंटित नहीं किये गये हैं?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) दिल्ली स्लम एवं जेजे पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति, 2005 (अब मुख्यमंत्री आवास योजना) दिल्ली में स्थित समस्त जेजे बस्तियों के लिए बनाई गई नीति है मोती नगर विधान सभा क्षेत्र की झुग्गी–झोपड़ियों के पुनर्वास भी इसी नीति के अंतर्गत आते हैं;

(ख) संलग्न है;

(ग) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा बनए गए JNNURM के मकान की सूची संलग्न है। इसके अलावा DSIIDC के द्वारा बनाए गए मकान की जानकारी उनसे ली जाए;

(घ) झुग्गी वासियों से अग्रिम राशि पॉलिसी के तहत समय–समय पर ली जाती है और वर्तमान में प्रत्येक योग्य पाए गये झुग्गीवासी से रुपए 1,12,000/– लाभार्थी राशि तथा रुपए 30,000/– रख–रखाव राशि के रूप में लिए जाते हैं;

(ङ) अब तक 21 जेजे बस्तियों के 2031 योग्य झुग्गीवासियों को पुनर्वास नीति के अनुसार फ्लैटों में पुनर्वासित किया गया है; और

(च) सूची संलग्न है।

Proposed Disposal Plan of EWS houses constructed under JNNURM

DUSIB

Location	No. of houses	Allotted	Proposed Disposal
1	2	3	4
Dwarka Site-2	736		Proposed to be allotted to JJ Bastis of
Dwarka Site-3	288	42	Allotted to JJ Bastis
Dwarka Site-1	980	876	Allotted to JJ Bastis
Sultanpuri	1060		Proposed to be allotted for inhabitants of 4 JJ Bastis of Sultanpuri
Savda Ghevra	7620		Proposed for waitlisted applicants of Special Registartion Scheme of 1985.Draw of 1073 flats done
Bhalaswa	7400		Likely to be complketed in March 2019 and therafter proposed to be allotted for inhabitants of 7 JJ Bastis of Jahangirpuri Bhalsva
Total	18084		

1	2	3	4
DSIIDC			
Bawana		266	
Baprola		847	
Total		2031	

154. श्री सोमनाथ भारतीः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाली जिन झुग्गी बस्तियों में सुविधाएं दी जा रही है या दी जाने अपेक्षित है, उनका पूरा विवरण, झुग्गियों की संख्या, इनकी स्थापना तिथि, मान्यता मिलने की तिथि और उपलब्ध सुविधाओं की सूची सहित दे;

(ख) क्या इन झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियों में कॉलोनी के निवासी अपनी सम्पत्तियों को बहुमंजिला सम्पत्तियों में परिवर्तित कर सकते हैं;

(ग) क्या इनमें तलों की ऐसी बिक्री वैध है;

(घ) कानून के अंतर्गत इन उल्लंघन कर्त्ताओं के विरुद्ध कौन से उपाय हैं;

(ङ) क्या इस विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाली इन झुग्गी झोपड़ी के पुनर्वास या पुनर्स्थापन की कोई योजना है, इसका पूर्ण विवरण देने की कृपा करे;

(च) मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में इंदिरा कैम्प या वाल्मिकी कैम्प बेगमपुर में पथप्रकाश की व्यवस्था कराने के कार्य की स्थिति क्या है;

(छ) मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाली सभी झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियों के पूरे मानचित्र उपलब्ध कराइये;

(ज) इंदिरा कैम्प मालवीय नगर के बस्ती विकास केन्द्र के कमरों का कक्षवार प्रयोग बताए कि यह सम्पत्ति किस–किस के कब्जे में, कब से है और यह कब तक उनके कब्जे में रहेगी;

(झ) किसी अन्य स्वयंसेवी संगठन को इस सम्पत्ति का आवंटन दिलाने की प्रक्रिया क्या है इसका पूरा विवरण दीजिए;

(ञ) क्या इस सम्पत्ति या इसके कुछ भाग को मोहल्ला क्लिनिक हेतु उपयोग करने सरकार विचार कर रही है; और

(ट) जनवरी, 2014 से मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाली झुग्गी कॉलोनियों में विभाग द्वारा कराए गए कार्यों का पूरा विवरण बताए?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क) मांगी गई सूचना संलग्न सूची (क) में दी गई है;

(ख) यह प्रश्न दिल्ली नगर निगम से संबंधित है;

(ग) यह प्रश्न राजस्व विभाग से संबंधित है;

(घ) उपरोक्त "ख" एवं "ग" के अनुसार;

(ङ) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड दिल्ली, सरकारी जमीन पर स्थित जेज बस्तियों को पुनर्वासित एवं पुनर्स्थापन करने के लिए एक नोडल एजेंसी है। भू–स्वामी संस्था को सरकारी योजनाओं हेतु उस जगह की आवश्यकता, जहां पर जेजे बस्ती है, के निवेदन तथा देय राशि जमा कराने के आव्वासन उपरांत यह विभाग उन्हें पुनर्वासित एवं पुनर्स्थापन करने की कार्यवाही दिल्ली सरकार के आदेश दिनांक 11.12.2017 द्वारा जारी दिल्ली स्लम एवं झुग्गी झोपड़ी पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास, नीति 2015 (अब मुख्यमंत्री आवास योजना) के अनुसार उन झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास या पुनस्थापन हेतु कार्य करता है। मालवीय नगर विधान सभा में पड़ने वाली झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास या

पुनर्स्थापन हेतु इस विभाग में भूअधिपति संस्था से कोई भी निवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अतः वर्तमान में इसकी कोई योजना नहीं है;

(च) इस समय जेजे बस्ती इंदिरा कैम्प बेगमपुर मालवीय नगर में 33 स्ट्रीट लाइट प्वाइंट्स हैं अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट प्वाइंट्स के लिए डूसिब के साइट इंजिनियर्स और बीआरपीएल विभाग के द्वारा 23.02.2019 को संयुक्त सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के अनुसार 42 अतिरिक्त प्वाइंट्स की आवश्यक है। इस अतिरिक्त आवश्यकता के लिए बीएसईएस विभाग ने अतिरिक्त भुगतान की पेशकश की है, जिसके लिए डूसिब विभाग ने रुपए 12,32,871/– का भुगतान कर दिया है। इस भुगतान में 7 अतिरिक्त जेजे बस्तियों में कार्य करने का प्रावधान भी लिया गया है।

इस संबंध में बीआरपीएल से अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट प्वाइंट्स लगाने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। इस समय स्ट्रीट लाइट प्वाइंट्स लगाने और उनके रख–रखाव का कार्य बीआरपीएल कर रही है। जिसके लिए डूसिब विभाग बीआरपीएल को भुगतान करता है;

(छ) सभी जेजे बस्तियों के मानचित्र उपलब्ध नहीं हैं हालांकि दिल्ली की सभी जेजे बस्तियों की GIS Mapping DUSIB की वेबसाइट delhishelterboard.in पर उपलब्ध है, जिन बस्तियों में विकास कार्य किया जाता है उन गलियों में कार्य करने हेतु रफ स्केच एस्टीमेट के लिए बनाया जाता है;

(ज) इस प्रश्न का उत्तर संलग्न सूची (ख) में दी गई है;

(झ) वर्तमान में बस्ती विकास केन्द्र को आवंटित करने की कोई नीति नहीं है; और

(ञ) बस्ती विकास केन्द्र में कोई भी जगह खाली, न होने के कारण, मोहल्ला क्लिनिक हेतु उपयोग करने के लिए नहीं दिया जा सकता है।

(ट) इस प्रश्न का उत्तर संलग्न सूची (ग) में दिया गया है।

Details of Jhuggies Basti alongwith facilities provided and proposed in Malviya Nagar AC-43

Sl. No.	Code No.	Location	No. of Jhuggies	Land Owning Agency	Date of existence of Jhuggie Basti
1	2	3	4	5	6
1	421	Jagdamba Camp Khirki Gaun near Satpula Nalla.	143	DDA	More then 25 years (Approx.)
2	425	Balmiki Camp Creamation Ground Begum Pur.	600	DDA	More then 25 years (Approx.)
3	426	Indira Camp Begum Pur	522	DDA	More then 25 years (Approx.)
4	427	Balmiki Camp Navjeewan Vihar Malviya Nagar	16	DDA/ Society of Navjeevan Vihar	More then 25 years (Approx.)

Annexure-A

Facility of JSC	Facility of BVK	Facility of Shishu Vatika	Facility of CC pavement and drains
7	8	9	10
Individual toilets exits	No	No	Exits
38 Seater JSC exits	No	01 No. Shishu Vatika exists	Work of CC pavement and drain in lanes carriedout in the year 2017-18. However there is proposal of laying CC pavement in approach road etc. and shall be completed within three months.
43 Seater JSC exits	01 No. BVK exits	01 No. Shishu Vatika exists	Work of CC pavement and drain carriedout in the year 2017-18.
Individual toilets exits	No	No	Not feasible

1	2	3	4	5	6
Unlisted Cluster					
5	813	Jhuggies at Hauz Rani near Opposite Select City Mall, Saket	10	DDA	More then 15 years (Approx.)
6	815	Jhuggies near Malviya Nagar F-Block Gurudwara behind Metro Station, Malviya Nagar	70	DDA	More then 15 years (Approx.)
7	816	Jhuggies at Popular Pottery Arjun Nagar	13	DDA	More then 15 years (Approx.)
8	817	Jhuggies at Khirki Gaon T-Huts, Malviya Nagar	20	DDA	More then 15 years (Approx.)

Details of BVK in Malviya Nagar AC-43

Sl. No.	Location of BVK	No. of Story	Details of accommodation
1	BVK at JJ Basti, Indira Camp Begumpur	2	Ground floor: 04 Rooms First Floor: 02 Halls

7	8	9	10
Nearby SDMC toilet	No	No	Not feasible
01 No. Mobile toilet van provided by SDMC and 02 No. prefab cubical provided by DUSIB	No	No	Not feasible
Nearby SDMC toilet	No	No	Not feasible
Nearby SDMC toilet	No	No	Not feasible

Annexure-B

Status of allotment	Activities run by NGO
Ground floor allotted since 1992-93 and Frist floor allotted since 1998-99 to NGO "Survent to people society"	(1) At ground floor pre school training program Known as Balwari program (A Midday meal program) (2) At frist floor computer training and tailoring program

Annexure-C

Details of works executed in JJ Basties of Malviya Nagar AC-43, since January 2014

Sl. No.	Name of Work	Date of Completion	Amount of work in Lacs.
1	EIUS SH: Improvement of existing approach to JJ Cluster at Indira Camp, Begumpur	24-09-14	15.07
2	Pay & USe JSC SH : Upgradation and remodelling of 20 seater JSC and additional 21 seats at JJC Indira Camp Begampur	26-12-15	51.2
3	Pay & Use JSC SH: Up-gradation and remodeling of 20 seater JSC and c/o additional 13 seater at JJC Balmiki Camp, Cremation Ground Begampur	31-12-15	7.65
4	Renovation of Shishu Vatika and repair of platform at JJC Indira Camp, Begumpur, AC-43 (Cluster Code-426)	06-09-16	5,87
5	Upgradation of existing BVK at JJC Indira Camp, Begampur (AC-43)	06-12-16	14.01
6	Renovation of Shishu Vatika in JJ Basti at Balmiki Camp near Cremation Ground, Begumpur (AC-43)	07-11-16	3.2
7	P/L CC Pavement over deteriorated cement concrete improvement and raising of drainage system in JJC at Indira Camp, Begumpur (AC-43)	10-05-18	11.94
8	Providing and laying CC Pavement and improvement of drainage system in damaged lanes due to laying water line in JJ Basti Balmiki Camp, near Cremation Ground, Begampur (AC-43)	05-06-18	9.34

155. श्री शिवचरण गोयलः क्या **माननीय सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पूरी दिल्ली में कितने दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनका पूरा ब्यौरा दे;

(ख) मोती नगर विधान क्षेत्र में दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्टोर में कार्यरत कर्मचारियों का पूर्ण विवरण दें;

(ग) यह स्टोर जनता के हित के लिए किन–किन वस्तु की पूर्ति करता है उसका पूरा ब्यौरा दें; और

(घ) जिन वस्तुओं की पूर्ति की जाती है उनके मूल्य का निर्धारण किस मापदंड पर किया जाता है उसका पूरा ब्यौरा दें?

माननीय सहकारिता मंत्रीः (क) दिल्ली में 5855 कोऑपरेटिव सोसाइटी पंजीकृत है पूर्ण विवरण संलग्न है (संलग्नक–1);

(ख) पूर्ण विवरण संलग्न है (संलग्नक–2) ;

(ग) दिल्ली सोसाइटी मोती नगर निम्नलिखित वस्तु की पूर्ति करता हैः

1. एफपीएस स्टोर
2. किराने की दुकान
3. स्टेशनरी समान
4. शराब; और

(घ) 1. एफपीएस स्टोर पर फुड एंड सिविल सप्लाई विभाग के दिशा–निर्देशानुसार ग्राहक को खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाती है

2. किराने की दुकान पर बाजार से कम कीमत पर रोजमर्रा इस्तेमाल की वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाती है

3. स्टेशनरी विभाग में DCCWS अपने विभाग द्वारा पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा भरे गये निविदा के तहत न्यूनतम कमिशन पर विभाग व अपने क्रेताओं को सामान भेजा व बेचा जाता है जिसकी कीमत बाजार के भाव पर निर्भर होती है

4. शराब का मूल्यः दिल्ली आबकारी विभाग के दिशा–निर्देशानुसार बेची जाती है।

संलग्नक–2

Delhi Consumer Cooperative Wholesale Store Ltd.

Karampura Road, Moti Nagar, New Delhi - 110 015.

Staff Detail

Sl. No.	Name of the Employee	Designation
1	2	3
1	Smt. Richa	General Manager
2	Sh. Bijender Singh Mann	Manager
3	Satish Kumar	Manager
4	Rajesh Panwar	Manager
5	Ramesh Kumar	Manager
6	Mohd. Saleem	Dy. Manager

1	2	3
7	Karamvir Bhardwaj	Dy. Manager
8	Harvinder Singh	Dy. Manager
9	Bijender Pal Sharma	Dy. Manager
10	Mahesh Yadav	Dy. Manager
11	Surender Singh Mann	Dy. Manager
17	Ramesh Kharb	Dy. Manager
13	Vijay Kumar	Dy. Manager
14	Virender Kumar	Dy. Manager
15	Usha Jain	S.S.
16	Vijay Kumar	SR. C.O.
17	Anil Kumar	SR. C.O.
18	Baldev Dogra	SR. C.O.
19	Mona Sharma	SR. C.O.
70	Nitendra Pal Singh	SR. C.O.
23	Sanjeev Rampal	C.O.
22	Surjeet Singh	A.C.O.
23	Chiranjeev Kr. Joshi	A.C.O.
24	Deepa Sharma	A.C.O.
25	Jitender Kumar	U.D.C

1	2	3
26	Ashok Kumar Garg	U.D.C
27	Prakash Singh Bisht	U.D.C.
28	Shakuntala Saijwan	U.D.C.
29	Meenu Wadhwa	U.D.C.
30	Sunil Gullaiya	L.D.C
31	Sanjay Malhotra	Assistant Account Officer
32	Amresh Kumar Tyagi	Assistant Account Officer
33	Simmi Dhawan	Sr. Steno
34	Poonam Sonipal	Sr. Steno
35	Suresh Chand Mishra	Sr. Steno
36	Roopak Negi	Steno
37	Radhey Shyam Yadav	Driver GR-I
38.	Laxman Singh	Driver
39.	Manoj Kumar	Driver
40.	Shiv Naresh	Driver
41.	Ranvir Singh	Driver
42.	Om Pal Singh	Driver
43.	Gurpreet Singh	Legal Assistant
44	Pankaj Malik	Pharmacist/Supervisor

1	2	3
45	Satish Kumar Yadav	S.S.
46	Savita Bhat	S.S.
47	Lovnish Deswal	S.S.
48	Harshvardhan	S.S.
49	Ravinder Kumar	S.S.
5.0	Zaheer Ahmed	S.S.
51	Kamlesh Kumari	S.S.
52	Dalbir Singh	S.S.
53	Anwar Beg	S.S.
54	Uma Kant Tiwari	S.S.
5b	Rajesh Kumar	S.S.
56	Pratap Singh	S.S
57	Ranvir Singh	S.S
58	Rajbeer Singh	S.S
59	Ram Dhan	S.S
60	Rajbeer Singh Joon	S.S
61	Rajesh Gupta	S.S
62	Rama Kant Tiwari	S.S
63	Mohd. Idrish	S.S

1	2	3
64	Ramji Prasad	S.S
65	Satpal Singh Malik	S.S
66	Jaibir Singh	S.S
67	Kanwar Singh	S.S
68	Sant Ram	S.S
69	Mukesh Kumar	S.S
70	Om Prakash	S.S
71	Hari Chand	S.S
72	Tara Chand	S.S
73	Deepak Prasad	S.S
74	Kishore Kumar Sagar	S.S
/'j	Satbir Smgh	S.S
76	Vijender Singh	S.S
77	Satpal Singh S/o Rich Pal Singh	S.S
72	Raj Bahadur Yadav	S.S
79	Prehlad Kumar	S.S
80	Neeraj Kumar Singh	S.S
81	Rama Shankar Yadav	S.S
82	Jugal Kishore	S.S

1	2	3
83	Girish Malhotra	S.S.
84	Ajit Prakash	S.S.
85	Sanjay Kumar	S.S.
86	Vijay Singh	S.S.
87	Surender Pal Singh	S.S.
88	Sudershan Kumar	S.S.
89	Yogesh Kumar	S.S.
90	Tilak Raj	S.S.
91	Anil Kumar Dahiya	S.S.
92	Rdj Kumar-III, S/o Sh. Kharati Lal	S.S.
93	Dal Chand	S.S.
94	Ajay Kumar	S.S
9S	Dinesh Singh	S.S.
96	Surender Kumar-I S/o Bhim Singh	S.S.
97	Shyam Sehgal	S.S.
98	Ashok	S.S.
99	Shardanand	S.S.
100	Surender Singh-I S/o Dharamvir Singh	S.S.
101	Udaiveer Singh	S.S.

1	2	3
102	Deepak Kant	S.S.
103	Satyawan-I, S/o Sh. Chhattar Singh	S.S.
104	Mohan Swaroop Dixit	S.S.
105	Sudhir Kumar Pandey	S.S.
106	Ran Vijay Yadav	S.S.
107	Sushil Kumar Vats	S.S.
108	Neelima Gulati	S.S.
109	Mahavir Singh-I, S/o Sh. Shri Krishan	S.S.
110	Sube Singh	S.S.
111	Sanjeet Singh	S.S.
112	Satish Kumar-I, S/o Sh. Suraj Bhan	S.S.
113	Davinder Kumar Vats	S.S.
114	Rana Rattan Pal Singh	S.S.
115	Narender Kumar	S.S.
116	Rajender Prasad Mishra	S.S.
117	Sanju Kumar Srivastva	S.S.
118	Ravinder Singh	S.S.
119	Surender Kumar-II S/o Sewa Singh	S.S.
120	Ramesh Kharb	S.S.

1	2	3
121	Baljeet Singh	S.S.
122	Ajay Rathi	S.M.
123	Rajesh Kumar Sharma	S.M.
124	Yash Pal Singh-I, S/o Sh. Gopal Singh	S.M.
125	Mshavir Singh-II, S/o Sh. Mann Singh Panwar	S.M.
126	Sanjeev Kumar-I, S/o Late Sh. Inder Singh U/S	S.M.
127	Dharmender Singh-I, S/o Sh. Kanwar Chand	S.M.
128	Madhu Bala	S.M.
129	Surender Kumar-III S/o Ram Singh	S.M.
130	Satya Dev	S.M.
131	Rishi Bhardwaj	S.M.
132	Daibir Singh	S.M.
133	Sanjeev Kumar-II, S/o Sh.Ram Kumar Sharma	S.M.
134	Tofek Khan	S.M.
135	Shailja Purohit	S.G.
136	Nasir Khan-I, S/o Sh. Attam Khan	S.M.
137	Sabir Khan	S.M.
138	Nasir Khan-I, S/o Sh. Jumma	S.M.
139	Ash Mohmmad	S.M.

1	2	3
140	Sushma Kaushik	S.G.
141	Bijender Kumar	S.M.
142	Satyawan-II, S/o Sh. Ram Path	S.M.
143	Surender Singh-II S/o Sh. Bhagwan	S.M.
144	Dharmender Singh-II, S/o Sh. Baljeet Singh	S.M.
145	Chavvi Kaushik	S.M.
146	Umesh Kumar	S.M.
147	Ram Narayan	S.M.
148	Sunita Dhor	S.G.
149	Dipti Sharma	S.G.
150	Rohtash Singh	S.M.
151	Anjay Kumar Singh	S.M.
152	Jagdish	S.M.
153	Avinash Kumar Singh	S.M.
154	Rajesh Kumar S/o Ram Kumar	S.M.
155	Deepak Kumar Pandey	S.M.
156	Kashmir Singh	S.M.
157	Rishi Pal Singh	S.M
158	Chander Bali	S.M.

1	2	3
159	Saroj Devi	S.G.
160	Rajesh Devi	S.G.
161	Rupesh Kumar Dixit	S.M.
162	Naresh Pal	S.M.
163	Surender Singh-IV, S/o Sh. Vikram Singh	S.M.
164	Rajender Singh	S.M.
165	Om Prakash S/o Daryai Lal	S.M.
166	Phoolo Rani	S.G.
167	Krishna Devi-I	S.M.
168	Jai Bhagwan-I S/o Khajan Singh	S.M.
169	Inder Jain	S.M.
170	Jagbir Singh	S.M.
171	Ata1 Ambedkar	S.M.
172	Sanjay Karan	S.M.
173	Angrej Singh	S.M.
174	Ved Prakash	S.M.
175	Sudesh Kumar-I, S/o Sh. Tesu Ram	S.M.
176	Ram Singh	S.M.
177	Veer Sain	S.M.

1	2	3
178	Brij Bhushan Pandey	S.M.
179	Dina Nath	S.M.
180	Vishwa Karma	S.M.
181	K. Sunder	S.M.
182	Vijay Devi	S.M.
183	Anil Kumar-I S/o Rajinder Singh	S.M.
184	Kishan Kumar Vats	S.M.
185	Ashok Kumar	S.M.
186	Ravinder Singh	S.M.
187	Ishwar Singh	S.M.
188	Satpal	S.M.
189	Ranbir Singh-II	S.M.
190	Rajesh Kumar-I S/o Chander Singh	S.M.
191	Jai Pal	S.M.
192	Davinder Singh-I S/o Shubh Ram	S.M.
193	Subhash Chand	S.M.
194	Sanjay S/o Layak Ram	S.M.
195	Kuldeep Singh	S.M.
196	Rajesh Kumar-III S/o Dayanand	S.M.

1	2	3
197	Rajender Singh	S.M.
198	Anil Kumar-II S/o Devrath Singh	S.M.
199	Dinesh	S.M.
200	Surender Singh S/o Ram Kumar	S.M.
201	Satish Kumar Tiwari	S.M.
202	Azad	S.M.
203	Narender Kumar-I S/o Om Prakash	S.M.
204	Ram Gopal	S.M.
205	Kulbeer Singh	S.M.
206	Ravindcr Kumar	S.M.
20/	Uma Shanker Pandey	Helper
208	Raj Bala	Helper
209	Joginder Kumar	Helper
210	Om Prakash S/o Tek Chand	Helper
211	Nandan Singh	Helper
212	Sanjay Kumar S/o Mahender Singh	Helper
213	Manoj Kumar	Helper
214	Surosh Sohrawat	Helper
215	Jitender Kumar-I, S/o Sh. Hari Lal	Helper

1	2	3
216	Shiv Kumar Kaushik-II, S/o Late Sh. Sharap Singh	Helper
217	Narender Kumar-III S/o Jega Ram	Helper
218	Jagat Singh	Helper
219	Rajesh S/o Subhash Chand	Helper
220	Ajay Malhotra	Helper
221	Vishnu Dutt	Helper
222	Girish Chand Mithani	Helper
223	Mukesh Rana	Helper
224	Davinder Singh-II S/o Rajbeer Singh	Helper
225	Sarjeet Singh	Helper
226	Prem Chand	Helper
227	Ravinder Pratap Singh	Helper
228	Vir Bhan	Helper
229	Vikram Singh	Helper
230	Rafat Ali	Helper
231	Amit Kapoor	Helper
232	Ravi Kumar	Helper
233	Babu Lal	Helper
234	Vijay Prakash	Helper

1	2	3
235	Inderjeet Singh	Helper
236	Davinder Singh-III S/o Ram Kumar	Helper
237	Satbir Singh	Helper
238	Narender Kumar-II S/o Jesse Ram	Helper
239	Jai Bhagwan-II, S/o Sh. Raghubir Singh	Helper
240	Rohtash	Helper
241	Ajit Singh-I S/o Sultan Singh	Helper
242	Ram Dhyan Sah	Helper
243	Anil Kumar-III S/o Jai Pal Singh	Helper
244	Mahander Singh	Helper
245	Ashutosh Sharma	Helper
246	Sandeep	Helper
247	Pappu	Helper
248	Manoj Kumar Pathak	Helper
249	Devi Dutt Sharma	Helper
250	Ram Avtar Goswami	Helper
251	Bishan Dass Sharma	Helper
252	Seema	Helper
253	Ajit Singh-II S/o Raghuvir Singh	Helper

1	2	3
254	Surender S/o Raj Karan	Helper
255	Subhash S/o Ram Singh	Helper
255	Brij Lal Sharma	Helper
257	Ram Kishan Sharma	Helper
258.	Sachin Kumar	Helper
7S9	Maya	Helper
260	Kamal Kumar	Helper
261	Layak Ram	Helper
262	Krishna Devi-II, H/o Late Sh. Lal Chand	Helper
263	Mamta	Helper
264	Kavita	Helper
265	Susheel Kumar	Helper
266	Harish Kumar	Helper
267	Parvathi Devi	Helper
268	Rajesh Kumar Bhardwaj	Helper
269	Hasmuddin	Helper
270	Madan Lal-II, S/o Sh. Roshan Lal (U. Suspention)	Helper
271	Raj Kumar Rana	Helper
272	Sudesh Kumar-II, S/o Sh. Rohtash Kumar	Helper

1	2	3
273	Pritam Kumar Singh	Helper
274	Shiv Shankar Singh	Helper
275	Sukhdershan Dev	Helper
276	Kamla Prasad Yadav	Helper
277	Usha	Helper
278	Krishna Rani	Helper
279	Poonam Singh	Helper
280	Mahesh Kumar Sharma	Helper
281	Mohd. Asif	Helper
282	Sanjay Dabbas	Helper
283	Rakesh	Helper
284	Ravi Shanker Diwedi	Helper
285	Ravinder Pratap Singh	Helper
286	Rakesh Kumar	Helper
287	Ugresh Mandal	Helper
288	Surender Kumar Mandal	Helper
289	Guari Shankar Mandal	Helper
290	Mukesh Kumar	Helper
291	Ram Punit Mandal	Helper
292	Chatro Devi	Helper

1	2	3
293	Bharpai	Helper
294	Shanti	Helper
295	Vimla Devi	Helper
296	Mukesh Devi	Helper
297	Sita Ram	Helper
298	Vipin Sehrawat	Helper (D.W.)
299	Manoj Kumar	Helper (D.W.)
300	Amit Bhardwaj	Helper (D.W.)
301	Gaurav Kumar	Helper (D.W.)
302	Megh Raj	Helper (D.W.)
303	Sanjay Kumar	Helper (D.W.)
304	Don Singh	Helper (D.W.)
305	Vandana Mishra	Helper (D.W.)
306	Sumitra	Helper (D.W.)
307	Shakuntala	Helper (D.W.)
308	Rahul Kumar	Helper (D.W.)
309	Dayawanti	Helper (D.W.)
310	Krishan Pal	Helper (D.W.)
311	Dara Singh	Helper (D.W.)
312	Sunita Arya	Helper (D.W.)

156. श्री जगदीश प्रधानः क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19 तथा वर्ष 2019–20 में दिल्ली सरकार ने प्रचार के लिए कितना बजट आवंटित किया और उसमें से कितना व्यय हुआ;

(ख) व्यय राशि आबंटित बजट के कितने प्रतिशत रही;

(ग) वर्ष 2018–19 में दिल्ली सरकार द्वारा किस–किस विभाग के कितने–कितने विज्ञापन जारी किये गये;

(घ) प्रत्येक विज्ञापन का शीर्षक–वार तथा व्यय–वार विवरण क्या है; और

(ङ) दिल्ली सरकार द्वारा विज्ञापन हेतु पैनल में लिए गए समाचार पत्रों तथा किस–किस समाचार पत्र को कितने–कितने विज्ञापन एवं उनका कितना–कितना भुगतान किया गया, पूर्ण विवरण दे?

माननीय उपमुख्यमंत्रीः (क)

वर्ष	आवंटित बजट (रुपए में)	कुल व्यय राशि (रुपए में)
2015–16	100 करोड़	59.89 करोड़
2016–17	175 करोड़	66.26 करोड़
2017–18	190 करोड़	117.76 करोड़
2018–19	100 करोड़	45.54 करोड़
2019–20 (जुलाई 2019 तक)	300 करोड़ (बजट अनुमान)	29.92 करोड़

(ख) वर्ष	व्यय प्रतिशत)
2015—16	59.89
2016—17	37.86
2017—18	61.98
2018—19	45.54
2019—20 (जुलाई 2019 तक)	09.98

(ग) से (ङ) दिल्ली सरकार के विभिन्न विभाग, सूचना एवं प्रचार निदेशालय के माध्यम से रोजाना अनेक विज्ञापन — टेंडर नोटिस, नोटिफिकेशन, पब्लिक नोटिस, कार्यक्रम सूचना, पॉलिसी सूचना, उपलब्धियां, जागरुकता संबंधी सूचना — जारी करते हैं। सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा जारी विज्ञापनों का अलग से विभाग—वार तैयार विवरण सूचना एवं प्रचार निदेशालय के पास उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में विभाग—वार विवरण एकत्रित किया जा रहा है।

157. श्री पवन कुमार शर्माः क्या **माननीय गुरुद्वारा निर्वाचन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत लोक सभा चुनाव से पहले जो वोट कट गए थे, उनका वोटर लिस्ट में पुनः पंजीकरण करने संबंधी कार्य का क्या स्टेट्स है;

(ख) क्या चुनाव आयोग द्वारा आगामी चुनावों के मद्देनजर नए वोट बनवाने हेतु कोई शिविर लगाने संबंधी कोई योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण दें; और

(घ) पोलिंग बूथ का निर्धारण, स्थान परिवर्तन अथवा अन्य कई आवश्यक सूचना देने हेतु क्या निकट भविष्य में कोई मीटिंग का प्रस्ताव है?

माननीय गुरुद्वारा निर्वाचन मंत्रीः (क) कोई भी योग्य नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम सम्बन्धित मतदाता केन्द्र फॉर्म–6 भरकर दर्ज करवा सकता है;

(ख) विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01.01.2020 के दौरान विशेष शिविर लगाये जायेंगे;

(ग) आयोग द्वारा शिविर की निर्धारित तिथि निम्नलिखित हैः–

02.11.2019, 03.11.2019, 09.11.2019 एवं 10.11.2019

(घ) विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण पोलिंग के दौरान बूथों का युक्तिकरण किया जाना है जिसमें यह सारे बिन्दु सम्मिलित है।

158. श्री जरनैल सिंहः क्या **माननीय गुरुद्वारा निर्वाचन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गुरुद्वारा इलेक्शन विभाग के दायरे में कौन–कौन से कार्य आते हैं;

(ख) फिलहाल दिल्ली के 46 वार्डस में कुल कितने वोटर रजिस्टर्ड हैं, उनका वार्डवाइज ब्यौरा दिया जाये;

(ग) क्या विभाग फोटो वोटर लिस्ट बनाने से संबंधित कोई तैयारी कर रहा है;

(घ) क्या इन वार्डों के सीमांकन (Delimitation) से सम्बंधित कोई तैयारी हो रही है;

(ङ) क्या इस वर्ष माननीय हाई कोर्ट से विभाग को वोटर लिस्ट व वार्ड की सीमांकन (Delimitation) कराने से संबंधित कोई निर्देश मिले हैं;

(च) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण दिया जाये; और

(छ) आगामी गुरुद्वारा इलेक्शन को लेकर विभाग द्वारा की जाने वाली तैयारियों की जानकारी दी जाये?

माननीय गुरुद्वारा निर्वाचन मंत्रीः (क) गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के अंतर्गत कार्यरत है, इस निदेशालय का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक 4 वर्ष की अवधि के बाद दिल्ली सिक्ख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के 46 गुरुद्वारा वार्ड के सदस्यों का चुनाव करवाना है।

चुनाव से पहले मतदाता पंजीकरण अधिकारी की मदद से मतदाता सूची भी संशोधित/तैयार की जाती है।

यह निदेशालय गुरुद्वारा वार्डों के परिसीमन का कार्य भी करता है।

यह निदेशालय दिल्ली सिक्ख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 और उसके अंतर्गत नियमों का समय–समय पर संशोधन भी करता है।

यह निदेशालय दिल्ली सिक्ख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 और उसके अंतर्गत बनाए गये नियमों के अनुसार अन्य कार्य भी करता है। इस अधिनियम व नियमों को गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है;

(ख) दिल्ली गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय में इस समय 383561 वोटर पंजीकृत है।

पूर्ण ब्यौरा निम्नलिखित हैः–

1. वार्ड–1 (रोहिणी) – 10177
2. वार्ड–2 (स्वरूप नगर) – 9792
3. वार्ड–3 (सिविल लाइन्स) – 8167
4. वार्ड–4 (पीतमपुरा) – 7928
5. वार्ड–5 (मॉडल टाउन) – 7674
6. वार्ड–1 (शक्ति नगर) – 6982
7. वार्ड–7 (त्रि–नगर) – 7432
8. वार्ड–8 (शकूर बस्ती) – 6070
9. वार्ड–9 (पंजाबी बाग) – 7377
10. वार्ड–10 (गुरु हरकिशन नगर) – 9525
11. वार्ड–11 (चंदर विहार) – 9651
12. वार्ड–12 (देव नगर) – 8825
13. वार्ड–13 (राजिंदर नगर) – 7027
14. वार्ड–14 (कनाट प्लेस) – 8197
15. वार्ड–15 (रमेश नगर) – 8184
16. वार्ड–16 (टैगोर गार्डन) – 9052
17. वार्ड–17 (रघुबीर नगर) – 8602
18. वार्ड–18 (राजोरी गार्डन) – 10932

19. वार्ड–19 (हरी नगर) – 7893
20. वार्ड–20 (फतेह नगर) – 10426
21. वार्ड–21 (ख्याला) – 9393
22. वार्ड–22 (शाम नगर) – 8725
23. वार्ड–23 (विष्णु गार्डन) – 10178
24. वार्ड–24 (रवि नगर) – 9433
25. वार्ड–25 (तिलक नगर) – 8082
26. वार्ड–26 (संत गढ़) – 9337
27. वार्ड–27 (तिलक विहार) – 9045
28. वार्ड–28 (गुरु नानक नगर) – 9633
29. वार्ड–29 (कृष्ण पार्क) – 7462
30. वार्ड–30 (विकास पुरी) – 6400
31. वार्ड–31 (उत्तम नगर) – 5901
32. वार्ड–32 (जनक पुरी) – 8410
33. वार्ड–33 (शिव नगर) – 9619
34. वार्ड–34 (सरिता विहार) – 7021
35. वार्ड–35 (लाजपत नगर) – 6381
36. वार्ड–36 (सफदरजंग एंक्लेव) – 7647
37. वार्ड–37 (मालवीय नगर) – 8131

38. वार्ड–38 (ग्रेटर कैलाश) – 5853

39. वार्ड–39 (कालकाजी) – 9481

40. वार्ड–40 (जंगपुरा) – 8512

41. वार्ड–41 (नवीन शाहदरा) – 5699

42. वार्ड–42 (दिलशाद गार्डन) – 7116

43. वार्ड–43 (विवेक विहार) – 8815

44. वार्ड–44 (गीता कॉलोनी) – 9094

45. वार्ड–45 (खुरेजी खास) – 9355

45. वार्ड–46 (प्रीत विहार) – 8925

(ग) जी हां;

(घ) जी हां;

(ङ) जी हां;

(च) माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07.08.2019 की प्रति संलग्न* है; और

(छ) अगला चुनाव 2021 में होना है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जा रही है।

माननीय उप मुख्य मंत्री का वक्तव्य

माननीय उप मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। अभी पिछले करीब चालीस मिनट से ये सदन अगर शराब की सम्भावनाओं पर या शराब के ठेकों पर शराब माफिया

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

पर बात कर रहा था। गरीबों के घर पर बात कर रहा था। राशन पर बात कर रहा था। लोगों के वोटों पर बात हो रही थी, वोट रिकॉर्ड पर। अनअथॉराइज्ड कॉलोनी के प्रदूषण पर बात हो रही थी।

मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ सबसे पहले क्योंकि आपने इन मुद्दों की संवेदनशीलता को समझा और जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा, विपक्षी सदस्यों के द्वारा इन मुद्दों से ध्यान बाँटने की कोशिश की जा रही थी, उस पर आपने उसको किनारे करके आपने इस चर्चा को, इस प्रश्नकाल को इसकी भावना के अनुसार, इसकी संवेदना के अनुसार मुद्दों की जरूरत के हिसाब से इसको आगे बढ़ने दिया। मैं आपसे विशेष रूप से अनुमति ये कहने के लिए माँगी है, क्योंकि ये कोशिश की जा रही है, ये संदेश देने की कि ये सदन या ये सरकार 370 पे बहस से बच रही है। मैं इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ और सदन के साथ–साथ जो लोग इस कार्यवाही को लाइव देखते हैं, जो कार्यवाही को और मीडिया तक भी जाती हैं सारी चीजें कि बात 370 पर बहस से बचने की है ही नहीं। 370 बीते कल की बात है। 370 खत्म। और बहस या चर्चा तो उस चीज पर होती है जिस पर दो मत हों। जहाँ एक पक्ष कह रहा हो, नहीं जी, 370 नहीं हटना चाहिए था, दूसरा पक्ष कह रहा हो, हटना चाहिए था। तब तो ये बनता है कि इस पर बहस होनी चाहिए। मान लीजिए अगर इसके दायरे में भी आता हो, माननीय मुख्य मंत्री जी पहले ही 370 हटने पर केन्द्र सरकार को धन्यवाद दे चुके हैं, बधाई दे चुके हैं, प्रधानमंत्री जी को, धन्यवाद कर चुके हैं, गृहमंत्री जी को धन्यवाद कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद चर्चा की माँग उठाना, बहस करना या सदन में बहस करके इसका साफ–साफ मतलब है कि आप शराब माफिया पर बात नहीं चाहते, आप गरीबों के घर पा बात नहीं चाहते, आप राशन पर बात नहीं करना

चाहते, आप अनअथॉराइज कालोनी पर बात नहीं होने देना चाहते। तो आपने जिस तरह से स्टैंड लेते हुए इसको मुद्दे को आगे बढ़ाया, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, सदन के समक्ष ये भी रखना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री जी पहले ही इस बात को लेके धन्यवाद दे चुके हैं और इस सदन के रिकॉर्ड पर भी मैं कह सकता हूँ, सरकार की तरफ से कि हम केन्द्र सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने 370 हटाने जैसा फैसला लिया और उसका धन्यवाद करते हैं हम इस बात के लिए और उसको हटना चाहिए था। हम जैसे लोग जो बहुत बचपन से सोचते थे, धारा 370 क्यों है? वो हटी है। हम सब लोगों ने आउट ऑफ द वे जा के, पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के, अलग हट के उस फैसले का समर्थन किया है लेकिन यहाँ इस सदन में जो बहुत जरूरी मुद्दे उठाए जाने थे, उनसे जान–बूझ कर ध्यान भटकाने के लिए, जान–बूझ कर ध्यान हटाने के लिए जिस तरह का हंगामा विपक्ष द्वारा किया गया, मैं उस की भी कड़ी निंदा करता हूँ।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, धन्यवाद। श्री कैलाश गहलोत जी, माननीय मंत्री कुछ कहना चाहते हैं?

माननीय परिवहन मंत्री का वक्तव्य

माननीय पर्यावरण मंत्रीः अध्यक्ष जी, धन्यवाद। संत रविदास मंदिर जो डीडीए द्वारा तोड़ा गया और कल पूरी असेम्बली में सभी माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार से सभी दलित भाइयों का और पूरे दलित समाज की जो आवाज उठाई और उसमें जो लीडर आफ अपोजिशन हैं विजेन्द्र गुप्ता जी, उन्होंने, मैं समझता हूँ पूरे सदन को ही नहीं, बल्कि पूरी दिल्ली को, पूरे दलित समाज को गुमराह करने की कोशिश की कि अगर उस एरिया को

नॉन फॉरेस्ट परपज के लिए डायवर्ट करना है तो वो दिल्ली सरकार की पावर्स में है। दिल्ली सरकार उस पर कुछ एक्शन ले सकती थी। ये बिल्कुल गलत है स्पीकर सर। और मैं समझता हूँ कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन इतनी रिस्पांसिबल पोस्ट होने के बावजूद इस तरह का इस सदन में बयान देना बिल्कुल गलत है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये गंदी राजनीति करने पर उतर गए हैं अब। जब केन्द्र सरकार को, जब डीडीए को इतने गंभीर मुद्दे पे एक स्टैंड लेना चाहिए था कोर्ट में, वो बिल्कुल नहीं किया और दिल्ली सरकार इस पूरी जमीन की न मालिक हैं, न दिल्ली सरकार के पास उसका कोई कंट्रोल है। ये सारी चीजें पता होने के बावजूद जान–बूझ कर लीडर ऑफ अपोजिशन विजेन्द्र गुप्ता ने इस तरह का बयान दिया और इस तरह की गंदी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मैं सिर्फ दो चीजें इस सदन के बीच में रख रहा हूँ। 1980 का ये नोटिफिकेशन है, अध्यक्ष महोदय। 1980 का ये नोटिफिकेशन है और डीडीए का नोटिफिकेशन है जिसमें ये कह रहे हैं कि ये पूरा एरिया जो 800 एकड़ का एरिया है, ये सारा प्रोटेक्टिड फॉरेस्ट है। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि ये डीडीए की लैंड है, जिस पर ये फॉरेस्ट है, एक चीज।

दूसरी चीज, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और उसकी लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं मिनिस्टरी ऑफ एन्वायरन्मेंट की, 2019 की। इसका अगर आप जो रेलेवेंट प्रोविजन है, ये मैं पढ़ दे रहा हूँ ताकि ये सभी सदस्यों को भी ये पता हो। इसका जो रूल–6 है, ये पढ़ता हैः *'सब्मिशन ऑफ प्रपोजल सीकिंग एप्रूवल ऑफ सैण्ट्रल गवर्नमेंट।'* तो अध्यक्ष महोदय, इससे ये भी क्लियर होता है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई फॉरेस्ट लैंड है, उसको नॉन फॉरेस्ट परपज के लिए अगर डायवर्ट करना है, अगर इस्तेमाल करना है तो उसकी परमिशन जो है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आएगी। 'Submission

of proposal seeking apporval of Central Govt. under section-2 of the Act. Every user agency that wants to use any forest land for any forest purposes shall make its proposal in relevant form.'

तो यूजर एजेंसी इसमें जो उस जमीन के जो मालिक हैं, वो डीडीए है। जो मैंने नोटिफिकेशन के द्वारा दिखाया गया। तो अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रपोजल मूव होना है, अगर किसी भी प्रकार की कोई एप्लीकेशन कहीं सब्मिट होनी है तो फॉरेस्ट एक्ट और रूल्स के तहत जो यूजर एजेंसी है, वो डीडीए है, न कि दिल्ली सरकार है। यही मैं इतना क्लेरिफाइ करना चाह रहा था। धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः ठीक है। 280। न अब कोई सप्लीमेंटरी नहीं।

श्री जितेन्द्र तोमरः अध्यक्ष जी, ये अनस्टार्ड क्वेश्चन के जवाब नहीं आए।

माननीय अध्यक्षः क्या?

श्री जितेन्द्र तोमरः जो अनस्टार्ड क्वेश्चन हैं, उनके जवाब नहीं आए आज।

माननीय अध्यक्षः कौन से प्रश्न के नहीं आए?

श्री जितेन्द्र तोमरः अनस्टार्ड, किसी के नहीं आये।

सुश्री अलका लाम्बाः अनस्टार्ड किसी के भी नहीं आये?

माननीय अध्यक्षः अनस्टार्ड के? लेट आए होंगे, अभी मिल जाएँगे।

श्री जितेन्द्र तोमरः अच्छा।

माननीय अध्यक्षः 280 श्री राजेश गुप्ता जी। मैं चाह रहा हूँ कि 3.15 बज गए हैं, जो लिखा है, उसको पढ़ेंगे तो मैक्सिमम मैं 280 माननीय सदस्यों के ले सकूँगा।

विशेष उल्लेख (नियम–280)

श्री राजेश गुप्ताः एक सेकण्ड, मैं करता हूँ सर।

अध्यक्ष जी, बहुत–बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। जो मैं बात करना चाहता हूँ, वो सीधे–सीधे विधान सभा से जुड़ी हुई है। पीछे कुछ शायद आरटीआई लगी, कुछ एनजीओ ने यहाँ पर पता करा कि हम कितने दिन प्रेजेंट रहे हैं, जो हमारे अलावा जितने भी आदरणीय हमारे साथी हैं। लेकिन यहाँ से कई बार गलत इंफार्मेशन जाती है, जिसके बारे में एक बार मैंने मौखिक रूप से आपसे बात करी थी। तो मैं ये चाहता हूँ कि उसकी विडियो रिकार्डिंग चेक कर ली जाए जो हमारे अगर कोई भी सदस्य जानना चाहता हैं कि वो कितने दिन आया है, कितने दिन छुट्टी पे है। जितना मैं जानता हूँ, मैं सिर्फ एक दिन छुट्टी पर रहा हूँ लेकिन वहाँ पर कुछ गलत जवाब चले जाते हैं। इसके अलावा जब डिस्क्वालिफाई करे गए थे हम गलत तरीके से, तो उस को भी इसमें जोड़ा जाएगा या हटाया जाएगा? ये दोनों चीजें प्लस वीडियो रिकॉर्डिंग देख ली जाए कि हम कितने दिन प्रेजेंट रहे या जिस दिन के ऊपर या जिस डेट्स के बारे में बताया जा रहा है, हम छुट्टी पर थे, उसकी वीडियो देख ली जाए और वो हमें बता दिया जाए, बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः प्रमिला टोकस जी। आज तो लाटरी खुल रही है आपकी। बोलिए।

श्रीमती प्रमिला टोकसः धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः जरा आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही।

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी, मेरी लाटरी नहीं निकली, मौका दीजिएगा जिससे...

माननीय अध्यक्षः आपका आया था, आया था न? स्टार्ड क्वेश्चन में आ चुका है।

सुश्री अलका लाम्बाः 280।

माननीय अध्यक्षः 280 में अब जिनके आए हुए हैं, उन्हीं के लूँगा।

श्रीमती प्रमिला टोकसः अध्यक्ष जी, धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दिल्ली के शहरीकृत गांवों में दिल्ली सरकार की नियमावली के तहत गैर प्रदूषित कुछ उद्योग जिन्हें स्वीकृति मिली हुई है और जो नियमानुसार पिछले काफी वर्षों से चल थे, अब कुछ समय से नगर निगम के अधिकारी व स्थानीय एसडीएम के निर्देश पर उन कामगार इकाइयों को जबर्दस्ती व गैर–कानूनी तरीके से सील किया जा रहा है। यद्यपि सीलिंग का डर दिखा कर डराया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के शहरीकृत गाँव की खेती योग्य जमीन तो सरकार पहले ही अधिग्रहित कर चुकी है। अब इन गाँववासियों के पास किराया ही कमाई का एकमात्र साधन था, अब किराये का काम भी खत्म हो रहा है व बड़ी संख्या में लोग अपना रोजगार भी गंवा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, शहरीकृत गाँव में चलने वाली गैर प्रदूषित इकाइयों को दिल्ली सरकार नियमावली के तहत तुरंत राहत प्रदान करें जिसमें न सिर्फ गाँव वालों को बल्कि छोटे कामगारों व उन इकाइयों में काम करने वाले मजदूरों को राहत प्रदान की जाएं।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। श्री संजीव झा जी।

श्री संजीव झाः बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, कि आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से अपने शहरी विकास मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जिस विधान सभा को मैं रिप्रजेंट करता हूँ, वहाँ अवैध कालोनियाँ बहुत ज्यादा हैं। और जब भी इन्हें अनअथॉराइज या अवैध कहते हैं तो ऐसे लगता है कि कोई अगर जमीन खरीदता भी है, मकान बनाता भी है, उसको लीगल सेंक्शन नहीं है और उसी की आड़ में एमसीडी के लोग एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। मैं बताऊँ हमारे यहाँ संत नगर एक कालोनी है जो 70–80 साल पुरानी कालोनी है। उसमें कोई गरीब आदमी अपना एक मकान बना रहा था। उसके मकान को ये कहकर तोड़ दिया गया कि तुम इल्लीगल मकान बना रहे हो और उसी के बगल में बड़े–बड़े फ्लैटस बन रहे हैं। उस फ्लैटस को नहीं तोड़ा गया। जब मैं इस बात को लेकर डीसी से बात किया तो उसने कहा कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते, चूँकि ये अवैध कालोनी है, अवैध मकान बन नहीं सकता। हमने कहा, अगर अवैध मकान है तो मकान वो भी है, जो फ्लैट बन रहा है, वो भी अवैध है। जो गरीब मकान बन रहा है, वो भी अवैध है। तो फ्लैट कैसे बच जाता है और ये मकान कैसे बन जाता है?' उन्होंने कहा, 'मैं कुछ कर नहीं सकता।' तो इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने शहरी विकास मंत्री को और कमिशनर को भी ये संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि आज अनऑथराइज कालोनी में जो लोग मकान बना रहे हैं, वो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं और अगर इस पर कोई पॉलिसी नहीं बन रही है तो इसका मतलब है कि कमिशनर के संरक्षण में ये वसूली का कारोबार फल–फूल रहा है। तो इसके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाये। हॉलांकि मैं धन्यवाद भी करता हूँ,

दिल्ली सरकार का कि अभी आपने मालिकाना हक देने का एक पॉलिसी का ऐनाउंसमेंट किया, मुझे लगता है, बहुत जल्दी लागू हो जाएगी। लेकिन जब तक ये लागू नहीं होता है तब तक ये एमसीडी के इंजीनियर्स के द्वारा एक बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है। इस कारोबार को नियंत्रण किया जाये और जो अधिकारी उसमें दोषी हैं, उस पर कार्रवाई किया जाये, बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। कमांडो सुरेन्द्र जी।

श्री सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कराना चाहता हूँ कि आपने नियम 280 के तहत मुझे बोलने का मौका दिया। इसके साथ ही मैं माननीय मुख्य मंत्री, उपमुख्य मंत्री तथा पूरी सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि जो सैनिक देश की अखंडता और हमारी रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान करते हैं, उन सैनिक परिवारों को एक करोड़ रूपये सम्मान राशि प्रदान कर उनका हौसला अफजाई करती है। साथ ही मैं युद्ध आपरेशन में लड़ने वाले, युद्ध में होने वाले दिव्याँग सैनिक तथा उनकी 100 प्रतिशत दिव्यांगता पर उनको 50 लाख रूपये, 75 प्रतिशत को 40 लाख रूपये और 50 प्रतिशत या उससे कम दिव्याँगता पर 30 लाख रूपये राशि दी जाये और उससे कम राशि वालों को परसेंटेज के आधार पर 25 लाख रूपये तथा ऑपरेशन में जख्मी होने वाले हर सैनिक अर्द्ध सैनिक बल पुलिस कर्मी, फायर ब्रिगेड के जवान तथा इस पॉलिसी में कवर होने वाले हरेक जख्मी सिपाही को 10 लाख रूपये सम्मान राशि के तौर पर दिया जाये ताकि इनका मनोबल ऊँचा रहे।

साथ ही मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि दिल्ली में रहने वाले सैनिक, अर्द्ध सैनिक बल तथा रक्षा मंत्रालय के सिविल कर्मचारी जो अपने परिवारों

के साथ आवासीय कालोनी में रहते हैं और जो एमईएस के उपभोक्ता हैं, ऐमइएस से जो बिजली लेते हैं, उन को भी 200 यूनिट बिजली फ्री व 200 से 400 यूनिटों पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी दिल्ली सरकार की पॉलिसी के अनुसार उन उपभोक्ताओं को भी लागू की जाये।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक रैंक एक पेन्शन को लेकर पूर्व सैनिक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। केन्द्र सरकार ने ओआरओपी के नाम पर उनके साथ छलावा किया है। मैं दिल्ली सरकार से निवेदन करता हूँ कि दिल्ली में रहने वाले पूर्व सैनिक जो कि उनके ओआरओपी के अंदर जो कमी रही है, उनकी कमी की भरपाई करने के लिए उनको पेन्षन के तौर पर राशि प्रदान की जाये ताकि वो अपना सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें।

दूसरा, हाल ही में डीडीए द्वारा एक योजना के तहत जो कि ईडब्लयूएस श्रेणी के फ्लैट बाहरी दिल्ली के नरेला के क्षेत्र में बनाये गये जिनको ईएसडब्लयू के लोगों ने भी नहीं लिया, युद्ध सैनिकों, युद्ध में दिव्यांग तथा शहीदों की विधवाओं, वीर नारियों को 50 प्रतिशत कम रेट करके 'पहले आओ, पहले पाओ' की योजना के तहत सरकार ने दिये हैं। मैं उपराज्यपाल महोदय से निवेदन करता हूँ कि देश के सैनिकों के सम्मान में कोई योजना अगर बनाते हैं तो गरीबी रेखा से भली नीचे के लोगों के लेवल की योजना बनाएँ, गरीबों ने भी जो हैं ना, उन्होंने लेने से मना कर दिया, अगर योजना बनानी है तो सैनिकों को डीडीए द्वारा हर कैटेगरी के फ्लैटों के अंदर चाहे वो किसी भी कैटेगरी का फलैट हो, 50 परसेंट जो है, उनको इस योजना के अंदर 'पहले आओ, पहले पाओ' के तहत सभी फ्लैटों के अंदर उसमें शामिल किया जाये, न कि ईडब्लयूएस कैटेगरी के जो फ्लैट हैं, जो रिजेक्ट किये गये हैं, उनको सैनिकों के साथ धोखा करने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि सभी कैटेगरी

के अंदर फ्लैटों के अंदर 50 परसेंट 'पहले आओ, पहले पाओ' की योजना के तहत सैनिकों को इस योजना का लाभ दिया जाये, जय हिंद जय भारत।

माननीय अध्यक्षः ओम प्रकाश शर्मा जी अनुपस्थित, जगदीश प्रधान अनुपस्थित, श्री बग्गा जी।

श्री एस के बग्गाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे नियम 280 में बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान विकलांग लोगों की पेन्शन की तरफ दिलाना चाहता हूँ। विकलांग लोगों की पेन्शन का फार्म 60 वर्ष तक कम आयु तक भर सकते हैं। साठ वर्ष के बाद विकलांग लोग अपनी पेन्शन के लिए फार्म नहीं भर सकते हैं। क्या 60 वर्ष के बाद विकलांग, विकलांग नहीं रहता है? मैं पहले भी सदन में बोल चुका हूँ कि साठ वर्ष के बाद भी विकलांग व्यक्ति का फार्म लिया जाये तथा उसकी पेन्शन लगनी चाहिए। पुराने पेन्शन के फार्म दफ्तरों में पड़े हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना है कि विकलांग व्यक्तियों की पेन्शन साठ वर्ष के बाद भी लगनी चाहिए, इस पर कार्रवाई जल्दी करें, धन्यवाद

माननीय अध्यक्षः नारायण दत्त शर्मा जी।

श्री नारायण दत्त शर्माः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। मेरी विधान सभा का सबसे संवेदनशील मुददा है जिसके ऊपर मैं आज बात कर रहा हूँ। करीबन साढ़े तीन किलोमीटर के एरिया को किस तरीका से ओ जोन के दायरे में कुछ पूर्व के नेताओं के द्वारा, कुछ प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा डाल दिया गया, तीन लाख की आवाम उस ओ जोन में रहती है। उस ओ जाने के नाम पर एक 50 गज के मकान को तोड़ दिया जाता है, सौ गज के मकान को तोड़ दिया जाता है। मेरा महीने में कम से कम दस दिन का

समय किसी जेसीबी को रोकने के लिए, किसी एमसीडी के अधिकारी को रोकने के लिए, किसी गरीब के मकान को बचाने के लिए जाता है। उसी ओ जोन में छह छह माले की इमारतें बन जाती हैं, उन नेताओं के गुर्गों की लेकिन एक 50 गज और सौ गज के मकान को इसलिए तोड़ दिया जाता है कि वो पैसा नहीं दे पाता है। उस ओजोन में रहने वाले लोग अपने मत से पार्षद बनाते हैं, अपने मत से विधायक बनाते हैं, अपने मत से एमपी बनाते हैं। लेकिन इस ओ जोन के नाम पर उस मकान को इसलिए तोड़ दिया जाता है कि वो गरीब आदमी पैसा नहीं दे पाता। मेरी एक दरख्र्वास्त है सम्मानित सदन से कि इस डीडीए के द्वारा उस ओ जोन की डिमारकेशन अगर हो जाए, क्योंकि रिवर जोन 300 मीटर के दायरे में आती है। जमना की तलहटी 300 मीटर तक ओ जोन मानती है लेकिन साढे तीन किलोमीटर के एरिया को ओजोन बना दिया जाता है सिर्फ लूट करने के लिए, पैसे की उगाही करने के लिए एमसीडी के द्वारा! अब एक चीज बताइए, जब तीन लाख आवाम रहती है, वहाँ ओ जोन के कारण मुझे टयूबवेल मेरे सरकारी फंड से जो जल बोर्ड का टयूबवेल तक नहीं लगाने दिया जा रहा कि एनजीटी से ऐप्रूवल लाइए, एनजीटी का अधिकारी डीएम के वहाँ पर जो एक कमेटी है, जो बोर लगाने की अनुमति प्रदान करती है, वो डीएम उसका ऐप्रूवल देता है। उसके बाद भी वो थाना रोक देता है। कहीं न कहीं ओ जोन के नाम पर एक जो भ्रष्टाचार बीजेपी शासित निगम कर रही है मेरे क्षेत्र के अंदर। मैं सदन के माध्यम ये बात रखना चाहता हूँ, सदन के समक्ष ये बात रखना चाहता हूँ कि डीडीए के द्वारा उसकी डिमारकेशन हो जाएगी तो करीबन तीन साढ़े तीन लाख लोगों की जो लूट है, जब वो मकान बनाता है, जो भय का वातावरण उसके बीच में बना रहता है, उससे मुक्ति मिलेगी। धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः भावना जी।

सुश्री भावना गौड़ः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2015 में दिल्ली विधान सभा चुनाव की ऐतिहासिक जीत के साथ सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी ने लगभग साढ़े चार साल पूरे कर लिए हैं। देश की आजादी के बाद दिल्ली में 70 साल में जो काम नहीं हुए, वो सब काम दिल्ली की आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कर के दिखाया है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी विधान सभा की तरफ से दिल्ली सरकार का नेतृत्व कर रहे माननीय मुख्य मंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, उप मुख्य मंत्री श्री मनीष जी, दिल्ली के सभी मंत्रीगण, समस्त विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और उनकी प्रशंसा करती हूँ।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार बधाई की पात्र है जिसने दिल्ली के बिगड़े हुए स्वरूप को संवारने के लिए दिन रात एक किया है और दिल्ली को सुंदर बनाया है। अध्यक्ष महोदय, पालम विधान सभा में जहाँ 40 साल से पीने का पानी नहीं था, वहाँ पीने का पानी लाइनों के माध्यम से उपलब्ध करवाया है। सीवर की लाइनों को अनअथॉराइज कालोनियों में बिछाने का सराहनीय कार्य किया है। बरसात के पानी को नालियों के माध्यम से निकालकर के बाहर किया है। सुंदर रोड निर्माण का कार्य किया है और मोहल्ला क्लीनिक का निर्माण, ये अपने–आप में स्वास्थ्य जगत में मील का पत्थर साबित होगा। इस तरह का कार्य दिल्ली सरकार कर रही है। दिल्ली सरकार के कुल बजट का 25 प्रतिशत लगभग शिक्षा के बजट पर खर्च किया जाता है। मैं धन्यवाद दूँगी हमारे उप मुख्य मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी को जिन्होंने वर्तमान में पालम विधान सभा के विभिन्न स्कूलों में लगभग 200 नये कमरों का निर्माण करवाया है। मैं और मेरी पूरी विधान सभा आपके

प्रति आभारी है। स्कूलों के आधुनिकरण के लिए और पठन—पाठन के स्तर को उच्चतम स्तर पर प्रदान करने के लिए।

अध्यक्ष महोदय, हमारी पालम विधान सभा में अनेकों सोसाइटियों में, अनेकों पार्कों में झूले लगाये गये हैं। बच्चों के लिए, युवाओं के लिए जिम की व्यवस्था की गयी है। वहाँ पर स्टील के बैंचेज लगाये गये हैं। डस्टबिन लगाये गये हैं। हमारे जो कर्मचारी जो गेट कीपर होते हैं, उनकी सुख—सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने बूम बैरियर भी वहाँ पर लगाये हैं। बूम बैरियर के साथ—साथ बहुत सारी जगह पर जहाँ पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं था, वहाँ वाटर कूलर की भी स्थापना की गयी है। पोर्टा केबिन वहाँ लगाये गये हैं। और इसके साथ—साथ पालम विधान सभा में जो कूड़ा नगर—निगम का दायित्व है, घर—घर से कूड़ा उठाने का लेकिन वो नहीं उठाते और लापरवाही बरतते हैं अपने काम के प्रति। ऐसी सोसाइटियों में दिल्ली सरकार के द्वारा कंपोजिट प्लांट लगाये गये हैं, जो निकलने वाला कूड़ा, जो डेली का कूड़ा वहाँ से निकलता है, वो उस मशीन में डालने के पश्चात् एक खाद का रूप ले लेगा जो वहाँ के पार्कों में और हरियाली को सुंदर बनाने में ये भूमिका अदा करेगा। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार जगह—जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम कर रही है। धन्यवाद मेरी सरकार को, 'जो कहा, सो किया। तमाम अड़चनों के बावजूद, तमाम मुश्किलों के बावजूद घोषणा—पत्र के लगभग 90 प्रतिषत से अधिक काम दिल्ली सरकार अभी तक कर चुकी है। बहुत सारा धन्यवाद, बहुत बड़े वाला धन्यवाद।

आजकल दिल्ली सरकार तीर्थ यात्रा का जो कार्य, एक ऐसा कार्य जिसमें बहुत सारा पुण्य हमारी सरकार को मिल रहा है। मुख्य मंत्री जी को बहुत सारी दुआएँ मिल रही हैं। मैं पुनः एक बार धन्यवाद दूँगी, प्रभु से प्रार्थना

करूँगी हमारे सभी लोगों को प्रभु बहुत सारी ताकत दे, बहुत सारी हिम्मत दे और इसके साथ–साथ आम आदमी ने ताकत देखी है हमारी, हमें बहुत सारा बहुमत देकर के उन्होंने जिताया है। काफी कुछ बदला है और बहुत कुछ दिल्ली को हम लोग बदलेंगे। शानदार हुआ है अभी साढ़े चार साल लेकिन पाँच साल शानदार होगा अरविंद केजरीवाल जी का। बहुत–बहुत धन्यवाद दिल्ली सरकार को और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री विजेन्द्र गर्ग जी। अलका लाम्बा। लेकिन आपने जो कुछ लिखा है इसमें।

सुश्री अलका लाम्बाः बिल्कुल, अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः नहीं, मेरी बात सुनिये। ये बिल्कुल जो आप कह रही हैं कि मुझसे लोग मिले। मैं उनकी सूची मांगूँगा आपसे।

सुश्री अलका लाम्बाः बिल्कुल मैं सब दे रही हूँ। अभी दे दूँगी, अभी दे दूँगी बोलने से पहले। बोलने से पहले सर, बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः दीजिए सदन के पटल पर।

सुश्री अलका लाम्बाः बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः सदन के पटल पर।

सुश्री अलका लाम्बाः मैं अपने भाषण के बाद दे रही हूँ सर।

माननीय अध्यक्षः उन लोगों की सूची एड्रेस सदन के पटल पर दीजिए।

सुश्री अलका लाम्बाः बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः नहीं, सदन पटल पर दीजिए।

सुश्री अलका लाम्बाः बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने मुझसे सबूत माँगे।

माननीय अध्यक्षः अलका जी, मैं जो कह रहा हूँ।

सुश्री अलका लाम्बाः बिल्कुल, अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः जिन लोगों को दवाइयाँ नहीं मिली।

सुश्री अलका लाम्बाः बिल्कुल, अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः उनका सबूत जो है।

सुश्री अलका लाम्बाः बिल्कुल, बिल भी लायी हूँ अध्यक्ष जी। प्राइवेट जो बाहर से दवाइयाँ लिखी हैं, उनके बिल भी हैं।

माननीय अध्यक्षः दीजिए, सदन पटल पर। सदन पटल पर दीजिए।

सुश्री अलका लाम्बाः मैं अपनी बात के बाद रख दूँ?

माननीय अध्यक्षः नहीं, सदन पटल पर दीजिए पहले।

सुश्री अलका लाम्बाः ये हैं सारे उनके बिल 25 हजार के, ये 19 हजार के दूसरे सारे। ये लीजिए। अध्यक्ष जी, अब मैं अपनी बात रख सकती हूँ?

माननीय अध्यक्षः इसमें–इसमें बिल प्राइवेट शॉप के होंगे।

सुश्री अलका लाम्बाः हाँ, जो दिल्ली सरकार ने।

माननीय अध्यक्षः जो डॉक्टर ने... मेरी बात सुन लीजिए।

सुश्री अलका लाम्बाः हाँ जी, अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः जो डॉक्टर ने दवाइयां प्रैस्क्राइब की हैं, जिस हॉस्पिटल में...

सुश्री अलका लाम्बाः हाँ जी।

माननीय अध्यक्षः और उनको वो दवाइयाँ हॉस्पिटल ने नहीं दीं, वो बिल... वो पर्चा मुझे प्रेसक्रिप्शन चाहिए।

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी, पर्चा आपके पास है। मैंने 55 महीने इस सदन में गुजारे और पूरी जिम्मेदारी से सबूतों के तथ्यों के साथ। आज भी सारे तथ्य अपनी बात रखने से पहले आपके सामने रख दिये। और सदन का और आपका धन्यवाद करती हूँ कि लोकतंत्र के तहत मेरी जनता की आवाज यहाँ पर उठाने का, सच्चाई सरकार के सामने लाने का मुझे अवसर दिया जा रहा है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।

अध्यक्ष जी, दो मामले आपके सामने हैं, जिसका जिक्र मैंने किया है। सुभाष मौहल्ला में एक पिता रहते हैं। गरीब हैं। 11 महीने की बच्ची का इलाज पंत में करवाया। सारी दवाएँ, सरकार का दावा है; मुफत दवाएँ, मुफ्त इलाज, मुफ्त जाँच। उसके बाद पंत की पर्ची आपके पास है उस गरीब पिता को बाहर से दवाइयाँ लाने को मजबूर किया गया। 19 हजार के बिल आपके पटल पर हैं और दूसरा बच्चा अभी पंत में इलाज करवा रहा है इस समय। उसके भी सारे बिल आपके पास हैं।

माननीय अध्यक्षः अलका जी, सभी माननीय सदस्यों ने...

सुश्री अलका लाम्बाः हाँ जी?

माननीय अध्यक्षः जो लिखा है, वो पढ़ा है।

सुश्री अलका लाम्बाः वही पढ़ रही हूँ।

माननीय अध्यक्षः आप उसमें से एक शब्द नहीं बोल रही हैं।

सुश्री अलका लाम्बाः सर क्या? मैंने आपको क्या लिखा है। सर, एक मिनट मुझे मिल जायेगी इसकी कापी।

माननीय अध्यक्षः देखिए, आपके पास कापी होनी चाहिए।

सुश्री अलका लाम्बाः नहीं–नहीं, 280 में मेरा नम्बर नहीं लगा। वो तीन सदस्य नहीं आये, तो आपने मुझे अवसर दिया, धन्यवाद। ये रहा मेरा। मैं इसी को पढ़ देती हूँ। दिल्ली सरकार के दावों के मुताबिक मैं इसको पढ़ रही हूँ।

दिल्ली सरकार के दावों के मुताबिक दिल्ली सरकार के सभी हस्पतालों में मुफत दवाएँ एवं मुफ्त इलाज व मुफत जांच होती है। परंतु मैं इन सभी दावों के विरूद्ध अपनी जनता की पीड़ा सदन के सामने रखना चाहती हूँ, जो मैं रख चुकी हूँ, आपके सामने कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में रहने वाले दो मरीजों के बिल आपके पास हैं। एक 11 महीने की बच्ची, पंत में इलाज कराया और एक बेटे का नाम आपके पास है। दोनों माता–पिता मजनू–टीला में रहते हैं। पता आपके पास है, बुलाइए और यही निवेदन है सरकार जो दावा करती है... इन दोनों को जो बाहर से दवाइयाँ... लगातार ऑपरेषन का सामान बाहर से मंगाया जा रहा है, सीरिंज बाहर से मंगायी जा रही हैं और वो दोनों माँ–बाप मजदूर हैं, मजनू–टीला में रहते हैं। दोनों ने मजदूरी छोड़ के पूरा पिता बेटे के सिर पे खड़े हुए हैं और उन्हें लगातार... वो कर्जे में है। वो कर्जे में हैं। यहाँ तक बात करके गया कि अगर कर्जा नहीं चुका

तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। ये उस पिता तक ने कहा है, इतनी पीड़ा और इतना दर्द है!

माननीय अध्यक्षः अलका जी, फिर आप...

सुश्री अलका लाम्बाः स्वास्थ्य मंत्री समय...

माननीय अध्यक्षः फिर आप बाहर जा रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि...

सुश्री अलका लाम्बाः मैं तो आपके सामने...

माननीय अध्यक्षः मैंने आपको समय दिया। आपने जो लिखा, उसको पढ़िये ना।

सुश्री अलका लाम्बाः ठीक है, ठीक है दोबारा दोहराती हूँ। दिल्ली सरकार के दावों के मुताबिक दिल्ली सरकार के सभी हस्पतालों में मुफत दवाएँ, मुफ्त इलाज व जाँच होती है परंतु इन सभी दावों के विरूद्ध अपनी जनता की पीड़ा सदन के सामने सबूत आपको दे दिये हैं, रख रही हूँ।

मेरी विधान सभा में रहने वाले मरीजों ने बताया, दो आपके सामने हैं, कि दिल्ली के सरकार के अस्पतालों में न तो मुफ्त इलाज हो रहा है, न मुफ्त दवाएँ मिल रही हैं। न मुफ्त जाँच हो रहा है। बाहर से ही दवाइयाँ मंगवानी पड़ रही हैं, जिसकी उन्हें मजबूरी में मोटी कीमत चुकानी पड़ रही है। कई लोग तो इतने गरीब हैं कि उन्हें भारी ब्याज पर कर्ज लेकर इलाज करवाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। विज्ञापनों के दावों से सच्चाई बहुत दूर है। कृपया इसकी जाँच करवायी जाए और उचित कार्रवाई की जाए ताकि गरीबों को बाहर से निजी दुकानों से दवाएँ न मंगानी पड़ें। बिल सबूत के तौर सदन के सामने रख रही हूँ और उम्मीद करती हूँ सख्त से सख्त

कार्रवाई होगी और क्या कार्रवाई हुई, ये सदन के सामने रखी जाएगी और कार्रवाई से ज्यादा मेरे लिए जरूरी है, ये दोनों माता–पिता के जो कर्ज लेकर दवाएँ इलाज बाहर से कराना पड़ रहा है, दिल्ली सरकार के जी.बी. पंत अस्पताल से, उसके ऊपर स्वास्थ्य मंत्री को अगर आप इसकी गंभीरता, संवेदनशीलता समझ रहे हों तो स्वास्थ्य मंत्री, आदरणीय सत्येन्द्र जैन जी हमारे बीच में...

माननीय अध्यक्षः श्री सोमनाथ भारती जी।

सुश्री अलका लाम्बाः आदरणीय सत्येन्द्र जैन जी हमारे बीच में...

माननीय अध्यक्षः हो गया।

सुश्री अलका लाम्बाः एक बार सर, यकीन दिलवा...

माननीय अध्यक्षः अलका जी ये कोई जरूरी...

सुश्री अलका लाम्बाः सर, एक बार, स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं।

माननीय अध्यक्षः नहीं, आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए।

सुश्री अलका लाम्बाः एक लाइन बोल दें कि जो बिल...

माननीय अध्यक्षः आप बैठिए।

सुश्री अलका लाम्बाः हुआ है, वो सरकार माफ करायेगी।

माननीय अध्यक्षः मैंने 280 में...

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी, मंत्री बैठे हैं। 280 में पहले भी जवाब दिया है। ऐसा नहीं है।

माननीय अध्यक्षः वो मंत्री देना चाहेंगे तो देंगे ना।

सुश्री अलका लाम्बाः संवेदनशीलता है। स्वास्थ्य मंत्री हैं।

माननीय अध्यक्षः मैं उनको आदेश नहीं दे सकता।

सुश्री अलका लाम्बाः हाथ जोड़कर, हाथ जोड़कर बस ये कह दें कि सरकार के दावों के मुताबिक...

माननीय अध्यक्षः अलका जी, आप बैठिए प्लीज, सोमनाथ भारती जी। अलका जी, मैंने आपसे पेपर ले लिए हैं। मैं इसके आपने कहा है, जाँच करेंगे, चलिए।

सुश्री अलका लाम्बाः धन्यवाद, धन्यवाद।

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय ये जो इन्होंने बिल दिये हैं और जो प्रेसक्रिप्शन दी है, कृपया मुझे फॉरवर्ड की जाये। इसकी जाँच करायी जायेगी और इसके ऊपर कार्रवाई की जायेगी।

माननीय अध्यक्षः नहीं, मैं आपको, इसको लिखित रूप में फॉरवर्ड करूंगा।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): और जो भी अधिकारी है, जिसने अगर किसी वजह से... मुझे ऐसा लगता है, ऐसा भी हो सकता है कि... मैं एक चीज एक्सैप्ट करना चाहूँगा कि अस्पतालों में बहुत लंबी–लंबी लाइनें लगती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि दवाइएँ लेने में कई बार छः–छः घंटे भी लग रहे हैं और हमारे पंत हॉस्पिटल के अंदर दिल्ली के पैशेंट 15 प्रतिशत हैं, 85 प्रतिषत दिल्ली से बाहर के हैं। तो दिल्ली से बाहर के पैशेंट...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई अलका जी, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा। आप बैठिए प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ, वो जाँच का विषय है। माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं, सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, आप बैठिए प्लीज। आप बैठ जाइए। यह प्रश्नोत्तर नहीं है, ये 280 है। आप बैठिए प्लीज, बैठिए, बैठिए प्लीज, बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः आप सुन लीजिए पहले बात तो सुन लीजिए मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। कि मैं इसकी जाँच कराऊँगा और जिस भी अधिकारी ने अगर दवाई देने से मना किया है... दवाई बिल्कुल 100 प्रतिशत मिलनी चाहिए। या तो पर्चे देखना पड़ेगा कि दवाई लिखी गयी, वही है या नहीं है, कि वो कोई दूसरी दवाई खरीदी गयी है। अगर वही दवाई जो लिखी है, हमारे अस्पताल से लिखी है, वो मिलनी चाहिए।

मैं उसका रीज़न बता रहा हूँ कि खासतौर से पंत हॉस्पिटल में बहुत बड़ी दिक्कत आ गयी है कि वहाँ पे 80 से 85 प्रतिशत पैशेंट दिल्ली से बाहर के हैं। और इस वजह से लाइनें बहुत लंबी लगती हैं, कुछ लोग इतने घंटों लाइनों में न लगने की वजह से कई बारी बाहर से दवाई लेना पसंद करता है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई मैं... अलका जी, ये कोई... सोमनाथ जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, अन्य सदस्य भी खड़े हैं ना। उनका भी समय है। आप बैठ जाइए। अलका जी, आप बैठ जाइए। प्लीज बैठ जाइए आप।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, आपको मंत्री जी ने उत्तर दे दिया और क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं? सदन को हाई जैक करना चाहती हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, बैठिए आप। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज। आप बैठ जाइए। उन्होंने जाँच के आदेश के बोल दिए हैं। नहीं, आज नहीं आ रहा है, साढ़े चार साल तक आ रहा था। नहीं, आज रिजल्ट नहीं आ रहा है, साढ़े चार साल तक आ रहा था। बैठ जाइए आप। सरिता जी, बैठिए अलका जी, बैठिए। सोमनाथ भारती जी, आप शुरू करिए बोलना। अलका जी, आप बहुत अनुचित कर रही हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैंने कल भी चेतावनी दी थी, आज फिर चेतावनी दे रहा हूँ। आप ये बहुत अनुचित कर रही हैं। ये सदन के साथ आप बहुत ज्यादती कर रही हैं। सोमनाथ जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, सरिता जी। मैं सब समझ रहा हूँ। अलका जी, आप बैठेंगे नहीं। आप बैठेंगी या नहीं बैठेंगी? नहीं, आप बैठेंगी या नहीं बैठेंगी? मैं चेतावनी दे रहा हूँ। आप बैठेंगी या नहीं बैठेगीं? आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने आपको 12 नम्बर, सुन लिया। 12 नम्बर सुन लिया आपका। अब सदन को हाइ जैक करने की सोच रही हैं। आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सरिता जी, बैठिए।

श्रीमती सरिता सिंहः मुझे सिर्फ दो मिनट का मौका दिया जाए।

माननीय अध्यक्षः सरिता जी, बोलिए।

श्रीमती सरिता सिंहः मैं बिल्कुल... यहाँ पर जी.बी. पन्त, यहाँ पर दिल्ली सरकार के जी.बी. पन्त अस्पताल की बात हो रही है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सरिता जी, अलका जी, अभी सदन का अगर आपका व्यवहार ये रहा तो सदन का अभी बहुत कुछ समय बाकी है। साढ़े चार साल तक आप मीठा–मीठा खातीं रहीं। बैठिए, बैठ जाइए आप। मैं बार–बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। आपका 280, मैंने पढ़ने का मौका दे दिया। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया। उसके बाद आप बोल रही हैं। सरिता जी, बोलिए।

सुश्री अलका लाम्बाः सबूत पटल पर है। एक बार कह दीजिए, पिता के कर्ज माफ कर देंगे।

श्री सरिता सिंहः अलका जी, आपने अपनी बात कह दी। मैं जीटीबी अस्पताल की चेयरपर्सन हूँ। हमारी सरकार ने एक पहल किया था। जो मंत्री जी ने जिस बात को आज रखा कि अगर दिल्ली सरकार के किसी भी अस्पताल में अगर आज 100 पेशेन्ट आते हैं। 100 पेषेन्ट में से 85 पेषेन्ट वो होते हैं जो दिल्ली के बाहर के लोग हैं। दिल्ली के बाहर के नागरिक हैं। यहाँ

दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी दिल्ली की अपनी जनता है। हमारी सरकार ने पहले करके जीटीबी अस्पताल में ये कानून बनाया था।

...**(व्यवधान)**

माननीय अध्यक्षः मैंने उनको मौका दिया। आप चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए। मैंने उनको मौका दिया था। मैंने उनको मौका दिया है। आप बैठिए आप।

श्रीमती सरिता सिंहः और वो स्टे ले के आ गये। वो स्टे लेके आ गये।

...**(व्यवधान)**

माननीय अध्यक्षः आप बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। आप दूसरे सदस्य के अधिकार का हनन कर रही हैं।

श्रीमती सरिता सिंहः हम सब विधान सभा के सदस्य हैं। अगर ये केस, अगर ऐसा केस हममें से किसी...

...**(व्यवधान)**

माननीय अध्यक्षः मैं अलका जी को टी–ब्रेक तक के लिए बाहर करता हूँ। अलका जी को टी–ब्रेक तक के लिए बाहर जाइए अलका जी। मार्शल्स! टी–ब्रेक तक के लिए बाहर करिए अलका जी को। मार्शल्स! बाहर करिए टी–ब्रेक तक के लिए, टी–ब्रेक तक के लिए बाहर करिए। आपने तो तमाषा बना दिया। आप सुनने को तैयार नहीं। बाहर करिए टी–ब्रेक तक, अलका जी। बाहर ले जाइए उनको।

श्रीमती सरिता सिंहः जब ये शिकायत दी गयी अलका जी को तो क्या वो अस्पताल में एमएस के पास गयी? क्या वो अस्पताल के डाइरेक्टर से मिली?

माननीय अध्यक्षः टी–ब्रेक तक बाहर करिए, जल्दी करिए।

श्रीमती सरिता सिंहः क्या उस डाक्टर से मिल के उस डाक्टर से पूछा कि ये दवाई बाहर से लेने को क्यों मजबूर किया गया?

माननीय अध्यक्षः मार्शल्स बाहर करिए, उनको।

श्रीमती सरिता सिंहः ट्वीटर के माध्यम से विधान सभा में राजनीति करने के लिए...

माननीय अध्यक्षः टी–ब्रेक तक के लिए बाहर करिए। मंत्री जी ने उत्तर दे दिया। मैंने बिल रख लिए हैं, मंत्री जी ने उत्तर दे दिया। इनकी इन्क्वायरी करवाएँगे।

माननीय अध्यक्षः साढ़े चार साल तक दवाइयाँ मिल रहीं थीं। आज नहीं मिल रही हैं। सरिता जी, बैठिए प्लीज। नहीं–नहीं, हो गया। बैठिए, बैठिए, बैठिए।

श्रीमती सरिता सिंहः हमारी सरकार ने ये कानून बनाया था, ये नियम बनाया था। ये नियम बनाया था कि दिल्ली के अस्सी प्रतिशत लोगों को दिल्ली में दवाइयाँ, दिल्ली सरकार के अस्पताल में दवाइयाँ मुफ्त दी जाएँगी। केवल इमरजेन्सी ट्रीटमेन्ट के लिए बाहर के लोगों को एलाउ किया जाएगा। 80 प्रतिशत बेड दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होगा और हमारी सरकार की नीयत थी, इसीलिए जीटीबी अस्पताल में ये लागू किया गया था और वो एक हफ्ता जीटीबी अस्पताल का सबसे सुनहरा अवसर था। तो केवल राजनीति की वजह से कोर्ट में जाके उस मुद्दे पर स्टे ले आया जाता है और बाद में उस पर राजनीति की जाती है कि दवाई नहीं मिली। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस दिन वो दवाई नहीं मिली, क्या हमारी माननीय

सदस्य वहाँ पर डाइरेक्टर के पास गयी, वहाँ की डॉक्टर से मिलीं या केवल यहाँ पर राजनीति करने के लिए आयीं और दिखाने के लिए आ गयी कि दवाइयॉ नहीं मिलीं। इस चीज की भी जाँच होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्षः भई, साढ़े चार साल तक दवाइयाँ मिल रहीं थीं, आज दवाइयाँ नहीं मिल रहीं हैं! हाँ, सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारतीः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का।

सर्वप्रथम मैं आज इस बात को सुनकर बड़ा पीड़ित हूँ कि अपनी एक पुरानी सहयोगी इस तरह की बात सदन में कर गयी। मुझे लगता है कि ये इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। अगर कोई कहीं एकाध कहीं कोई केस आया है तो माननीय मंत्री जी ने बड़े *ग्रेसियसली, ही स्टूड अप ऐण्ड ही क्लेरिफाइड।* उस पर तो जॉच हो जाएगी, उसपे हो जाएगा बट इस पर राजनीति करके पूरी सरकार को बदनाम किया जाये, ये अच्छी बात नहीं है। इस बात की मैं कड़े से कड़े शब्दों में निन्दा करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, आपने जब कल सन्त रविदास जी के मन्दिर के तोड़ने पर सभी सदस्यों को बात रखने का मौका दिया था, उसमें कई बातें उजागर हुईं। एक बात जो कि...

माननीय अध्यक्षः नहीं, सोमनाथ जी, उस विषय पर नहीं।

श्री सोमनाथ भारतीः एक लाइन।

माननीय अध्यक्षः नहीं, प्लीज देखिए।

श्री सोमनाथ भारतीः एक लाइन।

माननीय अध्यक्षः नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए।

श्री सोमनाथ भारतीः क्योंकि सदन की बात थी।

माननीय अध्यक्षः एक सेकण्ड, मेरी बात सुन लीजिए। आपने जो लिख कर दिया है, उस पर आ जाइए। कल का विषय कल पूरा हो चुका है। माननीय मंत्री जी उस पर बयान दे चुके। अब और सदस्य भी कहेंगे, हमें बोलने दीजिए। दस मिनट मेरे पास हैं। मैं चाहता हूँ, तीन–चार सदस्यों को और मौका दें।

श्री सोमनाथ भारतीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र की जो कानून व्यवस्था की स्थिति हैं, उसको लेकर के सदन के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मेरे क्षेत्र में एक बड़ी गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। एम्स से लेकर के कुतुब मीनार तक का जो पूरा रोड है; अरविन्दो मार्ग का जो स्ट्रेच है, उसके ऊपर ड्रग पैडलर्स, प्रोसीट्यूट्स, काल गर्ल्स पूरी रात खड़े रहते हैं और वहाँ के क्षेत्र की जो महिलाएँ हैं। एसडीए की, ग्रीनपार्क की, हौज खास की और उसका जो कन्संट्रेसन हैं, एसडीएमसी का जो ग्रीन पार्क का ऑफिस है, अब वहाँ की महिलाओं ने हर तरह के पुलिस अधिकारियों से बात कर ली। हमने सीपी से मुलाकात कर ली लेकिन इन सबके बावजूद भी कानून व्यवस्था के नाम पर वहाँ मजाक चल रहा है। कोई पुलिस वहाँ पर नहीं आ रही है। क्षेत्र के अन्दर बहुत डिस्टर्बेन्स है। महिलाएँ डिस्टर्ब हैं। नौजवान डिस्टर्ब्ड हैं लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। अब मुझे इस बात को कहते हुए बिल्कुल हिचक नहीं हो रही है कि इस पूरी कार्रवाई के अन्दर, इस पूरे काम के अन्दर पुलिस सम्मिलित

है। चूँकि हमने उनको वीडियो प्रूफ दे दिया। हमने उनको लिख के दे दिया लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से यह बात कमिष्नर ऑफ पुलिस (दिल्ली) तक पहुंचे कि भई ऐसा क्यों हो रहा है और सदन को बता दूँ आपके माध्यम से कि पुलिस, एक तो इन कामों में सम्मिलत है, दूसरा, जिस तरह के कामों में वो अपना समय जाया कर रही है, उसकी जानकारी भी आपके माध्यम से दे दूँ। अभी–अभी एक केस के अन्दर पुलिस ने बाकायदा इस बात को माना। मैं सभी साथियों को भी बता दूँ। एक केस में जॉच में जब मैंने पूछा कि भाई आपके पास इस केस के बाबत जो वीडियो एविडेन्स दिया गया था, क्या आपने उसको देखा? कहा, जी, वीडियो एविडेन्स नहीं देखा। कहा, कि भाई आपके पास इतने लोगों ने कम्प्लेन्ट किया। कहा, कि उसको भी नहीं देखा। तो सिर्फ और सिर्फ जब यह बात आती है कि भई आम आदमी पार्टी के विधायकों को प्रोसीक्यूट करना हो तो न तो वीडियो एविडेन्स देखेंगे, न कम्प्लेन्ट देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ कम्प्लेनेन्ट के कम्प्लेंट के ऊपर चार्जशीट फाइल हो जाती है। तो दिल्ली पुलिस का सारा समय कहाँ लग रहा है? दिल्ली के लोगों की सेवा में नहीं लग रहा है।

एक ऐसा केस जिसमें कि चार्जशीट के बावजूद कोर्ट में ये बात माना कि सीनियर आफिसर्स के कहने पर ये चार्जशीट फाइल करी।

माननीय अध्यक्षः चलिए, अब करिए कन्क्लूड।

श्री सोमनाथ भारतीः मैं आपके माध्यम से इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि दिल्ली की पुलिस दिल्ली की जनता के प्रति समर्पित हो। जो मैंने कानून व्यवस्था की बात करी अपने 280 के अंदर, इसके ऊपर कमिश्नर ऑफ पुलिस संज्ञान लें और इस समस्या का समाधान कराएँ। साथ में पुलिस का दुरूपयोग आम आदमी पार्टी के विधायकों के प्रति बंद हो और ये बहुत निंदनीय है, धन्यवाद आपका।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। श्री सोमदत्त जी।

ष

श्री सोमदत्तः धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, दिल्ली में बहुत सारी एग्जीक्यूटिव एजेंसियॉ काम कर रही हैं और इन एजेंसियों के माध्यम से एमएलए फंड से हम अपने काम करवाते हैं, इसमें एमसीडी भी है, पीडब्ल्यूडी, फ्लड, टीपीडीडीएल, रेलवे ऐटसेट्रा। इसमें डूसूब के अंदर मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, जो भी हम एमएलए फंड से डुसूब से काम करवाते हैं, तो उसके अंदर अधिकारी बार–बार ये क्वेश्चन लगाते हैं कि जी, हमें सीईओ से परमिशन लेनी पड़ेगी। किसी भी एजेंसी को अपने यहाँ के हेड से परमिशन लेने की एमएलए फंड से जरूरत नहीं पड़ती। एमसीडी कभी अपने यहाँ कमिशनर से परमिशन नहीं लेती, उसे एमएलए फंड से कोई काम कराना है या कोई भी एजेंसी अपने हेड से परमिशन नहीं लेती सिर्फ डुसुब में ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि सीईओ साहब से परमिशन लेंगे। उसके बाद आपका एमएलए फंड से काम करेंगे। तो मेरा आपसे रिक्वैस्ट है ये क्लॉज, ये कंडीशन अगर है तो इसे खत्म किया जाए, इसकी वजह से हमारे बहुत सारे काम रुके हुए हैं, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः नरेश यादव जी।

श्री नरेश यादवः धन्यवाद अध्यक्ष जी, कि आपने मुझे नियम–280 में अपने क्षेत्र की समस्या उठाने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मेरे महरौली विधान सभा में लाडोसराय गाँव है, उस गाँव में अध्यक्ष जी, एक बहुत पुराना ठेका है जिसकी वजह से गाँव में बहुत परेशानी हो रही है और आये दिन सबसे बड़ा मुद्दा गाँव का आज वो ठेका ही बन गया है। सभी पार्टियाँ वहाँ धरना, प्रदर्शन पता नहीं, मतलब औरतें... बहुत संघर्ष लोगों ने किया है वहाँ पर और काफी दिनों से ये चल रहा है।

ये मुद्दा अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी उठाया था माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास भी मैं वहाँ के जो महिला मंडल हैं उसके साथ में मैं मिला था। अभी हाल ही में अध्यक्ष जी, ये मुद्दा बहुत ज्यादा दुबारा से उठ रहा है, क्योंकि वहाँ शराब पीने से लोगों की काफी जानें भी गयी हैं। लोगों का गाँव में ये कहना था कि शराब के ठेके की वजह से आस–पास के गाँवों में सबसे ज्यादा जो मौतें हुई हैं, वो लाडो सराय में हुई है जिसकी वजह से मतलब उन्होंने इतना ब्लंटली बोला कि हमारे गाँव में इस ठेके की वजह से बहुत सारी विधवाएँ हैं, बहुत सारी लेडीज हैं, ऐसी विधवा। तो बड़ा इमोशनल वो क्षण था, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बाकायदा पंचायत की, कि ये सारा का सारा सब्जैक्ट हमारी दिल्ली सरकार के अंडर आता है तो अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री साहब से ये रिक्वैस्ट करूँगा कि इसके ऊपर थोड़ा संज्ञान लें। मैं समझ सकता हूँ कि जितने ठेके यहाँ दिल्ली में खुले हुए हैं, बहुत सारे विधायकों ने, बहुत सारी जगह से ऐसी रिक्वैस्ट आई हुई हैं; या तो उनको बंद कर दिया जाए या उनको शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन एज अ स्पेषल केस अगर लाडो सराय गाँव के इस ठेके के लिए सरकार अगर संज्ञान लें तो अध्यक्ष जी, बहुत कृपा होगी, मैं अध्यक्ष जी, एक ओर बात कहना चाह रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र में शहरी क्षेत्र भी है; वसंत कुंज है, साकेत है, काफी मॉल्स बने हुए हैं। अगर कहीं ऐसा हो कि किसी मॉल में, कहीं अगर ठेका शिफ्ट कर दिया जाए तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा, एज ए विधायक उस क्षेत्र के। क्योंकि वैसे तो हम ठेके को हमेशा अपोज करते हैं, एज ए विधायक उस एरिया के, लेकिन अगर उसी एरिया में भी अगर शिफ्ट किया जाए, सरकार अगर उस पे संज्ञान ले तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन लाडो सराय का ठेका किसी तरह से भी इसको उठवाया जाए। मैं माननीय सभी अपने सदस्यों से भी रिक्वैस्ट करूँगा

कि ये कोई भी सदस्य उसका ऐतराज भी न करें, ये एक स्पैषल केस करके उसको ठेके को शिफ्ट किया जाए, बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत–बहुत शुक्रिया।

प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

माननीय अध्यक्षः श्री जितेन्द्र सिंह तोमर जी, श्री मदनलाल जी सरकारी आष्वासन समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मैं सरकारी आष्वासन समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की इजाजत चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्षः हाँ, प्रस्तुत करिए।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः प्रस्तुत कर रहा हूँ।*

माननीय अध्यक्षः श्री सौरभ भारद्वाज जी, श्री पंकज पुष्कर जी याचिका समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से याचिका समिति का तीसरा प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूँ।*

सदन पटल पर प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। सदन पटल पर प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी गुरूजी गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विष्वविद्यालय के वित्त वर्ष 2011–12, 12–13, 13–14, 14–15, 15–16 हेतु वार्षिक लेखा परीक्षा की हिन्दी व अंग्रेजी प्रतियॉ सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

माननीय उपमुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची के बिन्दु क्रमाँक–4 के उप बिंदु–1 में दर्शाये गये निम्नलिखित दस्तावेजों की अंग्रेजी एवं हिन्दी की प्रतियॉ सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।*

I. **Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister** laid copies of the Annual Accounts alongwith the Audit Report of Guru Gobind Singh Indraprastha University for the financial years 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 & 2015-16 (Hindi & English Version) on the Table of the House.

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, माननीय मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी, माननीय परिवहन मंत्री अपने विभागों से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियॉ सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

श्री कैलाश गहलोत, परिवहन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची के बिंदु–क्रमाक्र–04 के उपबिन्दु–02 में दर्शाये गये निम्नलिखित दस्तावेजों की अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रतियाँ सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।*

I. 9th Annual Report of Ge-ospatial Delhi Limited for the year 2016-17 (English & Hindi Version).

II. Notification No.F.23(488)/Tpt/ARU/2010/452/1042 dated 12/06/2019 of Transport Department regarding Auto Rickshaw Fare in National Capital Territory of Delhi (English & Hindi Version).

III. Notification No.F.21/60/Secy./STA/2009/418 dated 19/06/2019 of Transport Department regarding STA Board (English & Hindi Version).

IV. Notification No.F.DC/Ops/Tpt/2014/26079 dated 20/06/2019 of Transport Department regarding fancy number (English & Hindi Version).

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

माननीय अध्यक्षः टी ब्रेक, चाय तक के लिए साढ़े चार बजे तक सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है।

सदन अपराह्न 4:35 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) *पीठासीन हुए।*

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई, अभी चर्चा शुरू होनी है।

श्री जरनैल सिंहः एक मिनट, प्लीज एक मिनट। अध्यक्ष जी, आज इसका जवाब आया है, वो ही एमसीडी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट का। पिछली बार भी जब संतोषजनक जवाब नहीं आया था तो आपने बोला था, इसको मैं पेटिशन कमिटी को मार्क कर रहा हूँ। वहाँ से भी कोई मेरे को अभी तक लेटर नहीं आया और एमसीडी ने भी टाइम माँगा था कि दो महीने के अंदर जवाब दे देंगे, वो जबाव आज भी नहीं आये। तो इसको थोड़ा गम्भीरता से लेने के लिए आप मार्क कर दें तो वहां...

माननीय अध्यक्षः ठीक है।

श्री जरनैल सिंहः पेटिशन कमिटी को।

अल्पकालिक चर्चा, (नियम—55)

माननीय अध्यक्षः ठीक है। अल्पकालिक चर्चा, नियम—55 के अंतर्गत श्री संजीव झा जी दिल्ली में बिजली के क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे में वृद्धि व इससे सुधार, जिससे 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हुई और बिजली की दरों के युक्तीकरण सहित मुफ्त बिजली का प्रावधान के संबंध में चर्चा प्रारम्भ करेंगे।

श्री संजीव झाः बहुत–बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, आज जब हम पॉवर सेक्टर में बुनियादी ढाँचों में सुधार की बात की चर्चा जब हम कर रहे है तो हमें पहले कुछ आँकड़ों में जाना होगा और जब मैं कुछ आँकड़ों में गया तो मुझे कुछ सरप्राइजिंग डेटा मिला। मुझे लगता है कि ये बातें सदन के संज्ञान में भी होनी चाहिए और सदन के साथ–साथ दिल्ली की जनता या पूरे देश की जनता कि पिछले चार, साढ़े चार–पाँच साल में बिजली में क्या बुनियादी सुधार हुआ और कैसे हुआ, ये संज्ञान में आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, जब मैं डेटा देख रहा था तो मैंने देखा कि 2013 में जब काँग्रेस की सरकार थी तब 200 यूनिट बिजली का कॉस्ट 928 रुपये था और अगर ये 251 हो जाता था तो ये कॉस्ट 1257 रूपये हो जाता था। यानी 200 यूनिट तक लगभग सवा चार रुपये और 200 के पार ज्यों ही चले गए तो वो छः रूपये, सवा छः रुपये रेट था वो। मैंने ये देखा कि 2010 में और 2013 में बिजली के रेट में क्या अंतर था, तो मैंने ये पाया कि 2010 में 2013 से बिजली के रेट में दुगुने का फर्क है, यानी कि 2010 में जो बिजली का रेट था, वो 2013 में दुगुना हो गया। उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री जी का एक आर्टिकल पढ़ा जो इंडियन एक्सप्रेस में आया था और बहुत सारी बातों को उन्होंने बहुत संजीदा तरीके से रखा और जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा आष्चर्य भी हुआ। मुख्यमंत्री जी ने उसमें बहुत स्पष्ट बताया था कि ये जो बिजली के रेट हमने आपको बताये कि किस तरह से बिजली के रेट 2010 से 13 से दुगुणा हो गया, किस तरह से ये लगातार बढ़ता रहा और इतने बिजली के रेट बढ़ने के बावजूद उस समय में तत्कालीन बिजली कम्पनियाँ जो अभी भी हैं, उन्होंने कहा कि हमें बहुत बड़ा

नुकसान हो रहा है और ये नुकसान की भरपाई के लिए 500 करोड़ रुपये माँगा गया और ये कहा गया कि अगर ये पैसे नहीं दिए गए तो दिल्ली में ब्लैक आउट हो जाएगा और सरकार ने 500 करोड़ ग्रांट किया।

2015 में जब हमारी सरकार बनी, कमोवेश बिजली कम्पनी की वही स्थिति थी। कोशिश की गयी, हमारी सरकार के साथ भी ब्लैक मेल करने की। बताने की कोशिश की गयी कि बिजली कम्पनी नुकसान में है। जब दबाव सरकार पर बनाया गया तो हमारी सरकार ने न केवल दबाव में नहीं आयी बल्कि उसको सीएजी के ऑडिट में भेज दिया और सीएजी ऑडिट के बाद, भेजने के बाद, उसके बाद जो लगातार सुधार हुआ, वो जनता के सामने है। मैंने ये देखा कि न केवल लगातार बिजली के रेट में कटौती हुई बल्कि डिस्कॉम की जो रेगुलर ऐसेटस थे, उसमें भी भारी कमी आई।

हमने ये देखा बिजली की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ा लगभग 85 परसेंट पॉवर का जो बिजली जो कटती थी, उसमें रिडक्शन हुआ। उन्होंने अपने ऑर्टिकल में ही लिखा है कि जब हमारी 2014 से अगर अपनी कम्पेयर करें 2016–17 की या 2018 की। 2014 में लगभग 117 मिलियन पॉवर कट हो रहा था वो घट के अब केवल 17 मिलियन हो गया।

इसी तरह से एटीएण्डसी में एटीएमसी भी भारी कमी आई जब 17 परसेंट थी वो घट के आठ परसेंट रह गया। तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं 2014 से पहले और 2014 के बाद अगर मैं तुलना करूँ जो डेटा मैंने आपके सामने रखा, इसमें एक आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखा। तो मैंने ये समझा कि आखिर इतनी भारी कमी और उसमें एक बहुत बड़ी घोषणा आज से पिछले महीने दिल्ली सरकार ने क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया कि 200 यूनिट बिजली अब दिल्ली में फ्री दिया जाएगा। तो मैं ये समझता

हूँ कि एक तरफ बिजली के रेट लगातार कम होते गए और ये भी तुलना में, 2013 के बिजली के रेट से कर रहा हूँ। अगर मैं आज की तुलना करूँ तो आज महाराष्ट्र में 200 यूनिट बिजली का कॉस्ट आठ रुपये है। मैं ये भी आँकड़ा देख रहा था कि 2013 में दिल्ली की जो बिजली थी, वो महाराष्ट्र से दुगनी महँगी थी। आज समझ लीजिए कि 200 यूनिट तो आठ गुनी महंगी हो गयी महाराष्ट्र की बिजली। अगर 200 यूनिट के बाद जाते हैं तो चार गुना महंगा हो गया। तो मैंने ये देखा कि एक तरफ लगाकर बिजली के रेट में कमी होती गई, फ्री बिजली दी गयी, डिस्कॉम का लॉस कम हुआ। 24 ऑवर बिजली दी गयी। ये चमत्कार कैसे हुआ? तो मुख्यमंत्री जी इस आर्टिकल में लिखा, उन्होंने कहा कि, 'As much as it has been a result of sheer political will and zero tolerance to corruption. It has also been a result of smart economies.' तो मेरा यह कहना है कि तब समझ में आता है कि अगर आपका मुख्यमंत्री पढ़ा–लिखा हो, आपका मुख्यमंत्री अगर इंजीनियर हो, आपका मुख्यमंत्री अगर आईआरएस हो तो दिल्ली की जनता को कितना फायदा होता है। मुझे ये लगता है... और उसमें बहुत बड़ी बात उसी आर्टिकल में लिखा था कि हमारी फिलॉसिफी क्या है। उन्होंने कहाः 'Life line electricity is in the line with the Aam Admi Party governed philosophy that providing for a dignified life is the core duty of the government and every government must provide basic services like; education, healthcare, water, power and transport to every citizen regardless of their ability to pay for them. Every household need light, fans, fridge, cooler in the summer, geyser in the winter to survive. By ensuring free supply of electricity for this level of users, the Government has guaranteed Access to a bear a minimum quality of life.'

मेरा ये कहना है कि एक सरकार की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए और मुझे याद है कि इसी सदन में मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी फिलॉसिफी बताई थी कि आखिर एक सरकार का काम होना क्या चाहिए। उन्होंने इसी सदन

में कहा था कि कानून हो या सरकार, ज्यादा उसको देना चाहिए जिसको भगवान ने कम दिया है। ये बड़ी फिलॉसिफी मुझे लगता है कि हमारी पूरी आम आदमी पार्टी की है, हमारी पूरी सरकार की है। तो मैं आज धन्यवाद करने भी आया हूँ कि आज जिस तरह से पॉवर में रिफॉर्म हुआ, जिस तरह से दिल्ली की जनता को उसका फायदा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ मुझे बड़ा आष्चर्य हुआ कि मैं जो आँकड़े आपको बताये। अध्यक्ष महोदय, 2013 में, 2012 में, काँग्रेस की सरकार थी और अपोजिशन में बीजेपी थी। जब ये पॉवर के रेट डबल हुए, कभी बीजेपी ने विरोध नहीं किया। जब ये 500 करोड़ रुपये आनन–फानन में दिए गए, किसी ने सदन में एक आवाज नहीं उठाया। लेकिन जब दिल्ली सरकार में 200 यूनिट फ्री किया तो बीजेपी के सभी प्रवक्ता दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, पूरी की पूरी पार्टी इसका विरोध कर रही है। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है? तब समझ में आता है कि ये जो आनन–फानन में बाँटे जाते थे, इसका मतलब स्टेक होल्डर सारे लोग थे। आज स्टेक होल्डर नहीं बन पा रहे हैं तो उनका दर्द है। मुझे शर्म आता है कि एक सरकार जो जनता के लिए, चाहे वो बिजली हो, जो बेसिक सुविधा है, जो मुख्यमंत्री जी ने अपने आर्टिकल लिखा था चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर एक आम आदमी को क्वालिटी देने कि कोशिश कर रहा है। मैं कई जगह कई बार कहता रहा हूँ कि केवल दो काम सरकार कर देती जो दिल्ली सरकार आज कर रही है कि एक आम आदमी को क्वालिटी शिक्षा मुफ्त और क्वालिटी स्वास्थ्य सुविधा मुफ्त। किसी भी परिवार के आज खर्च का हिसाब देखिए आप तो आधा खर्चा उसके कमाई का जाता है, बच्चों को पढ़ाना में या घर के लोगों का इलाज कराने में। तो जो काम आज दिल्ली सरकार कर रही है तो आज से 50 साल पहले हो गया होता तो आज प्राइवेट स्कूल्स का बाजार नहीं बनता, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बाजार नहीं बनता।

तो मुझे ये लगता है और साथ में जब मैं संविधान पढ़ता हूँ तो बाबा साहब ने जो कहा था कि एस स्टेट की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? तो उन्होंने कहा कि स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए अगर आप गरीब हैं, तो आपके बच्चों पर उस गरीबी का असर नहीं होना चाहिए। वो कैसे कि उसके बच्चों को वो ही शिक्षा मिलनी चाहिए जो पैसे वालों को मिल रहा है। उसको वो ही स्वास्थ्य सुविधा मिलना चाहिए जो पैसे वालों को मिल रहा है। लेकिन दुःख होता है कि 70 साल में किसी ने ऐसा नहीं किया। लेकिन गर्व भी होता है कि जिस सरकार के हम हिस्सा हैं, आज वो बाबा साहब के सपनों को साकार कर रही है।

इसीलिए अध्यक्ष महोदय, आज जो कुछ भी पॉवर सेक्टर में सुधार हुआ, जो ये चमत्कार हुआ, मुझे लगता है कि ये एक केस स्टडी होना चाहिए देश की बाकी सरकारों के लिए, बाकी स्टेटस की सरकारों के लिए भी कि जो दिल्ली सरकार कर सकती है, ये चमत्कार बाकी सरकारें भी कर सकती थीं अगर उनको चिंता अपनी जनता का होता। लेकिन हो क्या रहा है आज ही मैं एक न्यूज पढ़ा कि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि देश भयानक आर्थिक मंदी की तरफ अग्रसर है। आज देष में, उन्होंने कहा और ये क्यों है चूँकि नोट बंदी और जीएसटी का गलत प्रभाव है। तो मेरा ये कहना है, ये क्यों हुआ? चूँकि आपने जो हम जो आप अगर फ्री बिजली हम जनता को दे रहा है, आप वो फ्री बिजली इंडस्ट्रीज को बाँटा, आपने वो फ्री बिजली बड़े–बड़े उद्योपतियों को बाँटा। तो मुझे ये लगता है यही एक बेसिक डिफरेंस है दिल्ली की सरकार में और बाकी देशों की सरकार में। जब ये विरोध करते हैं ये लोग हालाँकि हमारे बीजेपी सदस्य आज नहीं हैं। मुझे ये लगता है कि आज जो दिल्ली सरकार कर रही है, ये जो मैं आँकड़े आपको बताया महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? महाराष्ट्र

में सरकार बीजेपी की है। ये हरियाणा में बिजली के रेट हमसे तीन गुना महंगा है। किसकी सरकार है भाई? बीजेपी की सरकार है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अनप्रेसीडेंटल बिजली के रेट बढ़े हैं। तो मुझे ये लगता है कि उनको एक सबक लेना चाहिए, उनको एक स्टडी करना चाहिए कि जिस तरह से हमने ये दिल्ली में बिजली के सुधार किये, आप करके दिखाइए। हालाँकि कुछ जगह हमसे सीख रहे हैं। हमने देखा, हमारा स्कूल्स देखने के लिए अभी एक कान्फ्रेस हुआ था जब हेप्पीनेस करिकुलम हो रहा था तो बीजेपी के छः स्टेट के मिनिस्टर्स आए थे देखने के लिए, कैसे हमने सुधार किया। वो ये भी देखने आए थे, कैसे मोहल्ला क्लीनिक बना रहे हैं। बाकी स्टेटों में वो उसको इम्युलेट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसी तरह से एक स्टडी भी होना चाहिए कि जिस तरह से बिजली के सुधार दिल्ली की सरकार ने किया। क्या बाकी सरकारें नहीं कर सकती है? आखिर सुविधा करना क्यों नहीं चाहती हैं? तब मुझे लगता है कि मुझे आज जब बीजेपी का सदस्य या इनकी पार्टी जब इसको विरोध करते हैं तो मुझे लगता है कि माजरा क्या है, आखिर वो चाहते क्या हैं। तो मुझे लगता है कि आज साढ़े चार साल इस सरकार के हो गए, साढ़े चार साल में सरकार और ये सुधार कोई... एक जगह मैं कहीं पर रहा था तो उन्होंने कहा कि ये चुनाव के कारण से स्टंट दे रहे हैं, कर रहे हैं। तो मुझे कहा, साहब, फिर साढ़े चार साल के कामकाज को आपने गौर से नहीं देखा अगर गौर से देखा होता तो आपको ये भी याद होता कि सरकार आने के पहले सप्ताह में हमने बिजली आधे किए थे और पानी मुफ्त किए थे। यानी पहले सप्ताह से सुधार हुआ था आज अब उस मुकाम पर पहुँचे हैं जहाँ दिल्ली की जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं और बिना किसी तरह के टैक्स बढ़ाये। आप स्वच्छता की बात करते हैं। वो स्वच्छता सब सुधार देते हैं। आप कृषि सुधारने की बात करते हो, होता तो नहीं है। लेकिन

कृषि पे टैक्स तो बढ़ जाता है। बिना किसी तरह के टैक्सेस बढ़ाये रादर बिजली में जो खर्चा होता था; पहले 4.6 परसेंट था दिल्ली में खर्चा, वो घटा के 3.3 परसेंट कर दिया गया। जब कि दूसरी तरफ अगर बगल में हरियाणा चले जाएँ आप तो हरियाणा में बिजली पर खर्चा 14.8 परसेंट है। तो मुझे ये लगता है कि आज ये चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है कि न केवल सदन को बल्कि दिल्ली की जनता को, बाकी जनता को भी जानना चाहिए कि वास्तव में साढ़े चार साल में दिल्ली की सरकार ने क्या चमत्कार किए। तो आज मैं धन्यवाद करता हूँ, ज्यादा न कहते हुए कि आप जिस तरह की दिल्ली की सरकार, जिस तरह के हमारे और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, माननीय हमारे अरविंद केजरीवाल जी, पूरी कैबिनेट ने जिस तरह से साढ़े चार साल में दिल्ली की जनता के लिए काम किया है, मुझे लगता है कि अपने आप में एक इतिहास को रचा है और वो इतिहास जिसको बाकी पार्टी, बाकी सरकारें उसको फोलो करें तो जो चमत्कार दिल्ली में हुआ, वो बाकी जगह भी हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये मौका दिया और पॉवर सेक्टर में जो सुधार हुआ उसकी चर्चा हमने सदन में की, बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। नितिन त्यागी जी।

श्री नितिन त्यागीः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया।

वर्ष 2012, 2013 में, जैसा संजीव भाई बता रहे थे बार बार हर छः महीने में, चार महीने में बिजली के रेट बार बार बढ़ते थे और जनता त्राहि त्राहि करती थी, जनता परेशान होती थी, जनता कहती थी कि इतने रेट, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, रेट बिजली के भी बढ़ते चले जा रहे हैं

तो उनसे उस वक्त की जो सरकार थी, वो कहती थी कि भइया, दो बल्ब मत जलाओ, एक बल्ब जला लो। वो सरकार उनसे कहती थी, कूलर मत चलाओ, पंखा चला लो। वो सरकार उनसे कहती थी कि बिजली को कम खर्च करो, बिजली मत इस्तेमाल करो अगर बिल नहीं दे सकते हो तो और आज की सरकार कहती है कि अगर तुम पर पैसे नहीं हैं, तुम्हें पैसे की कमी है तो बिजली के लिए टेंशन मत करो, तुम्हारे बच्चे लैंप पोस्ट के नीचे नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे घर में ही पढ़ेंगे क्योंकि एक सच्चे जन–प्रतिनिधि का, एक सरकार का, पहले तो राजा महाराजा होते थे, आज जन–प्रतिनिधि होते हैं; चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उप मुख्यमंत्री होते हैं, मिनिस्टर होते हैं। उनका कर्त्तव्य ये नहीं है कि गरीब का झोपड़ियों में जाकर खाना खाएँ, पर उनका कर्तव्य यह जरूर है कि किसी भी गरीब की झोपड़ी में अंधेरा न हो। किसी भी गरीब की झोपड़ी में खाना न बना हो, ये देखना उनका कर्तव्य है। कोई भूखा न सो रहा हो। बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, जाके फोटो खिंचवा लेते हैं पर एक दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री हैं, जो यह इन्श्योर करते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि हर गरीब के झोपड़े के अंदर बिजली जले, हर गरीब के बच्चे को षिक्षा मिले, हर गरीब को स्वास्थ्य सेवा मिले और ये बिजली का जो है, जो रेट कम किए हैं... देखिए, इसी से शुरु करूँगा; रेट और बहुत सारे रिफार्म्स हैं क्योंकि ये एक पब्लिक की फीलिंग है। हम लोग जो यहाँ पर आते हैं, सारे जन–प्रतिनिधि हैं अपनी पब्लिक की फीलिंग्स को लेकर आके हाउस में उठाते हैं और पब्लिक की जो ये फीलिंग आती है कि 200 यूनिट तक बिल नहीं देना पड़ेगा, सर, ये आश्चर्य नहीं, अनबिलीवेबल जिसे कहते हैं, विश्वास ही नहीं हो रहा लोगों को कि बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। तो उनसे कहा, भइया, एक महीना रुक जाओ एक अगस्त से लागू हो रहा है, अगले महीने जो है, अगर बिजली 200 यूनिट के नीचे कम इस्तेमाल हुई है तो नहीं देना पड़ेगा

और सच कहता हूँ सर, अगले महीने देखिएगा कि लोगों को विश्वास नहीं होगा जब बिजली का बिल नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा कदम है। जो हाउस वाइव्स हैं, जो घर चलाती हैं, घर के सारे खर्च का लेखा जोखा वही रखती हैं उनके लिए कितनी बड़ी बात है, सोच के देखिए जिनको एक–एक रुपया सोच के खर्च करना पड़ता है। कभी बच्चा अगर टाफी माँग लेता है तो उनका जो है, बजट बिगड़ जाता है। वहाँ पर कितना फर्क पड़ेगा कि 200 यूनिट तक बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। 400 यूनिट तक की अगर बिजली इस्तेमाल हो रही है तो उसमें 50 परसेंट सब्सिडी मिल रही होगी। बहुत सारे लोग हैं जो आज की तारीख में गुमराह करने की कोशिश करेंगे। ऐसी बातें करते हैं, विपक्ष कर रहा है। पता नहीं, ऐसी बात क्यों करता है! फ्रीवीज कहके कि इलेक्षन आ रहे हैं तो फ्रीवीज दे रहे हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी चिंता है इस बात से कि फ्रीवीज इलेक्शन के लिए दी जा रही है तो ये तो आप मान रहे हो कि जो हुआ है, वो अच्छा हुआ है। लोगों को पसंद आ रहा है और अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो आपको बुरा क्यों लग रहा है भई? उसी जनता ने आपको भी चुना था। तो आप उस जनता के पीछे क्यों पड़े हो। बिजली सस्ती हो रही है, उसके पीछे क्यों पड़े हो? मना क्यों कर रहे हो बिजली सस्ती कराने... ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा डिसीजन है, उसका साथ देना चाहिए। बिजली सस्ती हो रही है तो उसे फ्रीवीज बता देते हैं। अरे! ये क्यों नहीं बताते जनता को कि भाई, इस सरकार ने तुमसे एक रुपया टैक्स नहीं बढ़ाया। बिना एक रुपया टैक्स बढ़ाए जनता को बिजली फ्री में दे रही है, ये सरकार, कितनी बड़ी बात है! पहले बात–बात पर टैक्स बढ़ाया जाता था। इस वक्त की केन्द्र सरकार को देख लीजिए; कृषि कल्याण टैक्स, स्वच्छ भारत टैक्स, हर नई स्कीम लेकर आते हैं तो उसका टैक्स जोड़ देते हैं, सेस जोड़ देते हैं, उसका लोड तो पब्लिक के ऊपर जाता है।

पब्लिक स्वेच्छा से दे रही है, अच्छी बात है पर वहीं पर ये सरकार है दिल्ली सरकार जो एक रुपये के टैक्स का बर्डन नहीं बढ़ा रही है। सरकारों का काम प्रोफिट कमाने का नहीं होता है। सरकारों का काम, जो टैक्स से पैसा आता है, उससे सुविधाएँ प्रदान करने का होता है। लोगों का स्टैण्डर्ड आफ लिविंग बढ़ाने का होता है। नई–नई सुविधाएँ नई–नई टेक्नोलॉजी लेके आने का होता है और अगर कोई सरकार ये देखती है कि अपनी इमानदारी के चलते चार साल में 30 हजार करोड़ रुपये से उठाकर बजट हम 60 हजार करोड़ रुपये तक लेके आए हैं। उसके बाद भी पैसा हमारा बच रहा है और हम वो जनता को वापस करना चाहते हैं, तो क्या परेशानी है इसमें? पर इतना दर्द, इतना दर्द कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप कम कैसे कर सकते हो? वो ये एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि भई, यूपी में हमारी सरकार आई, इतनी सारी सीटें आईं, हमने तो देखो, बढ़ा दिये थे दाम। हम मध्य प्रदेश में दाम बढ़ा देते हैं और राजस्थान में बढ़ा देते हैं। आप दिल्ली में कम कैसे कर सकते हो? क्यों आप वहाँ की जनता को लूटते हो? तो आप क्या चाहते हो, दिल्ली की जनता को भी लूटोगे? दिल्ली की जनता को लुटने नहीं देंगे साहब। दिल्ली की जनता ने 67 सीट दी थीं, उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे। हम लोग बार–बार सर, बात करते हैं कि दिल्ली सरकार हर चीज फ्री देती है, फ्री नहीं देती है सर, इसका पूरा का पूरा डिवीजन है। एक गरीब आदमी एक नमक का पैकेट भी खरीदता है अगर मार्किट में जाकर तो उसमें टैक्स देकर आता है। शेम्पू की शीशी खरीदेगा, साबुन खरीदेगा, तेल खरीदेगा, दवाई खरीदेगा, हर आदमी पेट्रोल डीजल खरीद रहा होता है, अमीर हो, गरीब हो, हर आदमी टैक्स दे रहा होता है। हमें इनकम टैक्स में से तो 325 करोड़ रुपये मिलते हैं मात्र कि हम किसी के ऊपर टैक्स बर्डन डाल रहे हों। हमें तो जीएसटी मिलता है उसके अंदर से निकाल के भी हम सब्सिडी देते हैं। पहले की सरकारें क्यों नहीं दे पाती थी? क्यों

जनता पर बार–बार टैक्स का बर्डन बढ़ाया जाता था? इसकी वजह है, सिर्फ एक वजह है कि इस सरकार की नीयत साफ है। सबसे बड़ा वादा ये करके आए थे कि अच्छी नीयत से काम करेंगे और हरेक के लिए करेंगे और जब ये टैक्स आता है और इसके सब्सिडी की तरह से लोगों के पास बेनिफिट पहुँचाया जाता है तो ये देखके थोड़े ही पहुँचाया जाता है कि वो आम आदमी पार्टी का समर्थक है, बीजेपी का समर्थक है या काँग्रेस का समर्थक है या किसी और दल का समर्थक है। वो तो जनता के लिए होता है, सबके लिए होता है, हमारी पूरी दिल्ली के लिए होता है तो उस वक्त ये दूसरी पार्टी वाले, ये अपोजिशन पार्टी वाले, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तब ऐसी आवाजें क्यों उठाते हैं? उन्हीं लोगों ने तो सात सांसद इन्हीं के भी दिए थे, क्या आज वो लोग जिनको सब्सिडी मिल रही है, उनको परेशानी होने लगी कि इनको सब्सिडी क्यों मिल रही है? यही भारतीय जनता पार्टी जब पिछली काँग्रेस की सरकार थी; चौथी विधान सभा के दौरान जब बार–बार रेट बढ़ा करते थे तो कोई बोलने नहीं आता था। कोई ये बोलने नहीं आता था कि बिजली के रेट क्यों बढ़ रहे हैं। आज बिजली के रेट कम होते हैं तो छाती पीटते हैं। ये वही लोग हैं; जब हम लोग कह रहे थे... पहली बार देखा गया देश में कि सत्ता पक्ष कह रही है कि भइया, मेट्रो के रेट मत बढ़ाओ, पब्लिक को परेशानी होगी। ये कहने लगे, बढ़ने चाहिए। अपोजिशन कह रहा है, बढ़ने चाहिए। आज दूसरी बार देखने को मिला है कि सत्ता पक्ष कह रहा है कि रेट कम हो रहे हैं। भई, बहुत बढ़िया। और वो कह रहे हैं, नहीं जी, कम नहीं होने चाहिए। ऐसा विपक्ष पूरे देश में नहीं देखा आज तक! पूरे देश में क्या, मुझे लगता है, पूरी दुनिया में निराला विपक्ष है कि जनता के हित में कार्य होते हैं, उसे रोकने की कोशिश करता है, ऐसा विपक्ष!

श्री महेन्द्र गोयलः चिंता न करो, अगली बारी ये तीन भी नहीं होंगे।

श्री नितिन त्यागीः हाँ, ये पक्का है अगली बार ये तीन भी नहीं रहेंगे। हम लोग बात करते हैं कि दिल्ली के अंदर रेट कम हैं और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारे स्टेट्स में सरकार हैं। अधिकांश भारत के बहुत सारे स्टेट्स में सरकार है। वहाँ पर क्यों ऐसा होता है कि बार–बार रेट बढ़ाने पड़ते हैं। दिल्ली में तो बिजली बनती भी नहीं सर, दिल्ली को तो बाहर से खरीदनी पड़ती है और आशा करते हैं कि आगे–आगे हमारे यहाँ पर नई टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होंगी, सोलर पैनल इस्तेमाल होंगे और ये रेट और गिरेंगे। अभी तक तो सिर्फ बिजली के रेट गिरे थे, सब्सिडाइज्ड मिल रहे थे। मुख्य मंत्री जी ने डीईआरसी को आदेश दे कि जो फिक्स रेट थे, वो भी कम करवा दिए, और परेशानी होगी भारतीय जनता पार्टी को कि ये तो बिल न के बराबर आएँगे। सर, 251 यूनिट अगर दिल्ली के अंदर बिजली कंज्यूम होती है, 200 तक की तो बात है, 251 युनिट अगर दिल्ली में बिजली कंज्यूम होती है। तो सर, 251 का ही बिल आता है और वहीं किसी और स्टेट में देखें या हमारी दिल्ली में ही देखिए, हमारी सरकार आने से पहले 1257 रुपये का बिल आया करता था; पाँच गुना ज्यादा। पाँच गुना ज्यादा बिल आया करता था इसी स्टेट के अंदर। आज इतना बिल कम हो रहा है, ये सर, अनबिलीवेबल। कोई सोच भी नही सकता था। जिस वक्त आंदोलन से निकल के आके आम आदमी पार्टी बनी और गली–गली में नुक्कड़ नुक्कड़ पर हम लोगों ने छोटे छोटे कैम्प लगाये थे, छोटे छोटे टेंट लगाये थे और लोगों से जाके कहते थे कि बिजली के नाम पे बिजली के दरों के नाम पर तुमको लूटा जा रहा है। लोग महसूस करते थे कि यहाँ लूटा जा रहा है। लोगों ने सिग्नेचर कैम्पेन चलाया था कि दिल्ली के अंदर बिजली के

दाम इतना ज्यादा है कि हम नहीं देना चाहते इतना ज्यादा दाम। लाखों लोंगों ने चिट्ठियाँ साइन करके दी थी। कोई ग्यारह–बारह लाख लोगों ने चिट्ठियाँ साइन करके दी थी। जिन चिट्ठियों को लेने से शीला दीक्षित ने मना कर दिया था। हमारे लोगों को अरेस्ट करवाया था, डिटेन करवाया था, चिट्ठियाँ छीनी गयी थी। आज उन लोगों को लगता होगा कि उस वक्त वो चिट्ठी साइन करके हमने कितना बड़ा काम किया था। आज पूरी दिल्ली को 10 लाख लोगों की चिट्ठी ने आज डेढ़ करोड़ लोगों को फायदा पहुँचाया आज दिल्ली के अंदर।

सर, बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं। टेक्निकल बातों से ज्यादा मैं जनता के दिल की बात रखना चाहता हूँ और एक बहुत बड़ी बात ये रखना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्षः नितिन जी, कन्क्लूड करिए, प्लीज।

श्री नितिन त्यागीः कन्क्लूड कर रहा हूँ सर, कि जो लोग ऐसे कार्य का जो कि जनता के हित में है, उसका विरोध कर रहे हैं, उन्हें कोशिश करनी चाहिए अपनी भावनाओं को कंट्रोल रखें। जैसा महेन्द्र गोयल जी ने कहा, इस बार तीन भी नहीं बचेंगे, बस इसी बात का डर है, तो उस डर के चलते लोगों को गुमराह न करें। सर, एक रेजल्यूशन जो है, मैं लाना चाहता हूँ। आपसे इजाजत है?

माननीय अध्यक्षः हाँ, लाइये।

Shri Nitin Tyagi: "The Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi in its sitting held on 23.08.2019 resolves that:

This House acknowledges the efforts of Government of NCT of Delhi in upgrading the infrastructure in power sector;

This House appreciates the general feeling of Members that other Political Parties should not oppose the decision of making 200 units of Electricity free and reducing bill upto 400 units by 50%;

This House resolves that Opposition Party in the house is acting against the interest of Delhi by opposing the decision of making 200 units electricity as free.'

कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो गली–गली में जाके, जो गली–गली में जाके ये कह रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल कम नहीं होना चाहिए, उन्हें इस बात रुक जाना चाहिए, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि जनता के हित में जो भी फैसले लें, उसका समर्थन करें। उसका समर्थन करके जनता तक वो हित में जो हो रहे हैं फैसले, वो पहुँचे। उनका फायदा उन जनता को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्यू।

माननीय अध्यक्षः सुखबीर सिंह दलाल जी।

श्री सुखबीर सिंह दलालः जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस पर बोलने के लिए समय देने पर अध्यक्ष जी।

मैं आपका ध्यान इस सरकार के उस टैरिफ की तरफ दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मुख्य मंत्री और हमारे मंत्री जी ने, उनका भी बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष जी, इस टैरिफ से 200 यूनिट तक बिजली दिल्ली वासियों को बिल्कुल फ्री मिलेगी और इसका फिर जीरो बिल आयेगा, जिसमें दिल्ली की सिक्सटी परसेंट 60 लाख जनता इसका फायदा उठायेगी और अध्यक्ष जी, एक और चीज, ये एक बड़ी वो कह रहा हूँ, 201 यूनिट से 400 यूनिट तक का जो फिफ्टी परसेंट का फायदा है, वो भी इस टैरिफ से 75 परसेंट जो दिल्ली की आबादी है, उसको फायदा होगा और फिक्स चॉर्जेज जो हटाये गये हैं, उससे भी दिल्ली की 84 परसेंट जनता को फायदा

होगा। तो अध्यक्ष जी इस टैरिफ से आम आदमी से पहले और भी कई सरकारें आयीं। 2013 में काँग्रेस के टाइम में 50 यूनिट का खर्चा 264 रूपया आता था लेकिन अब 200 यूनिट का खर्चा जीरो पैसे आएगा, अगस्त से और इसी तरह दिल्ली में 2010 से 2013 तक बिजली के रेट दो गुना कर दिये गये थे लेकिन तब कोई भी अपोजिशन ये चिल्ला के नहीं आए, जब मैं नौकरी में ही था, बस यही कहते हैं कि भई बढ़ते रहते हैं ये तो, बिजली के दाम ऐसे होते हैं। लेकिन एक आम आदमी की सरकार जिसने आम आदमी के बारे में सोचा। 2014 से 2019 तक रेटों में कमी की है, उसकी ज्यादा बढ़ोत्तरी नहीं हुई, कम हुए हैं और उस आम जनता को बहुत–बहुत फायदा हुआ है और इसका दूसरे राज्यों से भी अगर कम्पेरिजन किया जाये तो दिल्ली में 200 यूनिट तक जीरो है और 24 घंटे बिजली जाती है।

अध्यक्ष जी, जिस इलाके में मैं रहता हूँ, वहाँ मुझे पता है, 2014 से पहले बिजली 5–5, 6–6 घंटे आम दिन में जाती रहती थी लेकिन कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि किसी की बिजली एक घंटे से ज्यादा भी किसी एरिया में मिनिमम। जहाँ इतने बड़े इतने 66 किलो वाट के वो ट्रांसफार्मर लगाये गये हैं और लोगों को दिन और रात 24 घंटे बिजली मिलती है और इतने फ्री उसमें और उसी की तरह मैं कहता हूँ बीजेपी के दूसरे स्टेटस हैं। महाराष्ट्र में उसी 200 यूनिट के लिए 8.03 पैसे चार्ज किया जाता है और दूसरी... काँग्रेस की भी बात करें तो एमपी में काँग्रेस की सरकार है। वहाँ 200 यूनिट के लिए 6.00 रुपये चॉर्ज किये जाते हैं और हमारे ही पड़ोस में, यूपी में जो लोग दावा करते हैं कि भई यूपी में बीजेपी की बहुत बहुमत से सरकार आये, वहाँ भी 200 यूनिट के लिए 6.95 पैसे की वो ली जाती है। और 25 परसेंट का एक दिन मैंने पढ़ा था अखबार में, अभी 25 परसेंट और हाइक करने जा रहे हैं। इससे यही लगता है कि

दिल्ली, पूरे देश में ऐसा राज्य है जहाँ मतलब लोगों को बिजली फ्री, पानी फ्री और स्कूलों में और उसमें इतना जो किया गया, इस सरकार ने। कोई बिजली का वो है। मैं कहता हूँ... मैं पहले पढ़ता था दिल्ली की ग्रोथ का जीडीपी का किया जाये। हर साल 2015 से लेकर 11 परसेंट की है जबकि पूरे देश की जीडीपी 7 परसेंट पर ही है। तो मैं ये कहता हूँ कि कुछ भी कमी न होते हुए और इस सरकार ने, हमारा बजट है जो 2015 में 30 हजार का जो है, 60 हजार डबल हो चुका है, उसकी भी मैं सराहना करता हूँ कि भई बजट भी डबल कर दिया और लोगों को सहायता भी दी गयी। तो इससे यही लगता है कि इस सरकार ने जो बहुत अच्छे हमारे मुख्य मंत्री जी सोच बताऊँगा। जब मैं पढ़ता था, तो मेरे प्रोफेसर ने एक चीज... मैं इकॉनोमिक्स का स्टुडेंट था, तो मुझे चैप्टर था हमारे; विसिएस सर्कल आफ पॉवर्टी और दूसरा सर्कल था; वीसीए सर्कल आफ ग्रोथ। मतलब दोनों चीजों के एक सर्कल था, उन्होंने मुझे हिंदी में समझाया कि भई, तू किसान घर से आता है और ये चीज ऐसे होती है। उसने मुझे बताया कि भई, तुम्हारे पिताजी के पास 500 रुपये पैदावार होती है और तुम्हारे घर में खाने वाले भी बच्चे कई हैं तो पैसा कम होने की वजह से बच्चों को न तो असली खुराक दे पाते थे और न वो अपने बैलों को अच्छी तरह.... मतलब खुराक दे पाते थे, जिससे अगर मेरी 500 रुपये पैदावार होती थी, अगले साल वो घटके 400 रुपये पर आ जाती थी। क्यों न तो किसान को देने के लिए पैसे थे, वो गरीब होता चला जाता है। एक टाइम ऐसा आया सर, हमारे पिताजी यही सोचते थे कि अपने बच्चों का पेट कैसे पाला जाएगा। बस, और कोई सोच नहीं होती थी बस खाने के लिए होता था कि भई, क्योंकि वो जैसे बैल को वो देता और अगले साल वो और कमजोर हुआ। उससे पैदावार और कम होगी और पैदावार कम हुई तो अगले साल फिर वही बात हुई। वो ऐसा सर्कल आया, एक दिन बिल्कुल गरीब को

गरीब ही बना दिया गया। उसके विपरीत फिर मैं, मैंने पढाई की और मैं इंस्पेक्टर लग गया। जैसे मेरे घर में आमदनी शुरू हुई तो दूसरा सर्कल शुरू हो गया। उससे क्या, हमारे घर में जहाँ 50 क्विंटल गेंहू होते थे, अगले साल जबकि हमने बैलों को अच्छा खिलाया मेरे पिताजी ने, हमें अच्छी पढ़ाई के लिए क्या मेरे छोटे बहन–भाइयों को। वही सर्कल एक दिन मेरे पिताजी को ऐसा वो बना दिया कि भई वो आज सही तरह क्योंकि गवर्नमेंट एक तरफ से टैक्स लगाती है, गरीबों को गरीबी करती चली जाती है और मुख्यमंत्री की जो सोच है, उन्होंने गरीब आदमी जो दिल्ली की जनता 60 परसेंट जनता गरीब ही है।

माननीय अध्यक्षः हाँ जी, कन्क्लूड करिए दलाल जी, कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री सुखबीर सिंह दलालः उसको टैक्स पर टैक्स लगाकर और ऐसे हमारे मुख्यमंत्री ने बिजली में सुविधा देकर, स्कूलों में सुविधा देकर, पानी में सुविधा देकर, उस चीज को उल्टी तरफ के लिए शुरू किया है और इसका रिजल्ट अगले पाँच साल में ऐसा आएगा, जो परिवार गरीबी की रेखा से नीचे थे, वो इस देश की जीडीपी को बढ़ाने में बहुत–बहुत मदद करेंगे और भई इसी के माध्यम से यह कहना चाह रहा हूँ कि जो ये टैरिफ हमारे सरकार ने किया है, इसका ये घर–घर जाकर विरोध करते हैं कि भई, 200 यूनिट सरकार गरीबों को बाँट रही है, वो अभी हमारे नितिन जी ने बताया था कि ये किसी इन्कम टैक्स का पैसा नहीं, ये उन्हीं एक गरीब से गरीब आदमी भी इसमें सेल टैक्स देता है, जो भी खरीदता है। उसी से हमारी दिल्ली की सरकार का जो 27 हजार करोड़ का टारगेट है, उसी चीज में से सब्सिडी दी जाती है और मैं ये कहता हूँ कि ये सरकार आगे बढ़ाने के लिए और भी जितने भी फायदे होंगे, हम ये देंगे और दूसरी सरकारों

से मैं यही कहूँगा कि जो बीजेपी घर–घर जाकर ये कहते हैं कि ये इलेक्शन्स स्टण्ट है...

माननीय अध्यक्षः दलाल जी, अब कन्क्लूड करिए, प्लीज। कन्क्लूड करिए, प्लीज।

श्री सुखबीर सिंह दलालः आम जनता ये जान चुकी है। मेरे घर पर भी तब वाइफ ये कहते हैं कि तुम्हारी सरकार, अब ये कर दिया बिजली का। अरे यार! बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छा काम कर रही है। आम जनता की भावना यही है। मैं मुख्य मंत्री जी को, उप मुख्य मंत्री जी को, मंत्री जी को ये कहूँगा कि इस चीज से आश्वस्त रहें, बीजेपी ऐसे ढिंढ़ोरा पीटती रहेगी, लेकिन पब्लिक इस टैरिफ से बहुत खुश है। इसी के साथ बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः प्रमिला जी।

श्रीमती प्रमिला टोकसः धन्यवाद, अध्यक्ष जी, कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, ये सरकार भारत की पहली ऐसी सरकार होगी जिसने दिल्ली वालों को इतनी राहत दिलाई और जब हम चुनाव में गए तो हमने ये मुद्दा रखा था अध्यक्ष जी, कि दिल्ली में बिजली हाफ होगी और पानी माफ होगा। तो जो बीजीपी के नेता थे या उनके कार्यकर्ता थे, तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि आप कैसे माफ करेंगे, हाफ कैसे करेंगे? अध्यक्ष जी, वो जब भी वह मुझे मिलती है, आज जब से हमने माफ किया है, जब से वो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। हाफ किया और अब तो माफ हो गया; दो सो यूनिट। तो अब वो दिखाई नहीं देती कि हमने माफ कैसे किया और आगे कैसे करेंगे? तो ये है आपकी सरकार! अध्यक्ष जी, जब पहले की सरकार

थी तो हर छः महीने में, चार महीने में बिजली के बिल बढ़कर आते थे और सरकारें कहती थी कि बिजली खर्च कम कीजिए या अगर बिल नहीं भर सकते तो बिजली मत जलाइए। ये जो पहले की सरकारें थीं, उनकी खैर सोच ये ही थी और जब से 'आप' की सरकार आई है, उनकी सोच दूसरी रही है कि हम लोगों को कैसे फायदा पहुँचाएँ। जो लोगों ने हमें चुनकर भेजा है, जो हमें टैक्स देते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, जिस टैक्स से सरकारें चलती हैं, उसी टैक्स के पैसे हम जनता को सुविधाएँ पहुँचाते हैं और सरकार के काम करके दिखाते हैं। दो सौ यूनिट फ्री बिजली करने के लिए मैं सत्येन्द्र जैन जी माननीय मंत्री और मुख्य मंत्री साहब का बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो दिल्ली की जनता इतनी डरी रहती थी कि हर छः महीने में बिजली के रेट बढेंगे, हर छः महीने में बिजली के बिल बढेंगे, उनको इतनी बड़ी राहत दिलाई और जो हमारे सरचार्ज थे, उनको भी हटा कर कम किया। दो किलो वाट तक चार्ज था पहले, वह 50 हो गया, हो गया और जो जो पाँच से पन्द्रह किलोवाट था, पहले एक सौ सत्तर था, अब सौ हो गया। पन्द्रह से पच्चीस किलोवाट का। ये है 'आप' की सरकार जिन्होंने इतने बेहतर काम करके दिखाए।

अब मैं थोड़ा सा अपनी विधान सभा के बारे में जिक्र करना चाहूँगी। अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा में 220 केवी ग्रिड सब–स्टेशन लगाया गया जिससे आस–पास की और विधान सभाओं को भी इसका फायदा मिला और वहीं पर जो हमारे यहाँ पे सीपीडब्ल्यूडी कालोनी है, वहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर लगाने का काम किया। जैसे सीपीडब्ल्यूडी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्रांसफार्मर नहीं लगने दिया और वहाँ पर जब लोग इकट्ठा होकर माननीय सांसद के पास गए तो भी नहीं माने, उन्होंने भी कोई सहयोग नहीं दिया। फिर वो सीपीडब्ल्यूडी के दफ्तर गए, उन्होंने आवाज किया, अगर हमारा ट्रांसफार्मर

नहीं लगेगा तो हम यहाँ पर आग लगा देंगे। तब उन्होंने अधिकारियों को डराया धमकाया। जब वो हमारा ट्रांसफार्मर लगने दिया। ऐसे ही अध्यक्ष जी, वसंत गाँव में एक और ट्रांसफार्मर लगना था। वहाँ भी डीडीए की जमीन थी। वहाँ पर तीन बार ट्रांसफार्मर लगाने की कोशिश की गयी लेकिन ट्रांसफार्मर लगने नहीं दिया। फिर जब वो वसंत गाँव के लोग थे, उन्होंने अपने मंदिर की जमीन थी, वहाँ पर जगह दी और वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाने का काम शुरू किया। इतने ट्रांसफार्मर लगाए गए कि लोगों को कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि हमने 24 घंटे बिजली देने का वायदा किया है। कहीं हमारी कुछ मिनट के लिए बिजली न चली जाए। अध्यक्ष जी, पहले जनरेटर का बहुत यूज करते थे लोग। हर घर में जनरेटर होता था और लोगों ने... जब वो खराब हो गया। उसकी बैटरी खराब हो गयी तो कई बार ठीक कराई गयी कि कहीं लाइट ना चली जाए... कहीं लाइट न चली जाएकृ तो जब उनको लगा कि लाइट नहीं जा रही है तो दोबारा जिसके पास जनरेटर थे, जिनकी बैटरी खराब हो गयी थी। वो अब हमें खुद आकर बताते हैं कि हमने अपने जनरेटर अपने घरों से बाहर निकाल दिये हैं। इस सरकार ने इतनी बेहतर सुविधा दी है कि 24 घंटे लाइट देने का वादा किया है। अध्यक्ष जी, जो भाजपा की मानसिकता है, जो कांग्रेस की मानसिकता रही, वो ये दर्शाती है; वो किस प्रकार से हमारे कामों में अडंगा डालते हैं और रोड़ा अटकाते हैं कि कभी इनके काम न हो जाएँ, लोग इनको जानने न लग जाएँ। ये इनका भ्रम है अध्यक्ष जी, लोग जानते भी हैं, उनको पता है, कौन काम कर रहा है।

माननीय अध्यक्षः करिए प्रमिला जी, कन्क्लूड करिए, प्लीज।

श्रीमती प्रमिला टोकसः अध्यक्ष जी, मैं सत्येन्द्र जैन जी और माननीय मुख्य मंत्री का बहुत—बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतनी सस्ती बिजली

दिल्ली में की कि भारत की पहली सरकार ऐसी होगी जिसमें इतनी सस्ती बिजली है। मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूँ।

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, अपना वक्तव्य पाँच मिनट में पूरा करने का प्रयास करें क्योंकि सूची लम्बी हैं। अभी कुल पाँच विधायक पूरे हुए हैं और सूची में प्रन्द्रह विधायक हैं। श्री राजेष ऋषि जी।

श्री राजेश ऋषिः अध्यक्ष जी, श्री नितिन त्यागी द्वारा प्रस्तुत संकल्प – जो कि उर्जा क्षेत्र से सम्बन्धित है। मैं उसी के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूँ।

अध्यक्ष जी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ये देश की पहली सरकार है जिसने एक तरीके से जनता के लिए काम करते हुए डार्कनेस टू लाइट, अंधकार से उजाले की और इस कार्य को करते हुए ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। हर गरीब आदमी के घर तक बिजली पहुँची। पहले दिल्ली की हालत ये थी कि दिल्ली में दो–दो घंटे, चार–चार घंटे का कट लगता था। गर्मियों के अंदर स्थिति ऐसी होती थी कि लोग बेचारे एसी चलाने वाले रोते थे। कूलर चलाने वाले रोते थे। चार–चार घंटे लाइट चली जाती थी। सीलन वाले माहौल में, बडी मुष्किल से जिंदगी कटती थी। बिजली के दाम इतने अधिक थे कि हर गरीब आदमी को देने में डर लगता था। पता चलता था कि हर तीन महीने में बढ जाएगा, दो महीने में बढ़ जाएगा। ये डर लगा रहता था। लेकिन जब से अरविन्द केजरीवाल जी की सरकार आई, उन्होंने आने के बाद इसमें बहुत बडा परिवर्तन किया। इन्फ्रास्ट्रक्चर को बदला। बिजली के दामों को घटाया, किलोवाट्स घटे और गरीब आदमी को राहत देने का काम किया। आप जानते हैं कि पहले ये डेसू हुआ करता

था। ये सरकार की एक कम्पनी हुआ करती थी जो बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही थी। लेकिन इसको प्राइवेट किया गया। प्राइवेट करने के बाद इसके हालात ऐसे बिगड़े कि हर दो तीन महीने में बिल बढने शुरू हो गये। काँग्रेस के टाइम में तो ऐसी हालत हो गयी थी कि आम आदमी बेचारा बिजली के बिल देने में त्रस्त था। दिल्ली की स्थिति बदली आम आदमी पार्टी सरकार आने के बाद। जो हमारे नेता अरविन्द केजरीवाल जी ने वादा किया था, 'बिजली हाफ, पानी माफ' आते ही उसे पूरा किया। लेकिन अब तो चमत्कार हो गया कि उन्होंने अब तो 200 यूनिट तक बिजली पूरी माफ कर दी। उन गरीब आदमियों को जिन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ता है, इस मंहगाई के दौर में बिजली पर। उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के अंदर दिन–प्रतिदिन सप्लाई बढ़ती चली जा रही है, डिमांड बढती चली जा रही है। मैं तो अपने ऊर्जा मंत्री श्री सत्येन्द्र जैन जी का भी धन्यवाद करूँगा जो इस बार 2019 में पीक ऑवर्स के अंदर बिजली सात हजार चार सौ मेगावाट तक पहुँची और उन्होंने उसकी पूर्ति करी। ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक बार चाहूँगा, सारे सदस्य इसका स्वागत करें कि इतने पीक आवर्स में भी उन्होंने बिजली कहाँ से लाकर दिल्ली को दी। दिल्ली में एक भी कट नहीं लगा। ये गर्मी ऐसी निकली कि लोग कहते हैं कि वाकई जो काम अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है, ये काबिले तारीफ है। क्योंकि किसी की भी लाइट नहीं गयी और तो और इतनी सस्ती बिजली देने के बाद भी हमारी बिजली कम्पनियाँ आज प्रोफिट में हैं। और उन्होंने इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा खर्चा किया है। मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहूँगा। मेरे क्षेत्र के अंदर जितनी ओपन वायर्स भी जिनकी आपस में हवा आँधी चलने पर टकरा कर बिजली बंद हो जाया करती थी, आज वो सारी ओपन वायर कवर्ड कर दी गयी हैं। हर कालोनी की हमने कवर कर दी है और तो और जो पुराने ट्रांसफामर्स थे; आयल वाले, उनको भी बदला है हमने। कुछ

क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर हमारी डिमांड बहुत बढ़ गयी, हमारी घनी आबादियों में डिमाण्ड बहुत बढ़ गयी लेकिन ट्रांस्फार्मर्स नहीं थे, हमारे छोटे ट्रांस्फार्मर्स थे, जो बहुत मुश्किल से वहाँ पर वोल्टेज ठीक दे पाते थे लेकिन केजरीवाल सरकार ने 35–35 लाख के तोषिबा कंपनी के ट्रांस्फार्मर वहाँ पे लगाए, छोटे ट्रांस्फार्मर हैं, 1.6 किलोवाट के ट्रांस्फार्मर हैं और उन्होंने उनकी पूर्ति को किया। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई सरकार इतने महँगे ट्रांस्फार्मर ला के लगाये और जनता की सुविधा के लिए काम करे और उसके बाद भी सस्ती बिजली दे। ये सारे काम हुए हमारे एरिया के अंदर सारे कंडक्टर चेंज किए गए, मैं सत्येन्द्र जी का इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे क्षेत्र की जो भी डिमांड थी, उसको पूरा किया। हर जगह पर केबल्स चेंज की, जहाँ पर भी हमारे ट्रांस्फार्मर्स लगे हैं, पहले वहाँ पर सिंगल सप्लाई आती थी। अब दो–दो ग्रिड से सप्लाई मिलती है, किसी जगह 3–3 ग्रिड से सप्लाई मिलती है ताकि कभी एक ग्रिड फेल हो जाए तो दूसरी ग्रिड से हम बिजली दे सकें। तो ये सारे कार्य इस सरकार ने किए हैं, उन गरीब आदमी को मजबूत किया है, जो बेचारा बिजली और पानी के खर्चे में ही दबा रहता था। क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, इसीलिए गरीब आदमी की मदद इस सरकार ने की। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये काम हुआ है उसके लिए मैं समर्थन करता हूँ और इस संकल्प का समर्थन करता हूँ, जय हिन्द।

माननीय अध्यक्षः सरिता सिंह जी।

श्रीमती सरिता सिंहः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय कि आपने आज मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय में जिसने दिल्ली की जनता का कायाकल्प बदल दिया है, हम ये कहें कि वो जनता जो इसलिए परेशान थी कि वो बिजली और पानी के बिलों से इतनी ज्यादा त्रस्त थी कि वो अपने बच्चों को बेसिक

सुविधा नहीं दे पा रही थी, आज दिल्ली सरकार वो काम किया है कि वो अपने परिवार को एक सम्मानित जिन्दगी दे पा रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका पॉवर सेक्टर की रही है। अभी नितिन भाई ने बात करी थी आंदोलन की। मुझे याद है कि जब आंदोलन चल रहा था और अरविंद जी और हम सब लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हम सब लोग, लोगों से ये कहते थे, लोग हमसे कहते थे कि इतनी ज्यादा बिजली का बिल आता है, इतना ज्यादा बिजली का बिल आता है कि हम या तो बिजली का बिल भरेंगे या तो अपना घर चला पाएँगे। हम लोगों से कहते थे कि किस तरह से बिजली के बिलों के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है और बार–बार उस समय की जो काँग्रेस की सरकार थी, वो ये कहती थी कि बिजली कंपनी घाटे में है... बिजली कंपनी घाटे में है ... बिजली कंपनी घाटे में है... इसलिए बिजली के बिल को बढ़ाना अनिवार्य है और बार–बार... मुझे याद है, उस समय जब लोगों से बात करते थे, लोगों के बीच में जाते थे तो लोग केवल और केवल बिजली के बिलों को ले के बहुत ज्यादा परेशान थे और मुझे याद है जब अरविंद जी ने ये ऐलान किया था कि आप बिजली के बिल मत भरना, और दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी की सरकार को ले के आना, हम बिजली के बिल हाफ और पानी के बिल माफ करके दिखाएँगे और वही सरकार ने करके दिखाया। उस समय जो विरोधी थे, जो विरोधी दल के लोग थे, वो अरविंद केजरीवाल को... मैं माफी चाहूंगी अगर ये वर्ड मैं यूज कर रही हूँ, वो अरविंद केजरीवाल को पागल कहते थे। वो कहते थे, 'ये पागल है, बिजली के खंभों में खड़े हो के मीटर जोड़ता है।' पर आज वही पागल पंथी हैं, आज वही जज्बा है, आज वही जूनून है जिसने आज दिल्ली सरकार में, जनता के समर्थन से दिल्ली में बिजली के बिल हाफ किए और पानी के बिल माफ किए और ये 14 फरवरी 2015 में जो हमारी सरकार ने संकल्प लिया था एक

हफ्ते के अंदर दिल्ली में बिजली के बिल हाफ किए गए थे। तो इसीलिए आज जो विरोधी हैं, ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के पहले का स्टण्ट है जी, 2020 में चुनाव आ रहे हैं इसलिए 200 यूनिट बिजली के बिल माफ कर दिए। सर जी, ये तो हमारे मेनिफेस्टो में भी नहीं लिखा था, हमारा वादा तो बिजली का बिल हाँफ करना था, हमने दिल्ली में 200 यूनिट बिजली के बिल माफ कर दिए। ये हमारे मेनिफेस्टो में नहीं था, ये हमारा वादा नहीं था। ऐसा क्यों कर पाए? ऐसा दिल्ली सरकार ने क्यों किया? ऐसा दिल्ली सरकार कैसे कर पायी और अरविंद केजरीवाल की सरकार ऐसा क्यों कर पायी और काँग्रेस की या उसके पहले की जितनी भी सरकारें थी, वो ऐसा क्यों नहीं कर पाई? मुझे याद है, जब मनीष जी ने पहला बजट पेश किया था तो उन्होंने बोला था, 'Budget is not expense, budget is an investment and it is a investment for the people.' 'हम लोगों में इनवेस्ट करते हैं और यही इंवेस्टमेंट है।' जब बजट आया, अगर हम आज के अपने बजट को देखें जो 60 हजार करोड़ रुपया यानी डबल.... शायद ही देश की कोई ऐसी सरकार होगी जो अपने बजट को डबल करती होगी? अरविंद केजरीवाल जी हमारी पूरी केबिनेट, हमारे सारे पार्टी के विधायक, सब ये कहते हैं कि जी, हमारी सरकार के पास बहुत पैसा है, हमारी पार्टी के पास नहीं है। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि हमने सरकार को एक अच्छी नीयत से चलाया, हमने बड़े बड़े सूटकेसों को पार्टी दफ्तर नहीं पहुँचवाया इसलिए आज सरकार के पास इतना पैसा है कि वो दिल्ली में बिजली के बिल 200 यूनिट तक माफ कर सकती है और अगले महीने से वो हमारे बिलों में नजर आना शुरू हो जायेगा। जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक हैं, जो क्षेत्र में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घूम–घूम के बोल रहे हैं, जी, ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि 200 यूनिट बिजली के बिल माफ होंगे। आज दिल्ली की जनता चौराहे में खड़ा हो के जवाब

दे रही है कि ये बिल माफ इसलिए होंगे क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है, वो किया है, इसलिए पहले बिजली के बिल हाफ हुए थे और अब बिजली के बिल माफ हो रहे हैं; 200 यूनिट। ये तो बिजली के बिल माफ होने की बात हुई। सबसे बड़ी बात मुझे याद है कि जब हम सब लोग चुन के आए थे और सबसे बड़ी जो भीषण समस्या थी, वो ये थी बिजली की चोरी की। बहुत ज्यादा बिजली चोरी होती थी। हम कभी भी किसी बैठकों में जाते थे तो बिजली चोरी होने के हमारे पास में मीटिंग में हमसे अधिकारी कहते थे कि बहुत ज्यादा बिजली चोरी हो रहा है और आज अगर हम ये देखें कि दिल्ली में जो बिजली चोरी का जो दर है, वो बहुत ज्यादा कम हुआ है। क्यों हुआ? इसके पीछे नीयत है। लोगों को ये था कि अगर हर महीने हमारा, हर दो महीने, हर तीन महीने में अगर बिजली के बिल नहीं बढ़ रहे हैं, अगर नाजायज रूप से हमसे बिजली का बिल नहीं वसूला जा रहा है तो लोगों ने ईमानदारी से अपने बिल को भरा और इसलिए बिजली की चोरी कम हुई। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जब जैसे मैं यमुनापार के क्षेत्र से आती हूँ, मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा बिजली की कटौती होती थी, बहुत ज्यादा बिजली कटता था। पर आज की तारीख ये पूरी गर्मी बीत गयी, पिछली चार गर्मी बीती हैं, ये इस सरकार की पाँचवीं गर्मी है, शायद ही मेरे क्षेत्र में इस बार... ये मैं अकेले सरिता सिंह नहीं, ये मेरे क्षेत्र के दो लाख मतदाता ये कह रहे हैं कि शायद ही इस बार पूरी गर्मी में किसी के घर भी 10 मिनट से ज्यादा बिजली कटी होगी। तो ये एक गर्व का विषय है। ये गर्व का विषय इसलिए है क्योंकि दिल्ली की जनता ने...

माननीय अध्यक्षः सरिता जी, कन्क्लूड करिए, प्लीज।

श्रीमती सरिता सिंहः दिल्ली की जनता ने जिस सरकार पे अपना

विश्वास जताया, दिल्ली की जनता ने जिस सरकार पे अपना विश्वास दिखाया, उस सरकार ने अपने विश्वास, अपनी जनता की अपेक्षाओं को पूरा किया और गर्व है अगर आज हम अगर अपने रिश्तेदारों से बात करें जो उत्तर प्रदेष, हरियाणा, राजस्थान, मुंबई कहीं भी रहते होंगे, अगर आप आज हम उनके अगर बिजली के बिलों को देखें और हम अपने दिल्ली के बिलों को देखें तो हमें गर्व है कि हम ऐसे राज्य में हैं, जहाँ पर लोगों को बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि मूलभूत सेवाओं के लिए लूटा नहीं जाता है सरकार द्वारा। सरकार की भूमिका यही होती है। सरकार का मतलब ही यही होता है कि वो अमीरों और गरीबों के बीच में जो गैप है, उसको खत्म करें और जैसा संजीव झा जी ने बताया कि सरकार का रोल ही यह है कि जिसको भगवान ने कम दिया हो, उसको सरकार अपनी तरफ से इतना दे दें कि वो एक सम्मानित जिंदगी जी सके। इसमें मैं ये भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमारे बिजली कंपनियों में बहुत सारे ऐसे आउटसोर्स लेबर थे जो काम करते थे, जिनको मिनिमम वेज तक नहीं मिला करता था, जो आज हम सब बात कर रहे हैं, उनके पीछे उन लेबर्स का भी हाथ है, हमारे उन कर्मचारियों का भी हाथ है अगर हम दिल्ली में 24 आवर्स बिजली की बात कर रहे हैं, सब का तो जो हमारी सरकार ने मिनिमम वेजिज रिवाइज किया, हमारी सरकार ने पूरे देश में सबसे ज्यादा मिनिमम वेजिज दिया जिससे हमारा जो मीटर लगाने वाला है, हमारा...

माननीय अध्यक्षः सरिता जी कन्क्लूड करिए, कन्क्लूड करिए, प्लीज।

श्रीमती सरिता सिंहः जो दिल्ली में तो आज हर सेक्टर में, हर वर्ग को हमारी सरकार से फायदा हुआ है। बिजली एक ऐसी चीज थी जो हर व्यक्ति के लिए बेसिक नीड है और उस बेसिक नीड को सरकार से एक्सपेंस न मान के इंवेस्टमेंट मानते हुए हमने बड़े उद्योगपतियों को कोई सब्सिडी

नहीं दी। हमने जनता के टैक्स के पैसे को जनता को वापस किया और जनता के पीछे स्पेंट किया, इससे हमें गर्व भी है और दिल्ली की जनता इस बात पे बहुत गौरवान्वित महसूस करती है, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः अखिलेश पति त्रिपाठी जी।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। मैं आज मॉडल टाउन विधान सभा की तरफ से दिल्ली सरकार का बिजली पर लिए गये ऐतिहासिक फैसले पर धन्यवाद करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं बधाई देना चाहता हूँ, उस दूरदर्शी सरकार को, माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उसके फैसले का जिसके तहत आज दिल्ली में पूरे देष में सबसे सस्ती बिजली देने का काम हो रहा है। मुझे वो दिन याद है, सारे साथी चर्चा कर रहे हैं कि जब हमारी सरकार नहीं थी, हम लोग एक आंदोलन के रूप में लोगों के पास जाते थे, कहते थे, बिजली आधा करेंगे... तो विपक्ष के लोग मजाक उड़ाते थे। आज विपक्ष के लोग नदारद हैं क्योंकि उनको इस पर चर्चा हो सकता है, मजाक लगता। क्योंकि मजाक उड़ाते थे। आज उनका मजाक उड़ रहा है। न केवल बिजली को, हमने आने के बाद आधा करने का काम किया, बल्कि अरविंद केजरीवाल जी के करिश्माई नेतृत्व के अंदर अब 200 यूनिट तक बिजली दिल्ली के लोगों को निशुल्क मिलने जा रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूँ ऐसी सरकार को, मैं बधाई देना चाहता हूँ उस दूरदर्षी नेतृत्व को जिसकी बदौलत आज 200 यूनिट फ्री के साथ—साथ 201 यूनिट से 400 यूनिट तक जो बिजली खर्च करेंगे, उनको आधे में बिजली मिल पायेगी। मैं बधाई देना चाहता हूँ उस नेतृत्व को जिनके दूरदर्शी निर्णय के माध्यम से आज दिल्ली में फिक्स्ड चार्जेज 84 परसेंट यानी कि 125 रुपये से लेकर के घटाकर के बीस रुपये करने का काम सरकार ने करके दिखाया। मैं बधाई देना चाहता हूँ अरविंद

केजरीवाल जी की सरकार को। इस ऐतिहासिक फैसले के लिए कि उन्होंने दिल्ली के हर तरीके के हर वर्ग के कंज्यूमर्स का ध्यान रखा और शॉपकीपर्स का भी ध्यान रखते हुए तीन किलोवाट तक बिजली यूज करने वाले हमारे शॉपकीपर्स को राहत दिया। उनको छः रुपया यूनिट बिजली देने का का आज निर्णय लिया हमारी सरकार ने। मैं बधाई देना चाहता हूँ। अब मैं कुछ और अन्य राज्यों की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा अध्यक्ष जी, बस दो मिनट और लूँगा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले अपने जा कर के गिरेबान में झाँकें आज और देखें कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। वही आपकी महाराष्ट्र की सरकार है जो आठ रुपया तीन पैसे पर यूनिट बिजली देने का काम कर रही है। वही मध्य प्रदेश की सरकार है जहाँ आप की सरकार थी पहले और काँग्रेस की सरकार है, वहाँ छः रुपये यूनिट बिजली देने का काम आप कर रहे हो। ये घरेलू को देने का काम कर रहे हैं। बिहार की सरकार जहाँ आप गठबंधन में हैं, वहाँ पर सात रुपये यूनिट बिजली देने का काम कर रहे हैं आप और पूरे देश में चले जायें अध्यक्ष जी, तो पाँच रुपये का ऐवरेज बनता है। मैं बधाई देना चाहता हूँ फिर से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार को कि इन्होंने दो रुपये से भी कम दाम में हर यूनिट पर बिजली देने का काम दिल्ली के लोगों को कर रहे हैं। ये कैसे हुआ? ये बिजली कंपनियों के ऊपर बहुत सारा भार था, इस समय भी कि बहुत सारे ट्रांसफार्मर बिछाये, बुराड़ी एक एरिया है, किराड़ी है तमाम हमारे अनअथॉराइज कालोनियाँ हैं जहाँ पर बिजली नहीं थी, वहाँ पर बहुत सारा विस्तार किया, पैसे पूंजी निवेश की, उसके बावजूद भी बिजली सस्ती है। ये वही कंपनियाँ हैं, जबाव के समय छः हजार सात हजार रुपया यहाँ के कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती थी और फिर भी बिजली महंगी थी। अब चौदह हजार रुपये तनख्वाह मिल रहा है और बिजली सस्ती है। ये कैसे हुआ? ये कुशल नेतृत्व दूरदर्शी सरकार अरविंद केजरीवाल जी के

मार्गदर्शन में ये सरकार ये करके दिखा पायी है। क्योंकि ईमानदार सोच और अच्छी नीयत के साथ काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, आपका ध्यान मैं और कुछ दिल्ली सरकार के इस काम पर और राजकोषीय नीति के साथ जोड़कर के दिखाना चाहता हूँ। बहुत हल्ला करते हैं कभी–कभी विपक्ष के लोग कि भारतीय जनता पार्टी और काँग्रेस के लोग कहते हैं, अरविंद केजरीवाल की सरकार तो सारा दिल्ली का पैसा लुटा रही है या बर्बाद कर रही है। इनको मैं बताना चाहता हूँ कि इतनी सस्ती बिजली, इतनी सबसीडी, फ्री में पानी, अच्छी ऐजूकेषन, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था देने के बाद दिल्ली देश की ऐसी पहली सरकार है, जो सरप्लस बजट के साथ दिल्ली में काम कर रही है। आप की सरकारों को झांको जहाँ पर केन्द्र के साथ केन्द्र का आपको कहीं 70 हजार करोड़ का राजकोषीय सहायता लेना पड़ता है, कहीं दस हजार करोड़ का राजकोषीय सहायता लेना पड़ता है। दिल्ली की सरकार, दिल्ली के लोग ऐसे लोग हैं जो एक लाख 80 हजार करोड़ कमा के केन्द्र को देते हैं, उसके बाद एक रुपया पैसा केन्द्र से कोई सहयोग नहीं लेते हैं फिर भी दिल्ली की सरकार सबसे सस्ती बिजली देने का काम कर रही है।

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिए, अखिलेश पति त्रिपाठी जी, कन्क्लूड करिए।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः सबको बताने की जरूरत है। आज ये भी बताना मैं मुनासिब समझूँगा ये वही सरकार है, जब हमको सत्ता मिली तो 29 हजार करोड़ का एक हमको बजट का एक नमूना मिला हुआ था। हमारी सरकार आई, धीरे–धीरे करके सबको सारी सुविधाएँ सस्ती करने के साथ–साथ एक अच्छे बेहतर प्रबंधन के नाते आज हमारी सरकार का बजट साठ हजार करोड़ का है। मैं बधाई देना चाहता हूँ ऐसी सरकार को।

माननीय अध्यक्षः चलिए, अखिलेश जी।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः मैं बधाई देना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्षः अखिलेश जी, कन्क्लूड करिए, प्लीज।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः बस कन्क्लूड कर रहे हैं अध्यक्ष जी, आज बस दो मिनट। मैं बधाई देना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को जिन्होंने ऐसी विकट परिस्थितियों में भी जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमेशा चाहा कि काम नहीं कर पाये दिल्ली की सरकार, ऐसे में भी शिक्षा पर काम किया, स्वास्थ्य पर काम किया, बिजली पर काम किया, पानी पर काम किया और पानी के बारे में बताना चाहूँगा कि जब हमारी सरकार बनी उसके बहुत पहले 90 के दषक में समझौता हुआ कि दिल्ली में कितना पानी मिलेगा। एक लीटर पानी दिल्ली सरकार को फालतू नहीं मिला लेकिन दिल्ली सरकार के कुषल नेतष्त्व को, कुशल प्रबंधन को बधाई देना चाहता हूँ आज कि आज उसी पानी में छः सौ अतिरिक्त कालोनियों को पानी देने का काम दिल्ली की सरकार कर रही है। अरे! सीखना है तो आकर के अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से सीखो। आपको सीखना है। जानना है तो आकर के हमारे बिजली मंत्री श्री सत्येन्द्र जैन से सीखने का काम करो। आपको सीखना है तो आकर के हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसौदिया से सीखने का काम करो। आ के सीखना है तो हमारे श्रम मंत्री श्री गोपालराय से सीखने का काम करो कि देश में सबसे ज्यादा मिनिमम वेजेज...

माननीय अध्यक्षः भई अखिलेश जी, आप कन्क्लूड करिए।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः दिल्ली सरकार दे रही है।

माननीय अध्यक्षः अखिलेश जी, अब नहीं, प्लीज।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः बस कन्क्लूड कर रहा हूँ सर।

माननीय अध्यक्षः नहीं–नहीं, अब कन्क्लूड करिए।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः मैं आज विपक्ष पर...

माननीय अध्यक्षः अखिलेश जी, अभी बहुत सदस्यों ने बोलना है।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः बस दो मिनट और... दो मिनट।

माननीय अध्यक्षः नहीं कन्क्लूड, दो मिनट नहीं। नहीं कन्क्लूड करिए।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः मैं बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ी सरकार, बहुत बड़ी पार्टी है। आप अच्छे काम का बड़ाई करना सीखिए। हमने जब आप 370 का निर्णय लिया तो हमने खुले हृदय से आपके निर्णय का सम्मान किया और उसको बड़ाई की।

माननीय अध्यक्षः नहीं कन्क्लूड करिए, अखिलेश जी।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः आज दिल्ली की सरकार ने अच्छा काम किया है। अपनी संकुचित मानसिकता छोड़िए और ये बिजली के दाम कम किए दिल्ली सरकार ने, उसकी बड़ाई करना सीखिए, उसके टांग खींचने मत....

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। धन्यवाद, अखिलेश जी।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः मैं कल्पना करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का...

माननीय अध्यक्षः जरनैल सिंह जी।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः जिन्होंने बिजली का जो...

माननीय अध्यक्षः अखिलेश जी, बैठिए, अब हो गया, अखिलेश जी। अखिलेश

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः निर्णय लिया गया।

माननीय अध्यक्षः अखिलेश जी, बैठिए अब, हो गया, अखिलेश जी।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः उसको न केवल लागू करने में अपनी हिला हवाली कर रहे हैं, उसमें टाँग खींचने का काम कर रहे हैं। इसका बदला, उसको जवाब पूरी दिल्ली की जनता देगी। अरे! आप को हिम्मत है तो आइए, चार मोहल्ला क्लीनिक खोल रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः बहुत–बहुत धन्यवाद, अखिलेश जी।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः आप दो मोहल्ला क्लीनिक खोल कर के आप दिल्ली सरकार से ज्यादा काम करके दिखाइए। कम्पीटीशन प्रतिस्पर्द्धा की शुरूआत करिए।

माननीय अध्यक्षः जरनेल सिंह जी, आप शुरू करिए।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः राजनीति बंद करके...

माननीय अध्यक्षः नहीं अखिलेश जी, एक बार रोका जाता है तो समझना चाहिए, जरनैल सिंह जी।

मैं माननीय सदस्यों से फिर प्रार्थना कर रहा हूँ, समय की सीमा को देख लीजिए। पाँच मिनट में हम अपनी बात ठीक से, ईमानदारी से रख सकते हैं। रखिए, जरनैल जी।

श्री जरनैल सिंहः धन्यवाद अखिलेश भाई का। अध्यक्ष जी, आपका भी बहुत–बहुत धन्यवाद कि दिल्ली वालों की जेब से जुड़े और इतने इमोशनल

मसले पर बोलने का आपने मेरे को समय दिया। इमोशनल इसलिए कह रहा हूँ अध्यक्ष जी, क्योंकि दिल्ली वाले अभी उस समय को भूले नहीं हैं जब बिजली की नंगी तार की तरह बिजली का बिल भी करंट मारता था। इमोशनल इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चा रो रहा है, घर पर एसी लगा हुआ है और ऐसी में टाइमर लगाना पड़ता था जी, बिजली का बिल कहीं ज्यादा न आ जाए। फिर से बिजली का बिल कंरट न मार दे। इनवर्टर नाम की कोई चीज होती थी। अध्यक्ष जी, आज दिल्ली में ये सीन आ चुका है। पॉवर सेविंग इक्विपमेंटस दिल्ली में बड़े आम तौर पर बेचे जाते थे कि जी, ये लगा लो घर के किसी प्वाइंट में जा के, याद है दिल्ली वालों को और आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा। हर घर की चिंता होती थी, महीने का बिजली का बिल। इस बिल में अगर किसी ने इतिहासिक काम किया है तो हमारी सरकार ने किया है। हमने शुरू में जो वादे किये थे, तो बड़े सारे लोग अध्यक्ष जी, शुरू–षुरू में बोलते थे, ये तो नये लोग हैं, इन्हें कुछ मालूम नहीं। खाली बातें कर रहे हैं, कर नहीं पाएँगे। तो फारसी का एक छोटा सा वाक्य है अध्यक्ष जी, उसको बोलते हैं बजुर्गी बा अक्ल अस्त, नाबासाल। इसमें शेख सादी जी एक बारी कहीं जा रहे होते हैं रेगिस्तान में और जाते–जाते मंजिल अभी दूर होती है। छोटा सा गाँव आ जाता है, रास्ते में। गाँव आता है तो सिर्फ शेखसादी जी के पास एक मोहर पड़ी है और साथ में एक मुर्गी भी है, गधा भी है, तीनों को खाना खिलाना है। खुद भी खाना है। तो अब सोच में पड़ जाते हैं कि करें? क्या एक मोहर से काम कैसे चलाएँ? तो एक वहाँ पर लड़का खड़ा होता है अध्यक्ष जी, उसकी उम्र कोई बहुत बड़ी नहीं होती पर होता हमारे सीएम साहब जैसा है। बिल्कुल उनके दिमाग जैसा उसका दिमाग होता है। हमारे मनीष भाई जैसा, हमारे जैन साहब जैसा उसका दिमाग होता है। तो शेखसादी जी उससे

पूछते हैं जी, एक मोहर है मैंने भी खाना है, गधे को भी खिलाना है और मुर्गियों को भी खिलाना है। कैसे करें? तो वो कहता है जी, आप एक तरबूज ले लो। तरबूज खुद खा लेना, उसके जो छिलके हैं, वो गधे को खिला देना और जो बीज निकलेंगे, वो मुर्गी को खिला देना। तो ये तो इससे तीनों का काम चल गया। शेखसादी भी हैरान रह जाता है। इसको कहते हैं अध्यक्ष जी, दिमाग, कि किस तरीके से इकॉनॉमी चलानी है, किस तरीके से बजट 30 हजार करोड़ से 60 हजार करोड़ करना है जिससे लोगों का काम भी चल जाए। अध्यक्ष जी, योजनाएँ सारी ऐसी हैं, दिल्ली वालों की। एक तरफ तो लोग योजनाएँ चला रहे हैं, हर चीज में धर्म को बीच में जोड़ के। मेरे को खुशी है कि हमारी सरकार ये जो योजनाएँ चला रही है, उसको आप कह सकते हैं कि नजरवालों को तो हिंदू और मुसलमान नजर आता है, हम तो इस मामले में अंधे हैं जनाब, हमें हर शख्स में इंसान नजर आता है। हर स्कीम अध्यक्ष जी, ऐसी है, कहते थे कि जी, बिजली के रेट कोई कम नहीं कर सकता। पानी फ्री नहीं हो सकता। सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हो सकते। सरकारी हॉस्पिटल अच्छे नहीं हो सकते। सीसीटीवी नहीं लग सकता। अभी कुछ दिन पहले तक तो कह रहे थे कि वाई–फाई भी नहीं लग सकता। पर इस चीज की बड़ी अच्छी अध्यक्ष जी, एक फीलिंग आती है कि देश के दो नेताओं के ऊपर सबकी नजर है। एक नेता वो हैं, जिनकी घोषणा से लोगों को डर लगता है कि पता नहीं, कब आगे क्या घोषणा कर दे और अफरा–तफरी मच जाये। दूसरे नेता वो हैं, जो आये दिन कोई न कोई अच्छी घोषणा करते रहते हैं। कभी कह देते हैं जी, आज से सर्विसेज की होम डिलीवरी शुरू हो गई। कभी ये कह देते हैं जी, आज से बिजली के रेट 200 यूनिट तक फ्री हो गये। कभी बसों की घोषणा कर देते हैं और अभी पिछले दिनों जो टैरिफ चार्जेज जो फिक्स

चार्जेज का मसला था, उसके ऊपर भी घोषणा करके उसको भी क्लीयर कर दिया। तो समय आपने लिमिटेड दिया है इसलिए अपनी बात को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। अध्यक्ष जी, एक भ्रम तो अपर–क्लास के अंदर फैलाया जा रहा है। मेरे अपने दोस्त हैं, उन्होंने ही मेरे को क्लीयर किया कि हमारे ग्रुप के बीच में कुछ लोग इंटरनेशनली ये फैला रहे थे कि यार! हमारे इन्कम टैक्स का पैसा और देखो, ये गरीबों में बाँटे जा रहे हैं। तो उन्होंने खुद ही उस क्लास के अंदर क्लीयर किया क्योंकि समझदार आदमी हर जगह पर मौजूद है कि जो इन्कम टैक्स हम देते हैं, वो दिल्ली सरकार को नहीं दे रहे। वो सेंटर गवर्नमेंट को जा रहा है जिसका बड़ा थोड़ा सा पार्ट दिल्ली गवर्नमेंट को मिलता है; सवा सौ करोड़ देने की बजाय सिर्फ 325 करोड़ मिलता है। जो इस टैक्स, जिस टैक्स से दिल्ली सरकार सब्सिडी दे रही है। वो टैक्स वो टैक्स है जो एक गरीब वाला जैसे नितिन भाई ने बताया तो गरीब आदमी नमक की थैली खरीदता है, तो वो भी देता है और कोई अमीर आदमी अगर गाड़ी खरीदता है तो उसमें भी देता है। इस टैक्स की कलैक्शन से ये सब्सिडी दी जा रही है। ये पब्लिक का फायदा किया जा रहा है। तो मैं बात कर रहा था, उन दो नेताओं की। एक तरफ लोग घोषणाओं से डरते हैं और एक तरफ लोग इंतजार करते हैं कब सीएम साहब प्रेस–कॉन्फ्रेंस करें और तीर्थ यात्रा जैसी कोई स्कीम की घोषणा करें और किसी स्कीम की घोषणा करें तो अपनी बात को समय रहते बड़ी सुंदर दो लाइनें बोलकर खत्म करूँगा किः

उस तरफ साजिश पे साजिश हो रही है,
इस तरफ नवाजिश पे नवाजिश हो रही है।
उधर तो लोगों को नफरतों में जला रहे हैं,
और इधर जनता पर तोहफों की बारिष हो रही है।
तो मैं अपने–आप को खुशनसीब फील करता हूँ अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, धन्यवाद।

श्री जरनैल सिंहः अध्यक्ष जी, मैं भी उसी टीम का हिस्सा हूँ। आपने इतने दिल्ली वालों की जेब से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद!

माननीय अध्यक्षः जरनैल जी, बहुत–बहुत धन्यवाद। श्री तोमर जी।

श्री जितेन्द्र तोमरः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। आज बिजली के रिफॉर्म पर जो चर्चा शुरू की है हमारे वरिष्ठ साथी संजीव झा जी ने, उसमें आपने मुझे बोलने का मौका दिया। चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह साबित करके दिखाया है कि ये आम आदमी की सरकार है और आम आदमी के लिए सरकार है। ये साबित करके दिखाया है। अभी अखिलेश भाई कह रहे थे, रुक नहीं रहे थे बिल्कुल, कह रहे थे कि मजाक उड़ाने वालों का मजाक उड़ रहा है। ये सच है कि मजाक उड़ाने वालों का मजाक उड़ रहा है। अब मैं भी जब जाया करता था चुनाव में कंपैनिंग पर तो बहुत से लोग मजाक उड़ाया करते थे; बीजेपी के लोग करते थे, कांग्रेस के लोग होते थे। वो मजाक उड़ाते थे कि साहब, ये क्या बात करते हैं! बिजली कहां से हाफ कर देंगे? पानी कैसे माफ कर देंगे? पहले ही इतने कर्जे में डूबी हुई है बिजली कंपनियाँ, इतना बुरा हाल है, कैसे कर देंगे? लेकिन पहले ही महीने में जब हमारी सरकार ने, हमारे मुख्य मंत्री ने करके दिखाया तो उनके पास जवाब नहीं था। जब पानी 20 हजार लीटर माफ कर दिया तो इनके पास जवाब नहीं था। तभी से उनका मजाक उड़ना शुरू हो गया था और मजाक बहुत ज्यादा तब उड़ गया कि हमने जो वादा नहीं किया था, हमने उसको भी करके दिखाया। मुख्य मंत्री जी ने, माननीय अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उप मुख्य

मंत्री जी मनीष सिसोदिया जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने वो करके दिखाया जो वादा नहीं किया था। जनता को कहा नहीं था, 200 यूनिट तक बिजली फ्री करके दिखा दी। सब लोगों को मुफ्त में बिजली देने का जो एलान किया है, ये इससे इतने बोखलाए हुए हैं। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि आज जो कुछ हुआ सदन के अंदर, आँकड़े तो अभी मेरे बहुत साथियों ने दिये कि कितने यूनिट कहाँ हो गया। आज जो कुछ सदन में हुआ, वो बहुत सोची–समझी रणनीति थी क्योंकि ये जो आज चर्चा तो होनी ये आलरेडी बिजनेस में था ये और जो हमारे चार साथी, बहुत छोटा सा विपक्ष है, हमारा चार लोगों का। इस चर्चा में वो नजर मिलाके बात नहीं कर पाते, उनके साथ बहुत मजबूरी होती। वो इसका विरोध भी नहीं कर सकते थे। विरोध कैसे करते कि 200 यूनिट तक आपने बिजली कैसे माफ कर दी, उसका विरोध नहीं कर पाते। उनको यहाँ समर्थन करना पड़ता। और यहाँ अगर वो समर्थन करते तो बाहर उनकी पिटाई होती, उनका नेता मनोज तिवारी बोखला के कहता कि ये कैसे कर दिया? जनता का पैसा लुटा रहे हो। उनके लिए विजय गोयल जी, उनके नेता हैं। वो कहते हैं, वो कहते हैं, घूम रहे हैं जगह–जगह ढोल लेके, ढोल बजाते घूम रहे हैं। वो कहते हैं कि साहब, ये तो नहीं हो सकता। ये तो बहुत गलत बात की इन्होंने। वे जनता का पैसा लुटा रहे हैं। तो आज जो कुछ भी हुआ, चारों साथी अगर यहाँ पे विपक्ष के नहीं हैं तो ये सोची समझी रणनीति थी, जो लगातार उन्होंने जो हंगामा किया, इसलिए किया कि आप उनको बाहर करें ताकि उनको ये जो सिचुएशन है, इसका सामना ना करना पड़े। फेस सेफ करने के लिए उन्होंने आज ये किया।

मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ दिल्ली की सरकार को, मुख्य मंत्री जी को, उप मुख्य मंत्री जी को कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री करने के बाद

आप देखना... वैसे तो चोरी वैसी ही बहुत कम होगी। जब से 400 यूनिट तक हमने सब्सिडी दे दी थी; पचास परसेंट जब बिल 400 यूनिट तक माफ कर दिया था, उसके बाद बिजली चोरी बहुत कम हो गयी थी और अब बिल्कुल, जहाँ कहीं थोड़ी बहुत चोरी है, वो भी खत्म हो जायेगी। उर्जा मंत्री जी बैठे हैं; पॉवर मिनिस्टर साहब, शायद मेरी बात का समर्थन करेंगे। वो भी बहुत खत्म होगी और जो लोग अभी इन दिनों में ढ़ाई सौ यूनिट, तीन सौ यूनिट इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा और एक महीने के बाद मौसम भी ठीक हो जायेगा। तो वो लोग किफायत करना शुरू करेंगे। इससे बिजली की बचत होगी कि हमको 200 यूनिट तक इसको रखना है। अगर 201 यूनिट हो गया तो बिजली का बिल लगेगा। उन लोगों को इससे बिजली की बचत भी हुई, क्योंकि बिजली तो दिल्ली में पैदा होती नहीं। दिल्ली हम सब लोग खरीदते हैं बाहर से। इस सब के बावजूद लगातार साढ़े चार साल में ये भी था, जब हमने 400 यूनिट तक बिजली हाफ की गयी थी, तब ये कहा गया था कि एक साल में देखना अगले साल दोबारा ये सब खत्म हो जायेगा और बिजली फिर महंगी होनी शुरू हो जायेगी। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ, अपनी दिल्ली की सरकार को, अपने मुख्य मंत्री को, अपने उप मुख्य मंत्री को, अपने उर्जा मंत्री को कि आज साढ़े चार साल हो गये, दाम बढ़ने की बात तो बहुत दूर है, दाम लगातार घटे और एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ कि 200 यूनिट तक बिजली मुफत हो गई। ये जो चमत्कार जो हुआ है, उसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसकी पीछे ईमानदारी है हमारी सरकार की। हमारी सरकार ईमानदार है। हमारी सरकार की नीयत ठीक है। इसलिए ये लोग, ये हमारे मुख्य मंत्री जी ये कर पाये। पहले क्या होता था, रेट बढ़ते थे, उसका कारण ये होता था कि जो बिजली कंपनियाँ हैं और जो सरकार है, जो नेता हैं, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होती थी, डील होती थी और जो पैसा आज जनता को

मिल रहा है, वो पैसा नेताओं की जेब में जाया करता था। आज वो पैसा जनता के बीच में जा रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, यदि जनता का पैसा और हमारे मुख्य मंत्री जी अगर जनता को दे रहे हैं तो इसमें किसी को बुरा क्यों लग रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी इसका विरोध क्यों कर रही है? मैं तो उनको एडवाइज करना चाह रहा था, हाथ जोड़के निवेदन करना चाह रहा हूँ, भइया, विरोध मत करो। कम से कम गरीबों का भला होने दो। जनता का हित होने दो, उसमें विरोध मत करो। राजनीति करो लेकिन राजनीति इतनी घटिया स्तर पे नहीं होनी चाहिए कि आप किसीकृ. अगर जो आज मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली के अंदर 60 हजार कनैक्षंस हैं बिजली के, साठ हजार उपभोक्ता हैं। सॉरी, साठ लाख उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं, उस पर 37 लाख कंज्यूमर्स ऐसे हैं, जिनका बिजली का बिल माफ हो जाएगा एक अगस्त से, अब शुरू हो रहा है कि उनको अब बिजली का बिल नहीं आयेगा। और अगर हम 400 यूनिट की बात करें तो वो 44 लाख उपभोक्ता हो जायेंगे। साठ लाख में 44 लाख परिवारों को फायदा होने वाला है। फायदा हो रहा है पिछले साढ़े चार साल से और अब दो सौ यूनिट तक बिल्कुल फ्री हो जाएगा। इसमें तो बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएँ मुख्य मंत्री जी को, उप मुख्य मंत्री जी को। और एक और बधाई देना चाहता हूँ अपनी सरकार को। 7400 मेगावाट की डिमाण्ड पर दिल्ली के अन्दर कोई ब्रेक डाउन न हो, बहुत सुचारु रूप से बिजली मिलती रहे, इससे बड़ी कोई बात नही हो सकती। नहीं तो पहले हुआ करता था कि जब डिमाण्ड बढ़ती थी, मुझे याद है 5800 लास्ट हुआ करती थी, जब हम सरकार में आये थे। उससे पहले 5800 मेगावाट पर लास्ट डिमाण्ड हुआ करती थी और उस टाइम आठ–आठ घण्टे के कट हुआ करते थे।

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिए, तोमर जी।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः सात–सात, आठ–आठ घण्टे तक बिजली नहीं आया करती थी कहीं। कहीं बारह–बारह घण्टे तक बिजली नहीं आती थी। मैं कन्क्लूड कर रहा हूँ। मैं अखिलेश की तरह नहीं करूँगा, चिन्ता मत करो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब हो पाया अच्छी नीयत की वजह से, अच्छी सरकार की, ईमानदार सरकार की नीयत से। मैं, जो अभी संकल्प प्रस्तुत किया है, हमारे भाई नितिन त्यागी जी ने कि अन्य राजनीतिक दलों को भी दो सौ यूनिट तक बिजली मुफ्त करने तथा चार सौ यूनिट तक के बिलों को पचास प्रतिशत तक कम करने के निर्णय का विरोध नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए और सदन में विपक्षी दल दो सौ यूनिट बिजली मुफ्त करने के निर्णय का विरोध करके दिल्ली के हित के विरूद्ध कार्य कर रहे हैं, इसका मैं समर्थन करता हूँ और एक बार विशेष तौर पर बधाई देना चाहता हूँ मैं अपने पॉवर मिनिस्टर को कि आइडिया कई बार बहुत गजब के देते हैं ये। आइडिया होते हैं। कई ज्यादा होते हैं लेकिन कई आइडिया बहुत बढ़िया होते हैं इसके लिए बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। जय हिन्द।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। बंदना जी।

श्रीमती बन्दना कुमारीः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। आज सुबह से मैं आपका प्रतीक्षा कर रही थी कि आप थोड़ा सा समय मुझे दें। बहुत सारे मुद्दे हमारे लगे हुए थे। स्टार्ड क्वेष्चन में भी, 280 में भी। कभी आपका मौका नहीं मिला। लेकिन आज आपने मौका दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष जी, मैं एक छोटा सा अपने इस लिंक के हटके अपने साथी अलका जी के बारे में कहना चाहूँगी।

माननीय अध्यक्षः नहीं, उसको छोड़ दीजिए।

श्रीमती बंदना कुमारीः नहीं सर, ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए जो उन्होंने एक छोटे से मुद्दे को आज विधान सभा में जिस तरीके से उन्होंने कहा। जो एक दवा का बिल अगर हम सब विधायक हैं अपने क्षेत्र में और एक दवा का बिल हम माफ नहीं करवा सकते। कहीं किसी कारणवश उसको दवा नहीं मिली, बाहर से लेना पड़ा तो हम हॉस्पिटल में जाके उस दवा को दिला सकते थे, उस पीड़िता को। लेकिन आज उसके लिए इतनी बड़ी ईश्यू बनी। जब पहली बार आज महिला मार्षल को बुलाके और मार्शल के थ्रू निकलवाना पड़ा आपको और आपको उन्होंने डाइरेक्ट कहा। जो आप टिकट के लिए ऐसा कर रहे हो तो अध्यक्ष जी, ये हम सबके लिए बड़ा निन्दनीय था। इस सदन में इस ओच्छी राजनीति के लिए सदन नहीं बना था और इस ओछी राजनीति से तंग आकर दिल्ली ने एक अच्छी राजनीति के लिए चुनके भेजा था हम सबको। अच्छी राजनीति करने के लिए इस तरह की ओछी राजनीति, इस तरह की घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए सदन को। ये हम सबको देखना चाहिए और साथ में बहुत, मैं इससे खुद एक महिला होने के नाते बहुत ही आज मुझे आहत हो रहा है जो इस तरह की बात... एक बिल को तो हम सब कोई भी साथी, हम सभी विधायक साथी एक दवा के बिल को माफ करवा सकते हैं। अपने खुद हम हास्पिटल में चले जाएँ और वो हो सकता है।

अध्यक्ष जी, मैं बिजली के मुद्दे पर हम सबका काफी इमोशनल रहा है। बिजली आन्दोलन में जब अरविंद जी अनशन पर बैठे थे, उस समय हम सभी आन्दोलनकारी जो–जो हम सब क्षेत्र में घूम रहे थे, तो हम रोज मिनट, घण्टा गिन रहे थे। जिस बिजली के आन्दोलन पर अरविंद जी अनशन पर हैं और हम सब बाहर हैं, अपने–अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और मुझे याद है, जितने दिन अनशन पर थे कम से कम 85 लाइट हमारे क्षेत्र

में काटी गयी थी और उस लाइट को मैं खुद उसी समय सीख गयी थी जो मीटर को कैसे जोड़ना होता है और मैंने अपने हाथो से प्लास लेके और उन सभी लाइटों को जोड़ा था और जोड़ के तो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे। ये लाइट जोड़ने और काटने से कोई विधायक बनता है और सरकार बनती है और ये कौन सा नया आन्दोलन है, कौन से ऐसे आन्दोलन हैं, जो बिजली काटते और जोड़ते हैं और हम लोगों ने लगातार बिजली पर और कभी–कभी मन में डर भी होता था कि क्या हम ये बात कर पाएँगे; बिजली कट रही है। बिजली इस तरह से हम काट रहें हैं, जोड़ रहें हैं तो क्या ये जो उम्मीद लिए बैठे हैं। जो हम आएँगे तो बिजली उनका माफ करेंगे। ये कभी हम कर पाएँगे लेकिन आज मुझे गर्व है अपनी सरकार पर। जिस तरीके से सरकार ने आज बिजली के रेट, बिजली के दाम मुफ्त कर दिया, हम सबके लिए और उसमें बहुत अच्छी संख्या में मिडिल क्लास जो दिन–रात जैसे बिल आती है और खासकर महिलाएँ क्योंकि महिलाओं के हाँथ में ही बिजली के बिल सबसे पहले आते हैं। ऊपर–नीचे होने पर बिजली के बिल को देख के उन्हीं को बजट बनाने में बहुत मुश्किल होती है और जब वो बजट बनता है, तो उनको लगता है, आज इतना बजट अगर बचत होता है तो डाइरेक्ट महिलाओं के हाथ में जाता है वो पैसा और वो घर के और भी खर्चे और भी कुछ एसेसरीज घर की इकट्ठा कर पाती है और घर पर कुछ नया चीज जोड़ पाती है, उस छोटे–छोटे बचत से। जो आज दिल्ली सरकार ने डाइरेक्ट इनको दिया है। उस बिजली के मुद्दे पर हमारी एक बहुत ही अच्छी कालोनी में जो अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं न, हमारे जेब से टैक्स कट रहा है। बहुत अच्छी कालोनी में क्योंकि हमारे एरिया में हर तरह के लोग रहते हैं। पॉष इलाके की मीटिंग में थी तो उस मीटिंग में एक महिला खड़ी हुई। मतलब उनके मन का डर मैं इसलिए इस सदन में रखना चाह रही हूँ। उन्होंने कहा, कहीं आप

नहीं आ पाये तो बिजली के रेट फिर से बढ़ जाएँगे। उनकी ये चिन्ता थी और वो इस बात से चिन्तित थी कि कहीं आपकी सरकार नहीं आयी तो मेरे बिजली के रेट जो है, फिर से बढ़ जाएँगे। ऐसा ही उन्होंने बोला और मैंने जवाब दिया। ये आपकी अब तो हमारी चिन्ता खत्म है। हमने अपना काम किया है। अब आपको ध्यान रखना है। अब आपको काम करना है। बस इतना कहके मैं चली गयी। दूसरी, एक बहुत बड़ी एक्सीडेन्ट जो जब भी लाइट कटती थी तो हम लोग क्या करते थे? रात के समय कभी बिजली के दफ्तर भाग रहे हैं। बिजली के लिए सभी कालोनी के लोग रात में निकल जाते थे। पूरी गरमी में एक–दो बार ऐसा ही होता था जो चार–चार घण्टा, पॉच–पॉच घण्टा कभी–कभी तो तोड़फोड़ भी होती थी, बिजली के दफ्तर में जाके। जो लाइट जल्दी लाओ, जल्दी आए लाइट, लाइट नही आ रही है। ये अधिकांश होता था लेकिन इस चार साल में कभी ऐसा नहीं हुआ जो कि हम सबको इस तरह का करना पड़ेगा और अभी क्या होता है; एक मिनट बिजली भी जाती है कभी तो तुरन्त विधायक को कॉल आ जाता है। उस समय मैं विधायक का नाम न पता, न उनके फोन नम्बर हमारे, हम लोगों के पास, आम आदमी के पास नहीं होता था। तो हम लोगों को खुद ही भागना पड़ता था और उस समय ये स्थिति थी, आज के डेट में मुझे पूरी गरमी बीत चुकी। पूरा समर में हम लोगों ने एक मिनट भी माचिस खोजने की भी जरूरत नहीं पड़ी और बिजली नहीं गयी। इसके लिए मैं अपने सरकार, अपने पूरे कैबिनेट का तहेदिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और बहुत–बहुत बधाई देती हूँ।

दूसरा, एक छोटा सा और इन्सीडेन्ट बताना चाहूँगी। सर, जब भी कभी ट्रांसफार्मर फुकता था न, तो 6 से 7 घण्टे लगते थे ट्रांसफार्मर के ठीक होने में। तो मैंने जब डिपार्टमेन्ट को एक जगह मेरे गॉव में ट्रांसफार्मर फुक

गया तो मैंने कहा, कितना टाइम लगेगा ठीक होने में? तो उन्होंने कहा, मैडम, आधा घण्टा में हो जाएगा। हम कहे, ट्रांसफार्मर आधा घण्टे में कैसे ठीक कर लोगे? झूठ मत बोलो। उन्होंने तुरन्त गाड़ी से पोर्टेबल... पहली बार मैंने देखा। जो गाड़ी से पोर्टेबल ट्रांसफार्मर आई और वहाँ पर उसकी कनेक्शन, टेम्पोरेरी कनेक्शन दे दी गयी। ये एक हम सबके लिए तो बहुत ही सुखद अनुभव था और मेरे क्षेत्र में लोग उस पोर्टेबल ट्रांसफार्मर को देखके और उस जो रनिंग ट्रांसफार्मर जिसको बोलेंगे, जो कहीं पर भी लग जाती है। वो ट्रांसफार्मर को देखके लोग बहुत ही खुष हुए और तुरन्त आ गयी ट्रांसफार्मर और लगी आधे घण्टे में, लाइट आ गयी।

एक सर, जो जगह–जगह बिजली की चोरी होती थी लेकिन आज दस मिनट के लिए भी... सॉरी दस घण्टे के लिए भी अगर आपको कनेक्शन लेना हो मीटर के। क्योंकि चोरी करके कहीं से खम्भा फंसाया, अपना प्रोग्राम कर लिया। आज के डेट में दस घण्टे के लिए भी मीटर का कनेक्शन चाहिए तो तुरन्त मिल जाती है उनको। कोई छोटा सा पूजा, फंक्शन करना है, अगर हम फील्ड में कर रहे हैं, पंडाल में कर रहे हैं तो उसमें भी हमें कनेक्शन मिल जाती है; पूजा–पाठ कुछ कर रहे हैं। कोई भी सार्वजनिक प्रोग्राम कर रहे हैं। सामाजिक प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें भी हमें कनेक्शन इजिली मिल जाती है। रोड पर अगर हमारी पान की दुकान है, लोहे की दुकान है। कुछ भी है तो हमें मीटर के कनेक्शन मिल जाती है तो हम क्यों चोरी करेंगे? और चोरी करके कुछ दलालों के घर में हम पैसा देते थे जो दलाल इससे मालामाल होते थे। तो आज उससे भी हम सबको राहत मिली और हमारे क्षेत्र की जनता और पूरे शालीमार बाग की जनता की ओर से मैं आपको तहेदिल से अपनी सरकार, अपने मुख्य मंत्री जी, अपने पूरी मंत्रिमंडल को मैं तहेदिल से बधाई देती हूँ। लास्ट में एक बात

में कहना चाहूँगी कि जो हमारे भाजपा के साथी हों या कॉंग्रेस के साथी हों, मंत्री जी ऐसा कोई नियम तो नहीं निकाला जो कॉंग्रेस वाले को नहीं मिलेगा, भाजपा वाले को नहीं मिलेगा। इसका तो बेनिफिट सबको मिलेगा। कार्यकर्ता साथी को जो गुमराह किया जा रहा है बाहर में, जिस तरह से भाजपा गुमराह कर रही है क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो कौन से मुद्दे लेके जाए फील्ड में, तो बस अरविंद केजरीवाल ने ये कर दिया जी, आज। अरे! अच्छा कर रहे हो प्रचार, करो। क्योंकि अच्छा काम हमने किया है लेकिन ये बात जनता को गुमराह करना बंद करो क्योंकि ये जो बिजली का फायदा है, ये जो स्कूल का फायदा है, ये शिक्षा का फायदा है, ये स्वास्थ्य का फायदा है, सीसीटीवी का फायदा है, वाई—फाई का फायदा है, वो कॉंग्रेस वाले को भी मिलेगा, बीजेपी वाले को भी मिलेगा, सभी साथियों को मिलेगा, पूरे दिल्ली वासियों को मिलेगा। तो मैं पूरी दिल्ली वासियों की ओर से अरविंद केजरीवाल जी का और मुख्यमंत्री जी का और मंत्रीमंडल का बहुत—बहुत धन्यवाद करती हूँ अध्यक्ष जी, आपका भी मैं तहेदिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, जयहिन्द, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, बंदना जी। श्री राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ताः अध्यक्ष जी, आपका बहुत—बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मेरे साथियों का बहुत—बहुत धन्यवाद जो इन्होंने मौका दिया। वैसे तो बहुत कम चीजें बची हैं और आप पाँच मिनट में कहते हैं कि जो समझदार आदमी अपनी बातें कह सकता है, मुझे लगता है दो ही मिनट बहुत हैं। सारे आँकड़े आप सुन ही चुके हैं, पूरा सदन सारे आँकड़ों को सुन चुका है।

अध्यक्ष जी, हम अकसर राजनीति में सुनते हैं, आपने भी सुना होगा कि आप सबको खुश नहीं कर सकते। एक परिवार में दो बच्चे हों तो उस परिवार, छोटे से परिवार को भी खुश रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये दिल्ली की सरकार कुछ अजीब सी सरकार है जो हरेक को खुश रखने के लिए कुछ न कुछ जरूर कर लेती है। 75 परसेंट लोगों के अगर बिजली के बिलों में इतना फायदा हो जाए कि किसी का अगर जीरो आने लग जाए, किसी को आधा आने लग जाए, ये कोई छोटी–मोटी बात नहीं है, आँकड़ा बड़ा लगता है। 75 परसेंट लेकिन एक सोचने वाली बात है कि पूरी गली में, पूरे मोहल्ले में जीरो बिल आ रहे हैं। बहुत, अभी शायद इस महीने आने शुरू होंगे क्योंकि अभी करा है और अगले महीने, मुझे लगता है कि अपने आप में ये दुनिया में इससे बड़ी स्कीम कभी कोई नहीं चली होगी, इतने बड़े–बड़े देश हैं; कनाडा है, जो हैल्थ के अंदर इंश्योरेंस फ्री देता है, अमेरिका भी नहीं दे पाता, जो दुनिया में इतनी बड़ी इकॉनॉमी है, चाइना जो इतना मैन्युफैक्चरिंग में इतना नाम कर चुका है लेकिन वहाँ भी इस तरीके की चीजें नहीं हैं कि आप बिजली इस्तेमाल कीजिए और बिल न दीजिए। अगर 200 यूनिट में अगर आप करते हैं, अगर लिमिटिड यूनिट को आप इस्तेमाल करते हैं। आजादी का महीना है, अभी 15 अगस्त गयी है, इस अगस्त हाउस में हम लोग बैठे हुए हैं। आजादी सिर्फ कुछ लोगों से आजादी की बात नहीं है, आजादी है महंगाई से आजादी, बेरोजगारी से आजादी, बच्चों की महंगी फीस से आजादी, अब आपकी महंगी दवाइयों से आजादी और ये सरकार, इन चीजों के बारे में बचपन से सुनते थे कि रोटी, कपड़ा और मकान... लेकिन आज के युग में, आज के मॉडर्न युग में रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा आपको बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा, ये सब चीजें चाहिए। चिकित्सा में आप जानते हैं कि दवाइयाँ

फ्री मिलती हैं, बहुत सारे टैस्ट फ्री होते हैं, शिक्षा के बारे में आप जानते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ने नहीं दी और जो सरकारी स्कूल हैं, उनमें शिक्षा फ्री है ही, सुरक्षा के नाम पे आपने देखा है कि किस तरीके से सीसीटीवी रोज लग रहे हैं, शुरू हो चुके हैं। कई जगह काफी कुछ लग भी चुका है, पानी के बारे में आपको मालूम है कि 20 हजार लीटर तक फ्री देते हैं और बिजली के बारे में पहले 400 यूनिट में तो सब्सिडी थी ही, अब 200 पे उसको फ्री ही कर दिया गया है। एक रामराज्य की परिकल्पना करने जैसा है कि रामराज्य होता क्या है। जो कुछ भी जरूरतें हैं आदमी की, पॉवर जो है, आज नीड है, जरूरत है, उसके बिना आप रह नहीं सकते। जैसे पानी के बिना रहना मुश्किल है, बिजली के बिना रहना मुश्किल है, आप यकीन मानिएगा, लाइट चली जाए तो यहाँ बैठना नामुमकिन है। न यहाँ बैठ पाएँगे, न घर बैठ पाएँगे।

तो मैं अपनी बातों को ज्यादा न कहते हुए मेरे साथी सब कुछ कह चुके हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली वालों की तरफ से दो लाइन रखना चाहता हूँ; मुझे लगता है कि ये बातें कभी किसी ओर राज्य के लिए कही गयी थी लेकिन आज इस राज्य के लिए फिट बैठती हैः ''गर फिरदौस बाररुए–जमीन अस्त हमीं असतो।'' अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो फिलहाल दिल्ली वासियों के लिए, वो दिल्ली है जहाँ बिजली, पानी, स्कूल हॉस्पिटल सब फ्री हो या हाथ में आराम से आ जाए तो उससे अच्छा स्वर्ग कोई नहीं हो सकता, आपने मौका दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, मैं बोलना चाहूँगा।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, श्री सोमदत्त जी।

माननीय अध्यक्षः कमांडो जी, उसके बाद अंतिम श्री महेन्द्र गोयल जी। सदन का समय साढ़े 6 बजे तक के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री सुरेन्द्र सिंहः धन्यवाद, अध्यक्ष जी कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले तो दिल्ली सरकार का, माननीय मुख्य मंत्री का, उप मुख्य मंत्री साहब का और पॉवर मिनिस्टर तमाम मंत्रियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने बिजली के ऊपर काम किया, साथ ही आप अनेकों योजनाएँ लेके आए हैं; तीर्थ यात्रा मेंः फ्री तीर्थ यात्रा, बस किराया माफ, शिक्षा माफ, चिकित्सा माफ, पानी माफ, बिजली माफ, बुजुर्गों की पेन्शन ढ़ाई हजार, शहीदों को सम्मान–राशि करोड़ रुपए, मिनिमम वेजेज 14 हजार रुपए और जगह–जगह फलाईओवर, अंडरपास के काम चल रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एक भी ऐसी सरकार नहीं है जो इस तरह की योजनाएँ लेके आई हो। इन योजनाओं के साथ–साथ विकास के काम में, आप देखिएगा, बिजली के साथ, आस–पास की जो स्टेटस हैं, आप देख सकते हैं बिजली के अंदर भी क्वालिटी वाली बिजली है। ये मतलब नहीं है कि फ्री बिजली है और 100 वाट आ रही है, 50 वाट बिजली आ रही है, अच्छी क्वालिटी की बिजली आ रही है और फ्री बिजली आ रही है। इसी योजना को अगर देखते हैं तो 200 यूनिट में अगर यूपी के अंदर आप जाओगे तो 1240 रुपए और उसके बाद कोई गाय का टैक्स, कोई गोबर का टैक्स, कोई स्वास्थ्य टैक्स लगा के दो–ढ़ाई हजार, तीन हजार रुपए तक का बिल पहुंचा देते हैं। साथ ही मेरे क्षेत्र के अंदर जिस तरह से बिजली का काम हुआ है, जगह–जगह ट्रांस्फार्मर लगाये गये, बड़े–बड़े ट्रांस्फार्मर लगाये गये; झरेड़ा गाँव में लगाया गया, नांगल गाँव में लगाया गया, महरम नगर में लगाया गया, नारायणा में लगाया गया। पूरे कैंट के अंदर जहाँ भी तार कमजोर थे या

तार अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, वो पूरी लाइनें जो हैं ना माननीय मंत्री जी ने एक ही आदेश में पूरा क्षेत्र में बदल दी और दो से ढ़ाई हजार जो है ना, एलईडी लाइट लगवाई। पूरा क्षेत्र जो है ना, दिन की तरह रहता है रात के समय भी।

साथ ही मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह से बिजली का जो 200 यूनिट फ्री देने का निर्णय लिया है, साथ ही 400 यूनिट तक हाफ बिजली देने का जो निर्णय लिया है, उससे आम जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी जिससे दिल्ली सरकार का जो है, हाफ बिजली का वायदा था, माफ बिजली का वायदा नहीं था, दो कदम आगे बढ़ के मुख्यमंत्री साहब और सरकार ने जो कदम बढ़ाया है, इसके लिए सरकारी की, पूरी दिल्ली की जनता जो है ना, तारीफ करती है।

साथ ही में एनडीएमसी का क्षेत्र है हमारा, एनडीएमसी के क्षेत्र के अंदर भी अनेकों ऐसी योजनाएँ आई हैं; जो है ना, स्मार्ट मीटर, स्मार्ट लाइन, स्मार्ट ट्रांस्फार्मर, तमाम जो है ना, बदलाव किए गए हैं। उसके लिए भी जो है ना, सरकार जो है ना तरीफ के योग्य है और सारी चीजें इसमें बढ़िया रही हैं।

साथ ही मैं एक चीज कहना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से और लगातार मैं कहना चाहता हूँ कि एक दिल्ली की सरकार है जो फ्री बिजली दे रही है, दूसरी तरफ केंद्र की सरकार है, इस फ्री बिजली के माहौल को देख के हाफ बिजली के माहौल को देख के, कैसे रोका जाए, उपभोक्ता बिजली का फायदा न उठा सकें, दिल्ली कैंट के अंदर 30 हजार आदमी लगभग ऐसे रहते हैं जिनको दिल्ली सरकार फ्री बिजली देना चाह रही है, उनको बिजली के कनैक्शन नहीं दिए जा रहे, केंद्र सरकार उनको

एनओसी नहीं दे रही है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री 'सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना' का प्रचार किए जा रहे हैं, जिस विधान सभा में प्रधानमंत्री जी रह रहे हैं, वहाँ उन लोगों को फ्री बिजली लेने से रोका जा रहा है।

साथ ही एमईएस के जो उपभोक्ता है, जो आर्मी के उपभोक्ता है, जो आर्मी के अंदर हैं, उस क्षेत्र में रह रहे हैं, उनको फ्री बिजली के लिए माननीय ऊर्जा मंत्री मुझे बार–बार, बात जब भी कहते हैं, हर बार मुझे कहते हैं, जितने दिल्ली के अंदर फौजी रह रहे हैं उन सैनिकों को फ्री बिजली देने के लिए, और सब्सिडी देने के लिए सरकार तैयार है पर केंद्र सरकार उनको भी बैनिफिट नहीं लेने दिया जा रहा है वहाँ पर।

इन सारी चीजों के साथ–साथ मैं एक बार एक चीज ओर कहना चाहूँगा, जहाँ जिस तरह से स्कूल बनाए हैं, दिल्ली कैंट के अंदर तमाम स्कूल इतने अच्छे बनाए हैं सरकार ने कि लोग तारीफ कर रहे हैं। अब एक स्कूल ओर बनाने की बात थी, वो डिफेंस लैंड के ऊपर था अध्यक्ष जी, परंतु केंद्र सरकार ने उस स्कूल को ही बंद कर दिया और उन बच्चों को जो है ना, शिफ्ट करने के लिए आदेश दे दिए, ऐसी सरकार, ऐसे जो बीजेपी के जो लोग हैं, जो उनकी नीयत है, जो उस नीयत से काम कर रहे हैं कि लोगों को कैसे परेशान किया जाए और जो आज सरकार के सामने, आपके सामने जो भाई नितिन त्यागी जी ने जो प्रस्ताव, जो संकल्प प्रस्तुत किया है, मैं और मेरे क्षेत्र की जनता इस संकल्प का पुरजोर समर्थन करते हैं और सरकार का बार–बार धन्यवाद करते हैं, जय हिन्द, जय भारत। सरकार के साथ–साथ अध्यक्ष जी, आपका भी बहुत–बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया, जय हिन्द।

माननीय अध्यक्षः श्री महेन्द्र गोयल जी।

श्री महेन्द्र गोयलः धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो इस गम्भीर मुद्दे के ऊपर आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, बचपन में एक गाना सुनते थे हम, 'गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे, वो दस लाख देगा।' यही कहानी मैं दिल्ली के अंदर चरितार्थ होते हुए देख रहा हूँ कि जनता ने पहले हमें 29 सीटें दी थी। हमने अच्छा काम दिखाया, उसके बाद 29 के बाद 67 सीटें दी। क्योंकि फल तो मिलता है न और मुझे ये लग रहा है कि जो तीन बच गयी थी, अब आने वाले टाइम में वो 70 की 70 हो जाएँगी। क्योंकि फल हमेशा अच्छा ही मिलता है, जब साफ नीयत के साथ काम किया जाता है।

उसके बाद मुझे एक चिंता और हो रही थी; जब 70 की 70 सीट हमारी आ जाएँगी तो यहाँ पर बहस करन के लिए कौन बचेगा? तो एक दिमाग के अंदर सुझाव आया है कि 35 आदमी आप इधर बिठा देना और 35 इधर बिठा देना, ताकि जनता के हितों का काम हम इस सदन से अच्छी तरह से करके चले। ये व्यवस्था आपको करनी है और अगले अध्यक्ष भी आप ही हैं।

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिए, महेन्द्र जी, कन्क्लूड करिए, प्लीज।

श्री महेन्द्र गोयलः उसमें ही कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि आपने थोड़ी देर के बाद कन्क्लूड के लिए बोलना है, 20–20 आजकल बहुत चलता है और 20–20 में कन्क्लूड होने वाला है, पूरा का पूरा। इस सरकार ने जितने काम किए हैं, मेरे साथियों ने बहुत से काम गिनवाए हैं। एक जगह हम भी इनके जाल के अंदर फंस गए थे, बहुत खुले मन के साथ कह रहा हूं। हमारे मंत्री जी बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं

लेकिन अच्छा काम करते हुए भी शायद कई बार बुरा काम हो जाता है। इन्हीं बिजली कम्पनियों के जाल के अंदर ये फंस गए थे कि फिक्स चार्ज रेट हमारे मीटरों के बढ़ गए थे। उसके बाद जब सभी विधायकों ने बात की, मुख्य मंत्री साहब से भी बात की, मंत्री साहब से भी बात की, उन्होंने इस मुद्दे को समझा। उन्होंने कहा कि छः महीने देख लेते है क्योंकि फिक्स्ड चार्ज बढ़ा दिए थे, उधर से यूनिट के रेट घटा दिए थे। बिजली कम्पनियों ने ऐसे प्रस्तुत किया था कि इससे जनता का फायदा होने वाला है। वो फायदा नहीं हुआ, गरीब आदमी को थोड़ा नुकसान हुआ। अमीर आदमियों को उसका फायदा हुआ है। क्योंकि जो जितनी ज्यादा बिजली फूक रहा था, उसी हिसाब से अमीर आदमी को उतना ज्यादा उसका फायदा मिल रहा था। लेकिन गरीब आदमी को थोड़ा सा उसका नुकसान हो रहा था। हालाँकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, बिल के अंदर 20–30–50 रुपये का उसका फर्क पड़ता था। लेकिन गरीब को तो इतनी भी चोट बहुत है। मुख्य मंत्री साहब ने उस बात के लिए सोचा कि इनका जितना भी नुकसान हुआ है तो क्यों ना 200 यूनिट तक बिजली का बिल्कुल जीरो कर दिया जाए ताकि उस जनता को वो पूरा का पूरा फायदा मिले, ये हमारी सोच है। इसी सोच को देखते हुए, मैं मुख्य मंत्री साहब को और पॉवर मिनिस्टर साहब को धन्यवाद करना चाहूँगा, सैल्यूट करना चाहूँगा कि इन्होंने इस बिल को, आज नितिन भाई के द्वारा ये बिल लेकर आए, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ, मेरे पूरे साथियों के द्वारा और रिठाला विधान सभा की जनता की तरफ से भी मैं आप सभी का बहुत–बहुत आभारी हूँ, चाहे हाई टेंशन तार हटवाने के अंदर पॉवर मिनिस्टर साहब ने हमें सहयोग दिया है, जगह–जगह ट्रांसफार्मर रखवाने के लिए हमें सहयोग दिया है, जगह–जगह लाइट लगवाने के लिए आप लोगों ने हमें सहयोग दिया है। चाहे स्कूल के बारे में, चिकित्सा के बारे में, पानी के बारे में, शिक्षा के बारे में या रोड्स बनाने के बारे में,

सीवर लाइन डलवाने के बारे में, मेरे बहुत से साथी बता चुके हैं, उनके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है।

एक काम और करवा दो अध्यक्ष जी, क्योंकि जनता के द्वारा जो वो चुनकर भेजे गए हैं चार और वो गलत हरकत करके, उनको बाहर भेज देते हो आप। भई जिस समय जनता के हितों पर चर्चा हो, उनको चाहे पकड़कर आपके सामने बिठवा लो, वो बिठाने जरूर चाहिए ताकि उनके कानों के मैल झड़ जाएँ। भई जनता के हितों का कैसे काम किया जाता है, ताकि क्या पता गलती से एक आध आ भी गया, वैसे तो आने की उम्मीद नहीं है...

माननीय अध्यक्षः चलिए, कन्क्लूड करिए, प्लीज।

श्री महेन्द्र गोयलः ये जरूरी है। तो मैं उनके लिए दो लाइनें कहता हूँ,

''काम करो कुछ ऐसा कि लोग तुम्हारे लौटने का इंतजार करें,
न करो अनर्थ कुछ ऐसा कि लोग तुम्हारे मिटने का इंतजार करे।''

आपने मुझे मौका दिया, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः बहुत–बहुत धन्यवाद। अब माननीय ऊर्जा मंत्री, श्री सत्येन्द्र जैन जी चर्चा का उत्तर देंगे।

माननीय ऊर्जा मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी सभी सदस्यों की मैंने चर्चा सुनी। पहले मैं सबसे पहले कुछ डेट्ाज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री है। मैं कुछ राज्यों के अभी नाम बताऊँगा, सीटिज के नाम बताऊँगा। दिल्ली के अंदर जीरो है, मैं उनके लिए जो रेट बता रहा ,हूँ उसमें टैक्सेज

वगैरह शायद उसके अलावा है, जैसे मुम्बई में 200 यूनिट 1400 रुपये है, टैक्सेस लगाकर शायद 16–1700–1800 रूपये हो जाएगा, बंगलौर में 1350 है, हैदराबाद में 882 है, टैक्सेज मिलाकर। 20–25 परसेंट टैक्स भी होता है, इसके अलावा होता है, नौएडा के अंदर 1310 रूपये, पटना–बिहार 1310 रूपये, भोपाल–मध्य प्रदेश 1200 रूपये, अमृतसर में 1318 रूपये, अजमेर 1588 रूपये। अलग–अलग राज्यों के अंदर 1588 से लेकर 1200–1300 रुपये तक है, जिसमें टैक्स जोड़ा जाए तो वो 16–1700 से लेकर 2,000 रुपये तक बन जाता है और दिल्ली में बिल्कुल जीरो है।

इसी तरह से अगर 200 की जगह 400 यूनिट को कम्पेयर किया जाए, 400 यूनिट के अंदर अगर हम कम्पेयर करें, मुम्बई के अंदर 3310 रुपये है, बंगलौर के अंदर 2910 रुपये है, हैदराबाद में 2307, गुडगाँव में 1820, नौएडा में 2480, पटना में 2950, भोपाल में 2430, अमष्तसर में 2697 और अजमेर में 3277, इन सबके ऊपर टैक्सेज एक्स्ट्रा है और दिल्ली में सारे टैक्सज मिलाकर 1075 रुपये है। मतलब ये नहीं है कि हमने सिर्फ 200 यूनिट फ्री किए हैं, 400 यूनिट वाले भी बहुत कम हैं। इसके अलावा उससे ऊपर भी अगर दिया जाए तो हमारे रेट उनसे कम हैं।

अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, 2010 से लेकर 2013 के बीच में दिल्ली में एवरेज 70 परसेंट रेट बढ़े थे, एवरेज 70 परसेंट का इन्क्रीज हुआ था तीन साल के अंदर। तो 2013 से लेकर 2019 तक छः साल के अंदर, अगर तीन साल में 70 परसेंट बढ़ गए तो छः साल में डेढ़ सौ–दो सौ परसेंट तो बढ़ने चाहिए थे, इतना तो मानते हैं। क्योंकि हर छठे महीने रेट बढ़ते थे, कभी 15 परसेंट, कभी 20 परसेंट, कभी 10 परसेंट। 2013 के अंदर 100 यूनिट का बिल था 485 रूपये, आज है जीरो, 2013 में 200 यूनिट का बिल था 928 रूपये, आज है जीरो, 300 यूनिट

का बिल था 1585 रूपये, जो है आज 527 रूपये, वन थर्ड से भी कम है और 400 यूनिट का बिल था 2243, जो कि आज है 1075 रूपये। मैं दो गुणा, 70 परसेंट बढ़ा तीन साल के अंदर। मैं डेढ़ सौ परसेंट, 200 परसेंट की बात नहीं करता हूँ अगर सौ परसेंट भी बढ़ जाता, ज्यादा नहीं बढ़ता, दुगुणे ही हो जाते बस, तो आज 100 यूनिट का बिल होता आपके पास लगभग 1,000 रूपये, 200 यूनिट का बिल होता लगभग 1800 रूपये, 300 यूनिट का बिल होता 3200 रुपये के पास और 400 यूनिट का बिल होता 4300–4400 रूपये, जो कि 400 यूनिट है 1075 रूपये।

तो ये हमारे जो साथियों ने खासतौर से बंदना जी ने अभी कहा कि लोगों को एक डर भी है कि अगर केजरीवाल सरकार नहीं रही तो बिल कौन भरेगा? जिसका 400 यूनिट का बिल है, उनको पता है कि कम–से–कम ये 400 यूनिट का जो आज 1075 रुपये आ रहा है, ये 4500–5000 रुपये देना पड़ेगा। मुझे अभी एक मैडम मिली हमारी विधान सभा में। ऊषा जी नाम है उनका, बिल आता है, बिल देखा, उन्होंने दिखाया मेरे को। बिल 398 यूनिट का बिल। मैंने कहा, आपके घर में एसी नहीं है? कहती हैं, सर है, एसी भी है। तो मैंने 398 यूनिट के अन्दर एसी कैसे चलाया आपने? कहती हैं, सर, 28 डिग्री के पर चलाते हैं। एसी चलाते हैं, 28 डिग्री पर चलाते हैं। बिजली का बिल हमारा 400 यूनिट से कम आता है 1050, 1075 रुपये का बिल आता है और उन्होंने साथ–साथ ये भी बताया कि अब तो आपने 200 यूनिट फ्री कर दी। कहते हैं, जी, सर्दियों के अन्दर कम–से–कम छः से सात–आठ महीने जीरो बिल आएगा हमारा। एसी लगाके अगर 398 हो सकता है तो बिना एसी के तो 200 के नीचे होगा ही होगा। जो 200 यूनिट फ्री की है, इसके अन्दर जो रीजन है; एक तो लोग बिजली की थोड़ी बचत भी करेंगे जिनका 225 या 250 यूनिट बिल आता है, वो ध्यान

रखेंगे कि 200 से नीचे करें ताकि उनको फ्री रहे। इसके अलावा ये बेसिक नीड है। जैसे राजेश जी अभी कह रहे थे, अगर यहाँ पर सब कुछ हो, अगर लाइट न हो तो शायद ये सदन नहीं चल पाएगा। आज बिजली, पानी की तरह से एक बेसिक नीड बन चुकी है और बेसिक नेसेसिटी, उसको पूरा करना सरकार का फर्ज है। हमने फिक्स्ड चार्जेज जो थे, अभी महेन्द्र जी ने बात की 125 रुपये थे, एक किलोवाट से दो किलोवाट तक उसको घटा के 20 रुपये कर दिया। 140 रुपये पर किलोवाट था पाँच किलोवाट तक उसको हमने 50 रुपये किलोवाट कर दिया और 175 रुपये था 15 किलोवाट तक, उसको 100 रुपये कर दिया है वो भी काफी कम हुए हैं लोगों को उससे भी कई–कई मतलब 1000 रुपये, 1500 हजार रुपये तक का फायदा पर मंथ मिल रहा है। साथ–ही–साथ जो कमर्शियल, छोटे दुकानदार हैं जिनका लोड तीन किलोवाट तक है या ब्यूटी पार्लर है या कोई, कोई भी... बारबर शॉप है, इस तरह के छोटे–छोटे काम करते हैं, अगर उनका लोड तीन किलोवाट तक है तो उनको बिजली का बिल जो है छः रुपये यूनिट के हिसाब से आएगा साढ़े आठ रुपये से नहीं आएगा। उनको भी ढाई रुपये की छूट दी गयी है। तो लाखों ऐसे लोग हैं, उनको भी छूट मिली है। अकेली एक ऐसी सरकार है कि जो बिजली के अन्दर पिछले लगातार पाँच सालों से रेट कम करती आई है, रेट कभी बढ़ाये नहीं हैं। बाकी सभी राज्यों के अन्दर... ज्यादातर राज्यों के अन्दर साल में एक बारी तो बढ़ते ही हैं, कभी–कभी दो बारी भी बढ़ते हैं। अभी एक बीजेपी वाले थे। एक दिन बोले, कहते हैं कि आप लोगों ने हमसे बेइमानी कर ली। मैंने पूछा, क्या? कहते हैं, हम जीतने वाले थे दिल्ली इलेक्शन, आपने बेईमानी कर ली। मैंने, कैसे? कहता है, आपने 200 यूनिट फ्री कर दी, अब तो आप जीत ही जाओगे। मैंने कहा, क्या मतलब? कहता है, हमें भी पता

है कि दिल्ली के अन्दर टू/थर्ड आबादी जो है, वो 200 यूनिट से नीचे आती है। कहता है, अगर आप ये काम नहीं करते ना, तो हम जीत जाते। तो मैंने कहा, भाई एक बात सुनो, हमारी तो दिल्ली में सरकार है। आपकी तो बहुत सारे राज्यों में है। हमने 200 यूनिट फ्री करी है, आप 300 कर दो हरियाणा में कर दो, यूपी में कर दो, कहीं और कर दो। 400 यूनिट कर दो, लोग अब आपको वोट दे देंगे। कहते हैं, अच्छा! ऐसा थोड़ा करने आए हैं। हम आपकी तरह से कोई वो थोड़ा है कि राजनीति में आए हैं कि आपका तो कोई कॅरियर ही नहीं, आप तो आये, आप तो फिर चले जाओगे आपका क्या लेना देना? कहते हैं, हमें तो ये बिजनेस की तरह से चलाना है इसको। अब इन नेताओं से पूछो, इन्होंने अपना कॅरियर बना लिया पॉलिटिक्स को। कॅरियर बनाके जनता को लूटना अपना धर्म समझते हैं। कहते हैं, जनता को लूटो और मजे करो और जनता को बेवकूफ बनाओ। आजकल ये सिर्फ दिन और रात एक ही प्रचार कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हर चीज फ्री कर रहा है, ये गलत है। देखो, अस्पतालों के अन्दर दवाइयाँ मुफ्त कर दी, स्कूलों के अन्दर पढ़ाई तो मुफ्त है ही, पानी मुफ्त, बिजली भी मुफ्त कर दी, अब बसें भी मुफ्त और मेट्रो भी मुफ्त करने जा रहे हैं। कहते हैं, ये तो लोगों को सब कुछ मुफ्त में दे रहा है। अरे भई! एक चीज बताओ, कुछ गलत कर रहे हैं क्या? मेरे एक पड़ोसी हैं, गुप्ता जी। उन्होंने अपने पिताजी के नाम से एक औषधालय बनवा रखा है, डिस्पेंसरी बनवा रखी है। सरस्वती विहार की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा कि आपने औषधालय बनवाया, डिस्पेंसरी है मतलब औषधालय नहीं, डिस्पेंसरी है पिताजी के नाम पर। तो प्रश्न ये होता है कि पाप किया कि आपने पुण्य किया, बस ये बता दो? कहता है जी, पुण्य का काम है। मैंने कहा, अच्छी बात है। एक और हैं, मीटिंग में थे मेरे साथ। उनका क्या काम

है, एक साल में हर साल एक बच्चे की पूरी साल की फीस देते हैं स्कूल की। एक बच्चे की फीस देते हैं स्कूल की। मैंने कहा कि भई, ये पाप का काम है कि पुण्य का काम है? कहता है, नहीं, पुण्य का काम है। इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? एक और सज्जन कहते हैं, हमारी मेड को कभी भी दिक्कत होती है, हम उसको बिजली का बिल भरने के लिए पाँच–सात सौ रुपये दे देते हैं। तो मैंने कहा, पाप करते हो या पुण्य करते हो? कहते हैं, इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? सबसे बड़ा पुण्य है ये तो। अरे! वो तो पुण्य है, 500 रुपये आपने एक मेड को दिए पुण्य हो गया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अन्दर 60 परसेंट लोगों के बिल माफ कर दिए, वो पुण्य नहीं है, वो पाप हो गया? अगर आप अपने पिताजी के नाम से एक औषधालय खोलते हो तो वो पुण्य का काम हुआ और दिल्ली सरकार सबके लिए मोहल्ला क्लीनिक खोलती है, अस्पतालों में दवाइयाँ फ्री देती है तो पुण्य नहीं हुआ? एक बच्चे की फीस आप देते हो तो वो पुण्य हुआ, 16 लाख बच्चों की आप फीस देते हो, 16 लाख बच्चों को आप पढ़ाते हो, वो पुण्य नहीं हुआ। वो पाप हो गया। अपनी समझ से बाहर है। इनके ये डबल स्टैंडर्ड हमें समझ नहीं आते। ये पाप और पुण्य की बातें करते हैं। अरे! सबसे बड़े दान, दुनिया के अन्दर दो ही दान बताए गए है; ज्ञान दान और औषधि दान। अरे! दिल्ली सरकार षिक्षा के ऊपर, ज्ञान के ऊपर जो काम कर रही है, पुण्य समझ के ही तो कर रही है आप पुण्य की डेफिनेषन बदल दो, हम भी बदल देंगे। आप कहते हैं, तीर्थ यात्रा कराना, अपने माता–पिता को कराना, सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो पूरे सारे बुजुर्गों को अब तीर्थ यात्रा कराना सरकार अगर कराती है तो पुण्य हुआ कि पाप हुआ? तो पुण्य ही तो हुआ। आप ही ने तो जो बताया है, हमारे तो ग्रंथों में लिखा है कि पुण्य किया है कि पाप किया है, हम पुण्य कर रहे हैं। अगर आप बेइमानी करते हो, चोरी करते हो तो वो पाप है। हम

चोरी नहीं कर रहे, बेईमानी नहीं कर रहे, रिश्वतखोरी नहीं कर रहे हैं, हम पाप नहीं कर रहे। हम वो पुण्य कर रहे हैं जो हमारे को हमारे पूर्वजों ने बताये। उन्हीं पुण्य के ऊपर हम चल रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि धार्मिक हैं। अरे धार्मिक वो होता है, जिसके मन में दया भाव होता है, धार्मिक वो होता है जो दूसरे के लिए सहानुभूति रखे। अगर गरीब के लिए मन में सहानुभूति नहीं है तो काहे का पुण्य?

अच्छा, एक और चीज सुनो, कई लोग कहते हैं, जी, गरीबों के लिए सब कुछ रहे हैं। सिर्फ गरीबों के लिए करते हैं, हमारे लिए तो कुछ करते ही नहीं। तो मैं बिजली की बात लेता हूँ। 2010 से लेकर 2013 के बीच में 70 परसेंट रेट बढ़े। अगर 2013 से ले के 2019 में 100 परसेंट भी ये बढ़ जाते तो जिस सज्जन का 25 हजार रुपये महीना बिल आता है तो आज कितना आता? 50 हजार रुपये महीना। तो यानी उसकी बचत कितनी हुई? तीन लाख रुपये साल और पाँच साल में कितनी हो गयी? 15 लाख रुपये। सर, वो बड़ी सी जो गाड़ी है न, वो अरविंद केजरीवाल ने गिफ्ट दी है, आप समझ लीजिएगा। जो बड़ी–बड़ी गाड़ियों को घूम रहे हैं ज्यादातर की गाड़ियाँ अरविंद केजरीवाल ने गिफ्ट में दे रखी है उनको और दिल्ली के अन्दर, दिल्ली के अन्दर लोग कहते हैं कि भाई साहब, तब हमारी सरकार बनी थी, हमने कहा था कि हम रेट बिजली के आधे करेंगे। सबने हमसे एक ही बात की कि ये बिजली आनी चाहिए। बस, रेट वेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज देश के अन्दर अकेला राज्य है, जहाँ 24 घण्टे बिजली आती है। हमारे एक वॉलिंटियर हैं, मुझे भी नई जानकारी दी। कुछ महीने पहले की बात है, वो फुलटाइम कर करने लगे। जितेन्द्र ढ़ीगरा नाम है उनका। तो मैंने पूछा, भई, आपने अपना बिजनेस–विजनेस वगैरह छोड़ दिया क्या? आजकल सारे दिन जमाव सेवा में जनता का काम

करने में लगे हो। कहते हैं, काम तो आपने बंद करा दिया। मैंने कहा, मैंने कैसे कर दिया? मुझे ऐसा लगा कि मैंने ऐसी कैसी गड़बड़ कर दी। कहते हैं, सर, इन्वर्टर की दुकान है मेरी। इन्वर्टर बिकता ही नहीं। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि दिल्ली में इन्वर्टर बिकने बंद हो चुके हैं। बैटरी बिकनी बंद हो चुकी है। इन्वटर बिकने बंद हो गये। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ कि हमें 24 घण्टे बिजली आती है। आप याद कीजिएगा, हमारी सरकार बनने से पहले किसी भी बड़ी मार्किट में आप चले जाइएगा; लाजपत नगर मार्किट, सरोजनी नगर मार्किट आप ज्वालहेड़ी मार्किट, रानी बाग की मार्किट किसी भी बड़ी से बड़ी मार्किट में जाएगा शाम के टाइम क्या होता था, आप मार्किट में जाएँगे, हर दुकान के सामने एक लाल रंग का जनरेटर रखा होता था। किस नाम से था? होण्डा का होण्डा वाला और कतनी जोर–जोर से घुर–घुर करता था, घुरड... घुरड... अब क्या है? फुर्र... फुर्र... फुर्र... उड़ गया सब। और आप लोग क्या करते थे? सड़क पर जब चलते थे; ऐसे मुँह पे रुमाल रख के चलते थे। लोग भूल गए, लोगों को याद ही नहीं, ऐसा भी कभी टाइम था। हिन्दुस्तान टाइम्स की तीन दिन पुरानी रिपोर्ट देखें; फ्रंट पेज की न्यूज है, हिस्ट्री के अन्दर आठ साल का उसने रिकॉर्ड दिया है, 'दिल्ली सबसे ज्यादा साफ।' दिल्ली के लिए ये लिखा वहाँ पर। दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन कम करने का एक कारण ये भी है कि दिल्ली के अंदर जो लाखों जनरेटर चला करते थे, हजारों नहीं थे, लाखों जनरेटर चला करते थे, वो बंद हो गये हैं और उनके बंद होने की वजह से पॉल्यूषन में कमी आई है। हमने जो सोसायटीज हैं, सारी सोसायटीज के लिए स्कीम बनाई है कि वो छतों पर अपने सोलर पैनल लगवा लें। आज उनको जो बिजली सब कुछ खर्चे वगैरह मिला के 8–10 रुपये यूनिट पड़ती है। कॉमन सर्विसेज उसको एक रुपये यूनिट में हम बिजली देंगे और मैं आपको एक चीज बताता... दूसरी बात याद कीजिए आप, आज से

25 साल पहले पेट्रोल का रेट क्या था और आज क्या है? आज से 25 साल पहले बिजली का रेट क्या था और आज क्या है? आगे 25 साल की बात मैं ये करता हूँ, अगर हमारी सरकार रहती है तो जितने रेट बढ़े हैं न, वो सब बराबर कर देंगे और एक चीज बता दूँ, अरविंद केजरीवाल जी ने एक चीज कही थी। उन्होंने कहा था कि 10 साल तक दिल्ली में बिजली के रेट नहीं बढ़ने चाहिए। पाँच साल हो गये, अगले पाँच साल की और गारंटी लेते हैं। 10 साल के लिए हमने कहा था, क्योंकि पाँच साल करके दिखा दिया है अब अगले 5 साल के लिए बोल सकते हैं। पहले अगर करके नहीं दिखाया होता तो लोग कहते जी, ऐसे ही बोल रहे हैं जी। तो हमने पाँच साल बढ़ने नहीं दिया। अगले पाँच साल के लिए भी बोलते हैं। अगले आने वाले पाँच साल भी बिजली के रेट नहीं बढ़ेंगे। हमारे जितने विरोधी हैं, उनको बस एक ही डर लगा रहता है, अगर ये केजरीवाल की सरकार इसी तरह काम करती रही तो बाकी राज्यों के अंदर लोग भी उनसे पूछेंगे। आज देश के अंदर इकॉनॉमी की हालत बहुत खराब है। अभी मैं पढ़ रहा था, केन्द्रीय फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी कुछ बयान दिए हैं। कहते हैं, हमारे ही खराब नहीं हैं, पूरे संसार के ही खराब हैं। अगर इकॉनॉमी की हालत खराब है, इकॉनॉमी ठीक नहीं चल रही है तो सरकार का क्या फर्ज होता है? सरकार का फर्ज होता है, कम से कम लोगों की बेसिक जरूरतें तो पूरी करे। कई सारे लोग कहते हैं, ये फ्री क्यों कर रहे हैं? फ्री क्यों कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से, अगर वो अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं, क्या वो तैयार हैं 200 रुपये रोज देने के गाड़ी के? सरकारी जमीन के ऊपर अब वो कार खड़ी करते हैं तो कहते हैं, जी, ये हमारा राइट है। अगर महीने के अंदर जो आदमी 200 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये या 1000 रुपये का

बिजली का उसका बिल फ्री हो जाता है, उस पर ऑब्जेक्शन है क्यों? ये पूछा जाए कि अगर सड़कें बन रही हैं आपकी, क्या उसके पैसे लिए गए हैं आपसे? कहते हैं, उसके तो नहीं लिए जाने चाहिए। सड़कें बनाने का पैसा नहीं लिया जाना चाहिए, पार्कों को डेवलप करने का पैसा नहीं लिया जाना चाहिए, पार्किंग का पैसा नहीं लिया जाना चाहिए तो फिर दिक्कत क्या है? अरे भई, दिल्ली सरकार ने कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया। एक भी नया टैक्स नहीं लगाया एक भी नया सेस नहीं लगाया। जब हमने टैक्स नहीं लगाया, सेस नहीं लगाया तो आपको दिक्कत किस बात की है? कई लोग कहते हैं, हमारे इन्कम टैक्स का पैसा चला गया जी, इनके पास। अरे भाई साहब, हमारे पास... दिल्ली सरकार के पास नहीं आया। सारा का सारा इन्कम टैक्स केन्द्र सरकार के पास चला गया। हमें मिलना तो एक लाख करोड़ वापस चाहिए था। एक लाख चालीस हजार करोड़ जाता है, वापस मिलता है, 325 करोड़। अगर वो 40 हजार करोड़ हमें दे देते हैं न, तो हम सबका ही बिजली का बिल माफ कर देते। वो 200 यूनिट नहीं करते, हम दिल्ली में सबका बिजली का बिल माफ, 40 हजार करोड़ मिल जाएँ तो कर भी देंगे। ये जो बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि ये फ्री करना गलत है। जितने भी मेंबर आफ पार्लियामेंट हैं, जितने भी लुटियंस दिल्ली में लोग रहते हैं, जितने नेता या अफसर हैं, उनकी बिजली तो मुफ्त है। नेता को 2000 युनिट फ्री में मिलें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अफसर को 2000 यूनिट फ्री मिलें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक गरीब आदमी को 200 यूनिट मिले तो ऑब्जेक्शन है, कमाल हो गया! अरे जिस गाड़ी में बैठकर जाते हो, आप आपके घर का बिजली का बिल नहीं आता आपके ड्राइवर का आता है। अगर उस ड्राइवर का बिल सरकार ने माफ कर दिया तो आपको तकलीफ हो गई। ये क्या सोच है? और फिर क्या है कि उसी ड्राइवर के साथ बैठकर आप मंदिर में जाते हो, लड्डू

चढ़ाके आते हो। कहते हैं, हम पुण्य कर आएँ। अरे! कम से कम जो पुण्य कर रहा है, उसको करने तो दो, उसका विरोध तो मत करो। बाकी राज्य क्यों नहीं कर सकते? मैं चेलेंज करता हूँ, इस देश के अंदर एक भी सरकार ये काम नहीं कर सकती जो हमने करके दिखा दिया। हमने 200 यूनिट फ्री किये हैं। देश के अंदर कोई सरकार 200 यूनिट फ्री नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अरे! सर, कर दिया तो वो अपने लिए हेलिकॉप्टर कहां से खरीदेंगे? सारे मुख्यमंत्री सबसे पहले अपने लिए हेलिकॉप्टर खरीदते हैं। अपने पर्सनल एक्सपेंसेज ज्यादा इंपोर्टेंट हैं, जनता के बेनिफिट कम हैं।

मैं एक बारी अभी मीटिंग में गया, वहाँ पर किसी ने मुझे कहा, जैन साहब, आपके पास कितने मंत्रालय हैं? मैंने कहा, भई सात हैं। कहता है, आप तो एक ही गाड़ी में आ गये। कहते हैं, कम से कम सात गाड़ियाँ तो होनी चाहिए। मैंने कहा, क्या मतलब? कहा, तीन आगे, तीन पीछे और बीच में जैन साहब। तो रुतबा बनेगा। मैंने कहा, अपना रुतबा बनाने नहीं आए थे, जनता का बनाने आए थे। अगर अपना रुतबा बनाएंगे तो आपको ये बिजली फ्री नहीं मिलने वाली। जो ये बिजली फ्री मिल रही है न, इसलिए मिल रही है कि हम आपकी तरह से, आपके जैसे हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने जो एक काम कहा था, सबसे बड़ा काम हमने कहा था कि नेताओं की नेतागिरी खत्म करने जा रहे हैं और वो हमने करके दिखा दी। आज सोच के देखियेगा, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले काउंसिलर कितना ड्रामा किया करते थे। काउंसिलर से मिलना या काउंसिलर के सामने पड़ना भी ऐसा लगता था कि पता नहीं कौन हैं। जैसे होता है न कोई सींगों वाला आ गया। आज वो कहते हैं, ये क्या चीज हैं, मंत्री ऐसे घूमते रहते हैं। तो आम आदमी पार्टी ने करके दिखा दिया कि सब लोग आम आदमी हैं और ये हमारी सबसे बड़ी जीत

हैं और यही सबसे बड़ा डर है। इन नेताओं को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि अरविंद केजरीवाल मुख्य मंत्री बन गये, मनीष सिसोदिया उप मुख्य मंत्री बन गये, सत्येन्द्र जैन मंत्री बन गये और सारे विधायक बन गये, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसलिए पड़ता है कि इनके जैसे नहीं बने। अगर इनके जैसे बन जाते तो कहते, हमारे जैसे हैं, क्या दिक्कत है। हमारी जाति के हो गये कि इनकी जाति में नहीं मिले। इन नेताओं को यही तकलीफ है।

मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे कहना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार ने जो भी कमिटमेंट किये, वो सारे के सारे पूरे किये हैं और आगे भी पूरे करेंगे। एक वादा रहता था हमारा वाइ–फाई का, बस, 70 में से। और वाइ–फाई का मैं बताना चाहता हूँ, आज उसका टेंडर अपलोड कर दिया गया है। इस काम को भी हम करके दिखाएँगे। तो हम लोग जितने भी काम कहे थे, वो भी करके दिखाएँगे, उसके अलावा भी करके दिखाएँगे। अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में जो काम किया है, उसके लिए दुनिया बात करती है। आज से पहले कहते थे; अमरीका से जाके सीखो आज अमरीका वाले मोहल्ला क्लीनिक स्टडी करने आते हैं। आज अमरीका वाले 'हैप्पीनेस कुरिकुलम' को पढ़ने आते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है।

अब मैं दो चीजें और बताता हूँ जो हम करने जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यमुना के किनारे अभी हम लोगों ने एक एक्सपेरीमेंट चालू किया है जो बाढ़ का पानी आता है, दिल्ली के अंदर जब बाढ़ का पानी आता है, एक दिन में, सिंगल डे में इतना पानी निकल जाता है जो पूरे साल के लिए सफिसिएंट है। आज से 25 साल पहले 1996, 23 साल पहले दिल्ली को जितना पानी मिला करता था, आज भी उतना

ही मिलता है। दिनेश जी बैठे होंगे शायद, वो बता देंगे। आज भी उतना ही पानी मिलता है, 23 साल के बाद। आबादी डबल हो गयी पर पानी उतना ही है और आने वाले 25 साल में पानी उतना ही रहेगा, आबादी और डबल हो जाएगी। तो पानी के ऊपर लड़ाई होगी और किसी चीज पर नहीं होगी और उसी शहर के अंदर एक दिन में इतना पानी बह जाता है जो पूरे साल के लिए सफिसियेंट है और ऐसा एक दिन नहीं होता, साल में कई सारे दिन होते हैं। तो हमने एक छोटा सा प्लान बनाया है कि यमुना के किनारे हम बड़े—बड़े तालाब बनाएँगे और जब बाढ़ का पानी आएगा, उन तालाब में जाएगा और पानी अपने आप जमीन के अंदर सीप कर जाएगा और वो पूरा का पूरा पानी उसको पूरे साल हम निकालेंगे और उसको यूज करेंगे तो अगली हमारी सरकार की प्राथमिकता जो होने वाली है कि दिल्ली की वाटर प्रॉब्लम परमानेंटली हम सॉल्व करने जा रहे हैं और दिल्ली के अंदर जैसे 24 घंटे बिजली आती है, पूरी दिल्ली को 24 घंटे पानी मिलेगा और बिना मोटर के पाँचवीं मंजिल पर पानी पहुँचेगा, ये हम करके दिखाएँगे। एक काम तो ये बता दिया।

दूसरा, यमुना नदी; यमुना नदी आज एक गंदा नाला है, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। सिर्फ उसमें गंदा पानी जाता है। वजीराबाद के बाद यमुना नदी के अंदर आप हाथ नहीं धो सकते। बरसात का मौसम छोड़ दीजिए, चार महीने छोड़ दीजिए, बाकी आठ महीने आप उसके अंदर हाथ धोने की बात तो छोड़ दीजिएगा, सूंघ भी नहीं सकते। जिस नदी को हम पूजते हैं, उस नदी के अंदर हम सीवर का पानी डालते हैं, गंदा पानी डालते हैं, उसकी पूजा करते हैं हम। इस यमुना नदी को हम साफ करके दिखाएँगे।

आने वाले तीन से चार साल के अंदर एक बूंद भी सीवर का पानी यमुना नदी में नहीं गिरने देंगे, हम स्वच्छ करेंगे और मैं इस सदन में बैठे सभी साथियों को आज इन्वाइट करता हूँ, दिसम्बर, 2022 आज से लगभग साढ़े तीन साल बाकी हैं, आपको नजफगढ़ ड्रेन, जहाँ यमुना में गिरती है, सबको, आपको डुबकी लगवाएँगे। पानी के अंदर इतना साफ करके दिखाएँगे और एक चीज बता देता हूँ कि जनता यह मानती है; जो हमने कहा है, उसको हमने करके दिखाया है। अगर सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 10 दिन अनशन कर सकते हैं, अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं, तो ये तो बहुत बड़े काम हैं। इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा, करके दिखाएँगे, जय हिंद, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः बहुत–बहुत धन्यवाद। अब श्री नितिन त्यागी जी। अल्पकालिक चर्चा के विषय से संबंधित संकल्प प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुमति माँगेंगे।

श्री नितिन त्यागीः अध्यक्ष महोदय, मैं अल्पकालिक चर्चा के विषय में संबंधित संकल्प के विषय वस्तु अपने भाषण में पढ़ चुका हूँ। मैं अब इसे सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए सदन से अनुमति चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्षः नितिन त्यागी जी द्वारा संकल्प प्रस्तुत करने के लिए अनुमति लेने का प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में है, वो हाँ कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वो न कहें;
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पारित हुआ।

श्री नितिन त्यागी को संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दी गयी। अब श्री नितिन त्यागी जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री नितिन त्यागीः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा 23 अगस्त, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में सकल्प करती है कि यह सदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के बुनियादी ढाँचे को सर्वविदित करने के प्रयासों के प्रति आभार प्रकट करता है;

यह सदन सदस्यों की इस आम भावना की सराहना करता है कि अन्य राजनीतिक दलों को भी 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने तथा 400 यूनिट तक के बिलों को 50 प्रतिशत तक करने के निर्णय का विरोध नहीं करना चाहिए;

यह सदन संकल्प करता है कि सदन में विपक्षी दल 200 यूनिट बिजली मुफ्त करने के निर्णय का विरोध करके दिल्ली के हित के विरूद्ध कार्य कर रहा है।

माननीय अध्यक्षः श्री नितिन त्यागी जी द्वारा इस विषय से संबंधित प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने हैं;

जो इसके पक्ष में है, वो हाँ कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वो न कहें;
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पारित हुआ।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण!

जैसा कि आप सब जानते हैं कल श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की त्यौहार है,

उसकी मैं हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रीकृष्ण जी का अवतार के रूप में मान्यता है, लेकिन उनकी छवि आम जनता के जितना निकट है, उतना निकट कोई भी दूसरा पौराणिक अवतार नहीं हैं। श्रीकृष्ण का चरित्र लोक नायक का चरित्र है। उन्होंने प्रेम और भक्ति का बहुत समन्वय किया। उनका दिया हुआ गीता संदेश आज भी प्रासांगिक है। उनके विशेष गुणों ने ही उनको जाति, सम्प्रदाय, भाषा और संस्कृति के भेद से अलग करके समस्त भारतीयता का चरित्र बना दिया। उनकी भक्ति की अनेक धाराएँ लोक जीवन से निकली क्योंकि उनके बहुमुखी व्यक्तित्व के अनेक पक्ष हैं। उन्होंने अपनी कर्मलीला से तात्कालीन मानव जाति का कल्याण किया। आप सभी को एक बार फिर जन्माष्टमी की बहुत बहुत हादिक शुभकामनाएँ देता हूँ। अब सदन की कार्रवाई सोमवार, 26 अगस्त, 2019 को अपरान्ह 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।

(माननीय अध्यक्ष के आदेषानुसार सदन की कार्यवाही 26, अगस्त, 2019 को अपराह्न 2:00 बजे तक के लिए स्थगित की गयी।)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2266/41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।